खण्ड–511, अंक–06
सोमवार, 05 फाल्गुन, शक सम्वत् 1941
(24 फरवरी, 2020 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2020)

(खण्ड 511 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2021

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
जनपद अलीगढ़ में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज, महिलाओं से अभद्रता एवं एक व्यक्ति को गोली लगने से सम्बन्धित प्रकरण को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग ...	7-11
प्रश्नोत्तर	12-92
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	92-94
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	94
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के चोगड़ा चट्टी में नया विद्युत सब-स्टेशन स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	94-95
जनपद गोरखपुर की सभी सड़कों को बर्बाद होने से बचाने के लिये महानगर में सीवर लाइन डाले जाने या डेप्थ लेस पद्धति से ही डाले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	95-96
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र गाजीपुर सदर के अन्तर्गत नन्दगंज बरहपुर बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	96
जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड बिलसण्डा के अन्तर्गत गांव टेहरी में अपूर्ण अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	96-97
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा में प्रस्तावित मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	97
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कपूरथला बाजार में प्रस्तावित पार्किंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	97-98
जनपद जौनपुर के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् शाहगंज का सीमा विस्तार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	98
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत पुल की मरम्मत एवं नालों की सफाई करवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	98-99

विषय	पृष्ठ-संख्या
जिला प्रशासन बस्ती द्वारा बस्ती महोत्सव में चन्दे के नाम पर अवैध वसूली कराये जाने तथा प्राप्त धनराशि को सार्वजनिक न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	99-100
जनपद जौनपुर की तहसील शाहगंज में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	100
जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र मिलक औद्योगिक स्थान अजीतपुर में प्लाट आवंटन में हो रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	100-101
जनपद महराजगंज में भारत-नेपाल सीमा पर चिकित्सीय जांच एवं सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	101
जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत परसूपुरा में बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	101
जनपद लखनऊ में मुख्य स्थानों पर मिनी ट्रामा सेन्टर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102-103
जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत टोंस नदी पर बने पुल के दोनों तरफ क्षतिग्रस्त एप्रोच का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	103
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत ग्राम आजाद नगर बाजार में नाली व सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	103
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ सदर के अन्तर्गत कतिपय पुलों व सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	104
जनपद बदायूं के विकास खण्ड उसावा अन्तर्गत ग्राम मिर्जापुर बिचोला एवं विकास खण्ड कादर चौक अन्तर्गत ग्राम कौवा नगला में इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	104-105

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र करछना के अन्तर्गत भुण्डा भीरपुर लकटहा घाट का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	105
श्री अध्यक्ष द्वारा नियम-56 की सूचना नेता विरोधी दल के भाषण के बाद लिये जाने के सम्बन्ध में सदन की सूचना	105
श्री मनीष असीजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 13 याचिकाएं तथा जनपद वाराणसी से सम्बन्धित एक याचिका (उपस्थित की गई)	106-107
डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित सात याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	107-108
श्री धनन्जय कन्नौजिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	108-109
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित एक एवं जनपद झांसी से सम्बन्धित एक याचिका (उपस्थित की गई)	109
श्री अरविन्द गिरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	109
श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	110
श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित एक, जनपद बाराबंकी से सम्बन्धित एक तथा जनपद उन्नाव से सम्बन्धित आठ याचिकाएं (उपस्थित की गईं) ...	110-111
श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	111-112
श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	112
श्री संजय सिंह गंगवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	112-113
श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	113

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्रीमती निर्मला संखवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	113-114
श्री लाल जी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	114
श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित एक याचिका (उपस्थित की गई)	114
श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महाराजगंज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गई)	115
श्रीमती लीना तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गई)	115
डा0 जमुना प्रसाद सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गई)	115
श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गई)	115
श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गई)	115-116
श्री मो0 फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित एक तथा जनपद सम्भल से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	116
श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित आठ याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	116-117
डा0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित नौ याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	117-118
श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	118-119
श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित तेरह याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	119-120
श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	120
श्री बम्बा लाल दिवाकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	121

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री असलम अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित दो तथा जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	121
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	121-122
वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	122-143
नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता कांग्रेस तथा नेता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा बजट भाषण अगले दिन किये जाने की सूचना ...	144-147
पीठ द्वारा आय-व्ययक की साधारण चर्चा पर समय निर्धारण ...	147-151
उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-06-2016 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)...	152
लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	152
उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या-4 (सदन के पटल पर रखा गया)	152
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18 (सदन के पटल पर रखा गया)	152
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का चतुर्थ प्रतिवेदन (खण्ड-1) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	153
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का तृतीय प्रतिवेदन (खण्ड-3) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	153
उत्तर प्रदेश विधान सभा की वित्तीय वर्ष 2020-2021 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों'' तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'', ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थाई समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी सूचना (सदन के पटल पर रखा गया)...	153-154

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने हेतु श्री अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाने का प्रस्ताव (जारी)	154-155
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	156-170
उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (पुरः स्थापित)	170-176
वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा... ...	176-219
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	219-221
जनपद गोरखपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा गैर जिम्मेदारीपूर्वक नाला बनाये जाने से लाखों नागरिकों के सम्मुख जलभराव होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ...	222-223
जनपद महाराजगंज की सिसवा स्थित गड़ौरा चीनी मिल का परिचालन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सागर पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर गन्ना एवं चीनी मिलें मंत्री का वक्तव्य ...	223-226
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में गांगनौली शुगर मिल के प्रदूषित जल को हिंडन नदी में मिलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र कुमार निम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य	226-228
जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत कतिपय सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 पर डाक्टर एवं स्टाफ की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य	228-229
जनपद बस्ती के बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल अठदमा व फेनिल ग्रुप शुगर मिल द्वारा गन्ना किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय प्रताप जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर गन्ना एवं चीनी मिलें मंत्री का वक्तव्य ...	229-231
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के 38 ग्रामों को बाढ़ से बचाने के सम्बन्ध में श्री नरेश सैनी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	231-232

विषय	पृष्ठ-संख्या
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उज्जवल रमण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर औद्योगिक विकास मंत्री मंत्री का केवल वक्तव्य	232-233
जनपद महाराजगंज के तहसील नौतनवां में भू-माफियाओं द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री अमन मणि त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	234-235
जनपद लखनऊ के यदुनाथ सान्याल वार्ड में अवैध डेरियों को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती जय देवी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	235-236
जनपद रायबरेली के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् द्वारा डाली जा रही सीवर लाइन में अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	236-237
नत्थियां	239-247

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2020 ई0

[विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।]

उपस्थित सदस्य-329

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
3. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
4. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
5. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
6. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
7. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
8. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
9. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
10. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
11. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
12. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
13. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकर नगर
14. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
15. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
16. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
17. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
18. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
19. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
20. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महाराजगंज
21. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
22. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
23. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
24. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
25. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
26. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
27. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
28. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
29. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
30. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
31. असलम अली, श्री — हापुड़
32. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
33. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
34. आनन्द शुक्ला, श्री — चित्रकूट
35. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
36. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
37. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
38. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
39. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ
40. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
41. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
42. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री — फैजाबाद
43. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
44. उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
45. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा
46. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
47. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया
48. उमेश मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर
49. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
50. ओम प्रकाश राजभर, श्री — गाजीपुर
51. कपिल देव अग्रवाल, श्री — मुजफ्फरनगर
52. कमल रानी, श्रीमती — कानपुर नगर

53. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
54. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
55. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
56. काली प्रसाद, श्री देवरिया
57. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
58. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
59. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
60. केसर सिंह, श्री बरेली
61. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
62. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
63. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
64. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
65. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
66. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
67. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
68. गौरी शंकर, श्री जालौन
69. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
70. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
71. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
72. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
73. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
74. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
75. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
76. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
77. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
78. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
79. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
80. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
81. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
82. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
83. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
84. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
85. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
86. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
87. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
88. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
89. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
90. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
91. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
92. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
93. दल बहादुर, श्री रायबरेली
94. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
95. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
96. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
97. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
98. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
99. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
100. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
101. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
102. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
103. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
104. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
105. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
106. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
107. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
108. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
109. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
110. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
111. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
112. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
113. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
114. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
115. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
116. नवाब जान, श्री मुरादाबाद

117. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
118. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
119. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
120. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
121. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
122. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
123. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
124. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
125. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
126. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
127. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
128. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
129. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
130. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
131. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
132. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
133. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
134. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
135. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
136. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
137. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
138. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
139. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
140. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
141. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
142. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
143. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
144. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
145. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
146. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
147. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
148. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
149. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
150. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
151. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
152. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
153. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
154. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
155. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
156. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
157. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
158. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
159. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
160. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
161. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
162. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
163. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
164. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
165. मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर
166. महबूब अली, श्री अमरोहा
167. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
168. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
169. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
170. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
171. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
172. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
173. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
174. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
175. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
176. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
177. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
178. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
179. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
180. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
181. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
182. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा

183. योगेश धामा, श्री बागपत
184. योगेश वर्मा, श्री खीरी
185. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
186. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
187. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
188. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
189. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
190. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
191. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
192. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
193. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
194. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
195. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
196. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
197. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
198. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
199. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
200. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
201. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
202. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
203. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
204. राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़
205. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
206. राजबाला, श्रीमती रामपुर
207. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
208. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
209. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
210. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
211. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
212. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
213. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
214. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
215. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
216. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
217. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
218. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
219. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
220. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
221. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
222. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
223. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
224. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
225. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
226. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
227. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
228. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
229. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
230. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
231. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
232. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
233. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
234. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
235. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
236. विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
237. विजय मिश्र, श्री भदोही
238. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
239. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
240. विनय शाक्य, श्री औरैया
241. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
242. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
243. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
244. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
245. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
246. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
247. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
248. वीरेन्द्र, श्री एटा
249. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी

250. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
251. शशांक वर्मा, श्री खीरी
252. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
253. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
254. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
255. शीतला प्रसाद, ''पप्पू पटेल'' श्री कौशाम्बी
256. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
257. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
258. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
259. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
260. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
261. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
262. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
263. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
264. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
265. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
266. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
267. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
268. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
269. संजय, श्री बुलन्दशहर
270. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
271. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
272. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
273. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
274. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
275. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
276. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
277. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकर नगर
278. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
279. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
280. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
281. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
282. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
283. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
284. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
285. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
286. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
287. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
288. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
289. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
290. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
291. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
292. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
293. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
294. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
295. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
296. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
297. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
298. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
299. सुभाष राय, श्री अम्बेडकर नगर
300. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
301. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
302. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
303. सुरेश कुमार, श्री शामली
304. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
305. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
306. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
307. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
308. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
309. सुरेश राही, श्री सीतापुर
310. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
311. सुशान्त सिंह, कुँ0 बिजनौर
312. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
313. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली

314. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
315. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
316. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
317. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
318. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
319. सौरभ सिंह, श्री खीरी
320. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
321. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
322. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
323. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
324. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
325. हरीराम, श्री सोनभद्र
326. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
327. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
328. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
329. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट :-उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), जल शक्ति मंत्री (डा0 महेन्द्र सिंह) तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ, हज राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

जनपद अलीगढ़ में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, महिलाओं से अभद्रता एवं एक व्यक्ति को गोली लगने से सम्बन्धित प्रकरण को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

***नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-**

मा0 अध्यक्ष जी, अलीगढ़ में महिलाओं पर घनघोर लाठीचार्ज हुआ है। आंसू गैस के गोले छोड़े गये हैं। उनको अपमानित किया गया है। एक आदमी को गोली मार दिया है। वहाँ पर तनाव व्याप्त हो गया है। यह प्रदेश का सबसे ज्वलन्त मुद्दा है। मा0 अध्यक्ष जी, इसलिए सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नोत्तर काल हो जाने दीजिए। कांग्रेस का भी नोटिस है, आपका नोटिस है। आपको भी सुन लेंगे।

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, इनसे यह पूछिये कि इसको बढ़ावा कौन दे रहा है। यह पूछ लीजिए।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर-शराबा जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, वहाँ हालत बहुत खराब है। गोली चली है। आंसू गैस चली है, लाठी चली है। पहले इनको बैठाइये।

श्री लाल जी वर्मा-

इन्टरनेट सेवायें बन्द करनी पड़ रही हैं। इसका मतलब स्थिति अत्यन्त खराब है। यह लोकतंत्र है। यह राजशाही नहीं है। यह राजशाही की तरह बिहैव कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग प्रश्नोत्तर हो जाने दीजिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, यह विषय बहुत गम्भीर है। तात्कालिक है। लोक महत्व का है। महिलाओं से जुड़ा हुआ है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष जी, इनसे यह पूछिये कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नागरिक प्रभावित हो रहा है। यह बतायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नोत्तर हो जाने दीजिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इस पर बहस कराइये। यह चाहते हैं तो इस पर बहस हो जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, यह रोज सदन का समय बर्बाद करने को तैयार हैं। एक ही इश्यू है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

यह एक ही इश्यु नहीं है। यह कल का इश्यू है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उसको हवा कौन दे रहा है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ है। गोली से एक आदमी की मौत हो गयी है। इससे महत्वपूर्ण कुछ हो नहीं सकता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नोत्तर हो जाने दीजिए। एक मिनट बैठ जाइये। यह प्रश्नोत्तर काल है। इस पर कांग्रेस का सुस्पष्ट नोटिस नियम-56 के अन्तर्गत प्राप्त हुआ है। जब नियम-56, कार्य-स्थगन आयेगा तो मैं उसको सुनूंगा। मा0 नेता विरोधी दल को भी हमने आश्वस्त किया है कि जब नियम-56 आयेगा तो मैं उसको सुनूंगा। वर्मा जी का एक अलग से है, मैं उसको भी सुनूंगा। वर्मा जी का इस पर नोटिस नहीं है। तो अब हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह हंगामा किस बात को लेकर है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, हंगामा नहीं है। आपसे प्रार्थना हैं। और इनको देख लीजिए। अभी कल ही हमको चाय पिलाये हैं और आते-आते छाती खोल दिये। अरे, चाय पिलाये हैं तो उसकी मर्यादा भी तो रखें और संसदीय कार्य मंत्री हैं। जब आप उनको कहेंगे कि मा0 नेता विरोधी दल या कोई मा0 सदस्य बोला तो उस पर आपका क्या रुख है। तब खड़े होते। तुरन्त खड़े हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

चाय पीने की वजह से गड़बड़ हुआ क्या ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी मेरा आपसे सिर्फ एक अनुरोध है कि मान्यवर, आप नियमावली भी देख लें और परम्परा भी देख लें। मा0 नेता विरोधी दल को यह सोचना चाहिए कि आखिरकार एक विषय को इस सदन में कितनी बार लायेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

इसमें उत्तर प्रदेश के किस नागरिक की हकतलफी हो रही है, यह उसको बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, उसको बढ़ावा कहां से मिल रहा है ? रही बात चाय पिलाने की तो हम नेता विरोधी दल का वैसे भी सम्मान करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

जब आपने चाय पिलाई तो हमको क्यों नहीं बुलाया ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इनको पीछे से चाभी कसी जाती है कि तुम हाउस में क्या कर रहे हो, पहले वह चाभी मंगवा लें ताकि वह ताला खुल जाए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आपने कहा है कि सदन में एक ही बात बार-बार नहीं उठ सकती है। विधान सभा में जब एक प्रश्न एक बार आ जाए तो उस प्रश्न को दुबारा उठाने का प्राविधान नहीं है। लेकिन उसी संबंध को लेकर जब कोई तात्कालिक घटना हो जाए, नियम-56 मे है कि घटना सुनिश्चित होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

हम नियम-56 में सुनने को तैयार हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अविलम्बनीय होनी चाहिए, तात्कालिक होनी चाहिए। मैंने जिस बात को उठाया है वह अविलम्बनीय है, अभी कल की घटना है, इसलिए तात्कालिक घटना है, सुनिश्चित है, गोली भी चली है, आंसू गैस भी छोड़ी गई है, लाठी भी चली है और एक आदमी मारा भी गया है। इसलिए हर तरह से यह नियम-56 के अन्तर्गत आता है। मैं आपसे कृपापूर्वक प्रार्थना करूंगा कि पहले इस पर सुन लीजिए। चूंकि सत्तापक्ष सदन को चलाने से भागना चाहता है लेकिन हम सत्तापक्ष को भागने नहीं देंगे। जब आपकी इच्छा हो हमको बुला लीजिएगा, आप हमको बुलवाने का आश्वासन दे दीजिए, तभी मैं बैठूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आपका कहना है कि नियम-56 के अन्तर्गत यह अविलम्बनीय है, यह हमने प्रथम दृष्टया ही स्वीकार कर लिया है, तभी हमने कहा कि सुनेंगे। आपने कहा कि महत्वपूर्ण है हमने स्वीकार कर लिया है और सुनने का आश्वासन भी दिया है। लेकिन आप जिस नियमावली का हवाला दे रहे हैं उसी नियमावली में सदन की कार्यवाही के अनुक्रम में है कि सबसे पहले सर्वोपरि महत्व क्या होगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आप वाला बाद में कहिएगा, पहले बजट पर चर्चा शुरू कीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपने अभी एक आरोप लगाया कि यह सदन से भागना चाहते हैं। मेरे पास हर बात का जवाब है। दूसरी बात कानून-व्यवस्था को मेन्टेन करना, सरकार की पहली प्राथमिकता है और सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ कर रही है। आपसी विवाद में एक व्यक्ति को गोली लगी और उस व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, चर्चा तो शुरू ही हो गई है, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब देने लगे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जवाब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपकी बात कार्यवाही में आई है, तो सरकार का पक्ष भी कार्यवाही में आना चाहिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आप जवाब तो अभी देने लगे हैं, इसका मतलब है कि आपने चर्चा स्वीकार कर ली।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जब आपने आरोप लगाया कि सत्तापक्ष भागना चाहता है, यह उसका जवाब है कि हम न भागते थे, न भागते हैं और न भागेंगे। हमारे पास हर बात का जवाब है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, दूध का जला आदमी छाछ भी फूंक-फूंक कर पीता है। यह प्रश्नकाल में बजट पास कराकर भागने वाले हैं और यह कह रहे हैं कि हम भागते ही नहीं हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आप पथराव करें, आप जीप में आग लगायें, आप दंगा करें और सदन में आकर घड़ियाली आंसू बहायें। उनको हवा देने वाला कौन है, उनको बढ़ावा कौन दे रहा है ? उनको जो ताकतें बढ़ावा दे रही हैं उनको बेनकाब करने की जरूरत है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बिल्कुल गलत तथ्यों को विधान सभा में प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने आश्वासन दे दिया है, तो बात खत्म हो गई। लेकिन मा0 संसदीय कार्य

मंत्री जी को अपनी विद्वता दिखानी है, इसलिए हर बात को तोड़-मरोड़ रहे हैं। इनकी प्रदर्शनकारियों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है, इसलिए यह गोली मारने को सही बता रहे हैं, आंसू गैस को सही बता रहे है, लाठीचार्ज को सही बता रहे हैं, मैं इसके विरोध में सदन का त्याग कर रहा हूँ।

(समाजवादी पार्टी के नेता अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

मान्यवर, जिस तरह की बात ये बता रहे हैं वह बिल्कुल गलत है, जिस तरह की घटना वहाँ पर हुई है, महिलाओं पर जिस तरह लाठीचार्ज हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं। आपके व्यवस्था देने के बाद जिस तरह के आरोप मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी लगा रहे हैं वह बिल्कुल गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

क्या आपको भी जाना है ?

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, कांग्रेस पार्टी बहिर्गमन करती है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री अध्यक्ष-

ओम प्रकाश राजभर जी आप जो कहना चाह रहे थे, बाद में कह लीजिएगा।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आपने प्रश्नकाल शुरू में ले लिया है, आज पूरे अलीगढ़ में इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं, ये महत्वपूर्ण तो है ही।

श्री अध्यक्ष-

आप तो जाएंगे नहीं।

श्री लाल जी वर्मा-

नहीं मान्यवर, आप प्रश्न पहर शुरू कराइए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[11:11 बजे] **प्रश्नोत्तर**

नत्थी (क)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में मांग व वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सोलर ऊर्जा संयंत्रों पर राज्य सरकार द्वारा भी 30 प्रतिशत सब्सिडी दिये जाने विषयक

****1-श्री संजय गर्ग तथा श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती ऊर्जा की मांग के दृष्टिगत और वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सोलर ऊर्जा संयंत्रों पर केन्द्र सरकार के अलावा क्या राज्य सरकार भी वर्तमान वित्तीय वर्ष में 30 प्रतिशत सब्सिडी की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

सोलर ऊर्जा संयंत्रों पर केन्द्र सरकार के अलावा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सब्सिडी का विवरण निम्नवत् है :-

(1) उ0प्र0 सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति-2017 घोषित की गई है। सौर ऊर्जा नीति के अनुसार निजी भवनों में ग्रिड संयोजित सोलर रूफ टाप संयंत्र की स्थापना को बढ़ावा दिये जाने हेतु भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा रु0 15000/- प्रति किलोवाट अधिकतम रु0 30000/- प्रति उपभोक्ता अनुदान निर्धारित किया गया है।

(2) सोलर सिंचाई पम्प की स्थापना पर प्रदेश के कृषकों को राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में 2 एवं 3 एच0पी0 क्षमता के डी0सी0/ए0सी0 पम्प हेतु 45 प्रतिशत तथा 5 एच0पी0 क्षमता के पम्प पर 30 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्राविधान।

(3) प्रोजेक्ट मोड जिला योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थलों पर मा0 जन-प्रतिनिधियों/ग्राम पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना कराये जाने पर रु0 7100/- प्रति स्ट्रीट लाइट राज्यानुदान दिये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

***श्री संजय गर्ग-**

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न अपने आपमें बहुत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए हो जाता है, उस स्थिति में जब उत्तर प्रदेश विद्युत खपत पर कैपिटा विद्युत कन्जम्पशन अन्य प्रदेशों के मुकाबले बहुत कम है। तमाम सरकारी आंकडों के बावजूद भी सौभाग्य योजना में कितने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कनेक्शन आपने दिए उसके बावजूद 606 यूनिट पर कैपिटा का कन्जम्पशन उत्तर प्रदेश में है, जो अपने आपमें इस बात को दर्शाने का काम करता है कि उत्तर प्रदेश का नागरिक कितनी सहूलियत की जिंदगी जीने का काम कर रहा है। केवल आपके माध्यम से इतनी जानकारी सदन को देना चाहता हूँ कि गुजरात में 2378 पर कैपिटा कन्जम्पशन है, हरियाणा में 2082 पर कैपिटा कन्जम्पशन है, पंजाब में 2046 पर कैपिटा कन्जम्पशन है, उत्तराखण्ड में 1467 पर कैपिटा कन्जम्पशन है और हिमाचल में 1418। ऐसी परिस्थिति में हम किस तरह गरीब आदमी तक अतिरिक्त ऊर्जा के जरिये उसके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का काम कर सकें। अभी आपने 36 घंटे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर सेशन चलाया। 2017 की ऊर्जा नीति की बात कर रहे हैं, क्या ऊर्जा नीति के बारे में पुनर्विचार करते हुए हम किस तरह अतिरिक्त ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम कर सकें ? 2017 के बाद कोई अन्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का लक्ष्य जो यूएनओ ने निर्धारित किया और जिस पर प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार ने भी हस्ताक्षर किए उसके आधार पर क्या कुछ नवीन योजना को लाकर इसका कुछ कायाकल्प करने पर सरकार विचार कर रही है, नहीं कर रही है ? दूसरा प्रश्न, कितने लोग वर्ष 2017-18 में इस योजना में लाभान्वित हुए, कितने लोग वर्ष 2018-19 में लाभान्वित हुए और कितने लोग अभी 2019-20 में सौर ऊर्जा के अन्तर्गत जो वित्तीय सहायता दी जा रही है उसके अन्तर्गत लाभान्वित हुए और केंद्रीय वित्तीय सहायता की जो बात है वह भी उतनी ही है या केंद्र सरकार ने बढ़ाई है, उसमें कितने एमाउण्ट की सहायता मिल रही है ? ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आपके तीन प्रश्न है जो बहुत विस्तृत हो गये हैं।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, मैंने विस्तार से सोलर ऊर्जा संयन्त्रों पर सरकार की क्या योजना है, उसका विवरण नम्बर-1 में दिया है। सोलर सिंचाई पम्प पर सरकार कितना अनुदान दे रही है, कितना केन्द्रांश है, कितना राज्यांश है, उसका उल्लेख किया है। दूसरा-प्रोजेक्ट मोड जिला योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थलों पर माननीय जन-प्रतिनिधियों/ग्राम पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट की जो स्थापना है, उस पर राज्य का अनुदान क्या है, उसका मैंने बहुत बारीकी से उल्लेख किया है। माननीय सदस्य के जो सवाल हैं, उनका मैंने क्रम सं0-1, 2 और 3 में विस्तार से उल्लेख करते हुए, राज्य का अंशदान कितना है, केन्द्र का अंशदान कितना है, बहुत विस्तार से मैंने आपको बताया है। जहां तक माननीय सदस्य, प्रति व्यक्ति ऊर्जा कन्जम्पशन की जो बात कर रहे हैं। हमारा प्रदेश ऐसा प्रदेश है, जहां पर 01 करोड़ 25 लाख ऐसे उपभोक्ता थे, जो बिजली से दूर थे, जिनके घरों में बिजली थी ही नहीं, तो जिनके घरों में बिजली ही नहीं है, तब वह बिजली का कैसे उपयोग करेंगे और कैसे वह उपभोग करेंगे ? तो पहले हमने

घर-घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। सबके घर बिजली पहुंचा रहे हैं और आज प्रदेश में उजाला है। जहां प्रदेश में पहले अंधेरा होता था, आज प्रदेश में उजाला है और धीरे-धीरे मांग भी बढ़ रही है। 54 परसेण्ट ज्यादा खपत हमारी प्रदेश में बढ़ी है। श्रीमन्, पहले गांव में बिजली आती नहीं थी और अब गांव से बिजली जाती नहीं है।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से संरक्षण चाहता हूँ, एक तो इसमें केन्द्रांश कितना है, इस बारे में मंत्री जी के जवाब में कोई जवाब नहीं है, दूसरा- 2017-2018, 2018-2019 और इस वित्तीय वर्ष में कितने लोग इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हुए, यह मैं समझता हूँ कि इसी प्रश्न की सीमा में हैं और इसका कोई जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति-2017 घोषित की गयी है। मैं इसको छोटा करता हूँ, बहुत छोटा कर रहा हूँ। सौर ऊर्जा नीति के अनुसार निजी भवनों में ग्रिड संयोजित सोलर रूफ टॉप संयंत्रों को बढ़ावा दिए जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 15 हजार प्रति किलोवॉट और अधिकतम 30 हजार प्रति उपभोक्ता अनुदान निर्धारित किया गया है। नम्बर-2, सोलर सिंचाई पम्प की स्थापना पर प्रदेश के किसानों को राज्य सरकार द्वारा 2 व 3 एच0पी0 क्षमता के डीसी/एसी पम्प हेतु 45 प्रतिशत और 05 एच0पी0 क्षमता के पम्प पर 30 प्रतिशत अनुदान दिए जाने का प्राविधान है। मान्यवर, 45 परसेण्ट और 30 परसेण्ट दोनों का मैं उल्लेख कर रहा हूँ।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, सोलर ऊर्जा के माध्यम से हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं, जहां लाइट नहीं पहुंची है और अगर सरकार उनको सुविधा देना चाहती है, सरकार की नीयत भी साफ है, हम मानते हैं कि सरकार देना चाहती है। अगर मंत्री जी तैयार होकर नहीं आए हैं, तो इस पर चर्चा करा लें। मान्यवर, मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि 2017-2018, 2018-2019 और वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने लोग इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हुए और दूसरा प्रश्न है, आपने राज्यांश की बात जवाब में की है। मेरा केवल साधारण सा प्रश्न है कि केन्द्रांश इसमें कितना है, जिससे खुलकर आ जायेगा कि उससे उपभोक्ता कितना लाभान्वित होगा। तीसरा- जिला योजना में सोलर लाइट लगाने के लिए जो 7100/- रुपये है, क्या सरकार शहरी क्षेत्र में भी सोलर लाइट लगाने के लिए सरकार अनुदान देने की योजना बना रही है या है ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

श्रीमन्, मुख्य मंत्री समग्र ग्राम्य विकास योजना, शत-प्रतिशत राज्य वित्त पोषित है।

(श्री लाल जी वर्मा के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री श्रीकान्त शर्मा-

श्रीमन्, मेरा जवाब पूरा हो जाए।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, आप क्या कह रहे हैं ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने सिर्फ यह सवाल किया है कि केन्द्रांश कितना है, उसका उत्तर नहीं आया। दूसरा इन्होंने पूछा कि इन वर्षों में कितने लोग इससे लाभान्वित हुए। माननीय मंत्री जी उसका जवाब न देकर दूसरी योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। केवल इसमें दो जानकारी चाही गयी है। मान्यवर, इसको आप भी देख लें, आपने अनुमति दी है। राज्य सरकार का 15 हजार और 30 हजार अधिकतम है। केन्द्र का अंश कितना है, एक तो यह आ जाए और दूसरा मान्यवर, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जैसा माननीय सदस्य ने 03 वर्षों का सवाल किया है, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 इन तीन वर्षों में कितने लोग लाभान्वित हुए, केवल दो प्रश्न इन्होंने पूछा है, जिसका जवाब माननीय मंत्री जी दे दें।

श्री अध्यक्ष-

मूल प्रश्न का उससे संबंध नहीं है। केंद्रीय अंश कितना है, यह आप बता दीजिए।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी आभारी हूँ आपका, क्योंकि केवल अगर हम इस विस्तृत उत्तर पर न जाएं केवल हम मूल प्रश्न की बात करें तो हमारा और गर्ग जी का उद्देश्य यह है, मा0 अध्यक्ष जी प्रश्न यह था कि क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ? प्रदेश में बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग के दृष्टिगत और वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सोलर ऊर्जा संयंत्रों पर राज्य सरकार भी वर्तमान वित्तीय वर्ष में 30 प्रतिशत सब्सिडी देगी ? जब कोई आदमी सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा, तो उस पर मा0 मंत्री जी का उत्तर क्या आया है, उत्तर आया है आपका प्रोडक्शन पर, यह आपने उत्तर दिया है कि राज्य सरकार जो विद्युत देती है, उन्होंने दिया है, वित्तीय सहायता अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पन्द्रह हजार प्रति किलो वॉट अधिकतम तीस हजार रुपया प्रति किलो वॉट अनुदान निर्धारित है, और प्रश्न जो दिखाया कि हमें ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने के लिए इसमें अधिक से अधिक लोग भाग लें या वह उसकी व्यवस्था करें, या उसके लिए अपना संयंत्र स्थापित करेंगे। क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार के अतिरिक्त 30 प्रतिशत सब्सिडी देगी। बहुत सीधा-सीधा प्रश्न है।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, मैंने केन्द्रांश और राज्यांश दोनों की बात की है। वर्मा जी, आप तो बुद्धिजीवी हैं, आप नम्बर वन तो पढ़ लीजिए। इसमें केन्द्रांश और राज्यांश दोनों हैं। आपने जो सवाल पूछा है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। राज्य का अनुदान कितना है, और केन्द्र का अनुदान कितना है दोनों का मैंने नम्बर-एक में उल्लेख किया है। नम्बर-दो में जो सोलर पम्प की व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष-

आपके उत्तर में केन्द्र का अंश नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इनकी भी बातों का सही उत्तर नहीं आ पाया और मा0 सदस्यों की बात का भी सही उत्तर नहीं आ पाया।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, यह हर सवाल में बीच में खड़े हो जाते हैं। हर एजेंडे को डायवर्ट करने में बहुत आगे हैं। सरकार का कोई मंत्री खड़ा होता है तब यह बीच में बोलते हैं। अब पढ़ने का अभ्यास आपका है नहीं, कम से कम सुनने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब आपको पच्चीस साल सुनना है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप गलत बताएंगे तो कोई सुनेगा ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, नम्बर एक में मैंने निवेदन किया है। सोलर पंप और संयत्र की स्थापना को बढ़ावा दिए जाने हेतु भारत सरकार से केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा मा0 संजय जी, आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आप समझ कर भी समझना नहीं चाहते, वह अलग विषय है। मैंने विस्तार से जवाब दिया है मान्यवर। दूसरा सोलर पम्प पर एम0एन0आर0आई0 द्वारा अनुमोदन जो लागत है वह डी0सी0 यानि कि 1018 सौ वॉट यानि कि दो एच0पी0 पर अनुदान एवं कृषक अंश की धनराशि। केंद्र का अनुदान 34 हजार 51 है यानि कि 30 परसेण्ट। राज्यांश है 51,600 रुपये यानि कि 45 परसेण्ट। यानि कि योग अनुदान का हो गया 85,127 यानि कि 75 परसेण्ट और किसान को जो देना है वह देना है 25 परसेण्ट तो केन्द्र कितना दे रहा है, राज्य कितना दे रहा है, इसका उल्लेख किया है और इसमें किसान को 25 परसेण्ट केवल देना है। यानि 75 परसेण्ट अनुदान उनको राज्य और केन्द्र के स्तर से मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष-

संजय जी, अब तो उत्तर आ गया।

श्री संजय गर्ग-

अध्यक्ष जी, मैं केवल आपका संरक्षण चाहता हूँ। मक्खन निकालने के लिए बहुत मथना पड़ता है। मा0 अध्यक्ष जी, इसमें आपके माध्यम से केवल सोलर पम्प का जवाब मिला है और निजी भवनों में ग्रिड संयोजित सोलर रूफ टॉप संयंत्र के लिए राज्य सरकार के राज्यांश की बात की गई है। मैं आपके माध्यम से आपका संरक्षण मांगते हुए उसमें केन्द्रांश की जानकारी चाहता हूँ।

खाद्य एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, मध्यम उद्यम मंत्री (डा0 सिद्धार्थ नाथ सिंह)-

अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने अपना उत्तर ब्रेक-अप करके दे दिया है और उसके बाद भी अगर समझ में न आए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मगर उन्होंने विस्तार से उसका ब्रेक-अप दिया है।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें कोई भी उलझा हुआ मामला नहीं है। मा0 मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया, वह सोलर पम्प को लेकर दिया। हमारा जो पहले नम्बर पर है कि निजी भवनों के ग्रिड संयोजित सोलर रूफ टॉप संयंत्र में जो राज्यांश है उसके साथ केन्द्रांश कितना है या अगर केन्द्रांश नहीं है तो मंत्री जी यही बता दें। दूसरा यह कि अगर इसमें मा0 मंत्री जी के पास इन तीनों वित्तीय वर्षों का आंकड़ा नहीं है तो आपने जिस योजना का जिक्र किया है उसमें कितने लोग लाभान्वित हैं, क्या वह योजना धरातल पर है या नहीं है अथवा उसमें लाभान्वितों की संख्या पिछले कई सालों से लगातार बढ़ी है या घटी है ? हमारा आशय उस बात को लेकर था, इसमें कोई प्रश्न बाहर की सीमा का नहीं है और न ही इसमें विस्तीर्णता की बात है। अगर मा0 मंत्री जी के पास यह जवाब नहीं है तो आप प्रश्न स्थगित कर दें और संगत धारा में चर्चा करा दें।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं इनको ब्रेक-अप के बाद एक बार पुनः नये तरीके से बताता हूँ। हमारी जो सोलर पम्प की स्थापना है, उसकी संख्या 9120 है।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, सोलर पम्प की बात नहीं हो रही है, वह तो यह बता चुके हैं।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपको किसानों से नफरत क्यों है, हम किसानों का भला क्यों नहीं चाहते ? आखिरकार अगर किसान सोलर पम्प लगा रहा है और सरकार अनुदान दे रही है तो आपको किसानों से नफरत क्यों है ?

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, किसानों के पम्प के लिए तो मैं आपको धन्यवाद दे चुका हूँ। अब तो बात निजी भवनों के ग्रिड संयोजित सोलर रूफ टॉप संयंत्र में केन्द्रांश की हो रही है।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, आपको किसानों से इतनी घृणा क्यों है ? आप किसानों के बारे में कोई बात क्यों नहीं सुनना चाहते ?

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, अब तो बात रूफ टॉफ संयंत्र की है।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

अध्यक्ष जी, अरे, रूफ टॉफ आपके वहाँ भी लगवा देंगे। मैं रूफ टॉप पर भी आ रहा हूँ।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, यह गलत बात है। मान्यवर, रूफ टॉप संयंत्र में केन्द्रांश क्या है, क्या यह बात पूछना गुनाह है और इस योजना में कितने लोग लाभान्वित हैं ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मुझे पूरा जवाब देना है, मुझे प्रश्न पर पूरा जवाब देने का अधिकार है।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, सोलर पम्प पर तो मैंने आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को धन्यवाद दे दिया है।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, सोलर पम्प का अपना जवाब है, मैं उसका भी बता रहा हूँ और पम्प कितने लगे उसका भी बता रहा हूँ, स्ट्रीट लाइट कितनी लगी उसका भी बता रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप बताइए।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

श्रीमान, सोलर सिंचाई पम्प की स्थापना में यह संख्या 9120 है। सोलर पावर प्लाण्ट और ग्रिड की स्थापना 2318 किलोवॉट है। सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी भवनों में ग्रिड संयोजित सोलर रूफ टॉप संयंत्र की स्थापना 1590 किलोवॉट है। निजी भवनों पर सोलर रूफ टॉप संयंत्रों की स्थापना लगभग एक वर्ष का 15 मेगावॉट है। मुख्य मंत्री समग्र विकास योजना के

अन्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना लगभग 7120 अदद है। पं0 दीन दयाल उपाध्याय योजना अन्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना 4880 अदद है। प्रोजेक्ट मोड योजनान्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना 11000 अदद है। सोलर हेड मास्ट की स्थापना 283 अदद है। श्रीमन्, दूसरा जो कम्पोनेण्ट हैं, जो कुसुमता कम्पोनेण्ट है जिसमें सरकार अनुदान दे रही है। श्रीमान, अभी तक तो केवल किसान गेहूँ, चना और सरसों उगाता था लेकिन श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से एवं श्री योगी जी के आशीर्वाद से अब किसान खेत में बिजली भी उगाएगा। अब किसान बिजली भी पैदा करेगा और यह कुसुमता कम्पोनेण्ट-ए है। जिन किसानों की ऊसर भूमि है, अब वे आधा मेगावॉट से लेकर दो मेगावॉट तक का संयंत्र अपने यहां लगा सकते हैं और सरकार 03 रुपये 10 पैसे में उनकी बिजली खरीदेगी। नम्बर दो, जो कुसुम-बी का कम्पोनेण्ट है, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमने उसमें 10,000 से ज्यादा सोलर पम्प किसानों के यहां लगाए हैं। नम्बर-3, यह कुसुम कम्पोनेण्ट-सी है।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने वह आंकड़ा नहीं बताया जिसके लिए हमने यह सवाल किया है।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न से जुड़ी लाभान्वितों की सूची तो आपके पास होगी नहीं ?

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, रूफ टॉप संयंत्र वाले में केन्द्रांश क्या है और उसमें कितने लोग वित्तीय वर्षवार लाभान्वित हुए ? मैं समझता हूँ कि यह बहुत आसान बात थी।

श्री अध्यक्ष-

यह उनकी फाइल में नहीं होगा।

श्री संजय गर्ग-

परन्तु आप वह भी नहीं बता पाए।

अगर माननीय मंत्री तैयार होकर नहीं आये हैं तो हम आपका संरक्षण चाहते हैं कि आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें अथवा इस पर चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न पर ही आधा घण्टा हो गया है।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, जी इस उत्तर से हम सन्तुष्ट नहीं हैं और वास्तव में लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए दिया गया है। सरकार इस पर गम्भीर नहीं है और सरकार की गम्भीरता न होने के कारण समाजवादी पार्टी इसका बहिष्कार करती है।

(तत्पश्चात् श्री संजय गर्ग अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बर्हिगमन कर गये)

प्रदेश की नदियों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु योजना के प्रारूप की जानकारी

****2-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु कोई योजना सरकार द्वारा चलायी जा रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति मंत्री (डा0 महेन्द्र सिंह)-

जी हां।

गंगा नदी व उसकी 10 सहायक नदियों यमुना, हिण्डन, काली, रामगंगा, गोमती, सई, घाघरा, केन, राप्ती तथा बेतवा नदियां हैं, इसमें सई, केन, राप्ती एवं बेतवा नदी के तट पर स्थित नगरों को छोड़कर शेष नदियों के तट पर स्थित नगरों में यथा-जनपद प्रयागराज, कन्नौज, बुलन्दशहर, हापुड़, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, मथुरा, उन्नाव, इटावा, कासगंज, सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, फिरोजाबाद, बागपत, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, बरेली, आगरा, मुजफ्फरनगर, मेरठ तथा लखनऊ में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना बनाकर क्रियान्वित की जा रही है, जिससे सीवरेज योजना व गैर सीवरेज योजना, सीवरेज उच्चीकरण का कार्य, सीवरेज अवरोधन एवं परिवर्तन के कार्य, सीवरेज जल शोधन संयंत्र का निर्माण/पुनरोद्धार, घाटों की सफाई एवं पुनरोद्धार, श्मशान घाटो का निर्माण, वृक्षारोपण, प्रदूषण सम्बन्धी प्रयोगशालाओं का निर्माण एवं पुनरोद्धार तथा जन-जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन सम्बन्धी कार्य कराये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न स्वयं में बड़ा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है क्योंकि प्रदेश की सम्प्रभुता, रचना और निर्माण, विकास सबके आधार से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। माननीय मंत्री जी की सिनसियेरिटी और डिवोशन को मैं न तो चैलेन्ज कर सकता हूँ और मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि इनकी सिनसियेरिटी और डिवोशन बिल्कुल अनचैलेंज्ड है। मेरे अनुपूरक में केवल दो प्रश्न हैं। इसमें पहला है कि उत्तर प्रदेश में गंगा-यमुना को प्रदूषित करने वालों की पहचान क्या हो चुकी है अथवा नहीं हुई है ? अगर हो चुकी है तो उस गन्दे पानी को नदियों में गिरने से सरकार कब तक रोकेगी ? दूसरा प्रश्न मेरा है कि नदियों में एक तैरने वाली गंदगी होती है उसे दूर करने के लिए ट्रैस स्टीमर मशीन लगती हैं, मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार इस पर विचार कर रही है या नहीं कर रही है। यदि विचार कर रही है, तो कब तक लगाएगी ? मेरा तीसरा प्रश्न है कि मथुरा में यमुना नदी का पानी पीने लायक नहीं है क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि मथुरा में पानी पीने लायक बन जाये ? क्या सरकार उस पर विचार कर रही है कि नहीं कर रहे और चौथा लास्ट में एक प्रश्न यह है कि

मथुरा-वृन्दावन में और यमुना के तट पर अभी आपने गंगा योजना बहुत चलाई है लेकिन श्मशान घाट नहीं हैं। जबकि श्मशान घाट इस नमामि गंगे योजना में शामिल भी हैं, क्या सरकार उस पर कोई विचार करेगी या नहीं करेगी, ये मेरे प्रश्न हैं।

***डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

आदरणीय शर्मा जी, हमारे बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और उन्होंने जो जिज्ञासा जाहिर की है मैं समझता हूँ कि इन्होंने पहले ही कहा कि यह बहुत आवश्यक प्रश्न है और इसी आवश्कता और गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 1947 से लेकर आज तक जो गंगा जी के बारे में इतना वृहद् जनजागरण कभी नहीं हुआ था। वह गंगा यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने करने का काम किया है जिसका बहुत बड़ा प्रतिफल मिला है और जैसा कि अभी मा0 शर्मा जी ने कहा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया ने देखा, पूरे विश्व ने देखा, 71 देशों के लोगों ने आकर संगम में डुबकी लगायी। जिस पानी को स्नान करने, आचमन और जलपान करने योग्य नहीं समझा जाता था, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से ''नमामि गंगे'' परियोजना के बाद जो वहाँ की बी0ओ0डी0 थी, वह पूरी तरीके से स्नान करने योग्य जल हो गया है और जिस गंगा में जगह-जगह पर जीव-जन्तु नहीं पाये जाते थे, मछलियां मर जाती थीं, आज पूरी गंगा में उत्तर प्रदेश में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिजनौर से लेकर बलिया तक गंगा का पानी इतना शुद्ध हुआ है कि हम स्नान भी कर सकते हैं, जलपान भी कर सकते हैं और आचमन भी कर सकते हैं और उसके लिए बहुत वृहद् स्तर पर प्रयास किया गया। आपने पूछा है कि क्या इन नदियों की सफाई करने के लिए चिन्हांकन किया गया कि नहीं किया गया। मान्यवर, जो गंगा की सहायक नदियां हैं और गंगा है, सबका चिन्हांकन किया गया। कितने नाले नदियों में गिर रहे हैं, उसको बकायदा देखा गया और उसमें से केवल गंगा के अन्दर 217 नाले बिजनौर से लेकर बलिया तक थे जिसमें से 191 नाले टैप्ड हो चुके हैं, यह उसमें नहीं गिर रहे हैं। इसी तरह से आपने यमुना के बारे में कहा, उसमें कहना चाहूँगा कि यमुना जहां से प्रारम्भ होती हैं वहाँ से लेकर और जब गंगा जी में संगम पर मिलती हैं, कुल 170 नाले हैं जिसमें से 49 नाले टोटली टैप्ड हो चुके हैं। जो नाले बचे हुए हैं उनका कार्य प्रारम्भ हो चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश की जो गंगा सहायक नदियां हैं, उसमें से 631 नाले हैं जो गंगा जी को प्रदूषित करने के लिए या अन्य नदियों को प्रदूषित करते हैं, उसमें से 170 नाले अभी तक टैप्ड किये जा चुके हैं और बाकी नालों पर कार्यवाही वृहद् स्तर पर चल रही है उनको भी हम जल्दी ही करेंगे। इसी तरीके से जो शहरी क्षेत्रों का सीवरेज जाकर नदियों में गिरता था उसके लिए 'नमामि गंगे' परियोजना के तहत 123 एस0टी0पी0 अभी तक बनाया जा चुका है और जो अभी 'नमामि गंगे' परियोजना में 45 एस0टी0पी0 सेंक्शन थीं जिसमें से 15 के कार्य पूर्ण हो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चुके हैं, 19 के कार्य निर्माणाधीन हैं, वह भी बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएंगे। 11 के कार्य में जमीन आदि का विवाद था। इसमें भी हम जल्दी से जल्दी उसका टेण्डर करेंगे और उसको भी हम ठीक करायेंगे। इसके अलावा बहुत सारे काम हैं, जिसमें गंगा मइया के दोनों तट पर कोई भी गंदगी गंगा मइया में न गिरने पाए, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 26 डिपार्टमेण्ट्स को मिलाकर एक वृहद् कार्य योजना बनायी है। उस कार्य योजना के तहत हम लोगों ने यहां तक कहा है कि मां गंगे के तट पर कोई भी रसायनिक खाद का उपयोग न किया जाये इसलिए जैविक खेती, गो-आधारित खेती और हम सब लोग जानते हैं कि आज-कल इन खेतियों से बड़ा लाभ भी मिल रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक गांव से दो लोगों का प्रशिक्षण भी किया जा चुका है। इसी तरीके से गांव के नाले जो गंगा जी में गिरते हैं, उनके सब नालों को रोक करके उनको डायवर्ट करने के लिए कि कोई भी गंदगी मां गंगे में न गिरने पाये, कार्य किया जा रहा है। इसके साथ-साथ 1038 जो ग्राम पंचायतें हैं, वह पूरी तरह से ओ0डी0एफ0 हो चुकी हैं। अब ओ0डी0एफ0 के बाद हम लोग ओ0डी0एफ0 प्लस कर रहे हैं और 21 जो नगरीय क्षेत्र हैं, वह भी सब ओ0डी0एफ0 हो चुके हैं और हम उसको ओ0डी0एफ0 प्लस कर रहे हैं। जहां तक आपने यमुना जी के बारे में कहा कि पीने योग्य पानी कब होगा ? मान्यवर, आप जानते हैं कि पीने योग्य पानी कब होता है जब हमारा बी0ओ0डी0 2 के नीचे आ जाता है, तब हम लोग कहते हैं कि अब पानी उस रूप में मिल रहा है या हम लोग जो क्लोरोफार्म के बारे में चर्चा करते हैं तो क्लोरोफार्म यदि उस नदी में पाये जाने वाले जीव-जन्तुओं के लिए 3 हजार या उससे प्लस तक होता है तो जीव-जन्तु उसमें रह सकते हैं लेकिन उसको पीने योग्य बनाने के लिए 2 लाना पड़ता है और 2 के लिए यमुना जी को गंदा उत्तर प्रदेश जितना नहीं कर रहा है उससे ज्यादा यमुना जी को दिल्ली गंदा करता है। दिल्ली पूरी तरह से हमारी यमुना जी को प्रदूषित करती है और संयोग की बात है कि हमारा मथुरा दिल्ली के बहुत नजदीक है इसलिए पूरी गंदगी वहाँ से आती है, जिसने उत्तर प्रदेश में यमुना जी को पूरी तरह से गंदा कर दिया है। मान्यवर, इसकी भी एक कार्य योजना हम लोगों ने वृहद् स्तर पर बनायी है। यमुना जी भी साफ होंगी और गंगा जी भी साफ होंगी, उत्तर प्रदेश की सभी नदियां साफ होंगी और इस पर वृहद् स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय शर्मा जी, आपका कार्य योजना का प्रश्न था और कार्य योजना विस्तार से बता दी गयी है।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, हम उत्तर से सौ फीसदी संतुष्ट हैं परन्तु हम तो आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस तरह के एप्रोप्रियेट आन्सर अगर मिलें तो इनका भी भला है और हमारा भी भला है लेकिन अनर्गल प्रलाप होने लगते हैं कि 25 साल सुनना है, 50 साल सुनना है, क्या 25 साल

से ज्यादा गिनती आप लोग नहीं जानते हो ? हम तो यह जानते हैं कि 25 साल नहीं तुम 100 बरस, 200 बरस यहां राज करोगे और इसलिए करोगे कि तुम बैठोगे, तुम्हारी संतानें यहां बैठेंगी, तुम्हारे नाती-पोते बैठेंगे यहां। समुद्र के मंथन के बाद जितना अमृत निकला था वह सब तुम पी गये और जहर निकला वह हम पी गये। अध्यक्ष जी, हमारा केवल श्मशान वाला एक प्रश्न है उस पर जवाब दिला दें चूंकि मथुरा-वृंदावन बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और फ्लोटिंग पॉप्यूलेशन बहुत है। श्मशान घाट के बारे में हमारी जिज्ञासा है यदि माननीय मंत्री जी कुछ उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष-

श्मशान घाट का विषय तो आपके प्रश्न में है ही नहीं ?

श्री महेन्द्र सिंह-

मान्यवर, बिल्कुल मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। अभी तक गंगा के तट पर कुल 78 श्मशान घाट 'नमामि गंगे' परियोजना के तहत जो नये बनाये जा रहे हैं उनका कार्य लगभग पूरा हो रहा है और यमुना जी के किनारे भी जहां कहीं श्मशान घाट नहीं है उसको भी हम लोग देख रहे हैं। पूरी यमुना जी के तट पर इसी तरह से श्मशान घाट का निर्माण हम लोग करेंगे। आधुनिक श्मशान घाट का निर्माण भी किया जा रहा है जिससे किसी प्रकार का प्रदूषण गंगा मइया और यमुना मइया में न होने पाये इस दृष्टि से भी हम लोग काम कर रहे हैं।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उत्तर प्रदेश में गौ-पशु आश्रम स्थलों में अव्यवस्था हेतु सम्बन्धित अधिकारियों पर कार्रवाई विषयक

***1-श्रीमती सुषमा पटेल-**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थापित गौ-पशु आश्रम स्थलों में गौ-वंश के मृत हो जाने का प्रकरण सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो वर्ष 2019 में उक्त आश्रमों में कुल कितने गौ-वंशों की मृत्यु किस कारण से हुई है ? क्या सरकार बताएगी कि इन गौ-वंशों की मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है तथा कितने जिम्मेदार संबंधित व्यक्तियों/अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन में पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

जी हां।

वर्ष 2019 में कुल 9261 गो-वंशों की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई है।

गो-वंश की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई है। अतः किसी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

(मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण द्वारा उत्तर पढ़ा गया)

श्रीमती सुषमा पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, गौ-आश्रय स्थलों में गौ-वंश की मृत्यु के संबंध में इस विधान सभा में जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है, वह पूरी तरह से सतही और गलत है और पूरा सदन इससे सहमत नहीं हो सकता। मान्यवर, मेरा इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य यही था कि गौमाता का संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर गम्भीर हैं और प्रति वर्ष गौ-संरक्षण पर सैकड़ों, करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं लेकिन इस विभाग के सम्बन्धित अधिकारी इस विधान सभा में यह उत्तर दिलवा रहे हैं कि वर्ष 2019 में अर्थात् एक साल में कुल 9261 गायों की मृत्यु हुई है और वह सभी मृत्यु स्वाभाविक हैं अर्थात् कोई बीमारी से नहीं मरा है, कोई कुपोषण से नहीं मरा है और कोई अव्यवस्था से नहीं मरा है। मैं माननीय मंत्री जी से इस पर 3 अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, मेरा पहला प्रश्न माननीय मंत्री जी से है कि गौ-आश्रय गृहों में गौ-वंश के स्वास्थ्य की देख-रेख की जिम्मेदारी पशुधन विभाग की है तो क्या जुलाई, 2019 में प्रयागराज में, मार्च, 2019 में नोयडा में तथा अयोध्या व मिर्जापुर में एक साथ बड़ी संख्या में पशुओं की जो मृत्यु हुई थी उसकी मेडिकल रिपोर्ट तथा मृत्यु का विस्तृत विवरण माननीय मंत्री जी सदन को उपलब्ध करायेंगे ? मेरा दूसरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी से कि प्रति गौ-आश्रय पर सरकार, प्रति माह या प्रति दिन कितना धन उपलब्ध कराती है तथा गौशालाओं पर किये गये खर्च की मानीटरिंग कौन करता है ? मेरा तीसरा सवाल माननीय मंत्री जी से है कि जुलाई, 2019 में प्रयागराज में समाचार-पत्रों में बड़े पैमाने पर छपा था कि गौशालाओं में एक दिन में 35 गायों की मृत्यु हुई। इसी प्रकार जनपद-अयोध्या में लगभग 50 से अधिक गायों की मृत्यु हुई, और इसी प्रकार जनपद-मिर्जापुर में बड़ी संख्या में गायों की मृत्यु हुई और वह भी ड्यू-टू-लेक आफ प्रापर अरेंजमेन्ट के कारण मृत्यु हुई। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ी मात्रा में इस पर बड़ी कार्यवाही भी की थी और इस विभाग के सम्बन्धित लगभग 8 अधिकारियों को सस्पेण्ड किया था। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी की यह कार्यवाही सही है और इस विधान सभा में इस विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जो उत्तर दिया गया है कि जो सभी गौ-वंश की मृत्यु हुई, वह सभी मृत्यु स्वाभाविक थीं। अतः किसी पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि क्या सदन को इस प्रकार भ्रमित करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, गौ-आश्रय स्थलों में आम तौर से वह गाय हैं जो निराश्रित हैं क्योंकि गाय की औसत आयु 10 वर्ष है, लगभग 6 बार गाय बच्चा देती है या तो जो गाय दूध नहीं देती और बच्चा देने के काबिल नहीं होती वह गाय आती हैं या घायल, बीमार गाय आती हैं इसलिए जो मौतें हुईं वह स्वाभाविक रूप से हुईं। जहां तक मुख्य मंत्री जी की कार्यवाही का सवाल है आदरणीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय से कार्यवाही जब हुई तो उसकी जांच मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार ही करायी गयी और उसमें यह पाया गया कि यह मौतें स्वाभाविक रूप से हुई हैं, वह घायल या बीमार गायें थीं इसलिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि वर्ष 2019 में जो 9261 गाय मरीं, क्या इन सबका पोस्टमार्टम कराया गया ?

नम्बर-2, अगर पोस्टमॉर्टम नहीं कराया गया है तो क्या आगे गौशालाओं में मृतक गो-वंश का 100 प्रतिशत पोस्टमॉर्टम कराया जायेगा ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, पोस्टमॉर्टम वाले सवाल का तो कोई अन्त है ही नहीं। (हंसी) दूसरी एक बात और जो पूछी गई थी, मान्यवर, मैं उसके सम्बन्ध में कहना चाह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

यह पूछ रहे हैं कि क्या आप भविष्य में सबका पोस्टमॉर्टम करायेंगे ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, जिनकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से होती है, उनके पोस्टमॉर्टम की आवश्यकता ही नहीं होती है। यदि किसी कारणवश हो तो पोस्टमॉर्टम कराया जायेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, आपने कहा कि स्वाभाविक मौत है। मेरा कहना यह है कि हमारी गाय जब आश्रय स्थल पर मर रही है या गोवंश मर रहा है तो आप पोस्टमॉर्टम क्यों नहीं करा रहे हैं ? तभी तो मालूम होगा कि नेचुरल मौत है या दुर्घटना से है या भुखमरी से या बीमारी से मौत है।

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, यदि नेचुलर मुत्यु है तो आवश्यकता नहीं है और नेचुरल नहीं है तो उसका जरूर पोस्टमॉर्टम कराया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

यह कह रहे हैं कि नेचुरल और अननेचुरल का पता तो पोस्टमॉर्टम से लगेगा।

श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह संवेदनशील प्रकरण है। केवल गौ-माता की जय बोलना ही धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता। (विपक्ष के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि यह बहुत संवेदनशील प्रकरण है, इस पर विचार होना चाहिए और इस पर सब लोग समवेत् रूप से, इसमें पक्ष-विपक्ष की भूमिका नहीं होनी चाहिए। कहीं-कहीं कुत्ते नोंच-नोंच कर खा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। इस पर व्यवस्था होनी चाहिए। (विपक्ष के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसा आदमी इसको सही बिल्कुल नहीं कहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने यहां बताऊं।

श्री अध्यक्ष-

आप पूछ लीजिए, अगर कुछ पूछना चाहते हों।

श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें हमारी सरकार की तरफ से 30 रुपये प्रति पशु के हिसाब से व्यवस्था जरूर हुई है। लेकिन इसमें उनकी निगरानी करने वाले, सेवा करने वाले लोगों की व्यवस्था नहीं हुई है। आप हम लोगों के संरक्षक हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह धार्मिक मुद्दा है। भारत माता की जय, गौ-माता की जय, यह केवल वाणी तक नहीं होना चाहिए, चरित्र से झलकना चाहिए और उनकी निगरानी के लिए, उनको खिलाने के लिए सम्यक् व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

सुरेन्द्र जी, आप प्रश्न कर लीजिए।

श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह-

मान्यवर, मैं अपने पशुधन मंत्री जी को सुझाव भी देता हूँ, आप लोग इस पर बैठ करके विचार करिये। मनरेगा के ब्लाक पर सफाई कर्मी होते हैं। आपको नियुक्ति नहीं करनी है तो ब्लाक पर जो सफाई कर्मी होते हैं, अस्थाई रूप से गौशालाओं को संरक्षण देने के लिए, गायों को खिलाने के लिए 5-5, 7-7 की संख्या में वहाँ लगा दीजिए, पैसा भी नहीं लगेगा और कम से कम गौ मरेगी भी नहीं। यह मेरा सुझाव है और आपसे प्रार्थना है कि आप सरकार को आदेशित करिये कि गौ माता की सुरक्षा के लिए सम्यक् पैसे की व्यवस्था के साथ-साथ, सेवा करने वाले लोगों की भी नियुक्ति की जाये। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। यही कहते हुए मैं आपनी बात को रोकता हूँ।

*** नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-**

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी अनुभवी मंत्री हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, यदि एक भी केस की कोई जानकारी किसी भी माननीय सदस्य को हो कि किसी भी गौ-आश्रय स्थल में कुत्ते गाय को नोंच कर खा रहे थे तो मैं अभी जांच कराने के लिए तैयार हूँ। (सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) यदि सड़क पर किसी दुर्घटना में कोई गाय मर गई और उसे कहीं कुत्ते नोंच कर खा रहे हों तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक भी गाय यदि किसी भी गौशाला में ऐसी हो, जिसको कुत्ते ने नोंचा हो एक बात, दूसरी बात, माननीय सदस्य ने एक बात कही कि गौ माता की जय बोलने से नहीं, यह तो उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि जब गौ पर संकट था, उस समय गौरक्ष पीठाधीश्वर इस प्रदेश के मुख्य मंत्री बने। (सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) मैं स्वयं भी गौ पालक हूँ। मैं भी गौ पालता हूँ, मेरे घर में आज भी गौ पाली जाती हैं। इसलिए भावना के साथ-साथ इसको कर्म में भी हमने इसको बदला है। आज से पहले, इस सरकार से पहले किसी ने एक रुपया कभी किसी गाय के भरण-पोषण के लिए नहीं दिया। (सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) पहली बार साढ़े पांच लाख गायों को आज 30 रुपये प्रति दिन के हिसाब से भरण-पोषण दिया जाता है। इसलिए व्यवहार में और कर्म में इस सरकार में गौ पालन है। (सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, वरिष्ठ मंत्री हैं। इन्होंने कहा कि स्वाभाविक मौतें हो रही हैं और माननीय सदस्य का कहना है कि भूख से मौतें हो रही हैं, उनको चारा नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, तो कैसे तय होगा कि वह स्वाभाविक है कि भूख से है ? यह तभी तय होगा, जब उसका पोस्टमॉर्टम हो। जब किसी मानव की भी मृत्यु होती है, अगर कोई आब्जेक्शन कर देता है कि इसका पोस्टमॉर्टम होना चाहिए, तो उसका पोस्टमॉर्टम होता है। आदमी घायल हो जाय तो न चाहते हुए भी पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम कराने में कोई हर्ज तो नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जिस भी गौमाता की मृत्यु हो जाय, आप उसका पोस्टमार्टम करा दीजिए। आप तो उसमें हैं नहीं इसलिए अगर फंसेगा तो जो नहीं खिला रहा है, वह फंसेगा, आपकी तो वाहवाही होगी कि मंत्री जी की जय हो, मंत्री जी की जय हो, तो आप इसको कराइये। माननीय अध्यक्ष जी, जितनी भी मौतें गौमाता की हो रही हैं गौशालाओं के अन्दर उनका जरूर पोस्टमार्टम हो, इसका उत्तर माननीय मंत्री जी से दिलवा दीजिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं दो प्रश्न करना चाहता हूँ, एक तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि 9 हजार 261 गौ-वंशों की मृत्यु हुई तो सभी गौशालाओं में गौ-वंश के कुल कितने पशु हैं और उसके सापेक्ष यह मृत्यु कितने प्रतिशत हुई ? दूसरा, मान्यवर, जो अयोध्या, मिर्जापुर, नोएडा में मृत्यु हुई थी, तो क्या उसकी मेडिकल रिपोर्ट माननीय मंत्री जी के पास है, यह मैं दो प्रश्नों का उत्तर माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने जो बात कही कि कितने प्रतिशत तो उसको मैंने बताया है। हमारे यहां 4 लाख 53 हजार गौ-आश्रय स्थलों में गाय हैं, इसमें से लगभग 53 हजार गौ ऐसी हैं जो सुपुर्दगी में हम लोगों ने दी हैं। इसमें हमारी यह व्यवस्था है कि एक से चार गाय तक किसी व्यक्ति को दी जाय और उसे 900 रुपए प्रतिमाह एक गाय के भरण-पोषण के लिए दिया जाता है। आपने जहां पोस्टमार्टम की बात की है तो पोस्टमार्टम नहीं कराये गये लेकिन जाँच करायी गयी थी और वह स्वाभाविक रूप से मौतें थीं लेकिन यदि कहीं ऐसी शिकायत है, तो मैं उसकी जाँच फिर से कराने के लिए तैयार हूँ।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है। आखिर आप पोस्टमार्टम से क्यों भाग रहे हैं।

श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह''-

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की एक्चुअल सिचुऐशन बता रहा हूँ कि एक जर्सी सांड़ ने तीन भैंसों पर अप्राकृतिक रूप से यौनाचार किया, इससे तीनों भैंसें मर गईं। अगर आदमी यही काम करता है तो संविधान में कानून है कि उसको फांसी की सजा दी जाती है। मान्यवर, ये एक-एक लाख रुपए की भैंसें हैं। इसमें मेरा आपसे अनुरोध है कि कुछ व्यवस्था करायें।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें, अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ।

प्रदेश में आवारा पशुओं द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचने से रोके जाने विषयक

***2-श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री श्याम सुन्दर शर्मा तथा श्री पूरन प्रकाश-**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आवारा पशुओं द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने उसे रोकने के क्या उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

पशुपालन विभाग द्वारा सम्बन्धित आंकड़े संकलित नहीं किये जाते हैं।

लागू नहीं होता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में पूरी जनसंख्या का लगभग 16.9 प्रतिशत लोग खेती पर आधारित हैं, जिसमें लगभग 3.9 प्रतिशत किसानों ने आत्महत्या की है। एन0सी0आर0बी0 के मुताबिक 2017 के मुकाबले 2018 में।

श्री अध्यक्ष-

आपकी प्रारम्भ से समस्या रही है कि आप सवाल नहीं करते।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, पूरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

बात थोड़े ही सुनेंगे, आप सवाल कीजिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, एन0सी0आर0बी0 के मुताबिक 2017 के मुकाबले 2018 में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या।

श्री अध्यक्ष-

अब आप फिर से बोल रहे हैं, सवाल नहीं कर रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार जब चुनाव लड़ रही थी तो अपने आपको चौकीदार कहती थी।

श्री अध्यक्ष-

आपके पास कोई सवाल है ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, सुन तो लीजिये। माननीय अध्यक्ष जी, कृपा कीजिये एक मिनट हमें भी सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

हम भाषण सुनने के लिए यहां नहीं बैठे हैं। अब आप एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं और हम सब लोगों के नेता हैं तो आप सवाल कीजिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

आप हम लोगों के अध्यक्ष हैं। मान्यवर, ये सरकार जब चुनाव लड़ रही थी तो कहती थी कि हम चौकीदार हैं और आज किसानों को खेत का पहरेदार बना दिया है।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपा करके सवाल कीजिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार आवारा पशुओं से किसानों की फसल बचाने के लिए कोई समुचित प्रबन्ध करेगी ? दूसरा, क्या सरकार किसान आयोग का गठन करेगी ? तीसरा, जो किसान अपने खेतों की पहरेदारी कर रहे हैं, चौकीदार से इन लोगों को पहरेदार बना दिया है, क्या सरकार उन किसानों को पहरेदारी भत्ता देने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? चौथा, जिन किसानों की पिछले तीन सालों में फसल बर्बाद हुई है, क्या सरकार उन किसानों को मुआवजे देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? मा0 अध्यक्ष जी, मैं 44 जिला घूमा हूँ, किसान आज पूरी तरह हताश-निराश है। आप मेरे इन चार सवालों का जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप यह न बताएं, आपका प्रश्न आ गया है। मा0 मन्त्री जी।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, किसान आत्महत्या कर रहा है। इसका पशुधन विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 लल्लू जी के जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि किसान की जब आमदनी घटती है तो किसान आत्महत्या करता है।

श्री अध्यक्ष-

आप जानवरों से सम्बन्धित उत्तर दीजिये, आत्महत्या की बात ही नहीं है। आप भी उन्हीं की तरह बोल रहे हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं यह अनुरोध करना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016-17 में चावल 143.96 लाख मीट्रिक टन पैदा हुआ था, कुल 533 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ और आज उत्तर प्रदेश में 603 लाख मीट्रिक टन पैदावार हुई है (सत्ता पक्ष के लोगों ने मेजें थपथपाया)।

श्री अध्यक्ष-

यह सवाल आवारा पशुओं के बारे में है।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, ये किसानों की भावना से नहीं जुड़े हैं। ये जानते नहीं हैं कि जिस खेत में गाय आ जाती है, तो उसकी पैदावार दुगुनी हो जाती है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 अजय कुमार 'लल्लू' जी।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, आवारा पशुओं से बचने के लिए आज किसान अपने खेत का पहरा कर रहा है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ कि आगरा के बाह तहसील में राकेश कुशवाहा, जो ग्यारह बीघे आलू बोया था। आवारा पशुओं ने उसके पूरे खेत को चर के समाप्त कर दिया। वह किसान दिल्ली गया था और जब वह वापस आया तो उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी और हताश किसान ने आत्महत्या कर ली (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर) और यह कह रहे हैं कि किसान आवारा पशुओं की वजह से आत्महत्या नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न करिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, आवारा पशु उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है।

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

मा0 अध्यक्ष जी, इनके नेता आलू की फैक्ट्री लगा रहे थे और ये मिट्टी के नीचे से आलू चरवा रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

आप हंस लो, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश का किसान आज जितना दुःखी है, आने वाले दिनों में आपको ऐसे हंसते-हंसते बाहर कर देगा, आप चिंता न करें। यह प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है।

श्री अध्यक्ष-

आप इनसे प्रश्न कर लीजिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा इनसे सिर्फ यह सवाल है कि नम्बर एक, क्या सरकार किसान आयोग का गठन करेगी।

श्री अध्यक्ष-

किसान आयोग उससे भिन्न बात है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने तो इनसे आवारा पशुओं के संबंध में प्रश्न किया है।

श्री अध्यक्ष-

आवारा पशुओं के सम्बन्ध में आप पूछें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

दूसरा प्रश्न यह है कि जो लोग अपने खेतों की पहरेदारी कर रहे हैं क्या सरकार उनके लिए कोई भत्ते का प्रावधान लाने की व्यवस्था करेगी ? तीसरा प्रश्न है कि जिन लोगों के फसल पिछले तीन साल में बर्बाद हुए हैं, क्या सरकार उन किसानों के लिए कोई मुआवजे देने का प्राविधान करेगी ? इन्हीं तीन सवालों का जवाब दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मन्त्री जी, तीनों का उत्तर बिन्दुवार बता दीजिये।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, सवाल से सम्बन्धित इनका कोई अनुपूरक नहीं है। पशुधन विभाग से इन चीजों का कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं इनका क्या जवाब दूं ? मैंने कहा कि तीन साल में उत्तर प्रदेश की पैदावार कम से कम 22-23 फीसदी बढ़ी है।

श्री अध्यक्ष-

ये आवारा पशुओं से रोकथाम के लिए प्रश्न किये हैं और आप उत्तर दे रहें है फसल के आंकड़ों का। उनका सवाल आवारा पशुओं से सम्बन्धित है।

(विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने सीधा सा प्रश्न पूछा है। उस दिन भी जब हमने नियम-56 में इस प्रश्न को पूछा था, तब भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। आज ये सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करती हूँ। अगर वह यह जवाब दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा है, तो पशुधन विभाग इसमें कैसे जवाब दे ? इससे ज्यादा गैर-जिम्मेदाराना जवाब और क्या हो सकता है ? क्या पूरी सरकार को इससे कोई मतलब नहीं कि किसान आत्महत्या कर रहा है, क्या यह केवल विपक्ष का मुद्दा है ?

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न करिये।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, किसानों का खेत अगर पशु चर रहा है, तो यह जवाब होगा। यह केवल विपक्ष का ही प्रश्न नहीं है, ये जितने सदस्य यहां बैठे हैं, यह सभी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों की भाषण की आदत पड़ गयी है, प्रश्नोत्तर काल में केवल प्रश्नोत्तर होगा, कोई भाषण नहीं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

तो यह जवाब क्यों नहीं आ रहा है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हैं, जवाब आने दीजिए।

***वित्त, संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, अभी चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने इस बात को आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराया। पहले से इस बात का संज्ञान लिया भी जाता रहा है, जबसे मा0 योगी जी की सरकार आयी है, तबसे इस बात पर विशेष रूप से कार्रवाई की गयी कि किसी भी तरीके से हमारे गौ-वंश का पूरी तरीके से संरक्षण हो। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में हर जनपद में 1.20 करोड़ रुपया दिया गया। बुन्देलखण्ड को अलग से धनराशि दी गयी ताकि वहाँ पर गौ-शालायें निर्मित हों और शहरी क्षेत्र में अलग से धनराशि दिया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-2020 में यह तय किया गया कि 01 लाख ऐसे गौ-वंश को हम निजी लोगों को देंगे और उनको 900 रुपया महीना देंगे, वो इस बात के लिए ताकि वह चारे आदि की व्यवस्था कर सकें। एक व्यक्ति को अधिकतम 04 गौ-वंश दिये जाने की व्यवस्था है। तो सरकार की मंशा और नीयत देखिये, हम गोवंश को संरक्षण भी देना चाहते हैं और किसी भी तरीके से उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। मान्यवर, जब कुछ नई व्यवस्था की जाती है तो एकदम से वह सौ फीसदी फुलप्रूफ व्यवस्था नहीं हो पाती है। माननीय नेता सदन ने अभी महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के जवाब में इस बात को स्पष्ट किया था कि हम किसी भी तरीके से नहीं चाहेंगे कि किसी किसान का नुकसान हो। अगर चाहें तो उसका संज्ञान ले सकते हैं, मा0 नेता सदन का इस आदरणीय सदन में आश्वासन है कि हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके से किसानों के फसल का नुकसान हो और ये सारे इंतजामात ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में इसीलिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने किये ताकि गौ-वंश का संरक्षण भी हो सके और लोगों को इससे परेशानी भी कम हो। जहां तक आत्महत्या का सवाल है, हमने नहीं देखा कि इस वजह से किसी ने आत्महत्या कर ली हो कि गाय ने उसका खेत चर लिया हो, यह वजह नहीं है। अभी जो 01 लाख गौ-वंश सुपुर्द किये जाने का लक्ष्य था उसमें 48653 गौ-वंश की सुपुर्दगी इसी साल की जा चुकी है और शेष प्रक्रियाधीन है। हम लगातार यह चाहते हैं कि उन लोगों को छुट्टा गौ-वंश दिया जा सके लेकिन प्राब्लम क्या हो गयी, मध्य प्रदेश, राजस्थान व दूसरे प्रदेशों से सीमा पर गायें पकड़कर छोड़ जा रहे हैं जितना भरपायी करते हैं उतने ही बढ़ जा रही है तो इनसे यह कहिये कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से छुड़वायें नहीं। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, छोड़वा तो ये रहे हैं। ये सरकार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खड़े हैं। जब सीमा पर ट्रकों में भरकर छोड़ जायेंगे

तो हम क्या करेंगे ? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश से जो गौ-वंश यहां आ रहे हैं उसको इनसे कहिये ये रुकवायें।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जो जवाब है, यह अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है। मैंने उत्तर प्रदेश के किसानों की जो फसल बर्बाद हो रही है, उसके बारे में जानना चाहा कि उसके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ? मुआवजे का क्या प्राविधान है, क्या पहरेदारी भत्ता देंगे या नहीं ? माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का स्पष्ट जवाब दिलवा दीजिए कि जो फसलें बर्बाद हो रही हैं क्या उसके लिए सरकार मुआवजे का प्राविधान करेगी या नहीं ?

(श्री लाल जी वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, अब अगला सवाल लेते हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

यह सरकार किसानों के प्रति गम्भीर नहीं है। राकेश कुशवाहा, तहसील-बाह, आगरा की पूरी फसल बर्बाद हो गयी और सरकार कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे रही है। इस सरकार के गैर-जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' व कांग्रेस पार्टी के अन्य सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि यह किसानों के लिये बड़ी समस्या है। आवारा पशु का संबंध केवल गौ-वंश से नहीं है। आवारा पशु में मान्यवर, नीलगाय भी आती हैं वनरोज जिसको कहते हैं, उनसे भी समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है और निश्चित रूप से मान्यवर आप भी स्वाभाविक रूप से इससे सहमत होंगे कि तमाम आवारा पशुओं के माध्यम से किसानों की फसलों की बड़े पैमाने पर बर्बादी हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी कह देंगे कि यह हमारे विभाग से सम्बन्धित नहीं है। मान्यवर, यह सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी होती है।

श्री अध्यक्ष-

तो उसका उत्तर दे दिया है खन्ना जी ने।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि यह जो बड़े पैमाने पर आवारा या छुट्टा पशुओं के माध्यम से किसानों की फसलों की क्षति हो रही है, उसको बचाने के लिये

केवल गौ-वंश से सम्बन्धित पशुओं से नहीं। इसके अतिरिक्त नीलगाय आदि सभी जानवर जो सबसे बड़ी समस्या है, किसानों की फसल को बचाने के लिये कोई कार्य योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

बना रहे हैं, वह तो संसदीय कार्य मंत्री बता चुके हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी ने खुद ही प्रश्न खड़ा कर दिया है। इन्होंने कहा कि जब से योगी जी की सरकार आई, तब से हम यह व्यवस्था कर रहे हैं। तो जबसे योगी जी की सरकार आई है तब ही से तो समस्या भी आई है।

(सत्ता पक्ष से कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर कि पहले भी यह समस्या थी)

पहले कभी नहीं थी।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, बैठें। यह तरीका ठीक नहीं है। वह केवल खड़े हुए थे और आप चिल्लाने लगे। आप उनकी बात सुन पाये कि क्या कह रहे हैं। हम भी नहीं सुन पाये। यह तरीका ठीक नहीं। जब कोई बात कहनी हो तो पूछ लिया करिये। चौधरी साहब, आप क्या कह रहे थे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मैं यह कह रहा था, यह समस्या आई है जब, यह सरकार आई है तब। ठीक है, पहले होता था। मैं बताता हूँ पहले वनरोज, सूअर, बन्दर, यह जितने भी जानवर हैं, यह फसलों को खाते हैं। चिड़िया भी फसलों को खाती हैं लेकिन जबसे यह छुट्टा पशुओं वाली बात आ गई है तब से बर्बादी के कगार पर किसान आ गया है। किसान इन सब बातों से बहुत चिन्तित है, तो इस पर सरकार को गम्भीर होना चाहिए और जो योजना बना रहे हैं, वह ठीक है, लेकिन ऐसा करें कि वास्तव में किसानों की फसल बर्बाद न हो। किसान जैसा दुखिया इस प्रदेश में कोई नहीं है।

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, आज दुनिया के 58 देशों में यह साबित हो चुका है कि भारतवर्ष का जो गौ-वंश है, वह सबसे उत्तम है। भारतवर्ष के गौ-वंश का जो दूध है, वह मां के दूध के अलावा सर्वोत्तम है, यह डाक्टरों ने सिद्ध किया है।

श्री अध्यक्ष-

यह छुट्टा पशुओं के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण-

इनके शासनकाल में केवल गाय कटती थी, योगी जी के राज में गाय कटेगी नहीं, उसका प्रबन्ध किया है।

प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाये जाने की जानकारी

***3-श्री संजय गर्ग, श्री विजय मिश्र, श्री राकेश सिंह बघेल तथा श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण नीति होने के बावजूद जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई नयी कारगर नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री जय प्रताप सिंह)-

प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या देश व प्रदेश की गम्भीर समस्याओं में से एक है। प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या स्थिर किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1950 के दशक से चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत परिवार को सीमित रखने हेतु स्थाई एवं अस्थाई विधियां सेवा केन्द्रों पर निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम लक्ष्य मुक्त व पूर्णतः स्वैच्छिक कार्यक्रम है।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सकल प्रजनन दर में कमी लाना है। वर्तमान में प्रदेश की सकल प्रजनन दर एन0एफ0एच0एस0 04 वर्ष 2015-16 के अनुसार 2.7 है, जिसे वर्ष 2020 तक 2.1 के स्तर तक लाना है। जनसंख्या पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नवत् गतिविधियां संचालित की जा रही हैं :-

स्थाई विधियां-

महिला नसबन्दी-

लैप्रोस्कोपिक (दूरबीन)

मिनी लैप द्वारा।

पुरुष नसबन्दी-

नो स्केलपल वेसेक्टॉमी (एन0एस0वी0)

प्रत्येक माह की 21 तारीख को पुरुष नसबन्दी (एन0एस0वी0) दिवस का आयोजन तथा समस्त जनपदों में 21 नवम्बर, 04 दिसम्बर तक पुरुष नसबन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है।

चिन्हित इकाइयों पर नसबन्दी सेवायें नियत दिवस पर एफ0डी0ओ0एस0 के माध्यम से आयोजित किये जा रहे हैं।

अस्थाई विधियां -

महिलाओं के लिये खाने वाली गोलियां-

प्रतिदिन (माला एन)

साप्ताहिक (छाया)

आकस्मिक (इमरजेन्सी कन्ट्रासेप्टिव पिल)

आई0यू0सी0डी0 (कॉपर-टी)

प्रसव पश्चात्/गर्भ समापन पश्चात् सेवायें-

पी0पी0आई0यू0सी0डी0/पी0ए0आई0यू0सी0डी0 चिन्हित इकाइयों पर उपलब्ध।

नवीन गर्भ निरोधक में-

डिम्पा इन्जेक्शन (अन्तरा)

सैन्टोक्रोमन गोली (छाया)

पुरुषों के लिये-निरोध

होम डिलीवरी आफ कान्ट्रासेप्टिव स्कीम के अन्तर्गत लाभार्थी के घर तक आशा के द्वारा ग्राम स्तर पर गर्भ निरोधक सामग्रियों का विपणन।

परिवार नियोजन कार्यक्रम को गति देने हेतु 03 या 03 से अधिक सकल प्रजनन दर वाले 57 जनपदों में 24 अप्रैल, 2017 से मिशन परिवार विकास योजना लागू किया जा चुका है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से वेब पोर्टल के माध्यम से हौसला साझेदारी योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत निजी स्वास्थ्य इकाइयों/नर्सिंग होम को परिवार नियोजन कार्यक्रम में सहभागिता बढ़ाने हेतु वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। साथ ही उनका ऑनलाइन सत्यापन कर अभिप्रमाणित करने की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

***श्री संजय गर्ग-**

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गम्भीर विषय है। यह बजट सत्र है। जितनी भी योजनायें बनायी जाती हैं, जनसंख्या विस्फोट के कारण तमाम योजनाओं का प्रतिफल उस रूप में नहीं मिल पाता है। मैं आपके माध्यम से केवल इसकी गम्भीरता की तरफ इंगित करना चाहता हूँ, क्योंकि विषय एक ही विभाग से पूछा जाना था, इसलिए चिकित्सा, स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रश्न पूछा है, जिन्होंने बहुत विस्तृत जवाब दिया है। मा0 मंत्री जी हमारे बहुत ही सम्मानित

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथी हैं। हम उनका सम्मान करते हैं परन्तु 1950 के दशक से यह योजना चल रही है और उसके बावजूद भी प्रजनन दर लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या विस्फोट लगातार बढ़ रहा है। मैं आपके माध्यम से संरक्षण चाहते हुए सुझाव के रूप में यह बताना चाहता हूँ कि जब तक काम्प्रिहेन्सिव रूप में हम इसे नहीं लेंगे तब तक वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो पायेगा।

श्री अध्यक्ष-

आपने कारगर नीति पूछी है।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, इसका सीधा रिश्ता गुरबत् से है, आर्थिक स्थिति से है। जो जितना गरीब है, अगर उसके घर में संतति बढ़ती है तो उसे इनकम सोर्स के रूप में लेने का काम करता है और वर्तमान में स्थितियां इस तरह की हैं कि पैसे वाला और ज्यादा पैसे वाला हो रहा है, केवल 1 प्रतिशत लोगों के पास 73 प्रतिशत सम्पदा इकट्ठी हो गयी है। यह 2018 के ऑक्सन के आंकड़े हैं। इतना ही नहीं अगर उसी तरफ ध्यान दें तो मा0 मंत्री जी ने जिस तरह से कहा कि वर्तमान में प्रदेश की सकल प्रजनन दर एन0एफ0एच0एस0 4 वर्ष 2015-16 के अनुसार 2.7 है, जिसे वर्ष 2020 तक 2.1 के स्तर तक लाना है। 2020 समाप्त होने में अभी थोड़ा समय बचा है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या प्रजनन दर में योजनाओं के बाद जिनका वर्णन मा0 मंत्री जी ने जवाब में किया, कुछ हुई है या नहीं हुई है ? इसी प्रश्न के जवाब में क्या कमी हुई है ? इसी प्रश्न के जवाब में आगे यह बात उल्लिखित की गयी है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को गति देने हेतु 3 या 3 से अधिक सकल प्रजनन दर वाले 57 जनपदों में 2017 का यह आंकलन सरकार का है। 2017 का यह आंकलन सरकार का है कि वहाँ प्रजनन दर तीन की चल रही है और तीन या तीन से अधिक प्रजनन दर वाले 57 जनपदों में 24 अप्रैल, 2017 से मिशन परिवार विकास योजना लागू की जा चुकी है। क्या मिशन विकास परियोजना लागू कर उन 57 जनपदों में प्रजनन दर में कुछ कमी आई है या नहीं आई है। जब तक सरकार इसके लिए कोई समग्र नीति बनाने का काम नहीं करेगी और उन तमाम गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए उन्हें साधन उपलब्ध कराने का काम नहीं किया जाएगा, निश्चित रूप से जनसंख्या पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। मैं आपके माध्यम से एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। प्रजनन दर के बारे में माननीय मंत्री जी बता देंगे। एक सोशल रिलीजियश एनॉलिसिस जारी हुआ है जिसमें वेल्थ शेयर ऊँची जाति के पास 41 प्रतिशत है, ओ0बी0सी0 के पास 31 प्रतिशत है, मुस्लिम के पास मात्र 8 प्रतिशत है, शिड्यूल कास्ट के पास 8 प्रतिशत है शिड्यूल ट्राइब के पास 4 प्रतिशत है। यह जो गरीबी का आंकलन है, उसके हिसाब से जब हम प्रजनन दर और जनसंख्या विस्फोट की बात देखते हैं तो निश्चित रूप से इसके बीच में जब तक समन्वित प्रयास की कोशिश नहीं होगी तब तक मैं समझता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण पर कोई।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाएं।

श्री संजय गर्ग-

प्रजनन दर के ऊपर अगर माननीय मंत्री जी कुछ बता सकते हों, तो बता दें।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इसी से सम्बन्धित मेरा अगला सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

भाई आप क्यों चिल्ला रहे हैं, आपको क्या बीमारी है। दलबहादुर जी, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या ?

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मंत्री जी, आपने जो आंकड़े दिए हैं 2018-19 के और 2019-20 के हैं। 2018-19 का है 208,24,42,463 और 19-20 का है 81,13,47,082। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आप कृपा पूर्वक यह बता दें कि यह जितने भी 17 से लेकर 20 तक आप जो सी0एम0ओ0 या सी0एम0एस0 को पैसा भेजते हैं केवल 6 फर्मों की सृष्टि फार्मा, राशि फार्मा, एस0एम0 कंटीजेंसी, यू0पी0 मेडिसिन, आर0पी0 कांस्ट्रक्शन, हिन्दुस्तान ड्रग्स और श्री इण्टरप्राइजेज में कितने का भुगतान पूरे उत्तर प्रदेश में आपके सी0एम0ओ0 ने इनको किया है, केवल इतना बता दें।

श्री अध्यक्ष-

आपका सवाल इससे सम्बन्धित नहीं है। संजय जी ने जो कहा है, उसका उत्तर दे दें। इनको कभी बाद में बता देना।

श्री जय प्रताप सिंह-

माननीय सदस्य के अगले प्रश्न में इसका जवाब आ जाएगा।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

वह प्रश्न आ ही नहीं सकेगा, प्रश्नकाल समाप्त हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसमें पूछ लिया।

श्री जय प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, श्री संजय जी की चिन्ता और मुझे लगता है जनसंख्या नीति को लेकर पूरे देश में हर एक व्यक्ति की चिन्ता है। यह सही है कि हमारी बढ़ती हुई आबादी और

जनसंख्या को लेकर अभी तक कोई कारगर नीति नहीं बन पाई परन्तु बहुत सारे प्रदेशों में अन्य प्रदेशों में जिसका हम संकलन करके कुछ उस पर भी विचार करेंगे, जहां पर उन्होंने कुछ इस तरह की नीति बनाई है जिसमें पंचायती चुनाव को लेकर और अगर दो बच्चों से ज्यादा बच्चे होंगे तो सरकारी नौकरी में नियुक्ति नहीं मिलेगी। इस तरह की योजनाएं पहले से भी चल रही हैं, कुछ प्रदेशों में उनको देखते हुए और अभी जो हमारी जनसंख्या नीति चल रही है 1950 से लेकर उसके अन्दर हमने कुछ और कार्यक्रम भी बढ़ाए हैं जिसमें हौसला साझीदारी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उसमें 1026 चिकित्सालयों को अनुबन्ध किया है और अनुबन्ध करने के बाद लगभग 48 हजार नसबन्दी उनके द्वारा भी कराई गई जिसको हम सीधे अपने तौर पर देते भी हैं, उनको दो हजार-तीन हजार रुपए देते भी हैं। उसकी वजह से अभी 2020 का सकल प्रजनन के बारे में बोल रहे थे कि 31 मार्च तक समाप्त हो जाएगा। इसमें अभी सर्वे चल रहा है, यह सर्वे आने पर एक ही महीने के बाद यह सर्वे आ जाएगा। थोड़ा सा यह लेट हो गया था उसके बाद हमें आशा है कि यह 2.1 पर आ जाना चाहिए और उसके बाद हम लोग इसमें और भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

(इस मध्य सदस्य श्री मो0 असलम ''राइनी'', श्री मो0 फईम इरफान एवं श्री अजय कुमार 'लल्लू' के अपने-अपने स्थानों से अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है। अब हम प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। आप माननीय मंत्री जी से मिल लीजियेगा, मैं उनसे कहे दे रहा हूँ कि वह अपने कार्यालय में आपको चाय पिलाने के बाद आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे।

(कुछ सदस्यों के अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आप भी माननीय मंत्री जी के पास चले जायेंगे, वह आपको चाय पिलायेंगे और अगर वह चाय न पिलायें तो आप औचित्य का प्रश्न ले आइयेगा। (सदन में हंसी) मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहते हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, माननीय जय प्रताप जी ने जो उत्तर दिया है और उन्होंने इस बात को स्वयं भी स्वीकारा है कि जनसंख्या की जो समस्या आज है तो हम कितने ही संसाधन क्यों न बढ़ाएं, इस जनसंख्या की वृद्धि के कारण वह हमारे सामने छोटे और बौने ही साबित होते हैं और माननीय मंत्री जी के उत्तर से ही आश्वासन भी बन गया है, क्योंकि उन्होंने इस बात को

स्वीकार किया और यह भी कहा है कि हम इसके लिये बहुत गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। उन्होंने कई प्रदेशों का हवाला भी दिया है तो यह तो आलरेडी आश्वासन बन ही गया है जो सामान्य रूप से मा0 सदस्य चाहते हैं और मा0 संजय जी तो बहुत विद्वान और पुराने सदस्य हैं। उनकी जो जिज्ञासा थी वह आश्वासन के रूप में आ गयी है, अब उसमें देखेंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह अब मा0 शर्मा जी के पास जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी मान्यवर।

नत्थी (ग)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में कैंसर के इलाज हेतु समुचित प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में

***1-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खतरनाक कैंसर बीमारी के समुचित इलाज हेतु प्रदेश में कितने अस्पताल हैं ? क्या यह सही है कि इस घातक बीमारी के रोगियों को देखते हुए प्रदेश में अपर्याप्त संसाधन एवं अस्पताल हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला स्तर पर कैंसर के इलाज का समुचित प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत संचालित एन0पी0सी0/डी0सी0एस0 कार्यक्रम प्रदेश में 75 जनपदों में संचालित है, जिसके अन्तर्गत चरणबद्ध तरीके से जिला स्तर पर जिला एन0सी0डी0 क्लीनिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सी0एच0/सी0एन0सी0डी0 क्लीनिक का संचालन किया जा रहा है।

एन0पी0सी0डी0सी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्यतः ब्रेस्ट, सरवाईकल एवं ओरल कैंसर के लिये 30 वर्ष अथवा 30 वर्ष से अधिक पुरुषों एवं महिलाओं की स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग के उपरान्त चिन्हित मरीजों को नजदीकी मेडिकल कालेज अथवा उच्च चिकित्सा केन्द्रों पर समुचित उपचार हेतु सन्दर्भित कर दिया जाता है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में उपर्युक्तानुसार इलाज की व्यवस्था है।

नोट :-नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या-3 के पश्चात् प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

कैंसर टरशियरी केयर के अन्तर्गत आता है, जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध संसाधनों से कैंसर का इलाज उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

***2-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के पूर्वांचलीय जनपदों में सभी सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 अस्पतालों द्वारा बाढ़ के प्रकोप के कारण बजट खर्च के सम्बन्ध में जानकारी

***3-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्वांचलीय जनपदों में जहां बाढ़ का प्रकोप अधिक रहता है, के दृष्टिगत सभी सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कितना-कितना बजट दिया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रत्येक वर्ष में सी0एम0ओ0 द्वारा खर्च किये गये बजट को किसी एजेन्सी से जांच कराई जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार 2018-19 में आवंटित एवं व्यय धनराशि की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

प्रदेश के पूर्वांचलीय जनपदों में, जहां बाढ़ का प्रकोप अधिक रहता है, के सभी सी0एच0सी/पी0एच0सी0 हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के स्तर पर निम्नानुसार बजट का आवंटन किया जाता है :-

जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजीपुर	54947578	53158628
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर	78070166	65886355
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती	61982366	35013100
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़	81834872	160289878
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देवरिया	103527720	50818607
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फैजाबाद	99993945	48843589
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा	63275779	36108841

जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहराइच	93357787	45274391
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी	90592554	37424086
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मऊ	114689798	90001615
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिद्धार्थनगर	60454992	59758289
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुशीनगर	81826695	31610563
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अम्बेडकरनगर	105449770	25585845
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलरामपुर	137081475	48054314
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रावस्ती	118846966	23514981

प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सी0एम0ओ0 द्वारा खर्च किये गये बजट को विभागीय सम्प्रेक्षा दल द्वारा महालेखाकार कार्यालय के सम्प्रेक्षकों द्वारा व्यय की सम्प्रेक्षा की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटित तथा व्यय धनराशि की जांच सम्प्रेक्षा दल द्वारा की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में लेखाभिलेखों की मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोण्डा, बहराइच, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर एवं कुशीनगर की आन्तरिक सम्प्रेक्षा की जा चुकी है। गाजीपुर तथा बस्ती की आन्तरिक सम्प्रेक्षा 31 मार्च, 2020 तक प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राइवेट डाक्टरों की फीस एक समान करने तथा जांचों के रेट एक समान करने के सम्बन्ध में

***4-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राइवेट डाक्टरों का परामर्श शुल्क तथा विभिन्न चिकित्सीय जांचों आदि के रेट एक समान करने और उनमें मनचाही वृद्धि रोकने की कोई नीति बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

प्राइवेट डाक्टरों द्वारा लिये जा रहे परामर्श शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में कोई प्राविधान नहीं है।

प्राइवेट चिकित्सकों की दरों का निर्धारण प्राइवेट चिकित्सा इकाइयां उनके द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की गुणवत्ता, इकाई की भौगोलिक स्थिति, उपलब्ध विशेषज्ञों की विशेषज्ञता, अनुभव आदि पर चिकित्सा इकाई अपने स्तर से निर्धारित करती हैं, जिसमें एकरूपता लाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश के आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सालयों में आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय स्टाफ की नियुक्ति करने विषयक

***5-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा केन्द्र हैं, उसमें कितने चालू हैं व कितने चिकित्सक न होने के कारण सुचारु रूप से संचालित नहीं हो पा रहे हैं ? क्या सरकार उक्त चिकित्सा केन्द्रों पर चिकित्सकों एवं आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आयुष, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 धर्म सिंह सैनी)-

प्रदेश में कुल 2104 आयुर्वेदिक एवं 254 यूनानी चिकित्सा केन्द्र स्थापित हैं तथा सभी चालू हैं। प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारी के स्वीकृत 2222 पदों के सापेक्ष 1237 आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी तैनात/कार्यरत हैं। इसी प्रकार प्रदेश के यूनानी चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारी के स्वीकृत 264 पदों के सापेक्ष 166 यूनानी चिकित्साधिकारी तैनात/कार्यरत हैं।

जिन आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारी तैनात नहीं हैं वहाँ पर समीपस्थ चिकित्सालयों में से चिकित्साधिकारियों को सम्बद्ध कर चिकित्सालयों का संचालन किया जा रहा है।

जी हां।

वर्तमान में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारी के 985 पद रिक्त हैं, जिसमें से 794 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को चयन हेतु प्रेषित है। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उपरोक्त 794 में से 544 पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार दिनांक 13-02-2020 से 28-02-2020 के मध्य निर्धारित है। लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयन के उपरान्त संस्तुति प्राप्त होने पर रिक्त चिकित्सालयों में चयनित चिकित्साधिकारियों को नियुक्त/तैनात किया जायेगा।

यूनानी चिकित्सालयों में रिक्त चिकित्साधिकारियों के पदों के सापेक्ष 101 पदों पर चयन हेतु अधियाचन मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज को प्रेषित किया गया है। उक्त प्रेषित

अधियाचन के सापेक्ष लोक सेवा आयोग द्वारा 58 पदों पर दिनांक 22-01-2020 को लिखित परीक्षा (स्क्रीनिंग टेस्ट) सम्पादित कराई जा चुकी है। मा0 लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा चयन के उपरान्त संस्तुति प्राप्त होने पर रिक्त चिकित्सालयों में चयनित चिकित्साधिकारियों को नियुक्त/तैनात किया जायेगा।

आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में फार्मासिस्टों के कुल सृजित 2250 पदों के सापेक्ष 86 चीफ फार्मासिस्ट एवं 1590 फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कार्यरत हैं। चीफ फार्मासिस्ट के रिक्त 70 पदों पर पदोन्नति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तथा शेष रिक्त 504 पदों का अधियाचन चयन हेतु अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया जा रहा है।

यूनानी चिकित्सालयों में रिक्त फार्मासिस्ट के पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा फार्मासिस्टों के नियुक्ति आदेश दिनांक 01-10-2014 पर स्थगन आदेश पारित किये गये हैं, जो कि वर्तमान में प्रभावी है।

आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में उपचारिकाओं के कुल 479 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 319 पदों पर उपचारिकायें आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कार्यरत हैं, शेष आयुर्वेदिक उपचारिकाओं एवं यूनानी चिकित्सालयों में उपचारिकाओं के रिक्त 26 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया सेवा नियमावली प्रख्यापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति वर्ष 2010 से प्रतिबन्धित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में होम्योपैथिक विभाग के चिकित्साधिकारियों को एन0पी0पी0 देने के सम्बन्ध में

***6-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के होम्योपैथिक विभाग में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को एन0पी0पी0 का लाभ मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार होम्योपैथिक विभाग में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को एन0पी0पी0 देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-5801सेक/15/590-26 (रिट)/90, दिनांक 16-02-1991 द्वारा प्रदेश में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के शिक्षकों/चिकित्साधिकारियों तथा राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को निजी प्रैक्टिस करने की छूट प्रदान की गई है, जिसके दृष्टिगत उन्हें एन0पी0पी0 दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रदेश में वर्षाकाल में संक्रामक रोगों के फैलने से रोकने के सम्बन्ध में योजना की जानकारी

***7-श्री नाहिद हसन-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्षा काल में संक्रामक रोगों के फैलने से रोकने हेतु स्वास्थ्य विभाग ने कोई कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

संक्रामक रोगों के प्रभावी नियंत्रण हेतु कार्य योजना-2020 बनाई गई है।

संक्रामक रोग कार्य योजना का विवरण निम्नवत् है :-

1-विभागीय एवं अन्तर्विभागीय गतिविधियों को समन्वित तरीके से संचालित करने के दृष्टिगत निम्नलिखित समितियां गठित की गई हैं :-

1-राज्य स्तरीय समन्वय समिति,

2-मण्डलीय समन्वय समिति,

3-जिला स्तरीय समन्वय समिति,

4-ब्लाक स्तरीय समन्वय समिति।

2-रोग एवं आउट ब्रेक के सम्बन्ध में त्वरित सूचना एवं कार्रवाई के दृष्टिगत सुदृढ़ सर्विलांस तंत्र की स्थापना तथा क्रियान्वयन-

इसके अन्तर्गत रोगों से सम्बन्धित आंकड़ों का समय से निर्धारित प्रपत्रों पर संग्रह व अन्य माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर सम्यक् कार्रवाई की जाती है।

रैपिड रिस्पान्स टीम (आर0आर0टीम) का गठन-प्रत्येक जनपद मुख्यालय स्तर पर जिला सर्विलांस अधिकारी की अध्यक्षता में किया गया जो किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग फैलने की सूचना प्राप्त होने पर उसका सत्यापन करते हुए त्वरित गति से उपचारात्मक एवं निरोधात्मक कार्रवाई करती है।

संक्रामक रोग के आउट ब्रेक अथवा प्रसार की स्थिति में आउट ब्रेक की समाप्ति तक आई0डी0एस0पी0 के आनलाइन पोर्टल पर दैनिक रूप से रिपोर्टिंग की जाती है। रोग की स्थिति तथा रोग नियंत्रण कार्रवाई की सूचना साप्ताहिक रिपोर्ट में सम्मिलित कर उपलब्ध कराई जाती है।

3-निरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्रवाई-

संक्रामक रोगों के प्रसार काल के पूर्व से ही निरोधात्मक गतिविधियां प्रारम्भ कर दी जाती हैं तथा संक्रामक रोग से प्रभावित रोगियों का त्वरित एवं समुचित उपचार हर स्तर के स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध रहता है।

प्रयोगशाला जांच :-

संक्रामक रोगों के प्रसार को नियंत्रण करने हेतु पेयजल, मल, वमन एवं जे0ई0, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया आदि की जांच की जाती है।

उपचार :-

संक्रामक रोगों के प्रसार की सूचना प्राप्त होते ही चिकित्सीय दल/आर0आर0टी0 भेजकर रोग का सत्यापन/कारक की पहचान तथा डोर टू डोर सर्वे (एक्टिव केस सर्च) कराकर आउट ब्रेक की गम्भीरता एवं विस्तार का आंकलन किया जाता है तथा त्वरित कार्रवाई करते हुए गम्भीर रोगियों का समय से समुचित उपचार उपलब्ध कराया जाता है।

टीकाकरण (वी0पी0डी0) के लक्ष्य को प्राप्त करना- वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज (वी0पी0डी0) जैसे-खसरा, काली खांसी, गला घोंटू, जापानी इंसेफ्लाइटिस, हेपेटाइटिस-बी आदि के नियंत्रण हेतु नियमित एवं आवश्यकता पड़ने पर विशेष टीकाकरण कराया जाता है।

गम्भीर संक्रामक रोगियों को स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुंचाने के लिये आवश्यकतानुसार निःशुल्क एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाती है।

4-आई0ई0सी0 (सूचना/शिक्षा/संचार)-

जन समुदाय को संक्रामक रोगों से बचाव एवं वातावरण तथा व्यक्तिगत साफ-सफाई तथा ''क्या करें, क्या न करें'' जैसे विषयों पर शिक्षा प्रदान कर जागरूकता/सजगता उत्पन्न की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में एक ही पद पर तैनात बाबुओं की स्थानान्तरण नीति की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

***8-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत बाबुओं के स्थानान्तरण की कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समूह ''ग'' लिपिकीय श्रेणी कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2072/सेक-2-519-4(79)/2008, दिनांक 17-06-2019 के द्वारा निम्नलिखित नीति निर्धारित की गई है :-

पटल पर कार्य करते हुए तीन वर्ष, एक कार्यालय में पांच वर्ष, एक जनपद में 7 वर्ष तथा मण्डल में 10 वर्ष कार्यरत होने की स्थिति में मण्डल से बाहर जनपदों में स्थानान्तरण कर दिया जाय एवं पूर्व तैनाती के जनपद में वापसी 15 वर्ष पश्चात् किया जा सकेगा।

उक्त नीति की प्रति संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 03 से अधिक प्रजनन दर वाले जनपद में जनसंख्या वृद्धि रोकने के सम्बन्ध में

***9-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 03 से अधिक सकल प्रजनन दर वाले जनपद कौन-कौन से हैं ? क्या सरकार इन जनपदों में जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु किसी प्रभावी कार्य योजना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया द्वारा कराये गये एनुअल हेल्थ सर्वे वर्ष (2012-13) के अनुसार प्रदेश में 03 या 03 से अधिक सकल प्रजनन दर वाले 57 जनपद हैं :-

''आगरा, मथुरा, बलिया, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, बागपत, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, जालौन, इटावा, उन्नाव, मेरठ, हाथरस, इलाहाबाद, महाराजगंज, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, कुशीनगर, कन्नौज, रायबरेली, सहारनपुर, चन्दौली, मैनपुरी, ललितपुर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, फतेहपुर, बस्ती, महोबा, औरैया, रामपुर, अमरोहा, फिरोजाबाद, बरेली, पीलीभीत, चित्रकूट, हमीरपुर, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, संतकबीरनगर, बाराबंकी, सोनभद्र, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, गोण्डा, बांदा, एटा, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, बदायूं, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच एवं श्रावस्ती।

03 या 03 से अधिक सकल प्रजनन दर वाले 57 जनपदों में कार्यक्रम सम्बन्धित गतिविधियों की ग्राह्यता एवं गर्भ निरोधक सामग्री की जन-समुदाय को सुगम उपलब्धता हेतु मिशन परिवार विकास योजना दिनांक 24 अप्रैल, 2017 से लागू की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में काम करने हेतु चिकित्सकों को प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में

***10-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की मानक के अनुसार कमी के दृष्टिगत सरकार चिकित्सकों को सरकारी अस्पतालों में काम करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये कोई नई नीति बनायेगी ताकि वे प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ न जायें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† नत्थी (क) का उत्तर देखिये पीछे पृष्ठ सं0 238-239 पर।

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत तैनात चिकित्साधिकारियों को प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध की एवज में प्रैक्टिस बन्दी भत्ता शासनादेश संख्या-2578/सेक-2- पांच-09-7(55)/97, दिनांक 24-08-2019 द्वारा अनुमन्य किया गया है, जिसको सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप शासनादेश संख्या-2/2019/वे0आ0-2-08/दस-2019- 01(एम)/2019, दिनांक 09-03-2019 द्वारा राज्य सरकार द्वारा लागू की गई पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की संरचना में पुनरीक्षित करते हुए प्रैक्टिस बन्दी भत्ता मूल वेतन का 20 प्रतिशत इस शर्त के साथ अनुमन्य किया गया है कि मूल वेतन तथा प्रैक्टिस बन्दी भत्ता का योग रु0 2,37,500/- प्रतिमाह से अधिक न हो।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में विधवा पेंशन बढ़ाये जाने पर विचार करने विषयक जानकारी

***11-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

क्या महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विधवा पेंशन के रूप में कितने रुपये प्रति लाभार्थी दिया जा रहा है ? क्या सरकार बढ़ती मंहगाई के दृष्टिगत विधवा पेंशन बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कितना और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती स्वाती सिंह)-

वर्तमान में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को रु0 500/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से पेंशन अनुमन्य की जा रही है।

वित्तीय उपाशय निहित होने के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ऐसे प्रकरणों में अन्तिम निर्णय लिया जाता है।

प्रश्न नही उठता।

प्रदेश में खुले गायों/बैलों से किसानों की खेती की हानि व सड़क दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में

***12-सुश्री अदिति सिंह-**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालकों द्वारा निष्प्रयोज्य हो चुके गायों/बैलों को खुला छोड़ देने के कारण प्रदेश के सभी जनपदों में किसानों की खेती आदि की व्यापक हानि होने तथा सड़क दुर्घटनाएं बढ़ने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इनकी प्रभावी रोकथाम हेतु कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं तथा अभी तक कुल कितने गौशालायें क्रियाशील हो गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

पशुपालकों द्वारा निष्प्रयोज्य हो चुके गायों/बैलो को खुला छोड़ देने की कतिपय सूचनाए प्राप्त हुई हैं।

पशु क्रूरता/गौ-वध निवारण अधिनियम, 1960 की धारा-11 जे के अन्तर्गत 40 जनपदों में कुल 207 पशु पालकों, जिन्होंने अपने गौ-वंश को छुट्टा छोड़ा है, के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराई गई है तथा निराश्रित/बेसहारा गौ-वंश के संरक्षण के लिये उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निकायों में अस्थाई गौ-वंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018, दिनांक 02 जनवरी, 2019 द्वारा किया गया है। उक्त योजनान्तर्गत दिनांक 10-02-2020 तक 4880 स्थाई/अस्थाई गौ-वंश आश्रय स्थल क्रियाशील हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

***13-श्री विजय मिश्र-**

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश सरकार द्वारा खोले गये गौ-नन्दी आश्रय स्थलों में चारे की कठिनाई विषयक

***14-डॉ0 मन्जू शिवाच-**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा खोले गये गौ-नन्दी आश्रय स्थलों में चारे की कठिनाई को देखते हुए गौशाला क्षेत्र के ग्रामों की एल0एम0सी0 जमीन में इन पशुओं के लिये चारा उगाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी नहीं।

प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थाई गौ-वंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन तथा निराश्रित/बेसहारा गौ-वंश हेतु अस्थाई गौ-वंश आश्रय स्थल विषयक परामर्शी मार्ग-निर्देश क्रमशः शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/ 2018, दिनांक 02 जनवरी, 2019 एवं शासनादेश संख्या-261/सैंतीस-2-2018- 5(53)/ 2018, दिनांक 28-01-2019 द्वारा जारी किया गया है। उक्त शासनादेशों के अन्तर्गत अस्थाई गौ-वंश आश्रय स्थलों में संरक्षित गौ-वंशों हेतु चारे एवं भूसे की व्यवस्था का स्पष्ट प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति बायोमैट्रिक किये जाने के सम्बन्ध में

***15-श्री आजाद अरिमर्दन-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति बायोमैट्रिक प्रणाली के द्वारा दर्ज किये जाने की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों पर टैबलेट आधारित बायोमैट्रिक अटेण्डेन्स सिस्टम की स्थापना/क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था का चयन कर लिया गया है। तत्पश्चात् प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बायोमैट्रिक अटेण्डेन्स प्रणाली की व्यवस्था कराये जाने हेतु राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

***16-श्री उज्जवल रमण सिंह-**

[07बुधवार के तारां0 प्र0 सं0-04 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में दूध तथा दूध से बने खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के सम्बन्ध में

***17-श्री सुखदेव राजभर-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मार्च, 2019 से दिनांक 3-7-2019 तक बिकने वाले दूध तथा दूध से बने खाद्य पदार्थों में मिलावट के कितने प्रकरण सरकार के संज्ञान में आये हैं तथा उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

प्रदेश में मार्च, 2019 से दिनांक 03-07-2019 तक दूध से बने खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु कृत कार्रवाई में कुल 7342 निरीक्षण एवं 1702 छापों में कुल 2068 नमूने संग्रहीत किये गये। उक्त अवधि में प्राप्त कुल 2090 जांच रिपोर्ट में कुल 1450 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाये गये, जिनमें से 1302 नमूने अधोमानक, 72 नमूने मिथ्याछाप/ नियमों के उल्लंघनयुक्त एवं 76 नमूने असुरक्षित प्रकृति की मिलावट वाले पाये गये। शेष नमूने मानक के अनुरूप पाये गये।

मानक के अनुरूप नहीं पाये गये नमूनों से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन कार्रवाई में मा0 न्याय निर्णायक न्यायालय में कुल 1565 वाद दायर किये गये एवं मा0 न्यायिक न्यायालय में 50 वाद दायर किये गये। उक्त अवधि में मा0 न्याय निर्णायक अधिकारी न्यायालय द्वारा 420 वाद निर्णीत कर रु0 1,17,34,500/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। मा0 न्यायिक न्यायालय द्वारा उक्त अवधि में निर्णीत 02 वादों में 02 व्यक्तियों को कारावास एवं रु0 16,000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शहरी व ग्रामीण अंचल में मानकानुसार डाक्टरों की तैनाती के सम्बन्ध में

***18-श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अस्पतालों में डाक्टरों की कमी के कारण समुचित इलाज न मिल पाने से रोगियों की आये दिन मौत हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार रोग एवं रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए शहरी एवं ग्रामीण अंचल के सरकारी चिकित्सालयों में मानक के अनुसार डाक्टरों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

प्रदेश के शहरी अंचलों के जिला चिकित्सालयों में चिकित्सकों के कुल 4411 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 2771 चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं। इसी प्रकार प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में स्थित सरकारी चिकित्सालय (पी0एच0सी0/सी0एच0सी0) में चिकित्साधिकारियों के कुल 9133 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 6169 चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं।

लोक सेवा आयोग द्वारा 2043 चिकित्सकों का चयन किया गया है तथा 1872 की संस्तुति उपलब्ध करा दी गई है।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत पुनर्नियोजन द्वारा 118 सामान्य चिकित्सक व 934 विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की गई है। वॉक-इन-इण्टरव्यू के माध्यम से 689 सामान्य तथा 302 विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की गई है।

उपरोक्तानुसार।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं में सफलता दिलाने हेतु जिला मुख्यालयों पर कोचिंग सेन्टर स्थापित करने के सम्बन्ध में

1-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा संस्थानों में सफलता दिलाने हेतु सरकार जिला मुख्यालयों पर कोचिंग सेन्टर स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी')-

ऐसी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के पशु चिकित्सालयों के समय से न चलने व चिकित्सकों के जनपद से बाहर रहने पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

2-प्रिन्स वीर विक्रम सिंह-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जन-सुनवाई सन्दर्भ सं0-18150190098386, दिनांक 07-10-2019 जो जनपद शाहजहांपुर के सभी पशु चिकित्सालय समय से न खुलने व बन्द होने तथा जनपद के सभी चिकित्सक जनपद से बाहर रहने की जांच के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच दिनांक 17-10-2019 को संयुक्त निदेशक (जांच अधिकारी) तरल नगजन केन्द्र, बरेली द्वारा की गई है ? यदि हां, तो इनमें कौन से अधिकारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

श्री वीर विक्रम सिंह (प्रिंस), मा0 सदस्य, विधान सभा के जन-सुनवाई पोर्टल पर सन्दर्भ संख्या-18150190098386 में प्राप्त शिकायती-पत्र मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल को प्राप्त हुआ।

मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल द्वारा अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, बरेली मण्डल, बरेली को जांच के निर्देश दिये गये। जिस पर अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, बरेली मण्डल, बरेली ने पत्र संख्या-3104-06/स्था0-3/जन-सुनवाई पत्रा0 दिनांक 18-09-2019 द्वारा संयुक्त निदेशक, गायनोकोलॉजिस्ट, बरेली को जांच करने के निर्देश दिये

गये। जांच अधिकारी की जांच आख्या पर अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, बरेली मण्डल, बरेली ने पत्र संख्या-3673/स्था0-3/मा0मु0मं0संदर्भ पत्रा0/2019-20, दिनांक 21-10-2019 द्वारा शिकायत निराधार होने के कारण सक्षम अधिकारी, मा0 मुख्य मंत्री संदर्भ पोर्टल, लखनऊ से शिकायत निस्तारित किये जाने हेतु अनुरोध के क्रम में शिकायत निस्तारित की जा चुकी है। जांच में कोई भी अधिकारी दोषी नहीं पाया गया।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद तिलहर व जलालाबाद के खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन के अधिकारियों द्वारा अवैध धन की उगाही की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में

3-प्रिन्स वीर विक्रम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर मुख्य मंत्री सन्दर्भ सं0-18152190022809, 18206190023558 तथा 18150190103093 पर प्रश्नकर्ता की शिकायत जो जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर तथा जलालाबाद के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों से हर्मा सेम्पिल ना लेने के बदले में अवैध धन की उगाही की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, क्या सरकार बतायेगी कि उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर मुख्य मंत्री सन्दर्भ संख्या-18152190022809, 18206190023558 तथा 18150190103093 में की गई शिकायत की जांच तत्कालीन अभिहित अधिकारी श्री चन्द्र शेखर मिश्रा द्वारा की गई व जांच आख्या आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 को दिनांक 11-07-2019 को प्रेषित की गई, जिसमें कोई आरोप सिद्ध नहीं पाया गया है। प्रकरण में अभिहित अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा जांच आख्या भेजे जाने से पूर्व ही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 के आदेश संख्या-3154 (1-10) एफ0एस0डी0ए0/2019, दिनांक 30-06-2019 द्वारा श्री शम्भू दयाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर को जनपद बदायूं स्थानान्तरित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के विकास क्षेत्र मोहनलालगंज व गोसाईगंज के गांवों में बिना भवन संचालित हो रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण कराये जाने की जानकारी

4-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विकास क्षेत्र मोहनलालगंज व गोसाईंगंज क्षेत्र के मरुई, भौदरी एवं अहमद खेड़ा सहित कई

दर्जन गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र खुले में या किराये अथवा स्कूलों में संचालित किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बिना भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का सर्वे करवाकर उक्त हेतु भवन निर्माण करवाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

बाल विकास परियोजना-मोहनलालगंज एवं गोसाईगंज के अन्तर्गत कोई भी आंगनबाड़ी केन्द्र खुले में संचालित नहीं है।

जनपद लखनऊ की बाल विकास परियोजना मोहनलालगंज के अन्तर्गत कुल 257 केन्द्रों में से 93 आंगनबाड़ी केन्द्र प्राथमिक विद्यालय, 68 आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवन, 29 आंगनबाड़ी केन्द्र पंचायत/सामुदायिक भवन एवं 67 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित हैं। आंगनबाड़ी केन्द्र मरुई, (भौदरी) एवं अहमदखेड़ा प्राथमिक विद्यालय में संचालित है।

बाल विकास परियोजना गोसाईगंज में संचालित 232 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 79 आंगनबाड़ी केन्द्र प्राथमिक विद्यालय, 77 आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवन, 17 आंगनबाड़ी केन्द्र पंचायत/सामुदायिक भवन में एवं 59 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं।

मनरेगा, पंचायती राज एवं आई0सी0डी0एस0 के कन्वर्जेन्स के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण भारत सरकार द्वारा प्राप्त/स्वीकृत बजट के अनुरूप कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में बन्द पड़े महिला चिकित्सालय, प्राथमिक व सामुदायिक अस्पताल के सम्बन्ध में जानकारी

5-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कितने महिला अस्पताल, प्राथमिक एवं सामुदायिक अस्पताल हैं तथा उनमें से कितने ऐसे हैं, जो बन्द हैं ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में महिला चिकित्सालय, कटघर बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त अस्पताल को बन्द करने के क्या कारण हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जनपद आजमगढ़ में कुल सामु0स्वा0 केन्द्र-23, प्राथ0 स्वा0 केन्द्र-71, मण्डलीय जिला चिकित्सालय-01, जिला महिला चिकित्सालय-01, 100 बेड संयुक्त जिला चिकित्सालय-02, 100 बेड मैटरनिटी विंग चिकित्सालय-01, 30 बेड मैटरनिटी विंग-01 संचालित हैं। कोई अस्पताल बन्द नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र लालगंज में महिला चिकित्सालय (पी0पी0 सेन्टर) पर टीकाकरण का कार्य किया जाता है एवं सामु0 स्वा0 केन्द्र लालगंज (कटघर) पर नये अस्पताल स्थापित होने के कारण महिला अस्पताल (पी0पी0 सेन्टर) के समस्त स्टाफ समायोजित कर दिये गये हैं। तब तक स्थानीय व्यवस्था पर उक्त पी0पी0 सेन्टर पर टीकाकरण, कल्याणकारी सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मुख्य मंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ व वाराणसी मण्डल के धार्मिक स्थलों को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में

6-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मुख्य मंत्री पर्यटन संवर्धन योजना लागू है ? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ मण्डल एवं वाराणसी मण्डल की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में किन-किन धार्मिक स्थलों का चयन उक्त योजना के अन्तर्गत किया गया है तथा उक्त चयनित धार्मिक स्थलों को पर्यटन केन्द्र के रूप में कब तक विकसित कर दिया जायेगा ? क्या सरकार उक्त का सूचीवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 नीलकण्ठ तिवारी)-

जी हां।

उक्त योजना के अनतर्गत वर्तमान में आजमगढ़ मण्डल में 19 विधान सभाओं एवं वाराणसी मण्डल में 24 विधान सभाओं हेतु मा0 विधायकों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। स्थलों का अन्तिम चयन/संस्तुति सम्बन्धित मा0 सदस्य, विधान सभा एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जाना है। योजनान्तर्गत सम्बन्धित स्थलों का पर्यटन विकास बजट की उपलब्धता/धनराशि आवंटन के अनुसार ही सम्भव हो सकेगा।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद हापुड़ के एन0एच0-24 पर स्थित रामा हास्पिटल द्वारा उपचार के नाम पर कम पैकेज बताकर अधिक धनराशि वसूली के सम्बन्ध में कार्रवाई की मांग

7-श्री असलम अली-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के एन0एच0-24 पर स्थित रामा हास्पिटल द्वारा उपचार के नाम पर कम पैकेज बताकर आस-पास के गांव से गरीब मरीजों को भर्ती कर लिया जाता है और कम पैकेज से अधिक मरीजों से धनराशि वसूली की जाती है, मरीज द्वारा विरोध करने पर उसके साथ हास्पिटल

स्टाफ द्वारा मार-पीट व बदतमीजी किये जाने की सरकार को जानकारी है ? यदि हां, तो क्या उक्त का संज्ञान लेकर इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हापुड़ द्वारा गठित टीम की जांच में इस प्रकार की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और न ही रामा मेडिकल में स्थापित ग्रिवयांस सेल में कोई शिकायत प्राप्त हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज में आयुष्मान योजना के अन्तर्गत पंजीकृत अस्पतालों की जानकारी

8-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज में आयुष्मान योजना के अन्तर्गत कितने व कौन-कौन से अस्पताल पंजीकृत हैं ?

श्री जय प्रताप सिंह-

आयुष्मान योजना के अन्तर्गत जनपद प्रयागराज में कुल 179 अस्पताल पंजीकृत हैं (सूची संलग्न†)।

जनपद सीतापुर, तहसील महमूदाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निर्मित व अर्द्धनिर्मित अस्पतालों के संचालन के सम्बन्ध में

9-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मीरानगर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाबूपुर, शेखपुर, बेलौली, चांदपुर बाजार, पोखरा कला, अहिबरनपुर, भुडकुडा, मुर्तजानगर, किशुनपुर में निर्मित व अर्द्धनिर्मित अस्पतालों के संचालन की कोई समय-सीमा सरकार तय करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

प्रश्नगत स्वास्थ्य केन्द्र, मीरानगर निर्मित एवं विभाग को हस्तान्तरित है किन्तु उक्त सामु0 स्वा0 केन्द्र हेतु पदों का सृजन एवं उपकरण व साज-सज्जा को उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द, बाबूपुर, बिलौली बाजार (शेखपुर), चांदपुर (चांदपुर बाजार), पोखराकला, अहिबरनपुर, भुडकुडा, पुलिया मुर्तजानगर, किशुनपुर (किशुनपुर)

† देखिये नत्थी (ख) का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 240-245 पर।

का निर्माण अभी अपूर्ण है जिनका हस्तान्तरण कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पूर्ण कराकर विभाग को हस्तगत कराने पर संचालन सम्बन्धी कार्रवाई की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के होम्योपैथिक विभाग में निदेशक के दो पद सृजित करने के सम्बन्ध में

10-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आयुर्वेदिक विभाग में निदेशक के दो पद हैं ? क्या सरकार होम्योपैथिक विभाग में कार्यों की अधिकता के दृष्टिगत दो निदेशक (एक चिकित्सा एवं एक स्वास्थ्य) को सृजित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जी नहीं।

होम्योपैथी विभाग में वर्तमान में संचालित 09 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों तथा 1576 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के पर्यवेक्षण हेतु राज्य स्तर पर होम्योपैथिक निदेशालय स्थापित है, जिसमें निदेशक के 01, अपर निदेशक के 02, संयुक्त निदेशक व उप निदेश्का के क्रमशः 04-04 पद भी सृजित होने के साथ ही वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी व सहायक लेखाधिकारी के 01-01 पद भी सृजित हैं। इसके अतिरिक्त निदेशालय में आवश्यकतानुसार अन्य संवर्ग के पद भी सृजित हैं। होम्योपैथी विभाग में वर्तमान कार्यों के दृष्टिगत उसके सम्पादन हेतु 01 निदेशक ही पर्याप्त है। इस प्रकार विभाग में निदेशक का 01 अतिरिक्त पद की आवश्यकता न होते हुए भी सृजित किये जाने से राजकोष पर अनावश्यक व्यय भार पड़ेगा और शासकीय धनराशि अपव्यय होगी।

प्रभारी चिकित्साधिकारी जिला कारागार, शाहजहांपुर के विरुद्ध शिकायत की जांच के सम्बन्ध में

11-प्रिन्स वीर विक्रम सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री पोर्टल संदर्भ सं0-18152180240202 एवं 18150180240193 जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, जिला कारागार, शाहजहांपुर के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त के क्रम में महानिदेशक, चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 शासन ने मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर को जांच हेतु आदेशित किया है ? यदि हां, तो क्या जांचकर्ता ने प्रश्नकर्ता से साक्ष्य लेकर जांच कार्य पूर्ण कर लिया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उपरोक्त जांच अपने स्तर से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

जी हां।

जांच अधिकारी द्वारा जिला कारागार, शाहजहांपुर के बन्दियों के बयानों के आधार पर जांच की कार्रवाई पूर्ण की गई जिसमें उक्त शिकायत प्रमाणित नहीं पाई गई।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला सम्भल व मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी के ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं से फसलों की बर्बादी व नुकसान रोकने हेतु पशुओं को संरक्षित करने के सम्बन्ध में

12-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-सम्भल व मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी में ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं से फसलों की बर्बादी या कृषकों का नुकसान रोकने हेतु क्षेत्र में उपलब्ध नदी, झील व बंजर आदि सार्वजनिक उपयोग की भूमि को संरक्षित क्षेत्र बनाकर उक्त पशुओं को वहाँ भेजने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी में ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं से फसलों की बर्बादी व कृषकों का नुकसान रोकने हेतु ग्राम भूड़मरेसी, विकास खण्ड बिलारी में अस्थाई गौ-आश्रय स्थल तथा ग्राम स्योडारा, वि0ख0 बिलारी में कांजी हाउस अस्थाई गौ-आश्रय स्थल के रूप में संचालित है, जिसमें निराश्रित/बेसहारा गौ-वंश को संरक्षित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त एक पंजीकृत गौ-शाला श्री बलप्रदा जन सेवा संस्थान, ग्राम भिड़वारी विकास खण्ड बिलारी मे संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कासिमपुर रोड, छेरत, अलीगढ़ में अनियमितताओं के आई0जी0आर0एस0 सं0-18143190068288, दिनांक 15-07-2019 पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

13-श्री दलवीर सिंह-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक-207/भाजपा/वि0म0द0/2019, दिनांक 09-07-2019 जो नवनिर्मित राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कासिमपुर रोड, छेरत, अलीगढ़ में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के आदेश संख्या-आई0जी0आर0एस0-18143190068288, दिनांक 15-07-2019 के क्रम में क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मा0 सदस्य के पत्रांक-207/भाजपा/वि0म0द0/2019, दिनांक 09-07-2019 में प्राचार्य, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कासिमपुर रोड, छेरत, अलीगढ़ के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच हेतु मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया जा चुका है। जांच आख्या प्राप्त होने पर यथास्थिति कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध लखनऊ मण्डल में 20 से अधिक वर्षों से तैनात रा0सं0 चिकित्सालय, ठाकुरगंज, लखनऊ के लैब टेक्नीशियन को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने विषयक

14-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानान्तरण नीति के विपरीत लखनऊ मण्डल में बीस वर्ष से अधिक समय से तैनात राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, ठाकुरगंज, लखनऊ के लैब टेक्नीशियन द्वारा कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध आये दिन फर्जी, अनावश्यक शिकायतें कर उन्हें ब्लैकमेल करने तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने विषयक मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई का पत्रांक-मु0चि0अ0/एल0टी0/2016-17/5385, दिनांक 06 जनवरी, 2017 महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

जांच प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

लैब टेक्नीशियन संवर्ग की स्थानान्तरण नीति के अनुसार अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

15-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत लैब टेक्नीशियन संवर्ग की स्थानान्तरण नीति क्या है ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध लखनऊ मण्डल में बीस वर्ष से अधिक समय से तैनात राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, ठाकुरगंज, लखनऊ के सीनियर लैब टेक्नीशियनों को अन्यत्र मण्डल में स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

पैरामेडिकल संवर्ग की स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेश संख्या-772/पांच-7-2018, दिनांक 27 जून, 2018 में पैरामेडिकल संवर्ग के कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निम्नवत् प्राविधान है :-

1-(क) पैरामेडिकल संवर्ग के कार्मिकों के एक चिकित्सालय/औषधालयों में एक पटल पर कार्य करते हुए 03 वर्ष पूर्ण होने पर पटल परिवर्तन, एक जनपद में 07 वर्ष पूर्ण होने पर जनपद से बाहर तथा एक मण्डल में 10 वर्ष पूर्ण होने की स्थिति में अन्यत्र मण्डल में स्थानान्तरित किया जायेगा।

जी हां।

राजकीय संयुक्त चिकित्सालय ठाकुरगंज, लखनऊ में तैनात वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ, श्री राजेन्द्र सिंह को शासनादेश संख्या-88/पांच-7-2020, दिनांक 18-02-2020 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी के अधीन स्थानान्तरित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला महिला चिकित्सालय, बाराबंकी के लैब टेक्नीशियन का स्थानान्तरण जिला संयुक्त चिकित्सालय, सोनभद्र किये जाने के सम्बन्ध में

16-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला महिला चिकित्सालय, बाराबंकी के लैब टेक्नीशियन का स्थानान्तरण जिला संयुक्त चिकित्सालय, सोनभद्र किये जाने विषयक महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 का पत्र संख्या-4डी (2)/4609/2000/169, दिनांक 15 जनवरी, 2015, विशेष सचिव, चिकित्सा अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

शासन के अभिलेखानुसार सन्दर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग की नीति के अनुरूप कर्मचारियों/अधिकारियों को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

17-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग की स्थानान्तरण नीति के अनुसार कोई भी कर्मचारी एवं अधिकारी एक केन्द्र पर अधिकतम कितने वर्ष तक तैनात रह सकता है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, माधौगंज, कछौना, सण्डीला एवं बेंहदर में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी स्थानान्तरण नीति के विपरीत तैनात हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के विपरीत तैनात कर्मचारियों/अधिकारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

लिपिक संवर्ग (कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी) के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2072/सेक-2-पांच-19-4(79)/2008, दिनांक 17-06-2019 के द्वारा संवर्ग के कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार लिपिक संवर्गीय कार्मिकों को पटल पर कार्य करते हुए 03 वर्ष एक कार्यालय में, 05 वर्ष एक जनपद में, 07 वर्ष तथा मण्डल में 10 वर्ष कार्यरत होने की स्थिति में मण्डल के बाहर जनपदों में स्थानान्तरित किये जाने एवं पूर्व तैनाती के जनपद में वापसी 15 वर्ष पश्चात् किये जाने की व्यवस्था है।

उक्त स्थानान्तरण नीति में निर्धारित अवधि में अधिक समय से कार्यरत जनपद हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र माधौगंज में श्री हरि प्रकाश सिंह, वरिष्ठ सहायक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेंहदर में कार्यरत श्री राम कुमार, वरिष्ठ सहायक व श्रीमती रानी कोरी, कनिष्ठ सहायक को स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरित किये जाने का निर्देश निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को दे दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बस्ती के जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट व नेत्र चिकित्सक की तैनाती के सम्बन्ध में

18-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट तथा नेत्र चिकित्सक न होने के कारण मरीजों को अल्ट्रासाउण्ड तथा नेत्र परीक्षण आदि की चिकित्सा में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला अस्पताल बस्ती में रेडियोलॉजिस्ट एवं नेत्र चिकित्सक की नियुक्ति कराकर मरीजों को उक्त इलाज की सुविधा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जिला चिकित्सालय, बस्ती में नेत्र रोग विशेषज्ञ तथा रेडियोलॉजिस्ट के पद पर एक-एक चिकित्सक तैनात किये गये थे। प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बस्ती द्वारा पत्र दिनांक 11-02-2020 के अनुसार उक्त दोनों चिकित्सकों में से एक चिकित्सक नवम्बर, 2019 से तथा एक चिकित्सक माह जनवरी, 2020 से पृथक-पृथक कारणों से अनुपस्थित चल रहे हैं।

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति कराये जाने हेतु लोक सेवा आयोग को प्रेषित अधियाचन के सापेक्ष 1872 चिकित्सकों की संस्तुतियां प्राप्त हुई हैं। लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति/तैनाती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तैनाती के समय चयनित विशेषज्ञ चिकित्सकों को यथावश्यकता रिक्त पदों के सापेक्ष तैनात किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में साऊंघाट ब्लाक बढ़या राजा में स्वास्थ्य उपकेन्द्र की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

19-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में साऊंघाट को ब्लाक बढ़या राजा में स्वास्थ्य उप केन्द्र का भवन जर्जर होने तथा ए0एन0एम0 के उपकेन्द्र पर उपस्थिति न होने के कारण गर्भवती महिलाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार साऊंघाट, ब्लाक बढ़या राजा में स्वास्थ्य उप केन्द्र के भवन का मरम्मत कराकर ए0एन0एम0 की उपस्थिति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

उपकेन्द्र भवन मरम्मत योग्य है। उपकेन्द्र की ए0एन0एम0 क्षेत्र में उपस्थित होकर अपना कार्य नियमित रूप से करती हैं।

जिले द्वारा मरम्मत कार्यों के आगणन प्राप्त होने पर नियमानुसार बजट स्वीकृत कराकर मरम्मत का कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी के ग्राम स्योंडारा से तथा जिला सम्भल के ग्राम बलकरनपुर के आस-पास के गम्भीर रागियों के इलाज के सम्बन्ध में

20-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादबाद के बिलारी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम स्योंडारा के क्षेत्र में एच0आई0वी0 पॉजिटिव तथा ग्राम बलकरनपुर जिला संभल के क्षेत्र में हेपेटाइटिस-सी एवं एच0आई0वी0 पॉजिटिव रोगी मिलने के कारणों की जांच कराने और इलाज का समुचित प्रबन्ध सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

जनपद मुरादाबाद में उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा 03 स्टैण्ड एलोन आई0सी0टी0सी0 केन्द्र, जिला चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठाकुरद्वारा में संचालित है, जिसमें 01 परामर्शदाता एवं 01 लैब टेक्नीशियन की (प्रति केन्द्र) नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 09 एफ0आई0सी0टी0सी0 केन्द्र क्रियाशील हैं तथा स्थाई/अस्थाई लैब टेक्नीशियन/ए0एन0एम0 द्वारा एच0आई0वी0 स्क्रीनिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर गर्भवती महिलाओं की एच0आई0वी0 स्क्रीनिंग की सुविधा भी उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह अप्रैल, 2019 से जनवरी, 2020 तक समस्त आई0सी0टी0सी0/एफ0आई0सी0टी0सी0 केन्द्रों पर कुल 67,017 व्यक्तियों की एच0आई0वी0 जांच हुई, जिसमें से 386 व्यक्ति एच0आई0वी0 पॉजिटिव पाये गये। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलारी में 2446 व्यक्तियों की जांच उपरान्त 09 व्यक्ति रियेक्टिव पाये गये जिन्हें स्टैण्ड एलोन आई0सी0टी0सी0 केन्द्रों पर पुष्टि हेतु सन्दर्भित किया गया तथा नियमानुसार समस्त एच0आई0वी0 पॉजिटिव व्यक्तियों को ए0आर0टी0 केन्द्र पर सन्दर्भित किया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलारी स्टैण्ड एलोन आई0सी0टी0सी0 केन्द्र बनाये जाने की प्रक्रिया में है।

जनपद सम्भल में उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा 01 स्टैण्ड एलोन आई0सी0टी0सी0 केन्द्र जिला संयुक्त चिकित्सालय में संचालित है, जिसमें 01 परामर्शदाता एवं 01 लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 13 एफ0आई0सी0टी0सी0 केन्द्र क्रियाशील हैं तथा स्थाई/अस्थाई लैब टेक्नीशियन/ए0एन0एम0 द्वारा एच0आई0वी0 स्क्रीनिंग का कार्य किया जा रहा है। समस्त आई0सी0टी0सी0/एफ0आई0सी0टी0सी0 केन्द्रों पर एच0आई0वी0 जांच निःशुल्क तथा गोपनीयता बनाये रखते हुए की जाती है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर गर्भवती महिलाओं की एच0आई0वी0 स्क्रीनिंग की सुविधा भी उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह अप्रैल, 2019 से जनवरी, 2020 तक समस्त आई0सी0टी0सी0/एफ0आई0सी0टी0सी0 केन्द्रों पर कुल 82,779 व्यक्तियों की एच0आई0वी0 जांच हुई जिसमें से 61 व्यक्ति एच0आई0वी0 पॉजिटिव पाये गये जिन्हें नियमानुसार ए0आर0टी0 केन्द्र पर सन्दर्भित किया गया।

इसके अतिरिक्त जनपद मुरादाबाद एवं सम्भल में संचालित जिला चिकित्सालयों (महिला एवं पुरुष)/जिला संयुक्त चिकित्सालय की सामान्य लैब में एच0आई0वी0 स्क्रीनिंग की सुविधा हेतु एफ0आई0सी0टी0सी0 की स्थापना की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-2222, दिनांक 13-06-19 जो जनपद शाहजहांपुर केन्द्र तिलहर के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा कराये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में

21-प्रिन्स वीर विक्रम सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-2222, दिनांक 13-06-2019 जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा कराये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में है, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

उक्त विषय से सम्बन्धित-पत्र संख्या-2233, दिनांक 13-06-2019 प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त वर्णित पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली व मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा अलग-अलग कराई गई, जिसमें तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक,, डा0 उपेन्द्र कुमार द्वारा पेड़ों की

नीलामी की प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार न करने के कारण उन्हें तत्काल चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिलहर के पद से हटा दिया गया एवं उनकी वर्ष 2019-20 की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हापुड़ की यू0पी0एस0आई0डी0सी0 फेस-3, सी-1 में रोहतास कोल्ड ड्रिंक प्रा0 लि0 कम्पनी ने एफ0एस0एस0ए0आई0 में पंजीकरण कराने, पेय पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कराने विषयक

22-श्री असलम अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ की यू0पी0एस0आई0डी0सी0, फेस-3, सी-1 में रोहतास कोल्ड ड्रिंक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी ने एफ0एस0एस0ए0आई0 में कब से पंजीकृत है तथा कुल कितने पेय पदार्थ निर्माण कर रही है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कम्पनी के पेय पदार्थों के गुणवत्ता की जांच सरकार ने कब कराई तथा उक्त जांच में पदार्थों के नमूने का परिणाम क्या आया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद हापुड़ की यू0पी0एस0आई0डी0सी0 फेस-3, सी-1 में रोहतास कोल्ड ड्रिंक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी ने एफ0एस0एस0ए0आई0 में पंजीकृत है जिसकी लाइसेंस संख्या-12719073000065 है। जिसकी जारी तिथि 23-04-2019 है और जो दिनांक 22-04-2020 तक वैध है। फैक्टरी को कॉर्बोनेटेड वाटर बनाना था लेकिन फैक्ट्री ट्रायल पर चली परन्तु अप्रैल, 2019 से ही यह फैक्ट्री वर्तमान समय तक बन्द चल रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

23-श्री राकेश प्रताप सिंह-

[02 बुधवार के अता0प्र0 सं0-160 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों की वास्तविक दुग्ध लागत व दूध का प्रति लीटर मूल्य दो गुना करने पर विचार विषयक

24-श्री प्रतीक भूषण सिंह-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसान को शुद्ध दुग्ध उत्पादन करने की वास्तविक लागत को दोगुनी करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विभिन्न दुग्ध संघों के माध्यम से क्रियान्वित दुग्ध सहकारी समितियों के दुग्ध उत्पादक किसानों द्वारा उत्पादित दूध पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत गुवत्ता के आधार पर समुचित दुग्ध मूल्य भुगतान के उपरान्त दूध क्रय किये जाने की व्यवस्था है।

जनपद सहारनपुर व शामली में नये आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु पोर्टल के खोले जाने विषयक

25-श्री नाहिद हसन-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर व शामली में नये आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु पोर्टल सरकार कब तक शुरू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर व शामली में सम्मिलित लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड निरन्तर बनाये जा रहे हैं।

योजना से छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिये जाने हेतु सर्वे कराकर मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना अभियान के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर में 22087 एवं जनपद शामली में 8491 लाभार्थी परिवारों को जोड़ा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में छपरौली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रमाला में पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 में डाक्टरों की नियुक्ति व आवश्यक उपकरणों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

26-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रमाला में पी0एच0सी0 तथा टीकरी में सी0एच0सी0 में डाक्टरों की कमी और आवश्यक चिकित्सीय उपकरण न होने से मरीजों का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 में डाक्टरों की नियुक्ति व जरूरी उपकरणों की पूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र के रमाला में स्थापित पी0एच0सी0 क्रियाशील की जा चुकी है, जिसमें मानकानुसार चिकित्साधिकारी एवं पैरामेडिकल स्टाफ तैनात हैं तथा उपलब्ध संसाधनों एवं उपकरणों से मरीजों को समुचित इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है।

शासन के पत्र संख्या-73/पांच-1-2020-4(1)/2018, दिनांक 13-02-2020 द्वारा जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र के कस्बा टीकरी में स्थापित सी0एच0सी0 को क्रियाशील किये जाने की कार्रवाई की जा चुकी है। स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत आवश्यक चिकित्सा अधिकारियों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती कर चिकित्सीय सेवायें प्रदान की जा रही हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में पशुओं के खुराक भत्ते को बढ़ाने के सम्बन्ध में

27-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के अन्तर्गत गांवों में पशुओं के भरण-पोषण के लिए पंचायत स्तर पर प्रति पशु रुपये 30 प्रतिदिन में पशुओं के चारे का इन्तजाम नहीं हो पता है। ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त धनराशि को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी नहीं।

लागू नहीं होता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना के ग्राम मन्ना माजरा, गोगवान, खुर्गान, मसुरा आदि में यूनानी डिस्पेंसरी/हास्पिटल का निर्माण विषयक

28-श्री नाहिद हसन-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष में यूनानी पद्धति से इलाज कराने हेतु कुल कितने ग्रामों में यूनानी डिस्पेंसरी हास्पिटल का निर्माण कराया गया है ? क्या सरकार जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना के ग्राम मन्ना माजरा, गोगवान, खुर्गान, मसुरा के ग्रामवासियों को यूनानी चिकित्सा पद्धति उपलब्ध कराने के लिए उपरोक्त ग्रामों में यूनानी अस्पताल/डिस्पेंसरी का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

चालू वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्राम में यूनानी डिस्पेंसरी/हास्पिटल का निर्माण नहीं कराया गया है।

यूनानी विभाग के अन्तर्गत 10 राजकीय यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना हेतु नई मांग के माध्यम से प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया गया है। बजट व्यवस्था होने पर निर्माण कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के लोगों को विभिन्न धर्म स्थलों की यात्रा पर दिये जाने वाले अनुदान या सहायता हेतु बजट के प्रावधान की जानकारी के सम्बन्ध में

29-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या धर्मार्थ कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार की ओर से कैलाश मानसरोवर यात्रा और सिंधु दर्शन आदि सहित किन-किन धर्मों के धर्मस्थलों की यात्रा हेतु प्रति यात्री कितना अनुदान या आर्थिक सहायता दी जाती है ? क्या सरकार बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में कितने बजट का प्रावधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नीलकण्ठ तिवारी-

प्रदेश सरकार द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा, सिन्धु दर्शन यात्रा हेतु अनुदान/आर्थिक सहायता क्रमशः प्रति व्यक्ति रु0 1.00 लाख एवं रु0 20.00 हजार प्रदान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु रु0 550.00 लाख एवं सिन्धु दर्शन हेतु यात्रा रु0 10.00 लाख का बजट प्राविधान एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु रु0 8.00 लाख एवं सिन्धु दर्शन हेतु यात्रा रु0 10.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में 2011 की एस0ई0सी0सी0 डाटा में आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने से वंचित पात्र नागरिकों को कार्ड जारी करने के सम्बन्ध में

30-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में 2011 की एस0ई0सी0सी0 डाटा में नाम न होने के कारण कतिपय पात्र नागरिक आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने से वंचित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन वंचित नागरिकों का व्यापक सर्वेक्षण कराते हुए पात्रता के आधार पर आयुष्मान कार्ड जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

जनपद फिरोजाबाद में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 2011 की एस0ई0सी0सी0 डाटा में नाम न होने के कारण 8671 पात्र नागरिक आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने से वंचित पाये गये। इन्हें मुख्य मंत्री जन आरोग्य अभियान के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र धौलाना के यू0पी0एस0आई0डी0सी0 एम0जी0 शेखुपुरा खिचड़ा रोड स्थित सतगुरु इण्टरप्राइजेज का पंजीकरण एफ0एस0एस0ए0 में होने व पेय पदार्थों की गुणवत्ता जांच विषयक

31-श्री असलम अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र धौलाना के यू0पी0एस0आई0डी0सी0एम0जी0 शेखुपुरा खिचड़ा रोड पर स्थित सतगुरु इण्टरप्राइजेज जी 464, 465, 466 फेस दो का पंजीकरण एफ0एस0एस0ए0 में है ? यदि हां, तो कब से ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त फर्म द्वारा कुल कितने पेय पदार्थ का निर्माण हो रहा है और पेय पदार्थ की गुणवत्ता की जांच सरकार ने अन्तिम बार कब करायी थी तथा जांच के क्या परिणाम आये थे ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र धौलाना के यू0पी0एस0आई0डी0सी0 एम0जी0 शेखुपुरा खिचड़ा रोड स्थित सतगुरु इण्टरप्राइजेज जी 464, 465, 466 फेस दो का पंजीकरण एफ0एस0एस0 एक्ट में है जिसकी लाइसेंस संख्या-10012051000104 है। जारी तिथि 16-05-2017 एवं वैधता तिथि 15-05-2022 तक है। उक्त फर्म द्वारा सिटी कोला, किंग सिटी कोला, किंग आरेंज, किंग सिटी प्राइड, किंग सिटी लेमन, सिटी वज्ज, ब्राण्ड नाम से स्वीटेन्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक तथा किंग सिटी ब्राण्ड सोडा एवं किंग सिटी ब्राण्ड पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर कुल 08 पेय पदार्थों का विनिर्माण किया जा रहा है। उक्त फर्म से किंग सिटी प्राइड, किंग सिटी कोला एवं किंग सिटी ब्राण्ड पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर तथा किंग सिटी लेमन का एक-एक नमूना अर्थात् कुल 04 नमूने विशुद्ध तथा किंग सिटी लेमन का 01 नमूना विनियम का उल्लंघनयुक्त पाया गया। विनियम के उल्लंघनयुक्त 01 नमूने से सम्बन्धित वाद मा0 न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी, हापुड़ के न्यायालय में दायर किया गया था, जिस पर निर्णय पारित करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा रु0 25,000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। उक्त फर्म पर दिनांक

11-02-2020 को अन्तिम बार कार्रवाई की गई है, जिसमें सिटी वज्ज का 01 नमूना संग्रहीत कर जांच हेतु प्रेषित किया गया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत कार्यरत आयुष चिकित्सक (संविदा) को रिजवी कमेटी द्वारा तय मानदेय व अन्य सुविधायें दिये जाने की जानकारी

32-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत आयुष चिकित्सक (संविदा) को रिजवी कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर मानदेय एवं अन्य सुविधायें दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार संविदा पर प्रदेश सरकार द्वारा तैनात आयुष चिकित्सकों को भी रिजवी कमेटी की संस्तुति के अनुरूप सभी सुविधायें देगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

वेतन समिति (2008) के माध्यम से मानदेय/नियत वेतन/संविदा कर्मचारियों के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-वे0आ0-2-562/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 30 अगस्त, 2013 द्वारा राजकीय विभागों में संविदा पर नियुक्त कार्मिकों पर लागू किये गये हैं, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-पी-17020/19/2017-एन0एच0एम0-IV, दिनांक 13 जुलाई, 2017 के आलोक में मेनस्ट्रीमिंग आफ आयुष कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में संविदा आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति के अधीन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य कार्य योजना में स्वीकृत मानदेय के आधार पर की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

आयुष पद्धति को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में महाप्रबन्धक (आयुष) के पद पर आयुष चिकित्साधिकारियों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में

33-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुष पद्धति को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में महाप्रबन्धक (आयुष) के पद पर आयुष चिकित्सा की पूर्ण जानकारी वाले किसी आयुष चिकित्साधिकारी को नियुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत आयुष अनुभाग में पूर्णकालिक महाप्रबन्धक (आयुष) का पद भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु स्वीकृत है, जिस पर उत्तर

प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04-06-2019 द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में तैनात संयुक्त निदेशक (डा0 रामजी वर्मा) को महाप्रबन्धक (आयुष) राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ के पद का कार्यभार निर्वहन करने हेतु सम्बद्ध किया गया है। महाप्रबन्धक (आयुष), उप महाप्रबन्धक (आयुष) के पद पर नियुक्ति हेतु बी0एच0एम0एस0/बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0 अनिवार्य अर्हता एवं अनुभव निर्धारित है। उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा विज्ञापन दिनांक 05-01-2020 को प्रकाशित किया गया जिसमें प्रतिनियुक्ति/ओपेन मार्केट के माध्यम से निर्धारित अर्हतानुसार भर्ती किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में आयुष्मान योजना में अस्पतालों के पंजीकरण व योजना में लापरवाही व धांधली के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के सम्बन्ध में

34-श्री दलवीर सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में आयुष्मान योजना के अन्तर्गत कितने अस्पताल पंजीकृत हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद के किन-किन अस्पतालों के खिलाफ आयुष्मान योजना में लापरवाही व धांधली की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

आयुष्मान योजना के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में 36 निजी चिकित्सालय एवं 17 राजकीय चिकित्सालय सहित कुल 53 चिकित्सालय पंजीकृत हैं।

आयुष्मान योजना के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में कुल 10 चिकित्सालयों के खिलाफ लापरवाही/धांधाली की 46 शिकायतें सी0जी0आर0एम0एम0 पोर्टल से प्राप्त हुई हैं।

समस्त शिकायतें जनपद स्तर पर प्राप्त हुई हैं, जिन्हें समयान्तर्गत निस्तारित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में गरीब पशुपालकों, निर्बल वर्गों व भूमिहीन श्रमिकों को जीविकोपार्जन हेतु पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में जानकारी

35-डॉ0 आर0के0 वर्मा-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीब पशुपालकों, निर्बल वर्गों एवं भूमिहीन श्रमिकों के जीविकोपार्जन हेतु पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

प्रदेश में गरीब पशुपालकों, निर्बल वर्गों एवं भूमिहीन श्रमिकों के जीविकोपार्जन हेतु पशुपालकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सुविधायें प्रदान की जा रही हैं :-

1-पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेला/शिविर (मण्डल स्तर/विकास खण्ड स्तर),

2-कृत्रिम गर्भाधान योजना,

3-गायों एवं भैसों में अनुवर्रता एवं बांझपन निवारण योजना,

4-सेंक्स्ड सार्टेड योजना द्वारा नसल सुधार कार्यक्रम,

5-बधियाकरण,

6-कामधेनु/मिनी कामधेनु/माइक्रो कामधेनु योजना।

अच्छी नस्ल के पशुओं में 5044 विभागीय संस्थाओं के माध्यम से तथा 5048 पैरावेट्स एवं बायफ संस्था के केन्द्रों के सहयोग से कृत्रिम गर्भाधान योजनान्तर्गत अच्छी नस्ल के गोवंशीय पशुओं यथा होलिस्टन फ्रीजियन, जर्सी, साहीवाल, गंगातीरी, हरियाना एवं धारपारकर एवं महिषवंशीय पशुओं यथा मुर्रा, भदावरी प्रजाति के उच्च गुणवत्तायुक्त सांड़ों के वीर्य से मादा पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कराकर उच्च गुणवत्ता/उत्पादक क्षमता की संतति उत्पन्न की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-166/2018, दिनांक 13-11-2018 जनपद शाहजहांपुर के औषधि निरीक्षक द्वारा फर्जी मेडिकल स्टोरों को रिश्वत लेकर चलाये जाने, अवैध लाइसेंस व अवैध दवाई लिखवाने वाले पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

36-प्रिन्स वीर विक्रम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-166/2018,दिनांक 13-11-18 जन-सुनवाई सन्दर्भ 18150180223834 जो जनपद शाहजहांपुर के औषधि निरीक्षक द्वारा फर्जी मेडिकल स्टोरों को रिश्वत लेकर चलवाये जाने के सम्बन्ध में है, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के क्रम में आयुक्त, औषधि बरेली मण्डल, बरेली के द्वारा जनपद शाहजहांपुर में करीब 5 मेडिकल स्टोर के फर्जी लाइसेन्स पकड़े गये ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि सहायक आयुक्त, औषधि बरेली मण्डल द्वारा 4,27,500 रु0 की औषधियां सीज कर चार लाइसेन्स धारकों पर एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी ? यदि हां, तो इसमें अवैध लाइसेंस चलवाने तथा अवैध दवाई लिखवाने वाले औषधि निरीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उक्त जन-सुनवाई सन्दर्भ 18150180223834 के क्रम में सहायक आयुक्त (औषधि), बरेली मण्डल, बरेली की रिपोर्ट दिनांक 09-08-2019 के अनुसार औषधि निरीक्षक, शाहजहांपुर द्वारा जनपद शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्र में दो औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों के निरीक्षण किये गये, जिनके पास वैध औषधि लाइसेंस पाये गये तथा अन्य क्षेत्र जलालाबाद में छापे की कार्रवाही की गई, जिसमें एक औषधि विक्रय प्रतिष्ठान बिना वैध लाइसेंस के पाया गया, जिसके विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की गई तथा लगभग 53,050/- की औषधियां सीज की गईं। उक्त जन-सुनवाई सन्दर्भ के क्रम में सहायक आयुक्त (औषधि), बरेली मण्डल, बरेली की रिपोर्ट दिनांक 09-08-2019 के अनुसार औषधि निरीक्षक, शाहजहांपुर की तैनाती की तिथि से उपरोक्त पत्र की तिथि तक बिना लाइसेंस धारकों पर 04 एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई तथा 03 परिवाद मा0 सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं।

उक्त छापे में लगभग रु0 4,27,050/- मूल्य की औषधियां सीज की गईं। औषधि निरीक्षक, शाहजहांपुर द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अवैध औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त पूर्व में भी सहायक आयुक्त (औषधि), बरेली मण्डल, बरेली द्वारा औषधि निरीक्षक, शाहजहांपुर को छोड़कर मण्डल के अन्य जनपदों के औषधि निरीक्षकों की टीम बनाकर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में दिनांक 05-03-2018 से 06-03-2018 तक मेडिकल स्टोरों की रैण्डमली जांच कराई गई, जिसमें उक्त सभी मेडिकल स्टोर के लाइसेंस वैध पाये गये।

प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-18150180240193 जिला कारागार, शाहजहांपुर के विरुद्ध जांच के सम्बन्ध में जानकारी

37-प्रिन्स वीर विक्रम सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री सन्दर्भ सं0-18150180240193 जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, जिला कारागार, शाहजहांपुर के विरुद्ध जांच के सम्बन्ध में था, महानिदेशक, चिकित्सालय स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को दिनांक 04-09-19 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में जांच अधिकारियों ने प्रश्नकर्ता से बिना साक्ष्य लिये जांच कार्य पूर्ण कर दी ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नकर्ता से साक्ष्य लेकर जांच कार्य पूर्ण कराने के पुनः आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

जांच अधिकारी द्वारा जिला कारागार शाहजहांपुर के बन्दियों के बयानों के आधार पर जांच की कार्रवाई पूर्ण की गई, जिसमें उक्त शिकायत प्रमाणित नही पाई गई।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर मरीजों की जांच/खून की जांच की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में

38-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के किसी भी सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर मरीजों के जांच अथवा खून की जांच की व्यवस्था न होने के कारण मरीजों को जिला अस्पताल पर जांच हेतु भेजे जाने से जिला अस्पताल में जांच रिपोर्ट मिलने में अधिक समय लग जाने से मरीजों के इलाज में देरी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के सी0एच0सी0/ पी0एच0सी0 पर मरीजों के खून आदि जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भानपुर, रुधौली एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सल्टौवा, जनपद बस्ती में पैथलॉजी लैब क्रियाशील है। वहाँ पर क्रमशः सर्वश्री शेषमणि, एस0एल0टी0, राकेश धर दूबे, एल0टी0 एवं गयासुद्दीन दूबे, एल0टी0 एवं राकेश चौधरी, एल0टी0 तैनात हैं। इनके द्वारा नियमतः पैथालॉजी लैब का कार्य सुगमता पूर्वक किया जा रहा है। चिकित्सालय में उपलब्ध सभी जांचें निःशुल्क हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विधवा पेंशन की किस्तों को प्रमुख त्योहारों से पहले जारी करने के सम्बन्ध में जानकारी

39-श्री मनीष असीजा-

क्या महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विधवा पेन्शन की किस्तों को प्रमुख त्योहारों होली/रक्षाबन्धन/दीपावली से पहले जारी कराये जाने की अनिवार्य व्यवस्था कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि का भुगतान 04 तिमाहियों में, प्रथम तिमाही माह अप्रैल में (अप्रैल, मई, जून), द्वितीय तिमाही माह जुलाई में (जुलाई, अगस्त, सितम्बर), तृतीय तिमाही माह अक्टूबर में (अक्टूबर,

नवम्बर, दिसम्बर), चतुर्थ तिमाही माह जनवरी में (जनवरी, फरवरी, मार्च) में किये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राष्ट्रीय बाल चिकित्सा कल्याण, आर0बी0एस0के0 योजना के अन्तर्गत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क इलाज कराये जाने व जनपद फिरोजाबाद में पात्रों की संख्या आदि के सम्बन्ध में

40-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय बाल चिकित्सा कल्याण आर0बी0एस0के0 योजना के अन्तर्गत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले (18 वर्ष से नीचे) का निःशुल्क इलाज कराया जाता है ? यदि हां, तो जनपद फिरोजाबाद में आर0बी0एस0के0 योजना के अन्तर्गत पात्र बच्चों की कितनी संख्या है एवं वर्ष 2019-20 में दिनांक 27-01-2020 तक कितने बच्चों का इस योजना के अन्तर्गत निःशुल्क इलाज कराया गया है ? क्या सरकार उक्त का तहसील/ब्लाकवार स्तर पर विवरण सदन के पटल पर उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

जनपद फिरोजाबाद में आर0बी0एस0के0 योजना के अन्तर्गत पात्र बच्चों की कुल संख्या 9534 है एवं वर्ष 2019-20 में दिनांक 27-01-2020 तक कुल 8330 बच्चों का निःशुल्क इलाज कराया गया है।

हां। विवरण संलग्न† है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

घरेलू हिंसा कानून के तहत प्रोटेक्शन अधिकारी तैनात करने एवं सुलझाये गये मामलों के सम्बन्ध में जानकारी

41-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घरेलू हिंसा कानून के तहत कितने पुरुष और महिला प्रोटेक्शन ऑफिसर सरकार द्वारा तैनात किये गये हैं ? क्या उक्त कानून के तहत जिलेवार सुलझाये गये मामलों का ब्यौरा सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† देखिये नत्थी (ग) का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 246 पर।

श्रीमती स्वाती सिंह-

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रदेश में वर्तमान में 49 पुरुष एवं 26 महिला संरक्षण अधिकारी तैनात किये गये हैं।

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सुलझाये गये प्रकरणों का जनपदवार ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के नगर पंचायत मोहनलालगंज में बाल महिला चिकित्सालय में डाक्टर/नर्स व अन्य स्टाफ की नियुक्ति कराने के सम्बन्ध में

42-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के नवगठित नगर पंचायत मोहनलालगंज में बाल महिला चिकित्सालय में डाक्टर/स्टाफ की नियुक्ति/तैनाती नहीं होने से मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बाल महिला चिकित्सालय में डाक्टर/स्टाफ की नियुक्ति/तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज नवगठित नगर पंचायत मोहनलालगंज में बाल महिला चिकित्सालय (मैटरनिटी विंग) का निर्माण कार्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कराया गया है। अभी तक उपकरणों एवं पदों की स्थापना नहीं हुई है, परन्तु स्थानीय व्यवस्था के तहत मैटरनिटी विंग संचालित है।

जी हां।

चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की तैनाती उपलब्धता एवं विशेषता के आधार पर की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मांग के अनुरूप दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु उपायों के विवरण की जानकारी

43-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मांग के अनुरूप दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु गो/महिषवंशीय दुधारू पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं :-

1-कृत्रिम गर्भाधान योजना,

2-गायों एवं भैंसों में अनुवर्रता एवं बांझपन निवारण योजना,

3-सेक्स्ड सार्टेड योजना द्वारा नस्ल सुधार कार्यक्रम,

4-बधियाकरण,

5-कामधेनु/मिनी कामधेनु/माइक्रो कामधेनु योजना।

अच्छी नस्ल के पशुओं में 5044 विभागीय संस्थाओं के माध्यम से तथा 5048 पैरावेट्स एवं बायफ संस्था के केन्द्रों के सहयोग से कृत्रिम गर्भाधान योजनान्तर्गत अच्छी नस्ल के गोवंशीय पशुओं यथा होलिस्टन फ्रीजियन, जर्सी, साहीवाल, गंगातीरी, हरियाना एवं धारपारकर एवं महिषवंशीय पशुओं यथा मुर्रा, भदावरी प्रजाति के उच्च गुणवत्तायुक्त सांड़ों के वीर्य से मादा पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कराकर उच्च गुणवत्ता/उत्पादक क्षमता की संतति उत्पन्न कराई जा रही है। उच्च उत्पादक क्षमता वाली संतति उत्पन्न होने से दुग्ध उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ की तहसील सदर के अन्तर्गत मोहल्ला उदयगंज स्थित मेहता स्वीट हाउस में हो रही मिलावट की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने विषयक

44-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ की तहसील सदर के अन्तर्गत मोहल्ला उदयगंज में स्थित मेहता स्वीट हाउस को खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेन्स प्राप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार को उक्त दुकान पर बिकने वाली मिठाई एवं अन्य सामग्री में मिलावट की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दुकान की सामग्रियों के सेम्पल की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद लखनऊ की तहसील सदर के अन्तर्गत मोहल्ला उदयगंज में स्थित मेहता स्वीट हाउस, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से लाइसेंस प्राप्त है, जिसकी अनुज्ञप्ति संख्या-12714066000874 तथा वैधता दिनांक 28-05-2024 तक है। जी नहीं। नियमित निरीक्षण में उपरोक्त प्रतिष्ठान से पूर्व में दो नमूने कोड स्लिप संख्या-LKO/2017/423/SVS-

02 किस्म छेना चमचम एवं कोड स्लिप संख्या-LKO/633/2019-20 किस्म लाल पेड़ा संग्रहीत कर जांच हेतु भेजे गये। जांचोपरान्त खाद्य विश्लेषक द्वारा उपरोक्त नमूने विशुद्ध घोषित किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज व महाराजगंज में मानकानुसार पी0एच0सी0 व सी0एच0सी0 की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में

45-श्री नफीस अहमद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज व महाराजगंज में मानक के अनुसार पी0एच0सी0 के सापेक्ष कितने पी0एच0सी0 स्थापित हैं ? क्या सरकार उक्त ब्लाकों में मानकों के अनुसार पी0एच0सी0 बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

मानक के अनुसार एक लाख की आबादी पर एक सामु0 स्वा0 केन्द्र की स्थापना की जाती है तथा 30 हजार की आबादी पर एक पी0एच0सी0 की स्थापना की जाती है। विकास खण्ड बिलरियागंज में सामु0 स्वा0 केन्द्र, बिलरियागंज स्थापित एवं क्रियाशील है, वर्तमान में 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कंधरापुर, फर्रेदा, बनकट भीमबर, खानपुर भगत पट्टी क्रियाशील है।

विकास खण्ड महाराजगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महाराजगंज व परशुरामपुर स्थापित एवं क्रियाशील है। वर्तमान में 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शंकरपुर, देवारा जदीद क्रियाशील है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के जिला अस्पताल में नेत्र रोगियों के उपचार हेतु फेको मशीन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में

46-श्री नफीस अहमद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के जिला अस्पताल में नेत्र के आपरेशन हेतु फेको मशीन उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में फेको मशीन लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

जी हां।

राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत एन0एच0एम0 के माध्यम से आगामी वित्तीय वर्ष में भेजी जाने वाली पी0आई0पी0 में आजमगढ़ जिला चिकित्सालय हेतु फैको मशीन के क्रय हेतु धनराशि की मांग भारत सरकार से की जायेगी। उक्त धनराशि प्राप्त होने पर नियमानुसार फेको मशीन क्रय कराकर उपलब्ध कराई जायेगी।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में होम्योपैथिक चिकित्सकों की सापेक्ष उपलब्धता व निर्धारित समय पर न आने के सम्बन्ध में

47-श्री नफीस अहमद-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने होम्योपैथिक चिकित्सक कार्यरत हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि होम्योपैथिक चिकित्सक चिकित्सालय में निर्धारित समय पर नहीं आते हैं ? क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के स्वीकृत 03 पदों के सापेक्ष 01 चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं और 02 पद रिक्त है।

जी नहीं।

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी निर्धारित समय पर चिकित्सालय आते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश व जनपद कुशीनगर में कुपोषण प्रभावित व्यक्तियों के लिये सरकारी योजना की जानकारी के सम्बन्ध में

48-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुपोषण से बचाव एवं इनसे होने वाली मौत को रोकने के लिए सरकार ने योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि कुशीनगर जनपद में अति गरीब परिवार तथा मुसहर समाज के लोगों को कुपोषण से मुक्त रखने के लिए उक्त योजना क्रियान्वित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

जी हां।

जनपद कुशीनगर में अति गरीब परिवार तथा मुसहर समाज के लोगों को कुपोषण से मुक्त रखने के लिये बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं से शत-प्रतिशत लक्षित आबादी आच्छादित है। जनपद में कुल 4134 आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से अति गरीब मुसहर समाज के बच्चों को निम्नलिखित विभागीय योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है :-

1-06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों को अनुपूरक पुष्टाहार के रूप में इनर्जी डेन्स वीनिंग फूड इनर्जी डेन्स मीठा दलिया, इनर्जी डेन्स नमकीन दलिया दिया जाता है।

2-03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को मार्निंग स्नैक के रूप में इनर्जी डेन्स मीठा दलिया, इनर्जी डेन्स नमकीन दलिया, इनर्जी डेन्स लड्डू प्रीमिक्स व दोपहर के मध्यान्ह भोजन के रूप में हाट कुक्ड फूड दिया जाता है।

3-गर्भवती व धात्री महिलाओं को टेक होम राशन के रूप में इनर्जी डेन्स मीठा दलिया, इनर्जी डेन्स नमकीन दलिया, इनर्जी डेन्स लड्डू प्रीमिक्स दिया जाता है।

4-11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को एस0ए0जी0 योजना के अन्तर्गत नैफेड द्वारा आपूर्तित मोटा अनाज ज्वार, देशी काला चना, मसूर व पी0सी0डी0एफ0 द्वारा आपूर्तित पराग देशी घी टेक होम राशन के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उन्हें 600 कैलोरी व 18-20 ग्राम प्रोटीन अतिरिक्त सम्पूर्णता के साथ-साथ पोषक तत्वों की पूर्ति हो रही है।

कुपोषण से बचाव हेतु आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के परामर्श में क्षमता वृद्धि के लिये आई0एल0ए0 प्रशिक्षण कराया जाता है। उपर्युक्त विभागीय योजनाओं से जनपद की समस्त मुसहर समाज के अति गरीब परिवारों व अन्य को उपरिलिखित सेवायें प्रदान की जाती हैं, जिससे लक्षित वर्ग को कुपोषण से मुक्त किया जा सके।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर की सी0एच0सी0 रामकोला आदि में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के लिये पैसा सीधे खाते में जाने विषयक

49-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर की सी0एच0सी0 रामकोला, दुदही, सुकरोली, भोतीचक, कप्तानगंज के अधिकारियों द्वारा उक्त योजना का पैसा अनियमित रूप से सीधे अपने खाते में आहरण कर लिये जाने की जानकारी

सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

उक्त सामु0 स्वा0 केन्द्रों से सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध कार्यालय-ज्ञाप सं0-1277/चि0-3-2019, दिनांक 01-10-2019 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित कर दी गई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्स-रे मशीन लगाने के सम्बन्ध में

50-श्री नरेश सैनी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के अन्तर्गत कस्बा बेहट में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रोगियों के समुचित इलाज हेतु एक्स-रे मशीन सरकार लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जनपद सहारनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेहट पर रोगियों के समुचित इलाज हेतु एक्स-रे मशीन स्थापित एवं क्रियाशील है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता, लक्ष्मणपुर आदि में कुपोषित बच्चों को पौष्टिक खाना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में जानकारी

51-डॉ0 आर0के0 वर्मा-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में 5 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की पहचान हेतु राज्य पोषण मिशन के अन्तर्गत विकास खण्ड मान्धाता, लक्ष्मणपुर, सन्डवा चन्द्रिका, सदर में कितने अति कुपोषित बच्चों की पहचान की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त अति कुपोषित बच्चों को पका हुआ खाना, फल व देशी घी मुहैया कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

जनपद प्रतापगढ़ में 05 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की पहचान हेतु राज्य पोषण मिशन के अन्तर्गत विकास खण्ड मान्धाता में 425, लक्ष्मणपुर में 826, सण्डवा चन्द्रिका में 460 व सदर में 286 अति कुपोषित बच्चों की पहचान की गई है।

उक्त अति कुपोषित बच्चों में 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों को अनुपूरक पोषाहार के रूप में इनर्जी डेन्स वीनिंग फूड, इनर्जी डेन्स मीठा दलिया, इनर्जी डेन्स नमकीन दलिया व 03 वर्ष से 06 वर्ष के बच्चों को मार्निंग स्नैक के रूप में इनर्जी डेन्स मीठा दलिया, इनर्जी डेन्स नमकीन दलिया व इनर्जी डेन्स लड्डू प्रीमिक्स तथा हाट कुक्ड फूड योजना के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन के रूप में पका-पकाया भोजन, मौसमी फल व उबला हुआ गरम दूध दिया जा रहा है। अति कुपोषित बच्चों को देशी घी दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या के अनुरूप डाक्टरों की तैनाती किये जाने की जानकारी

52-श्री चेतराम-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-134, पुवायां में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कितनी संख्या है तथा उक्त केन्द्रों पर चिकित्सकों के स्वीकृत पद के सापेक्ष वर्तमान में कितने डाक्टर की तैनाती की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जनपद शाहजहांपुर में कुल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या-37 है एवं विधान सभा क्षेत्र-134, पुवायां में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या-10 है।

जनपद शाहजहांपुर के उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के 39 पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष 10 चिकित्सक कार्यरत हैं। विधान सभा क्षेत्र-134, पुवायां के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के 12 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 04 चिकित्सक कार्यरत हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधौगंज ग्राम अटवा अली मर्जनपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

53-श्री आशीष सिंह पटेल ''आशू''-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधौगंज के ग्राम अटवा अली मर्जनपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के

लिए जमीन अधिग्रहीत कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

जी हां।

वित्तीय एवं मानव संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अस्सी घाट से संत रविदास घाट तक एवं संत रविदास घाट से जज गेस्ट हाउस तक पक्के घाट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

54-श्री सौरभ श्रीवास्तव-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के वाराणसी कैंट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अस्सी घाट से सन्त रविदास घाट एवं सन्त रविदास घाट से जज गेस्ट हाउस तक पक्के घाट का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नीलकण्ठ तिवारी-

जनपद वाराणसी के वाराणसी कैंट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अस्सी घाट से सन्त रविदास घाट एवं सन्त रविदास घाट से जज गेस्ट हाउस तक पक्के घाट के निर्माण के सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोई प्रस्ताव/आगणन पर्यटन विभाग में विचाराधीन नहीं है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त स्थल की योजना हेतु उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के आय-व्ययक में पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण कोई धनराशि की स्वीकृति प्राप्त किया जाना सम्भव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में स्थित मां पल्हमेश्वरी देवी सिद्ध पीठ को पर्यटन स्थल के रूप मे विकसित किये जाने के सम्बन्ध में

55-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत पल्हना में स्थित मां पल्हमेश्वरी देवी सिद्ध पीठ धाम को पर्यटन स्थल के रूप में सरकार विकसित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नीलकण्ठ तिवारी-

जी हां।

पयर्टकों की सुविधान्तर्गत एवं पर्यटन विकास के दृष्टिगत पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत संचालित स्वदेश दर्शन स्कीम के स्प्रिचुअल सर्किट योजनान्तर्गत जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत पल्हना में स्थित मां पल्हमेश्वरी देवी सिद्ध पीठ धाम स्थल पर पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था-टी0सी0आई0एल0 द्वारा कराया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत पब्लिक टायलेट, घाट का कार्य, बेंचेज, डस्टबिन, लैण्डस्केपिंग एवं सोलर एल्युमिनेशन का कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज, विकास खण्ड लालगंज में नवनिर्मित 100 बेड के अस्पताल को सक्रिय किये जाने के सम्बन्ध में

56-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के विकास खण्ड-लालगंज में नवनिर्मित 100 बेड के अस्पताल को संचालित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त अस्पताल को संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

भवन पूर्ण नहीं है।

जी हां।

भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने एवं कार्यदायी संस्था से विभाग को हस्तगत होने के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में परिषदीय विद्यालयों की निःशुल्क पुस्तकें, ड्रेस, बैग, मिड-डे मील आदि विभिन्न सुविधायें देने के सम्बन्ध में जानकारी

57-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में भी परिषदीय विद्यालयों की भांति निःशुल्क पुस्तकें, ड्रेस, बैग, जूते, मौजे, स्वेटर व मध्यान्ह भोजन आदि वितरित करने की योजना है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

ऐसी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में परिषदीय विद्यालयों की भांति निःशुल्क पुस्तकें, बैग, जूते आदि विभिन्न सुविधायें देने के सम्बन्ध में जानकारी

58-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी परिषदीय विद्यालयों की भांति निःशुल्क पुस्तकें, ड्रेस, बैग, जूते, मोजे, स्वेटर आदि वितरित करने की योजना है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में आवारा पशुओं से किसानों की फसल को बर्बाद होने से बचाने हेतु ग्रामों में गौ-शाला का निर्माण कराये जाने विषयक

59-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बडौत में आवारा पशुओं से किसानों की फसल को बर्बाद होने से बचाने के लिए कितने ग्रामों में गौ-शालाएं संचालित हैं तथा उनमें कितने पशु हैं तथा कितने ग्रामों में गौ-शाला निर्माण प्रस्तावित है ? क्या सरकार शेष ग्रामों में गौ-शालाओं का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में 08 अस्थाई गौ-आश्रय स्थल संचालित हैं तथा उनमें 789 गोवंश संरक्षित किये गये हैं।

वर्तमान में किसी भी ग्राम में गौ-शाला निर्माण का कोई भी प्रस्ताव प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में किसी भी ग्राम में गौ-शाला निर्माण का कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में ग्राम बूढ़पुर में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र को चालू कराकर चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त कराये जाने के सम्बन्ध में

60-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के तहसील बड़ौत के ब्लाक बिनौली के ग्राम बूढ़पुर में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र लगभग 10 वर्षों से बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम बूढ़पुर के उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र को चालू कराकर चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

विधान सभा क्षेत्र छपरौली के तहसील बड़ौत के ब्लाक बिनौली के ग्राम बूढ़पुर में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील है। उप स्वास्थ्य केन्द्र पर ए0एन0एम0 तैनात है। ए0एन0एम0 द्वारा प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को टीकाकरण सत्र एवं परिवार नियोजन की सेवायें प्रदान की जा रही हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत विधान सभा के क्षेत्र छपरौली में ग्राम लूम्ब में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र को अपग्रेड कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में

61-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ग्राम लूम्ब में उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण प्रशासन द्वारा कराया जा चुका है, किन्तु उक्त केन्द्र पर किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध न होने से मरीजों को इलाज हेतु सी0एच0सी0 छपरौली व सी0एच0सी0 बड़ौत जाने के लिए क्रमशः 18-20 व 20-25 किमी0 दूर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकीय सुविधा सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ग्राम लूम्ब में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील है। उप स्वास्थ्य केन्द्र पर ए0एन0एम0 तैनात है। ए0एन0एम0 द्वारा प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को टीकाकरण सत्र एवं परिवार नियोजन की सेवायें प्रदान की जा रही हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में ग्राम रमाला में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी0एच0सी0) को अपग्रेड कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी0एच0सी0) बनवाये जाने के सम्बन्ध में

62-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ग्राम रमाला में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अपग्रेड कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी0एच0सी0) बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रमाला को अपग्रेड कर सामु0 स्वा0 केन्द्र बनाने हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है। ग्राम रमाला के सन्निकट सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छपरौली 08 कि0मी0 प्राथ0 स्वा0 केन्द्र किरठल 04 कि0मी0 एवं प्राथ0 स्वा0 केन्द्र किशनपुर बराल 04 कि0मी0 पर संचालित है, जिससे क्षेत्रीय जनता को चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

अतः ग्राम रमाला स्थित प्राथ0 स्वा0 केन्द्र को अपग्रेड किये जाने का औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बदायूं के अन्तर्गत निर्मित 43 पी0एच0सी0 को हैण्ड ओवर करने विषयक

63-श्री ओमकार सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के अन्तर्गत निर्मित 43 न्यू पी0एच0सी0 केन्द्रों में से कितने केन्द्रों का हैण्ड ओवर शेष है ? क्या सरकार शेष स्वास्थ्य केन्द्रों की हैण्ड ओवर प्रक्रिया पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

01 नग।

जी हां।

दो माह में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं में सी0एच0सी0 व पी0एच0सी0, स्वास्थ्य उप केन्द्र सहित सखानू, सैदपुर तथा इस्लामपुर में महिला अस्पतालों में चिकित्सक व स्टाफ की तैनाती के सम्बन्ध में

64-श्री ओमकार सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पुरुष और महिला अस्पताल के साथ ही

14 सी0एच0सी0, 3 पी0एच0सी0, 43 न्यू पी0एच0सी0, 296 स्वा0 उपकेन्द्र के साथ सखानू, सैदपुर और इस्लामनगर में महिला अस्पताल केन्द्रों पर मानक के सापेक्ष चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने कार्यरत हैं ? क्या सरकार जहां-जहां चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ की कमी है वहाँ तैनाती करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जनपद बदायूं में चिकित्सकों के स्वीकृत/कार्यरत पदों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	केन्द्र का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद
1	2	3	4
1	जिला चिकित्सालय (पुरुष)	29	15
2	जिला चिकित्सालय (महिला)	11	06
3	14-सी0एच0सी0	110	64
4	03-पी0एच0सी0	06	06
5	43-न्यू पी0एच0सी0	43	19
6	03-महिला चिकित्सालय (सैदपुर, सखानू, इस्लामनगर)	03	00

अन्य स्टाफ के सम्बन्ध में पदों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद
1	2	3	4
1	स्टाफ नर्स	86	35
2	फार्मासिस्ट	43	37
3	प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य)	40	20
4	नेत्र परीक्षण अधिकारी (आप्टोमेट्रिस्ट)	03	00

रिक्त पदों पर उपलब्धता एवं विशेषज्ञता के आधार पर तैनाती की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम में ट्रामा सेन्टर निर्माण विषयक

65-श्री आशीष सिंह पटेल ''आशू''-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम मल्लावां अन्तर्गत मल्लावां में ट्रामा सेन्टर का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में ट्रामा सेन्टर स्थापित/क्रियाशील है।

जनपद शाहजहांपुर, तहसील तिलहर, जलालाबाद के खाद्य निरीक्षकों द्वारा सैम्पलिंग में अवैध धन उगाही विषयक पत्रांक-147286, दिनांक 08-07-2019 पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

66-प्रिन्स वीर विक्रम सिंह -

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 8-7-2019 का पत्रांक-147286 जो जनपद शाहजहांपुर के तहसील तिलहर, जलालाबाद क्षेत्र के खाद्य निरीक्षकों द्वारा दुकानदारों से सेम्पल भरने के नाम पर अवैध धन उगाही के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री कार्यालय से उपरोक्त पत्र जिला अधिकारी, शाहजहांपुर को दिनांक 10-07-2019 को आवश्यक कार्रवाई एवं जांच के लिए आदेशित किया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर जिला अधिकारी, शाहजहांपुर ने अभी तक क्या कार्रवाई की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां। पत्र संख्या-147286, दिनांक 08-07-2019, आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या-18152190066634 द्वारा प्राप्त हुआ है। जी हां। जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 11-07-2019 को अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, शाहजहांपुर को आवश्यक कार्रवाई कर, आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में उक्त प्रकरण में तत्कालीन अभिहित अधिकारी द्वारा जांच कर आख्या आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 को दिनांक 11-07-2019 प्रेषित की गई, जिसमें कोई आरोप सिद्ध नहीं पाया गया। प्रकरण में अभिहित अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा जांच आख्या भेजे जाने से पूर्व ही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 के आदेश संख्या-3154 (1-10)/एफ0एस0डी0ए0/2019, दिनांक 30-06-2019 द्वारा श्री शम्भू दयाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर को जनपद बदायूं स्थानान्तरित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला हाथरस स्थित बांग्ला अस्पताल में जनवरी, 2018 से दिनांक 21-06-2019 तक इमरजेंसी में कुल मरीजों के इलाज व रेफर किये गये मरीजों की संख्या के विवरण के सम्बन्ध में जानकारी

67-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हाथरस में स्थित जिला बांग्ला अस्पताल में जनवरी, 2018 से दिनांक 21-06-2019 तक इमरजेंसी में कुल कितने मरीज आये तथा आये हुए मरीजों में से कितने मरीजों का इलाज जिला अस्पताल में किया गया एवं रेफर किये गये मरीजों की संख्या क्या है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जिला बांग्ला अस्पताल में जनवरी, 2018 से दिनांक 21-06-2019 तक इमरजेंसी में आये कुल 33659 मरीजों का इलाज किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद अति गम्भीर अवस्था वाले संख्या-2616 रोगियों को जिला अस्पताल रिफर किया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में एच0आई0वी0 से पीड़ित रोगियों की सहयता हेतु मासिक पेंशन योजना संचालित करने के सम्बन्ध में

68-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एच0आई0वी0 से पीड़ित रोगियों की सहायता हेतु कोई योजना संचालित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार एच0आई0वी0 रोग से पीड़ित व्यक्तियों हेतु सहायता/मासिक पेन्शन योजना संचालित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

एच0आई0वी0 पॉजिटिव को निम्न सुविधायें प्रदत्त हैं :-

1-एच0आई0वी0 पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी स्कीम के अन्तर्गत डबल राशन दिये जाने का प्रावधान है।

2-एच0आई0वी0 पॉजिटिव बच्चों को अति कुपोषित बच्चों की श्रेणी में रखते हैं।

3-आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से डबल राशन देने का प्रावधान है।

4-मनरेगा स्कीम में हलका काम देने के लिये एच0आई0वी0 पॉजिटिव पेशेन्ट को वरीयता देने का प्राविधान है।

5-एच0आई0वी0 पॉजिटिव महिला को विधवा पेंशन स्कीम तथा पारिवारिक लाभ योजना में प्राथमिकता दिये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों को समान ग्रेड-पे दिये जाने विषयक

69-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों के समान ग्रेड-पे दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

प्रदेश में आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों के समान ग्रेड-पे प्रदान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

[12:22 बजे] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-301 की सूचनाएं लेते हैं।

आज दिनांक 24-02-2020 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 40 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें 21 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत चोगड़ा चट्टी में नया विद्युत स्टेशन स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की जनपद गोरखपुर की सभी सड़कों को बर्बाद होने से बचाने के लिये महानगर में सीवर लाइन न डाले जाने या डेप्थ लेस पद्धति से ही डाले जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना डा0 संगीता बलवन्त की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र गाजीपुर सदर के अन्तर्गत नन्दगंज बरहपुर बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड बिलसण्डा के अन्तर्गत गांव टेहरी में अपूर्ण अन्त्येष्टि

स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना 'प्रिंस' वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा में प्रस्तावित मंडी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना डा0 नीरज बोरा की लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कपूरथला बाजार में प्रस्तावित पार्किंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' की जनपद जौनपुर के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् शाहगंज का सीमा विस्तार कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत पुल की मरम्मत एवं नालों की सफाई करवाये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जिला प्रशासन बस्ती द्वारा बस्ती महोत्सव में चंदे के नाम पर अवैध वसूली कराये जाने तथा प्राप्त धनराशि को सार्वजनिक न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर की तहसील शाहगंज में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्रीमती राजबाला की जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र मिलक औद्योगिक स्थान अजीतपुर में प्लाट आवंटन में हो रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री अमन मणि त्रिपाठी की जनपद महाराजगंज में भारत-नेपाल सीमा पर चिकित्सीय जाँच एवं सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्रीमती सावित्री कठेरिया की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत परसूपुरा में बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ में मुख्य स्थानों पर मिनी ट्रामा सेन्टर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्रीमती जय देवी की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत टोंस नदी पर बने पुल के दोनों तरफ क्षतिग्रस्त एप्रोच का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री दिनेश चौधरी की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत ग्राम आजाद नगर बाजार में नाली व सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री राजकुमार पाल की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ सदर के अन्तर्गत कतिपय पुलों व सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। बीसवीं सूचना श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य 'पप्पू भइया' की जनपद बदायूं के विकास खण्ड उसावा अन्तर्गत ग्राम मिर्जापुर बिचोला एवं विकास खण्ड कादर चौक अन्तर्गत ग्राम कौवा नगला में इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र करछना के अन्तर्गत भुण्डा भीरपुर लकटहा घाट का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

श्री अध्यक्ष-

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार कर दी गयीं :-

श्री दलवीर सिंह, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री जितेन्द्र वर्मा, श्री सत्यवीर त्यागी, श्रीमती अनीता, श्री कारिन्दा सिंह, श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री सुभाष पासी, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री जटाशंकर त्रिपाठी, डा0 अरूण कुमार, श्री नरेश सैनी, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री बम्बा लाल, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री लाल जी वर्मा, डा0 हरगोविन्द भार्गव, श्री प्रमोद उटवाल।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल सिंह-

[महोदय, जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र-167, पुरवा उन्नाव के विकास खण्ड अन्तर्गत निम्न मार्ग-

1-मां बालेश्वरी देवी धाम पड़री से अर्चित खेड़ा होते हुए पुरवा-अचलगंज मुख्य मार्ग तक लम्बाई लगभग 3 कि0मी0 (विकास खण्ड बिछिया)।

2-पुरवा-बीघापुर मुख्य मार्ग से सेमरीमऊ गांव तक लम्बाई लगभग 2.5 कि0मी0 (विकास खण्ड पुरवा)।

3-जबरेला गांव से असोहा होते हुए पहासा सम्पर्क मार्ग तक लम्बाई लगभग 4.5 कि0मी0 (विकास खण्ड असोहा)।

अति जर्जर है, जिससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त खड़न्जायुक्त/अति जर्जर मार्ग को डामरीकरण/ नवनिर्माण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों से कई बार अनुरोध किया गया है, पर अभी तक उक्त मार्ग का डामरीकरण नहीं किया गया है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस सम्मानित सदन का एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत चोगड़ा चट्टी में नया विद्युत सब-स्टेशन स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[महोदय, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि विधान सभा रसड़ा अन्तर्गत **चोगड़ा क्षेत्र**

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के तमाम बड़े गांव हजौली, कुरेजी, बलेसरा, सिकिरिया कला, सिकरिया खुर्द, सवन, बुढऊ बड़सरी, वीरपुरा, तकिया, हथोड़ी आदि में रसड़ा विद्युत सब-स्टेशन से विद्युत आपूर्ति की जाती है जो कि अत्यधिक दूरी एवं अत्यधिक लोड के कारण अक्सर जल जाने से इन गांवों में कभी भी सुचारु रूप से विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पाती है।

चोगड़ा क्षेत्र की विद्युत मांग एवं आपूर्ति के अन्तर को देखते हुए जनहित मे चोगड़ा में एक विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक भी है, क्योंकि इस सम्बन्ध में ग्रामीण जनता द्वारा बार-बार निवेदन भी किया जाता रहा है तथा इन गांवों में विद्युत आपूर्ति को लेकर अत्यधिक रोष भी व्याप्त है जो कि कभी भी जन आन्दोलन का रूप ले सकता है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के **चोगड़ा क्षेत्र में विद्युत के गम्भीर संकट को देखते हुए चोगड़ा चट्टी पर एक विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने हेतु** शासन से कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर की सभी सड़कों को बर्बाद होने से बचाने के लिये महानगर में सीवर लाइन न डाले जाने या डेप्थ लेस पद्धति से ही डाले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[मान्यवर, गोरखपुर के नागरिक सरकार के आभारी थे कि गोरखपुर में सीवर लाइन डालने का काम शुरू किया गया था। लेकिन इतने घटिया तरीके, निहायत गैर जिम्मेदारी से किया जायेगा, दूसरा किसी भी नागरिक को विश्वास नहीं था। 2-3 कि0मी0 क्षेत्र के पार्सल में सीवर डालने, घर में कनेक्शन देने तथा पूरी सड़क बनाने की जगह पर अनुभवहीन अभियन्ताओं ने सारा काम ठेकेदारों के हवाले करके एक साथ सारी सड़कें कटवा डालीं और 2 साल हो गये, शहर की उच्च गुणवत्ता की सड़कें गांवों की कच्ची सड़कों की तरह हो गईं। एक भी सड़क पहले की तरह नहीं बनाई गई तथा किसी घर को सीवर लाइन से जोड़ा भी नहीं गया। मेनहोल इतने ऊंचे-नीचे बनाये कि सड़क बनने के बाद ऊपर-नीचे होगी। रोज सैकड़ों नागरिक सड़कों पर गिरते हैं तथा कइयों ने तो अपने हाथ-पैर तुड़वा डाले।

नगर विकास मंत्री, प्रमुख सचिव श्री मनोज सिंह तथा महाप्रबन्धक जल निगम खेकरन गोढनवाल के साथ एक घण्टे तक बैठक हुई और मंत्री जी के निर्देश पर प्रमुख सचिव ने सहमति दी कि वे खुद महाप्रबन्धक के साथ गोरखपुर आकर अपनी आंखों से देखेंगे और व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे तथा परियोजना प्रबन्धक रतनसेन सिंह सहित सभी उन अभियन्ताओं को दण्डित भी करेंगे जो गैर कानूनी रूप से सामूहिक उपार्जित अवकाश पर जाकर सजा पाने से बचने के लिये सरकार पर दबाव बना रहे थे। मालूम हो कि जल निगम अधिशासी अभियन्ता (टी0ए0सी0) सुलेमान खान तथा जी0एम0डी0 अवनीश जी को भेजकर विस्तृत जांच करा चुके हैं और उन्होंने गोरखपुर की बर्बादी को स्वीकार भी किये थे। प्रमुख

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सचिव ने यह भी स्वीकार किया कि जहां सी0सी0 रोड बनाई गई है, वहाँ सड़कें काटने की जगह बिना सड़कें काटे Trench Less पद्धति से सीवर लाइन डाली जाये। उन्होंने महाप्रबन्धक को यह निर्देश भी दिये कि जब तक पुरानी काटी सड़क बनाई न जाये, आगे कहीं सीवर लाइन न डाली जाये। अब पता चला कि प्रमुख सचिव का भी स्थानान्तरण हो गया। क्या एक प्रमुख सचिव के स्थानान्तरण हो जाने पर माननीय नगर विकास मंत्री की उपस्थिति में हुए निर्णय समाप्त हो जायेंगे। हमारी मांग है कि नगर विकास विभाग ने जल निगम के माध्यम से 140 कि0मी0 सड़कें बर्बाद कर डालीं। मगर सीवर लाइन डालने के नाम पर गोरखपुर शहर की सारी सड़कों को नष्ट-भ्रष्ट करके देहात की सड़कों से भी बदतर बना देना है तो गोरखपुर के चयनित प्रतिनिधि के रूप में हम मांग करते हैं कि गोरखपुर के नागरिकों पर अब कृपा की जाये और आगे की सीवर लाइन डालने का काम अगर सड़कें पहले की तरह अच्छी नहीं बनानी है, तो कतई न किया जाये।

अतः लोक महत्व के इस निश्चित तथा अविलम्बनीय विषय पर कार्य प्रक्रिया नियमावली के नियम-301 के तहत सदन में उठाने तथा सरकार को जवाब देने के लिये निर्देशित करने की कृपा करें।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र गाजीपुर सदर के अन्तर्गत नन्दगंज बरहपुर बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 संगीता बलवन्त-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जिला-गाजीपुर विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत नन्दगंज बरहपुर बाजार स्थित है जो नगर पंचायत बनने के सारे मानक पूर्ण करती है। नन्दगंज बरहपुर बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने से उक्त बाजार के निवासियों को मूलभूत सुविधाओं का समुचित लाभ मिल सकेगा।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर नन्दगंज बरहपुर बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने की मांग करती हूं।]

जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड बिलसण्डा के अन्तर्गत गांव टेहरी में अपूर्ण अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[मान्यवर, उपरोक्त विषयक ध्यान आकर्षित किया जा रहा है कि जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड बिलसण्डा के गांव टेहरी के अन्तर्गत निर्माणाधीन अन्त्येष्टि स्थल पर रोक लगा दी गई है। गांव टेहरी का सीमावर्ती गांव चौसर पड़िया, विकास खण्ड बीसलपुर है। कटना नदी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राजस्व गांव चौसर पड़िया के क्षेत्रफल में प्रवाहित हो रही है। राजस्व मानचित्र में जिस प्रकार की शक्ल में कटना नदी का प्रदर्शन गांव चौसर पड़िया में है ठीक उसी शक्ल के गांव टेहरी में भी है, एक ही शक्ल की नदी दो गांवों में नहीं हो सकती है, इसलिये जब व्यवहारिक एवं वास्तविक रूप में कटना नदी राजस्व गांव चौसर पड़िया में प्रवाहित है तो निश्चित रूप से गांव टेहरी में हम शक्ल प्रदर्शित कटना नदी जैसे क्षेत्रफल की भूमि गांव सभा की है, जो कि उक्त अन्त्येष्टि स्थल हेतु प्रस्तावित है। भूमि प्रबन्ध समिति ने लेखपाल सहित प्रस्तावित कर जिला पंचायत राज अधिकारी व क्षेत्र विकास अधिकारी के निर्देश पर सचिव व प्रधान ने प्रस्तावित स्थल पर लगभग 70 प्रतिशत अन्त्येष्टि का निर्माण कार्य करा भी दिया है। रोक लगाने के साथ ही साथ सचिव को निलम्बित एवं प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर भी रोक लगा दी गई है, जिससे सचिव व प्रधान के विशेषाधिकारों का हनन तथा शासन का वित्तीय ह्रास किया गया है। नगरों के अन्त्येष्टि स्थल नदी के किनारों पर नदी की भूमि में ही बने होते हैं, लखनऊ में गोमती रिवर फ्रन्ट (पिकनिक स्थल) तथा अन्त्येष्टि स्थल इसका दृष्टान्त है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा की अनुमति प्रदान की जाये तथा सचिव का निलम्बन निरस्त करने व प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक विशेषाधिकार पूर्वतः सुनिश्चित करने के साथ ही साथ निर्माणाधीन अन्त्येष्टि स्थल पूर्ण कराया जाये।]

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा में प्रस्तावित मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस'-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र 131, कटरा के अन्तर्गत राज्य मण्डी परिषद्, उ0प्र0 द्वारा कटरा में मण्डी प्रस्तावित है। कटरा में प्रस्तावित मण्डी का निर्माण शीघ्र न होने से कृषकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे कृषकों में आक्रोश है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रकरण पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र कटरा में प्रस्तावित मण्डी का निर्माण शीघ्र कराने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कपूरथला बाजार में प्रस्तावित पार्किंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 नीरज बोरा-

[मान्यवर, लखनऊ के कपूरथला क्षेत्र में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्षों पूर्व बाजार विकसित किया गया था। किन्तु खेद है कि बाजार के दृष्टिगत न तो पार्किंग की समुचित

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

व्यवस्था की गई और न ही जन-सुविधा का ध्यान रखते हुए शौचालय आदि का निर्माण किया गया। वर्तमान में उक्त क्षेत्र का यातायात प्रायः बाधित रहता है तथा जन-सुविधा के लिये लोग परेशान होते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कपूरथला में पार्किंग आदि बनाये जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था किन्तु उस पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं दिख रही है। सम्बन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों की उदासीनता और लापरवाही से लखनऊ का यह अत्यन्त व्यस्ततम बाजार बुरी तरह प्रभावित है। बाजार में पार्किंग व शौचालय आदि जन-सुविधाओं का निर्माण जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर सम्मानित सदन का ध्यानाकर्षण करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् शाहगंज का सीमा विस्तार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। नगर पालिका परिषद् शाहगंज, जनपद जौनपुर का सीमा विस्तार नहीं किया गया है जबकि चारों तरफ तीन-चार किलोमीटर तक नगरीय क्षेत्र में आबादी बस चुकी है। नगर पालिका परिषद् शाहगंज जो पूर्व में नगर पंचायत था तबसे सीमा विस्तार किये जाने की मांग लगातार होती रही है, परन्तु इस पर शासन व प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। नगर पालिका परिषद् शाहगंज में सड़क, नाली व अन्य सारे कार्य ठीक से कराये जाने की आवश्यकता है, जिससे स्थानीय लोगों को मूलभूत सुविधायें मिल सकें। यह गम्भीर एवं जनहित से जुड़ा प्रकरण है।

अतः इस जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नगर पालिका परिषद् शाहगंज का सीमा विस्तार कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत पुल की मरम्मत एवं नालों की सफाई करवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद, जनपद सीतापुर के अन्तर्गत जसमण्डा व अकबरपुर गांव के बीच स्थित शारदा सहायक नहर का पुल विगत तीन वर्षों से क्षतिग्रस्त होने के कारण भारी वाहनों जैसे ट्रक-ट्रैक्टर की निकास बन्द है। इसी क्रम में ठठेरिया ड्रेन अकबापुर ड्रेन सद्दुपुर ड्रेन व मुसैदाबाद ड्रेन, सुमली ड्रेन चौरारी, ड्रेन सुल्तानपुर ड्रेन, भुडकुरा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ड्रेन, नरापुर ड्रेन, पैतेपुर ड्रेन, महमूदाबाद ड्रेन, रन्नी ड्रेन, महरौली ड्रेन की सफाई न होने के कारण जल भराव होता है व सीपेज हो रही है, जिस कारण किसान अपने खेतों में खेती नहीं कर पा रहे हैं। जनहित में व किसान हित में पुल की मरम्मत एवं नालों की सफाई किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त कार्य कराये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

जिला प्रशासन बस्ती द्वारा बस्ती महोत्सव में चन्दे के नाम पर अवैध वसूली कराये जाने तथा प्राप्त धनराशि को सार्वजनिक न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[मान्यवर, जनपद बस्ती में दिनांक 28-01-2019 से 02-02-2019 तक जिला प्रशासन बस्ती के द्वारा बस्ती महोत्सव का आयोजन किया गया था जहां तक मुझे जानकारी है कि शासन द्वारा बस्ती महोत्सव के आयोजन हेतु अलग से कोई बजट निर्धारित नहीं किया गया था। पिछले दो वर्षों से बस्ती महोत्सव का आयोजन, आयोजन समिति द्वारा कराया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था हेतु ई-टेण्डर की व्यवस्था को लागू किया, परन्तु पिछले दो वर्षों में हो रहे बस्ती महोत्सव पर होने वाले ठेके का बस्ती आयोजन समिति द्वारा न तो टेण्डर कराया गया और न ही महोत्सव के नाम पर लिये गये चन्दे अथवा स्थानीय अथवा बाहरी कलाकारों/कवियों को दिये गये शुल्क को ही सार्वजनिक किया गया। मेरे संज्ञान में आया कि इस वर्ष सरकारी शराब की दुकानों से लगभग 10-15 हजार रुपये जनपद के सभी 1365 कोटेदारों से लगभग 1000-1500 रु0 सभी ब्लाकों के एस0एम0आई0 से लगभग 20 हजार रु0 प्रति गोदाम, जनपद के सभी पेट्रोल पम्पों पर लगभग 10 हजार रु0, जनपद के सभी ड्रग्स लाइसेंसी (मेडिकल स्टोर) से लगभग 1000 रु0 सभी नगर पंचायतों से एक लाख रु0, सभी भट्ठा व्यवसाइयों से लगभग 10-15 हजार रु0, जनपद के सभी नर्सिंग होमों से लगभग 25 से 30 हजार रु0 जनपद के सभी सी0एच0सी0 सेन्टरों से लगभग 20 हजार रु0, जनपद में संचालित लगभग सभी बैंकों से तीन लाख रु0, राइश मिलर्स एसोसिएशन से लगभग 15 लाख रु0, जनपद के 12.49 के अधिकांश ग्राम पंचायतों से लगभग 5 हजार रु0 इसी प्रकार अन्य तमाम संस्थानों व विभागों से वसूली की शिकायत प्राप्त हुई है। इस आधार पर बस्ती महोत्सव में लगभग कई करोड़ों रु0 खर्च किये जाने की जनपद में चर्चा है। इससे स्पष्ट होता है कि जिला प्रशासन की मनचाहे एजेन्सी को आयोजन की जिम्मेदारी देकर महोत्सव के नाम पर एकत्र किये गये धन की खुली लूट की गई है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बस्ती के महोत्सव समिति के गठन में किसी भी जन-प्रतिनिधि को नहीं रखा गया है, जन-प्रतिनिधियों को आयोजन समिति में न रखे जाने के पीछे जिला प्रशासन की मंशा दूषित लगती है। यदि जन-प्रतिनिधि बस्ती महोत्सव के आयोजन समिति में होते तो जिला प्रशासन मनमानी तरीके से चन्दे के नाम पर जो शोषण हुआ शायद न होता, उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा बस्ती महोत्सव में एकत्र किये गये धन के खर्च के सम्बन्ध में जिला प्रशासन से श्वेत-पत्र जारी करने के लिये कहा गया, परन्तु जिला प्रशासन द्वारा उक्त प्रकरण पर कोई रुचि नहीं ली गई, बस्ती महोत्सव के आयोजन समिति के इस कृत्य से प्रदेश सरकार की साफ सुथरी छवि धूमिल हो रही है। प्रकरण जनहित में शोषण से जुड़ा अति लोक महत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बस्ती महोत्सव के आयोजन समिति के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर की तहसील शाहगंज में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद जौनपुर की शाहगंज जिले की सबसे बड़ी तहसील व पूर्वांचल की सबसे बड़ी गल्ला मण्डी है। शाहगंज में फायर स्टेशन न होने के कारण प्रतिवर्ष सैकड़ों की संख्या में आगजनी होती है, जिले से 40 कि0मी0 की दूरी होने के कारण आग बुझाने के लिये फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने में घण्टों लग जाते हैं, जिससे किसानों, व्यापारियों व आमजन को काफी जन-धन की हानि हो जाती है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र मिलक औद्योगिक स्थान अजीतपुर में प्लाट आवंटन में हो रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती राजबला-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय, लोक महत्व का विषय लाना चाहती हूं।

वर्तमान समय में रामपुर के औद्योगिक स्थान अजीतपुर में उद्यमियों द्वारा पूर्व के वर्षों में कई प्लाट अपने नाम आवंटित करा लिये गये हैं लेकिन अभी तक कई लोगों ने उस पर अपने उद्योग स्थापित नहीं किये हैं, जोकि आवंटन की शर्तों का खुला उल्लंघन है। उद्योग स्थापित न होने से सरकार को लाखों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, रामपुर को पूर्व में मेरे अनेक पत्रों द्वारा जांच की मांग की गई है, परन्तु उनके द्वारा कृत कार्रवाई से अवगत नहीं कराया गया है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यह भी उल्लेखनीय है कि औद्योगिक स्थान अजीतपुर में कई जगहों पर सड़क टूटी है अथवा बनी नहीं है एवं नालियां तथा स्ट्रीट लाइट का अभाव भी है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के उपरोक्त विषयों पर जांच करने हेतु एवं अजीतपुर में सड़कों एवं नालियों के उपयुक्त निर्माण तथा स्ट्रीट लाइट लगवाने हेतु शासन को निर्देश देने की कृपा करें।]

जनपद महराजगंज में भारत-नेपाल सीमा पर चिकित्सीय जांच एवं सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमन मणि त्रिपाठी-

[मान्यवर, भारत-नेपाल सीमा पर कोरोना वायरस के फैलने की अपार सम्भावनायें हैं, हमारे यहां से नेपाल की सीमा 40 किलोमीटर है, सीमा पर तमाम चीन की एजेन्सियां/कम्पनियां काम कर रही हैं, तमाम चीन के लोग आवागमन कर रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा बना हुआ है, हमारी सीमा पर चिकित्सीय सुविधायें व कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिये नाकाफी है, भारत-नेपाल सीमा पर अन्य तमाम प्रकार की चिकित्सीय जांच और सुविधाओं को बढ़ाया जाना आवश्यक है, जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिये किया जाना है, हमारे क्षेत्र में गत दिनों कई संदिग्धों की जांच कराई गई जांच उपरान्त कोरोना वायरस नहीं पाया गया, परन्तु खतरा बना हुआ है। इसके लिये अविलम्ब सीमा पर चिकित्सीय सुविधायें, विशेष चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, जिससे हम प्रभावशाली तरीके से कोरोना वायरस को रोकने में सफल हो सकें।]

जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत परसूपुरा में बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सावित्री कठेरिया-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र भरथाना, जनपद इटावा के अन्तर्गत विकास खण्ड महेवा में स्थित ग्राम पंचायत परसूपुरा में लगभग 1500 परिवार निवास करते हैं। इस ग्राम पंचायत में एक भी बारात घर अथवा सरकारी भवन नहीं है। जिससे कि गरीब निर्धन बालिकाओं के विवाह समारोह में आये दिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त बारात घर की मांग स्थानीय निवासियों द्वारा काफी समय से की जा रही है, परन्तु विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। जिससे इस क्षेत्र के आम जन-मानस में आक्रोश एवं निराशा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए ग्राम पंचायत परसूपुरा में बारात घर बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ में मुख्य स्थानों पर मिनी ट्रामा सेन्टर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[मान्यवर, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर आये दिन होने वाले हादसे में सड़क सुरक्षा इन्तजामों पर एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। पूरे प्रदेश में नेशनल और राज्य हाइ-वे जिलों को जोड़ने वाली सड़कों पर चलना खतरों से खाली नहीं है। सूबे में 1270 ब्लैक स्पाट चिन्हित हैं। एक साल के अन्दर इन स्थानों पर 4 हजार से ज्यादा लोगों की जानें चली गईं। हर साल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग निदेशालय के निर्देश पर ब्लैक स्पाट चिन्हित तो कर लिये जाते हैं मगर लोगों की जान बचाने के लिये कोई इन्तजाम की कोशिश नहीं होती है। ज्यादातर सड़क हादसे में अथवा अन्य वाहन दुर्घटनाओं में शरीर से ज्यादा खून निकल जाने से लोगों की मौत हो जाती है। चिकित्सकों का कहना है कि यदि हादशों में घायल लोगों को एक घण्टे के अन्दर रक्त देने और अन्य चिकित्सायें उपलब्ध करा दी जाये तो उनकी जान बच सकती है। आवश्यकता है कि मुख्य-मुख्य चिन्हित स्थानों पर जहां पर अत्यधिक सड़क हादसे होते हैं मिनी ट्रामा सेन्टर बनवा दिये जायें तो लोगों की जान बच सकती है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मुख्य-मुख्य स्थानों पर मिनी ट्रामा सेन्टर बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जय देवी-

[महोदय, सदन के माध्यम से अनुरोध करना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल जो कि विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा है। विकास खण्ड माल नगर पंचायत की योग्यता रखता है तथा नगरीय समस्याओं से भी युक्त है। इसलिये सदन के माध्यम से जनहित में अनुरोध करना है कि विकास खण्ड माल को नगर पंचायत घोषित कराकर इसके पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास जनहित में किया जाये। विकास खण्ड माल में कार्यरत सरकारी कर्मचारी को जनपद लखनऊ की सभी विकास खण्डों से कम वेतन, भत्ता मिलता है, जिसके कारण कर्मचारियों में घोर निराशा बनी रहती है। विकास खण्ड माल नगर पंचायत न होने के कारण कर्मचारियों को शहरी भत्ता नहीं मिल पाता है। विकास खण्ड माल राजधानी का एकमात्र विकास खण्ड है जो सभी शहरी सुविधाओं से वंचित है, इसलिये विकास खण्ड माल को नगर पंचायत घोषित करने का कष्ट करें। इससे पूर्व में नियम-301 के अन्तर्गत विधान सभा के प्रथम सत्र में भी सदन के माध्यम से माल को नगर पंचायत घोषित करने की मांग की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गई थी जिस पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई थी, लेकिन अभी तक कार्रवाई लम्बित है।

अतः सदन के माध्यम से जनहित में अनुरोध करना है कि विकास खण्ड माल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि माल को जनहित में नगर पंचायत घोषित कर माल की जनता को विकास की शहरी विकास योजनाओं से जोड़ने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत टोंस नदी पर बने पुल के दोनों तरफ क्षतिग्रस्त एप्रोच का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर-

[मान्यवर, जिला अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र 281, अकबरपुर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा अटिका एवं ग्राम सभा बहोरिकपुर तथा ग्राम सभा बूढ़नपुर और इटरौरा एवं ग्राम सभा कयामुद्दीनपुर और दरवरपुर (कटुईजोरियन) के अन्तर्गत टोन्स नदी पर बने पुल के दोनों तरफ के एप्रोच जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हो कर वहाँ पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं, जिसके कारण क्षेत्रीय जनता के साथ आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। जिससे क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त पुल के क्षतिग्रस्त एप्रोच का निर्माण कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक क्षतिग्रस्त एप्रोच का निर्माण नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत ग्राम आजाद नगर बाजार में नाली व सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिनेश चौधरी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत ग्राम आजाद नगर बाजार में नाली व सड़क का निर्माण कार्य न होने से वहाँ पर आम जनमानस को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। मेरे द्वारा शासन-प्रशासन को लिखित एवं मौखिक शिकायत की गयी है लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए केराकत विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-आजाद नगर बाजार में नाली व सड़क के निर्माण की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ सदर के अन्तर्गत कतिपय पुलों व सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजकुमार पाल-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद प्रतापगढ़ में निम्न सम्पर्क मार्ग का निर्माण नहीं हो सका है। कई वर्षों से मांग है कि निम्न सड़कों का निर्माण कराया जाय। जनपद प्रतापगढ़ में कुछ सड़कें काफी संकरी हैं जिससे गाड़ियों को आने-जाने में काफी परेशानी होती है। यह कि जिन सड़कों की मरम्मत/निर्माण कराया गया है। उनमें विभागीय अधिकारियों की मिली-भगत एवं धांधली की गई है। जो कि जांच का विषय है। यह भी अवगत कराना है कि कहीं-कहीं पुल का निर्माण न होने से आवागमन में काफी दिक्कत होती है, जो निम्न है :-

1-प्रयागराज-फैजाबाद मार्ग वाया गोंडे से कल्याणी होते हुए काधरपुर तक चौड़ीकरण का कार्य, ल0-लगभग 12 कि0मी0।

2-सण्डवा चन्द्रिका ब्लाक में जोगीपुर से जलालपुर जाने के लिये जो कि वाया काधरपुर को जाती है। चमरोडा नाले पर पुल का निर्माण।

3-बेल्हा देवी मन्दिर से गायघाट पुल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण। जिससे इससे लगे दूसरे पुल पर भीड़-भाड़ कम किया जा सके।

4-प्रतापगढ़ शहर में जल निकासी हेतु सीवर के कार्य को पूर्ण कराया जाय। इस कार्य में जे0ई0/ए0ई0 द्वारा कार्य में धांधली के आरोप में जेल भी जा चुके हैं किन्तु, आज तक सीवर का कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सदन में उपरोक्त कार्य का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बदायूं के विकास खण्ड उसावा अन्तर्गत ग्राम मिर्जापुर बिचोला एवं विकास खण्ड कादर चौक अन्तर्गत ग्राम कौवा नगला में इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य "पप्पू भइया"-

[मान्यवर, सादर अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र शेखूपुर के विकास खण्ड उसाना अन्तर्गत ग्राम मिर्जापुर बिचोला एवं विकास खण्ड कादर चौक अन्तर्गत ग्राम कौवा नगला के आस-पास कोई भी इण्टर कालेज नहीं होने से क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बच्चों को माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु दूर जाना पड़ता है, जिससे बालिकाओं की असुरक्षा का भय अभिभावकों में व्याप्त रहता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः महोदय से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर उक्त स्थानों पर इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।]

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र करछना के अन्तर्गत भुण्डा भीरपुर लटकहा घाट का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उज्जवल रमण सिंह-

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र करछना जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत लटकहा घाट पर बने पीपे के पुल ही गंगापार एवं जमुनापार दोनों को जोड़ती है। उक्त मार्ग जर्जर एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण जनमानस को आवागमन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भुण्डा, भीरपुर, लटकहा घाट तक लम्बाई लगभग 17.30 कि0मी0 का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाना जनहित में है।

उपरोक्त प्रकरण जन-सामान्य की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए और हमारे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भुण्डा भीरपुर लटकहा घाट तक का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण जनहित में कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए सदन में इस लोक महत्व के विषय की गम्भीर स्थिति पर अविलम्बनीय चर्चा कराने की कृपा करें।]

श्री अध्यक्ष द्वारा नियम-56 की सूचना नेता विरोधी दल के भाषण के बाद लिये जाने के सम्बन्ध में सदन की सूचना

श्री अध्यक्ष-

मेरे सामने अगली मद अब याचिकाओं की है, परन्तु माननीय नेता विरोधी दल, चूँकि आपको बोलना है तो अगर सभी की सहमति हो तो उसको हम बाद में ले लें। अगर आप सभी सहमत हों तो माननीय राम गोविन्द जी का भाषण पहले करा दिया जाए और नियम-56 बाद में लिया जाए। माननीय वर्मा जी, अगर आपकी सहमति हो तो माननीय नेता विरोधी दल को मैं चर्चा के लिये बुलाऊं। नियम-56 कार्य-स्थगन की मद को बाद में ले लेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राम गोविन्द जी, क्षमा करिये, केवल एक लाइन कहना है। आज मद संख्या-10 से लेकर 37 तक जो याचिकाएं यहां पर उपस्थित की जानी थीं वह सभी याचिकाएं उपस्थित की हुयी तथा सदन में पढ़ी हुई मानी गयीं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मनीष असीजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 13 तथा जनपद वाराणसी से सम्बन्धित एक याचिका[†]

श्री मनीष असीजा-

(1) जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम फिरोजाबाद में मोहल्ला अब्बास नगर में गली नं0 2 व 3 तथा मोहल्ला चिस्ती नगर में मुस्ताक चक्की वाली गली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शहजाद अब्बास व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(2) जनपद फिरोजाबाद में मोहल्ला महादेव नगर व श्रीपाल कालोनी की आन्तरिक गलियों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(3) जनपद वाराणसी में श्री श्री मां आनन्दमयी कन्यापीठ, भदैनी में सृजित रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार जोशी व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(4) जनपद फिरोजाबाद में जज न्यायालय में वृद्ध दिव्यांग अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं न्यायिक अधिकारीगण की सुविधा हेतु लिफ्ट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज पाराशर एड0 व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(5) जनपद फिरोजाबाद के आसफाबाद फाटक से माता प्रसाद कलावती महाविद्यालय तक एवं कन्हैया नगर में भीकम सिंह की बाउण्ड्री से पैमेश्वर गेट तक हॉटमिक्स प्लांट से सड़क निर्माण कार्य (पैमेश्वर गेट से आसफाबाद फाटक के बीच) कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यवीर गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(6) जनपद फिरोजाबाद में नगर निगम लेवर कालोनी से सरनाम सिंह आई0टी0आई0 होते हुए छोटेलाल इण्टर कालेज तक के मार्ग का सी0सी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरीश यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(7) जनपद फिरोजाबाद के छोटेलाल स्कूल के सामने से मोहल्ला मेहताब नगर-सुरेश टाल वाले से मुरारीलाल राठौर की चक्की, रामनगर से राजवीर की चक्की से दुर्गेश गुरुदेव मोबाइल सेन्टर तक के मार्ग का सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

[†] छापी नहीं गयी।

(8) जनपद फिरोजाबाद मोहल्ला श्रीराम कालोनी पर पूरी तहर कच्ची चांदनी धाम मन्दिर तक की मुख्य मार्ग एवं लिंक गलियों का सी0सी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवकुमार राठौर व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(9) जनपद फिरोजाबाद में नगर निगम के मोहल्ला कौशल्या नगर में गली संख्या-5 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्ञानचन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(10) जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम में आसफाबाद के मोहल्ला राठौर नगर में मुख्य मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(11) जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम में आसफाबाद के मोहल्ला शान्ति नगर में शिवधनी के मकान से रामप्रकाश राजपूत के मकान तक की गली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सुनीता देवी व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(12) जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम में मोहल्ला नगला मिर्जा बड़ा में रीनाराय स्कूल वाली गली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामभरोसी लाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(13) जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम फिरोजाबाद में मोहल्ला भोले नगर, मोहल्ला-आनन्दीपुरम एवं मोहल्ला-मिश्रा कालोनी की आन्तरिक गलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिनेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई तथा**

(14) जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम में मोहल्ला मथुरा नगर में मुख्य मार्ग एवं लिंक गलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रतीराम गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित सात याचिकाएं[†]

डा0 मुकेश वर्मा-

(1) जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत ग्राम-बरकतपुर में राजवीर के घर से सरकारी ट्यूबवेल तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

[†] छापी नहीं गयी।

(2) जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम लालऊ में लाखन सिंह के खेत से सतेन्द्र की ठार तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लाखन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(3) जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम बसई मोहम्मदपुर में हेतराम बघेल के घर से ठाकुर भरत सिंह के घर तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिओम बघेल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(4) जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम बसई मोहम्मदपुर में सोबरन सिंह नेता जी के घर से नेपाल सिंह दुधिया के घर तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रूपेश बघेल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(5) जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के अन्तर्गत ग्राम दौकेली में दबरई सरगमा मार्ग से राजेन्द्र फौजी के घर होकर दौकेली पानी की टंकी तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(6) जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम बसई मोहम्मदपुर में पथवारी माता के मन्दिर से मुरारीलाल दिवाकर के घर तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंचम सिंह गुर्जर व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई** तथा

(7) जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के अन्तर्गत ग्राम खेड़ा गनेशपुर में शिव मन्दिर से दाऊ दयाल के खेत तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लेखराज व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

श्री धनन्जय कन्नौजिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित पांच याचिकाएं[†]

श्री धनन्जय कन्नौजिया-

(1) जनपद बलिया के तहसील बेल्थरा रोड के अन्तर्गत ग्राम सभा अवायें में स्थित 33/11 विद्युत सब-स्टेशन के अन्तर्गत मिनी स्टोर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुशील मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

[†] छापी नहीं गयी।

(2) जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा रोड के अन्तर्गत ग्राम सभा मालीपुर छितौना में स्थित सिंचाई विभाग के पुराने डाक बंगले के जीर्णोद्धार हेतु धन आवंटित कर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(3) जनपद बलिया के तहसील बेल्थरा रोड के अन्तर्गत विकास खण्ड नगरा के ग्राम सभा भीमपुरा को विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सूर्य प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(4) जनपद बलिया के तहसील बेल्थरा रोड के अन्तर्गत विकास खण्ड नगरा के ग्राम सभा खण्दवा स्थित महात्मा गांधी राजकीय इण्टर कालेज के 75 एकड़ जमीन को अधिकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भुवाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई तथा**

(5) जनपद बलिया के तहसील बेल्थरा रोड के अन्तर्गत विकास खण्ड सीयर के मधुवन ढाला एवं कुण्डेल ढाला पर वाराणसी-गोरखपुर के मुख्य रेल मार्ग के मध्य अण्डरपास बनाये जाने के संबंध में श्री अशोक जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित एक एवं जनपद झांसी से सम्बन्धित एक याचिका†

श्री जवाहर लाल राजपूत-

(1) जनपद कौशाम्बी विकास खण्ड सिराथू के ग्राम असकरनपुर मंगरोहनी में पानी की टंकी द्वारा जल आपूर्ति के सम्बन्ध में श्री रजत खरे व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(2) जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र की गुरसराय मुख्य नहर में रीमॉडालिंग/कच्चे-पक्के कार्यों का निर्माण करा कर पानी की पूरी क्षमता से छोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

श्री अरविन्द गिरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी से सम्बन्धित तीन याचिकाएं †

श्री अरविन्द गिरी-

(1) जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील गोला गोकरननाथ के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् गोला के रिंग रोड के शेष भाग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र गिरी व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

---

† छापी नहीं गयी।

(2) जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील गोला गोकरननाथ के विकास खण्ड बिजुआ के ग्राम बेलहा सिकटिहा के निकट शारदा नदी की सुतिया बन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुरदीप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई तथा**

(3) जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील गोला गोकरननाथ के विकास खण्ड गोला (कुम्भी) के ग्राम सभा के अन्तर्गत कंधरापुर में गोमती नदी पर ककरहा घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

श्री मूलचन्द सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित दो याचिकाएं[†]

श्री मूलचन्द सिंह-

(1) जनपद जालौन के तहसील उरई के अन्तर्गत पॉलीटेक्निक प्रांगण में इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई** तथा

(2) जनपद जालौन के तहसील कोंच के अन्तर्गत विकास खण्ड कोंच के पेयजल पाइप लाइन के पुनः डाले जाने के सम्बन्ध में श्री बादाम सिंह कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद की एक एवं जनपद बाराबंकी से सम्बन्धित एक तथा जनपद उन्नाव से सम्बन्धित आठ याचिकाएं†

श्री अनिल सिंह-

(1) जनपद गाजियाबाद के नियंत्रणाधीन नगर निगम गाजियाबाद में कतिपय कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री ओमवती देवी व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(2) जनपद उन्नाव विधान सभा क्षेत्र पुरवा में विभिन्न ग्रामों के मार्गों का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(3) जनपद बाराबंकी में सार्वजनिक विद्यालय इण्टर कालेज, हैदरगढ़ में सहायक लिपिक के वेतन भुगतान के संबंध में श्री आयोनिज प्रकाश मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

[†] छापी नहीं गयी।

(4) जनपद उन्नाव के विभिन्न विकास खण्डों के ग्रामों में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रिंशू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(5) जनपद उन्नाव विधान सभा क्षेत्र भगवन्त नगर के ग्रामों में इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(6) जनपद उन्नाव विधान सभा क्षेत्र पुरवा विकास खण्ड असोहा के अन्तर्गत कालूखेड़ा से मझिगवां पुरवा मार्ग से भटपुरा पुलिया होते हुए गिसहामऊ तक कच्चा मार्ग का डामरीकरण/नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील रावत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(7) जनपद उन्नाव विधान सभा क्षेत्र भगवन्त नगर में पुरवा बिहार सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने के संबंध में श्री रमेश चन्द्र तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(8) जनपद उन्नाव विधान सभा क्षेत्र पुरवा के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम सभा राधा नगरी से ग्राम सभा एकघरा तक (ल0 लगभग 10 कि0मी0) के जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(9) जनपद उन्नाव विधान सभा क्षेत्र पुरवा के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम सभा गोसाई खेड़ा से ग्राम सभा राधा नगरी तक (ल0 लगभग 10 कि0मी0) के जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव रतन व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई** तथा

(10) जनपद उन्नाव विधान सभा क्षेत्र भगवन्त नगर के ग्रामों में इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित तीन याचिकाएं[†]

श्री सत्यवीर त्यागी–

(1) जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम खोजापुर से ग्राम किनानगर इण्टर कॉलेज तक ब्लॉक रजपुरा जाने वाले रास्ते का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय बंसल व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

[†] छापी नहीं गयी।

(2) जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम कस्तला शमशेरनगर से ग्राम औरंगाबाद की तरफ ब्लाक रजपुरा जाने वाले रास्ते का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री निशांत शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई** तथा

(3) जनपद मेरठ के अन्तर्गत गांवडी तक ब्लॉक माछरा जाने वाले रास्ते का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतेन्द्र त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री बहोरन लाल मौर्य-

(1) जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत सेनीखेड़ा बशुधरन मार्ग से दलपतपुर तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामपाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(2) जनपद बरेली के अन्तर्गत धौरा टाण्डा से जनक जागीर होते हुए नियोधना तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूरत पाल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(3) जनपद बरेली के अन्तर्गत सिंगाई कायस्थान से नवेदिया तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(4) जनपद बरेली के अन्तर्गत फरीदपुर कैनाल से बढ़कापुर तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(5) जनपद बरेली के अन्तर्गत कुमरा से हाई-वे तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के संबंध में श्री राजीव कन्नौजिया व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका **उपस्थित की हुई मानी गई।**

श्री संजय सिंह गंगवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित तीन याचिकाएं†

श्री संजय सिंह गंगवार-

(1) जनपद पीलीभीत में बरेली हाई-वे रोड से खरुआ सैजना तक मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में श्री लाखन व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

---

† छापी नहीं गयी।

(2) जनपद पीलीभीत में ग्राम सरौरी से चांदडांडी तक मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामपाल (प्रधान) व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई** तथा

(3) जनपद पीलीभीत में अमरिया रोड से ग्राम फलईया होते हुये ग्राम वगनेरा तक मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित चार याचिकाएं †

श्री बृजेश कुमार-

(1) जनपद उन्नाव में लखनऊ कानपुर रोड (एन0एच0-31) पर नवाबगंज टोल टैक्स को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री विकास शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(2) जनपद उन्नाव के निर्वाचन क्षेत्र मोहान के ग्राम मिर्जापुर अजगांव के सामने सई नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री हजारी लाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(3) जनपद उन्नाव के निर्वाचन क्षेत्र मोहान के ग्राम कटरा तरौना व अदौरा के बीच बेता नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीराम मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई** तथा

(4) जनपद उन्नाव के निर्वाचन क्षेत्र मोहान के अन्तर्गत लखनऊ-बांगरमऊ मार्ग पर लखपेड़ा चौराहे से ऊंचेहार होते हुए वि0ख0 औरास में उन्नाव-सण्डीला मार्ग को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामआसरे व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

श्रीमती निर्मला संखवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित तीन याचिकाएं†

श्रीमती निर्मला संखवार-

(1) जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड रसूलाबाद के ग्राम सभा असालतगंज में बारात घर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(2) जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड रसूलाबाद के ग्राम सभा कुदौली में बारात घर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई** तथा

---

† छापी नहीं गयी।

(3) जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड रसूलाबाद के ग्राम सभा जोत में बारात घर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुशील कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

श्री लाल जी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकर नगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं†

श्री लाल जी वर्मा-

(1) जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी के विकास खण्ड कटेहरी के अन्तर्गत महरुआ-दोस्तपुर मार्ग से नसीरपुर नसेड़ी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सियाराम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(2) जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी के विकास खण्ड भीटी के अन्तर्गत उमरावा, बथुआ, चन्दौका जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामबली व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(3) जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी के अन्तर्गत बरहा नियामत चक खास सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मित्रसेन व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(4) जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी विकास खण्ड के अन्तर्गत फतेहपुर-बेलाबाग सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई** तथा

(5) जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी के विकास खण्ड के अन्तर्गत रामपुर ग्रन्ट चौराहा से बथुआ चन्दौका का जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गौतम निषाद व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित एक याचिका †

श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

जनपद कुशीनगर में ग्राम पट्टन धूस में मिनी स्टेडियम एवं तरणताल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री विश्वास सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

---

† छापी नहीं गयी।

श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महाराजगंज से सम्बन्धित एक याचिका†

श्री राकेश प्रताप सिंह-

जनपद महराजगंज में ग्राम सभा पैसिया बाबू पोस्ट चड़लहा के ग्राम प्रधान द्वारा प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, शौचालय एवं राज्य वित्त बारहवां व चौदहवां की धनराशि में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री दुर्गा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

श्रीमती लीना तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित एक याचिका†

श्रीमती लीना तिवारी-

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मडियाहूँ में पेयजल हेतु पानी की टंकी का ओवर हेड टैंक स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री वरुण दुबे पुत्र स्व0 कैलाश दुबे व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

डा0 जमुना प्रसाद सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित एक याचिका †

डा0 जमुना प्रसाद सरोज-

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में चेकडैम निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू सिंह पुत्र श्री रणविजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस', सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित एक याचिका †

श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस'-

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम पंचायत जैतीपुर में जर्जर विद्युत लाइन को नई विद्युत लाइन कराने के सम्बन्ध में श्री दाता राम व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित एक याचिका †

श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट-

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के विकास खण्ड मोहनलालगंज के ग्राम दीवानगंज के पास स्थित बांक नाले पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

† छापी नहीं गयी।

श्री अखिलेश द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

श्री मो0 फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित एक तथा जनपद सम्भल से सम्बन्धित दो याचिका †

श्री मो0 फईम इरफान-

(1) जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के अन्तर्गत ग्राम थांवला से मनकुला, रायपुर होते हुए बीरमपुर तक नवीन डामर मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में मो0 अनीस व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(2) जनपद सम्भल की तहसील चंदौसी के अन्तर्गत ग्राम खनुपुरा स्योडारा से ग्राम भगतपुर मिर्जा के सम्पर्क मार्ग तक सी0सी0 रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री महावीर व अन्य निवासीगण जनपद सम्भल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई** तथा

(3) जनपद सम्भल की तहसील चंदौसी के अन्तर्गत ग्राम बलकरनपुर के मंदिर से ग्राम नटियाखेड़ा सम्पर्क मार्ग तक नवीन डामर रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री विकास व अन्य निवासीगण जनपद सम्भल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित आठ याचिकाएं†

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

(1) जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में धार्मिक स्थल कुबेरस्थान, कुलकुला देवी, धुपसागर, सतगुडही, कुर्मौटा, मंझरिया एवं शिवमंदिर करहिया का सुन्दरीकरण कर पर्यटन के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में श्री विनोद तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(2) जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के कसया सामुदायिक केन्द्र पर ट्रामा सेंटर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(3) जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में नगर पालिका परिषद् कुशीनगर के नगर पालिका प्रशासनिक/कार्यालय जर्जर जीर्ण-शीर्ण व परित्यक्त अनुकूल भवन के नवनिर्माण के सम्बन्ध में श्री राजू मद्धेशिया व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(4) जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत कुडवा उर्फ दिलीपनगर जो सब्जी उत्पादक बाहुल्य ग्राम सभा है, मण्डी समिति कसया तक आने के लिए

---

† छापी नहीं गयी।

सुगम पिच मार्ग का निर्माण मंडी परिषद् द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नवीन देव पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(5) जनपद कुशीनगर में कसया पशु अस्पताल के अवैध रूप से अतिक्रमणित भूमि को खाली करा कर जर्जर, जीर्ण-शीर्ण व परित्यक्त अनुकूल भवन के नवनिर्माण व बाउन्ड्रीवाल कराने के सम्बन्ध में श्री छेदी शर्मा व अन्य निवासी वार्ड-4, जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(6) जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड पडरौना व विकास खण्ड हाटा की सहकारी समितियों के जीर्ण-शीर्ण भवनों के नवनिर्माण के सम्बन्ध में श्री गौरव चौबे व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(7) जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत एन0एच0-28 ग्राम पकड़ीहवा से खास भैंसहा होते हुए शमशान घाट तक पिच रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लवकुश सिंह पटेल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई** तथा

(8) जनपद कुशीनगर में विकास खण्ड तमकुही, फाजिलनगर रामकोला व मोतीचक की सहकारी समिति के जीर्ण-शीर्ण परित्यक्त अनुकूल भवनों के नवनिर्माण के सम्बन्ध में श्री बांके शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

डा0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित नौ याचिकाएं †

डा0 डी0सी0 वर्मा-

(1) जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के बल्ली-शीशगढ़ मार्ग बल्ली तक रोड का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री छेदालाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(2) जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम दुनकी में तालाब में सुरक्षा का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री रामपाल वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(3) जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम दोंद की गौटिया से जिला रामपुर सीमा तक व दौदे की गौटिया से हल्दीकला रोड तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केदारनाथ लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

---

† छापी नहीं गयी।

(4) जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम बकैनिया बीरपुर से ग्राम दुनका तक रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामस्वरूप व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(5) जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम कपूरपुर से बाबा कैलाशमणी रामगंगा तक पैंटून पुल रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरीश कुमार लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(6) जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम बैरमनगर से ग्राम सुकटिया तक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भीमसेन मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(7) जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम श्यामपुर से ग्राम हरदोई तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन पाल राठौर व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(8) जनपद-बरेली की तहसील-मीरगंज के ग्राम-दुनकी से ग्राम-बकैनिया बीरपुर तक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयपाल लोधी व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई** तथा

(9) जनपद-बरेली की तहसील-मीरगंज में बल्ली-शीशगढ़ मार्ग से ग्राम-मलूकपुर तक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री खंजनलाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं †

श्री राम अचल राजभर-

(1) जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित सिकंदरपुर-सम्मनपुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम सभा गंगिला के रक्षाराम राजभर के खेत तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रक्षाराम राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(2) जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा सिउरा से रामजन यादव के खेत तक क्षतिग्रस्त संपर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर बहादुर यादव (प्रधान) व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका **उपस्थित की हुई मानी गई** तथा

† छापी नहीं गयी।

(3) जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा अंगवल के प्राथमिक विद्यालय नेनुआ पिच रोड से दलित बस्ती होते हुए अंगवल दलित बस्ती पिच रोड तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित तेरह याचिकाएं †

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

(1) जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम बनकटा में नीमधट्टा समयमाता पर सीढ़ी निर्माण एवं सुन्दरीकरण कराये जाने के संबंध में श्री पप्पू तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(2) जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत ग्राम बड़ागांव में इण्टरलाकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहन यादव व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(3) जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत ग्राम पिपरिया महिपाल सिंह में इण्टरलाकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मंशाराम मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(4) जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड तेजवापुर के अन्तर्गत मोहल्ला सूफीपुरा मोड़ से अर्जुन पाण्डे के मकान से होते हुए दिनेश यादव के घर तक डामर रोड एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुज पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(5) जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड पयागपुरा के अन्तर्गत ग्राम सहदेई पुरवा से पड़री गांव तक डामर रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री सुषमा चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(6) जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड चित्तौरा के अन्तर्गत ग्राम सुसरौली में बलरामपुर मेन रोड से सुसरौली होते हुए गोबरधन्ना तक डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामराज (प्रधान) व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

---

† छापी नहीं गयी।

(7) जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड चित्तारौ के अन्तर्गत सुसरौली में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामराज (प्रधान) व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(8) जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत ग्राम पिपरियां महीपाल सिंह में डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मंशाराम मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(9) जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम रजुवापुर में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(10) जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत ग्राम सरवा में डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(11) जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत ग्राम बड़ागांव में इण्टरलाकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभुनाथ व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(12) जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम भिंगुरी में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीनानाथ पाठक व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई** तथा

(13) जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम बनकटा में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

श्रीमती सुचिस्मिता मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं[†]
श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या-

(1) जनपद मिर्जापुर की तहसील मिर्जापुर के विकास खण्ड सिटी के रीवां रोड से मगरदाकलॉ सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई** तथा

(2) जनपद मिर्जापुर की तहसील मिर्जापुर के विकास खण्ड पहाड़ी के जरहां जद्दपुर सम्पर्क मार्ग में गड़ाघाट रपटा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

[†] छापी नहीं गयी।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित दो याचिकाएं †

श्री बम्बा लाल-

(1) जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत मवई बृम्हनान मण्डी परिषद् द्वारा प्रस्तावित फल मण्डी व सब्जी मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नेहरु गौड़ व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई** तथा

(2) जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में डिग्री कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रसाद गौड़ व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

श्री असलम अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित दो तथा जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित दो याचिका †

श्री असलम अली-

(1) जनपद हापुड़ के विकास खण्ड धौलाना के ग्राम पिपलेहड़ा से भूडगढ़ी तक के कच्चे मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री सुलेमान भाटी व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(2) जनपद हापुड़ के विकास खण्ड हापुड़ के ग्राम जोगीपुरा से ग्राम सरावा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री आरिफ अली व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(3) जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड रजापुर के जिंदल नगर के एन0एच0-09 से ग्राम मोहिउद्दीन ढबारसी तक जर्जर टूटे पड़े मार्ग का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के संबंध में श्री इस्तेखार (प्रधान) व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई** तथा

(4) जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड रजापुर के ग्राम मंसूरी से ग्राम नाहल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री फरियाद, पूर्व प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित चार याचिकाएं †

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

(1) जनपद रायबरेली की घनी आबादी में बने पोस्टमार्टम घर को ग्रामीण क्षेत्र के बाहर निर्जन स्थान पर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सचिन त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

---

† छापी नहीं गयी।

(2) जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार, विकास खण्ड रोहनियां में गौरी शंकरन् मंदिर को पर्यटन स्थल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

(3) जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार, विकास खण्ड जगतपुर में धूता रेलवे क्रासिंग से गंगा घाट कोलाहा तक मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में श्री राजू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई** तथा

(4) जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार में डलमऊ कैनाल का खराब पम्प ठीक कराकर किसान हित में शीघ्र चलाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम पटेल व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, **उपस्थित की हुई मानी गई।**

[03:53] वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा

श्री अध्यक्ष-

अब हम बजट पर साधारण चर्चा प्रारम्भ करते हैं। माननीय नेता विरोधी दल।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने वित्तीय वर्ष 2020-2021 के बजट पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मान्यवर, जबसे भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार आयी है, उत्तर प्रदेश का जन-जीवन तनावग्रस्त हो गया है। भय का वातावरण बना हुआ है।

लाखों-करोड़ों रुपया देश के पूंजीपतियों का सरकार ने माफ किया। यह पूंजीपतियों के बारे में आपका व्यू और किसानों के बारे में आपका व्यू। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे साथी बैठे हैं, जरूर कोशिश करता हूं कि उनको सही रास्ते पर ले आऊं। मा0 महाना जी, हमारे मित्र भी हैं, अच्छे मित्र भी हैं। वर्ष 2018-19 का बजट औद्योगिक विकास को समर्पित था और इन्होंने नीति कितनी बनायी, मैंने उस दिन भी कहा था कि इनकी योजनाओं को अगर एक बोरे में रखकर किसी व्यक्ति के कपाल पर रख दिया जाए तो वह बैठ जाएगा, इतनी योजनाएं हैं, उसी तरह इनकी भी योजनाएं हैं, देख लीजिए।

हमारी मां, बेटी और बहनें घर के अन्दर और बाहर सुरक्षित नहीं हैं। हमारी बेटियां पढ़ने जाती हैं तो वह डरी-सहमी होती हैं जब तक वापस घर नहीं लौट आती हैं तब तक उनके परिजन चिन्तित रहते हैं। भाजपा सरकार धर्म एवं जाति के नाम पर केवल वोट मांगने का काम कर रही है, विकास कार्य अवरुद्ध हो गये हैं। यह लोग जो योजनायें बनाते हैं वह सिर्फ दिवास्वप्न की तरह दिखायी देते हैं। धरती पर कुछ नहीं है, ये योजनायें केवल कागज, अखबार और चैनलों में दिखायी देती हैं। ये हमेशा जाति-धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। ये योजनायें केवल दिवास्वप्न हैं, हकीकत कुछ भी नहीं है। योजनाओं की

सार्थकता के लिए हौसले की जरूरत होती है। हमारी योजना पूरी हो, हममे विल पॉवर होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए जो कि इनमें नहीं है। हौसला इनमें इसलिए नहीं है क्योंकि यह लगातार जनता को धोखा दे रहे हैं, ठग रहे हैं और झूठी बातों में फंसा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, योजनाओं की सार्थकता के लिए हौसले की जरूरत होती है। संसदीय कार्य मंत्री जी, जरा नजर मिलाये रखिये क्योंकि मुख्य मंत्री जी तो आज हैं ही नहीं।

''मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है,
तन से कुछ नहीं होता हौसले से उड़ान होती है''

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत हल्ला हुआ कि अब तक का सबसे बड़ा बजट हम लेकर आए हैं। इतना बड़ा बजट लेकर आए कि विधान सभा में समा ही नहीं रहा है, यह इतना बड़ा बजट लेकर आए हैं। पिछली बार जब बजट लेकर आए थे तब भी इनके द्वारा यही कहा गया था कि सबसे बड़ा बजट लेकर हम आए हैं। मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि जब हम लोग उधर आएंगे (सत्ता में) तो आपसे बड़ा बजट लेकर आएंगे। यह तो सरकारों की प्रक्रिया है हर साल बजट थोड़ा-थोड़ा बढ़ाते हैं। उस दिन आपने 5 लाख 12 हजार 880 करोड़ 72 लाख का बजट रखा था और आपका बजट तो शुभ ऐसे ही हो गया था। माननीय अध्यक्ष जी, जब आदमी अपने घर से किसी यात्रा के लिए निकलता है और यदि गधे की आवाज आ जाये तो वह आदमी वापस घर लौट आता है और उसके बाद गुड़-पानी पीकर ही घर से बाहर निकलता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने गदगद स्वर में जो अपनी पहली चौपाई रखी वह इनके बजट के लिए अशुभ हो गयी। मैं बता रहा था कि 5 लाख 12 हजार 880 करोड़ 72 लाख का बजट आपने रखा है। पिछली बार आपने 4 लाख 79 हजार 701 करोड़ 10 लाख का बजट रखा था केवल 33 हजार 156 करोड़ 62 लाख का यह बजट आपके पिछले बजट से अधिक है, अर्थात् 6.46 प्रतिशत है। माननीय अध्यक्ष जी, महंगाई दर 7.35 है अर्थात् बजट का आकार महंगाई की दर से लगभग 1 प्रतिशत कम है। बजट का आकार रुपये की क्रय शक्ति के आधार पर 1 प्रतिशत घट गया है, तो फिर इनका पिछले बजट से भी यह बजट घट गया है और यह कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा बजट लेकर आए हैं। आपसे मैंने बताया कि पिछले बजट से भी 1 प्रतिशत बजट इनका घट गया है। श्रीमन् नई योजनायें पिछले वर्ष 2019-20 में 21 हजार 212 करोड़ 95 लाख की थीं।

इनकी नई योजनायें, इस बार 2020-21 में केवल 10 हजार 667 करोड़ 87 लाख की ही नई योजनायें हैं। आपका बजट बढ़ा हुआ है, नई योजनायें घट रहीं हैं तो बढ़ा हुआ पैसा क्या होगा, जब आपके पास योजना ही नहीं है ? रुपये 10 हजार 245 करोड़ 95 लाख कम हैं अर्थात् 48.3 प्रतिशत पिछले वर्ष से इस बार नई योजनायें कम हो गयीं आपकी। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने राजस्व व्यय के लिए रुपया 3 करोड़ 63 लाख 957.04 करोड़ लिया था, रुपया 10 लाख 615000.35 करोड़ अनुपूरक मांगों में लिया गया था। पहले इन्होंने

3 करोड़ से अधिक लगभग 4 करोड़ फिर 10 करोड़ से अधिक लगभग 11 करोड़ अनुपूरक में लिया। रुपया 19 लाख 973.73 करोड़ खर्च नहीं कर सकी और इनके बांटे हुए खण्ड में खण्ड-2 पृष्ठ-1 पृष्ठ-2.13 आपके साहित्य में है।

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ, मान्यवर 19 लाख करोड़ बता रहे हैं, 19 लाख करोड़ का तो बजट ही नहीं है, आपके लिए ही बता रहा हूँ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इसमें होता नहीं है। कतई सुझाव न दें आप बैठिये। आप हमेशा यह बताते हैं, आप बैठ जाइये। श्रीमान, राजस्व लेखे में वर्ष 2019-20 में रुपया 22 लाख 322.87 करोड़ बच गया, पृष्ठ-2.16 पर है। राजस्व लेखे में सरकार अब तक निर्विरोध धन खर्च नही कर सकी अभी तक। जो दिया गया शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति विभाग 39.61 प्रतिशत खर्च हुआ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो सबसे आवश्यक है जनता के लिए 7.21 प्रतिशत। जलापूर्ति, सफाई एवं शहरी विकास 3.83 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों-जनजातियों तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण, नेता सदन वो तो कुछ भी बोलते हैं, बोले कि पिछली सरकारें पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति का वजीफा खा जाती थी। हम तो दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं ? अनुसूचित जातियों, जन जातियों के वर्ग के कल्याण के लिए जो खर्च हुआ है 1.71 समाज कल्याण तथा पोषण 6.46 कृषि तथा सम्बद्ध कार्य कलाप 4.26 ग्राम विकास 2.64 परिवहन 8.03 माननीय अध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी यह कुछ विभागों के खर्च का मैंने केवल आपको आईना दिखाया है जो पिछला बजट आपने पास किया उसको खर्च किया ही नहीं, अनुपूरक लिया उसको खर्च किया ही नहीं और फिर सबसे बड़ा बजट हम लेकर आ रहे हैं, किसलिए ला रहे हैं ? प्रदेश की जनता को सुनाने के लिए कि हम बहुत बड़ा बजट लेकर काम करते हैं, जनता का। यह खर्च करते ही नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, घर का मालिक वह सबसे बढ़िया कहलाता है जो खूब कमाये और खूब खर्च करे। यहां न कमाई है न खर्च है कुछ है ही नहीं केवल घाटा, घाटा, घाटा, घाटा, घाटा है। पैसा बजट का पास होता है कहां गया किसी को पता नहीं।

माननीय अध्यक्ष जी, बिजली का रेट कई बार बढ़ाया और फिर रेट बढ़ाकर जनता पर भार बढ़ाने जा रहे हैं। निम्नलिखित विभागों में अधिक कर प्राप्त होने का अनुमान इन लोगो ने लगाया है अर्थात् जनता पर कर का भार डाला जायेगा। वित्तीय वर्ष 2020-2021 के वार्षिक बजट अनुमान के खण्ड-2 भाग-1 के पृष्ठ-2.19 तथा पृष्ठ 2.20 पर अंकित राजस्व लेखे प्राप्तियों को देख लीजिये। इसमें राजस्व वस्तुयें एवं सेवा कर में बढ़ा रहे हैं 19.44 प्रतिशत, भू-राजस्व में लगा रहे हैं 35.86 प्रतिशत, स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस में लगा रहे हैं 29.13 प्रतिशत, राज्य उत्पाद शुल्क में 27.54 प्रतिशत, बिक्री व्यापार कर में 26.53 प्रतिशत, वाहन कर में 14.3 प्रतिशत, विद्युत कर तथा शुल्क में 36.22 प्रतिशत, पुलिस

में 23.63 प्रतिशत, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य में 68.32 प्रतिशत, सड़क तथा सेतु में 58.99 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर रहे हैं। यह बढ़ा हुआ टैक्स जनता पर जायेगा। आप जनता को दे तो कुछ नहीं रहे हैं लेकिन आप जनता पर कर का भार लादे चले जा रहे हैं, महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। जनता के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं का समाधान, गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के कार्यक्रम केवल कागजी हैं और यथार्थ में कुछ भी नहीं है। आप खण्ड-2 भाग-1 के पृष्ठ-2.14 को देख लीजिये राजस्व लेखे में कमी कर दी गई है। पिछले वर्ष से इस बार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के कार्यक्रम के लिए 1.71 प्रतिशत की कमी कर दी है। ग्राम्य विकास में 2.64 प्रतिशत की कमी कर दी है, ऊर्जा विभाग में 4.70 प्रतिशत की कमी की गई है। यह सब मैंने आप ही के बजट साहित्य से निकाला है ताकि इस बार आप यह न कहें कि आप कहां से बोल रहे हैं इसलिये मैं भाग, खण्ड और पृष्ठ सब आपको बता दे रहा हूँ भविष्य निधि, स्थानीय निधियों की जमा और अन्य क्षेत्रों की आरक्षित निधियों, जमा राशि, अग्रिम आदि लोक लेखा से पिछले वर्ष से 1000 करोड़ कम राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है अर्थात् सरकारी जमा निधियों में भारी कमी हो रही है। अब आप खण्ड-1, भाग-2 के पृष्ठ-2.27 पर आ जाइये। राजस्व बचत के रूप में वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 27777.36 अनुमानित था जो घटकर 26282.17 रह गया था, वित्तीय वर्ष 2020-2021 में 27450.88 रहने का अनुमान किया गया था जो अब 326.48 करोड़ कम होने का अनुमान है, जो प्रदेश के लिए संवेदनशील स्थिति है। राजकोषीय घाटा को देख लीजिये। वित्तीय वर्ष 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद 2.38 प्रतिशत था, 2019-20 में 2.98 प्रतिशत हुआ और अब 2020-21 में 2.97 प्रतिशत का अनुमान रखा है। यह भी कम हुआ है। मान्यवर, प्राथमिक घाटा, वर्ष 2019-20 में 11536.70 करोड़ का अनुमान था, जो बढ़कर 15 हजार 842.50 करोड़ हो गया और वह वर्ष 2020-21 में 15 हजार 104.20 करोड़ रुपये का प्राथमिक घाटा होने का अनुमान है, जो और भी बढ़ने की सम्भावना है यह संवेदनशील स्थिति है। खण्ड-2, भाग-1, पृष्ठ-2.27 आप देख लीजिएगा सब वही है, जो आपने सभी मा0 सदस्यों को दिया है। श्रीमन्, जब यह बजट पेश करते हैं और किसी को समर्पित करते हैं, जैसे लोकभवन मा0 अखिलेश यादव जी ने बनाया है और देश के महान नेता श्री अटल बिहारी जी की मूर्ति लगाकर समर्पित इन्होंने कर दिया। वर्ष 2017-18 का बजट इन्होंने रखा है वह किसानों को समर्पित रखा है। वर्ष 2018-19 का बजट औद्योगिक विकास को समर्पित है। वर्ष 2019-20 का बजट महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित रखा है। वर्ष 2020-21 का बजट युवाओं की शिक्षा, कौशल, संवर्धन, रोजगार के साथ-साथ जनता की मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने हेतु समर्पित किया है। किसान को हमने यह पूरा बजट समर्पित कर दिया है और किसान पूरा फूला नहीं समा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान को बजट समर्पित किया है और उसमें किसान ने पाया क्या केवल आधा-अधूरा कर्ज माफ, आधा-अधूरा कर्ज माफ केवल, उसके बाद कुछ नहीं। आज किसान

महंगी बिजली, महंगी खाद, महंगा पानी, महंगा सिंचाई, महंगी मजदूरी से परेशान है। महंगाई की मार झेलता हुआ जब फसल तैयार करता है, तो जानवर फसलों को खा जाते हैं। जब किसान खेत में जाता है हतप्रभ हो जाता है। किसान की उपज का दोगुना मूल्य यह आज तक नहीं दे पाये हैं। किसान रोज आत्महत्या कर रहा है। अकेले महोबा में आपकी सरकार में हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली है। मेरे पास इसका प्रमाण है। इस बार बिना प्रमाण के कोई बात नहीं होगी। श्रीमन् किसान के सामने उसका भविष्य बिल्कुल अंधेरे में दिखाई दे रहा है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गयी है। किसान ही एक ऐसा वर्ग है जिसको कहीं से कुछ एक्सट्रा नहीं मिलता है। उसको एक्सट्रा देना है। वह थाने पर जाये तब, तहसील में जाये तब, लेखपाल के यहां जाये तब, मंदिर जाये तब, मस्जिद जाये तब हमें किसान को कुछ न कुछ देना ही है, क्योंकि उसको कोई देने वाला नहीं है। श्रीमन् किसान ही एक ऐसी जाति है जिस पर मानव से लेकर चिड़िया, जानवर सभी लोग किसान पर ही निर्भर हैं।

हमारी ही खेती को जानवर भी चरता है, चिड़िया चुनगुन भी खाती है। हम किसान 24 घण्टे में 18 घण्टे अपने खेत और खलिहान में कड़ाके का जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो अपनी हड्डी को तोड़ते हैं और अन्न पैदा करते हैं। जनवरों के चरने, चिड़ियों के खाने के बावजूद भी किसान इतना पैदावार करता है कि आपका भी पेट पालता है और आप बाहर भी भेजते हैं। उस किसान के साथ इस तरह का व्यवहार। अकेले महोबा में हजारों किसानों ने आत्महत्या की, इस प्रदेश में कई हजार किसानों ने आत्महत्या कर लिया है। मा0 अध्यक्ष जी, गन्ना किसान अच्छा गन्ना पैदा करके मिलों में देते हैं। चीनी परता दर 0.54 प्रतिशत बढ़ गयी है। परन्तु भाजपा सरकार ने गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की है। काश्तकार किसान मजबूर होकर पूराने रेट पर इतनी महंगाई बढ़ने के बाद भी, खाद महंगी, बिजली महंगी, सिंचाई महंगी, इसके बाद भी पुराने रेट पर देने के लिए मजबूर है। मा0 अध्यक्ष जी 2016-17 में मा0 श्री अखिलेश यादव की सरकार ने 25 रुपया प्रति कुन्तल गन्ने का दाम बढ़ाया था उसके बाद आज तक एक पैसा भी गन्ना का दाम नहीं बढ़ाया गया है।

गन्ना एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री सुरेश राणा)-

मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं एक जानकारी दे रहा हूँ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हम भी आपका सम्मान करते हैं। आप हमारे मित्र हैं। लेकिन बीच में यह गलत बात है। आपका भाषण होगा। तब जानकारी दीजिएगा। श्रीमन्, जब हमारी सरकार में 25 रुपया प्रति0 कुं0 की वृद्धि हुयी तो गन्ना किसान खुश हुये और 2017-18 में 120.5 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। परन्तु भाजपा सरकार की उपेक्षात्मक नीति के कारण 2018-19 में चीनी उत्पादन घटकर 118.22 लाख टन रह गया। 2019-20 में 1.15 प्रतिशत गन्ने का क्षेत्रफल घट गया। किसानों की उपेक्षा के कारण प्रदेश का खाद्य उत्पादन और कृषि विकास दर से 1.4 प्रतिशत कम रह गया है। वर्ष 2019-20 में सरकार कृषि विकास दर 5.1 प्रतिशत के

सापेक्ष केवल 3.7 प्रतिशत लक्ष्य ही हासिल कर सकी है। मा0 अध्यक्ष जी, किसान तो बर्बाद हो गया और खुश तब होगा जब हमारी सरकार आयेगी। क्योंकि मा0 मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव ने किसानों की खुशहाली बढ़ाये रखने के लिए सरकारी नहर और सरकारी ट्यूबवेल से पानी फ्री कर दिया था। इस प्रदेश में, देश में अगर किसी की निगाह किसानों पर गई तो वह मा0 मुलायम सिंह यादव जी की गई। उन्होंने किसान के साथ दुर्घटना होने पर और यदि किसान के पास एक धुर भी जमीन है और उसका परिवार अनाथ हो गया है, तो उसको एक लाख रुपये देने की घोषणा की थी और जब मा0 अखिलेश यादव जी मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने किसानों को पांच लाख रुपया देने की घोषणा की थी। किसान के साथ दुर्घटना हो जाए और वह मर जाए, किसान की सांप के काटने से, किसान की नदी में डूबने से, किसान पर आकस्मिक बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार के भरण-पोषण के लिए मा0 अखिलेश यादव जी ने पांच लाख रुपये देने की घोषणा की थी। उन्होंने सिंचाई मुफ्त कर दी थी, गन्ने के दाम को बढ़ाया, फसल बीमा योजना लागू की थी। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पूर्वांचल में जबरदस्त ओला पड़ा था, फसलें बर्बाद हो गई थीं, मा0 अखिलेश यादव जी ने इतना दाम दिया कि जितना किसान को फसल के तैयार होने पर भी नहीं मिलता, उतना पैसा मा0 अखिलेश यादव जी ने किसानों के खाते में डाल दिया था। मा0 अध्यक्ष जी आप गवाह हैं कि शुरू में जबरदस्त बाढ़ आई थी। तीन हिस्से जनपदवार बाढ़ की चपेट में थे। मेरे विधान सभा क्षेत्र बलिया में इधर से गंगा और इधर से घाघरा बीच में इतनी रिकार्ड तोड़ बारिश हुई कि 100 वर्षों में इतनी बारिश कभी भी नहीं हुई। बहुत से किसान धान की पेड़ी तक नहीं लगा पाए क्योंकि धान का जो बीज लगाया था वह सब सड़ गया। अगर वह किसान किसी अन्य जनपद से धान का बीज खरीद कर ले आए और धान की रोपाई की तो फिर इतनी जबरदस्त बारिश हो गई कि वह धान का बीज खेत में सड़ गया। मैंने इसी सदन में मांग की थी कि जैसे मा0 अखिलेश यादव जी ने किसानों की फसल बर्बाद होने पर उसका पूरा मुआवजा दिया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी किसानों को मुआवजा दे, लेकिन किसानों को एक पैसा भी नहीं मिला और खरीफ की बुआई शुरू हो गई है, धीरे-धीरे कटाई शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हम किसानों के हितैषी हैं। महोबा के किसानों की आत्महत्या की लिस्ट आ गई है जो एथेन्टिक है, आपके पास भेज दूं, आप जांच कराइए। महोबा में किसानों की आत्महत्या की लिस्ट 12 पन्नों की है, जिसके अक्षर लाल हैं। भारतीय जनता पार्टी हजारों किसानों की खूनी है।

श्री अध्यक्ष-

आपका आरोप सरकार पर है या पार्टी पर है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, हमारा आरोप सरकार पर है, यह सरकार कर रही है, सरकार के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए यह सरकार किसानों के मामलें में, किसानों की

समस्याओं का समाधान करने में फिसड्डी साबित हुई है। यह हम लोग पहले से ही कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पोषक है। समाजवादी पार्टी गरीब, गांव और किसान की पोषक है। देश में एक प्रतिशत लोगों के हाथ में पूरे हिन्दुस्तान की 50 प्रतिशत पूंजी है और बाकी देशों में ऐसा नहीं है। किसान कर्जमाफी के लिए तड़प रहा है, आत्महत्या कर रहा है और लाखों, करोड़ों रुपया देश के पूंजीपतियों का सरकार ने माफ किया। यह है पूंजीपतियों के बारे में आपका व्यू और किसानों के बारे में आपका व्यू। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे साथी बैठे हैं, जरूर कोशिश करता हूँ कि उनको सही रास्ते पर ले आऊं। मा0 महाना जी, हमारे मित्र भी हैं, अच्छे मित्र भी हैं। वर्ष 2018-19 का बजट औद्योगिक विकास को समर्पित था और इन्होंने नीति कितनी बनायी, मैंने उस दिन भी कहा था कि इनकी योजनाओं को अगर एक बोरे में रखकर किसी व्यक्ति के कपाल पर रख दिया जाए तो वह बैठ जाएगा, इतनी योजनाएं हैं, उसी तरह इनकी भी योजनाएं हैं, देख लीजिए।

(इसी समय 12 बजकर 56 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पीठासीन हुए)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति-2017, उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति-2017, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2017, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2017, उत्तर प्रदेश एम0एस0एम0अई0 एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति-2017, उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति-2017, वस्त्रोद्योग नीति-2017, फेरी नियमावली-2017, उत्तर प्रदेश खनन नीति-2017, आदमी पढ़कर ही बिल्कुल बैठ जाएगा कि अरे! बाप रे बाप, जब योजना इतनी हैं तो काम कितना हुआ होगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ कि आप आए। केवल योजना बनाने से नहीं, नीति बनाने से नहीं, हम जिनके लिये योजना बना रहे हैं, योजनाएं उन तक पहुंच पा रही हैं या नहीं, हम जो नीति बना रहे हैं वह नीति प्रदेश की जनता के लिए लागू हो रही है कि नहीं हो रही हैं क्योंकि लागू करने का अधिकार इसमें बैठे लोगों का नहीं है, सर्वोच्च तो हम हैं, माननीय हम हैं, माननीय सदन है, बजट हम पास करते हैं, खर्च दूसरे के हाथ में है, वह खर्च करे या न करे आपकी मॉनीटरिंग पूरी इस पर रहनी चाहिए। श्रीमन्, यहां पर तमाम नीतियों की घोषणा की गयी, यूपी इन्वेस्टर्स समिटि-2018 का आयोजन हुआ, देश भर में मोटर साइकिल, कार, रेल, जितने साधन चलने वाले थे, सबसे देश भर में रैलियां हुईं कि उत्तर प्रदेश चलो, उद्योग लगाओ, दुनिया के अधिकांश देशों में रैलियां की गयीं कि उत्तर प्रदेश में चलो, उद्योग लगाओ। लेकिन क्या लगा श्रीमन् ? ऐसा लगा कि देश और दुनिया के सारे उद्योग उत्तर प्रदेश में लग जाएंगे, कोई आदमी बेकार नहीं बचेगा, भूखा नहीं रहेगा, नौजवान नौकरी से बाकी नहीं रह जाएगा, किसान आत्महत्या नहीं करेगा उसके घर के आदमी की भी नौकरी लग जाएगी लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया। एक भी उद्योग पूर्ण आकार नहीं ले पाया। अभी हमारे मित्र खड़े होंगे और कहेंगे कि हमने इतना कर दिया, इतना कर दिया तब तो सुना ही जाएगा। एमओयू करना उद्योग लगाना नहीं है, शिलान्यास करना

उद्योग लगाना नहीं है, उद्योग लगाना है कि जब उत्पादन करने लगे, बेरोजगार लोग उसमें काम करने लगें और जो उत्पादन हो वह मार्केट में बिके, जनता को लाभ मिले (विपक्ष के मा0 सदस्यों ने मेजे थपथपाईं)। न फैक्ट्री लगी, न रोजगार मिला, हमारे देश का युवा दर-दर की ठोकरें खा रहा है, पचास बरस में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं आई बाकी बातें तो मैं कह दूंगा, दोहराता नहीं हूँ, जो मांग रहे हैं, वह लाठी खा रहे हैं, उस बात को छोड़ दीजिए। उच्च डिग्री प्राप्त किए हुए लड़के, जिनके मां-बाप ने काफी पैसे खर्च करके, गहने गिरवी रख करके, अपने खेत गिरवी रख करके अपने बेटी और बेटे को पढ़ाया, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। आपने कहा था कि सत्ता में आने के 03 महीने के अन्दर सभी विभागों की जो रिक्तियां हैं, उनको भर देंगे और 77 हजार हर वर्ष रोजगार देंगे, कुछ नहीं हुआ। वह लड़के भी आत्महत्या कर रहे हैं। आरक्षण आपने किसी भी नियुक्ति में लागू नहीं किया और अब ठेकेदारों को दे दिया। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर, डाक्टर, एम0सी0ए0, एम0बी0ए0, जो लड़के-लड़कियां पढ़े हैं, अब उनको नौकरी ठेकेदार देगा। कौन ठेकेदार ? जो पढ़ा-लिखा भी नहीं है। जब इच्छा हो, वह रखेगा, जब इच्छा हो, निकाल देगा। सरकार इतना पैसा देती है, ठेकेदार उससे आधा देता है, अपने कर्मचारी को। सारी चीज प्राइवेट सेक्टर में जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में इतना मशीनीकरण का युग आ गया है कि नौकरी में आरक्षण लागू नहीं है। लड़के रोटी के लिए चिन्तित हैं, अपनी नौकरी के लिए, अपनी जिन्दगी के लिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार ने जो कहा, एक भी नौजवान को नौकरी नहीं दी। वही मिलीं जो माननीय अखिलेश यादव की सरकार में नियुक्तियां निकल गयी थीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सरकार ने जो वान्ट निकाली, परीक्षा करायी, पर्चा आउट करा दिया और उस परीक्षा को कैन्सिल कर दिया। ऐसी 15 परीक्षाएं कैन्सिल हुईं और फिर दोबारा हुई ही नहीं। कैसे नौकरी मिलेगी ? नौजवान अपने जीवन को लेकर, अपनी जिन्दगी को लेकर, अपने परिवार को लेकर बहुत चिन्तित है। लेकिन उन नौजवानों को सरकार फूटी आंखों नहीं देख रही है। मैं उन नौजवानों का हौसला बढ़ाता हूँ, वित्त मंत्री जी, मैं युवाओं के लिए कह रहा हूँ-

''लड़खड़ा रहे हैं आज तो कल अनुभवों का सहारा भी होगा,
आज गर्दिश में हैं तो क्या, कल चमकदार आपका और हमारा सितारा भी होगा।''

(विपक्ष के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

जब हम वहाँ आयेंगे, बेरोजगार नौजवान नौकरी पाकर फूले नहीं समायेंगे और अपने परिवार को मरने से बचायेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, 2019-20 का बजट महिला सशक्तिकरण के नाम पर इन्होंने समर्पित किया। वित्त मंत्री जी, एम0सी0आर0बी0 2018 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध 74509 मामले हुए। 2017-18 में महिलाओं पर अत्याचार के 5.8 परसेण्ट अपराध बढ़े और यदि समाजवादी पार्टी की सरकार का वर्ष 2016 से तुलना करें तो यदि समाजवादी पार्टी की सरकार की वर्ष 2016 से तुलना करें तो 17 प्रतिशत घटनाएं

अधिक हुई हैं, जो यह कहते हैं कि बदहाल व्यवस्था। मा0 अध्यक्ष जी, वर्ष 2017 से वर्ष 2018 के बीच 41 प्रतिशत से अधिक लड़कियां गायब हुई हैं। प्रदेश में नवम्बर वर्ष 2019 तक 2553 मामले रेप के हो चुके हैं। भाजपा सरकार ने सत्ता संभालते ही अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना बनाई और कई विभागों को मिला करके दो सौ करोड़ रुपया का भी प्रबन्ध किया। यह तो पढ़ लिए कि सरकार ने कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए योजना बनाई है, वह खुश हो गए, लेकिन फाइल आज तक सचिवालय में ही भटक रही है। मान्यवर, यह बजट कुपोषित रोते हुए बच्चे के मुंह में लोला डालने जैसा है। एक मां अपने घर पर काम कर रही है, छोटा बच्चा रोने लगता है मां समझती है कि उसको दूध पीना है, दूधपिली उसके पास नहीं है, गरीब है, काम में फंसी हुई है, तो वह काठ का लोला उसके मुंह में लगा देती है। बच्चा हाथ-पैर दोनों चला करके खिलखिलाकर हंसता है कि मां ने मेरे मुंह में दूधपिली लगा दिया। चूसते-चूसते जब उसको कुछ नहीं मिलता है तो वह पुनः रोने लगता है। मां खाली नहीं हुई है काम से फिर आ करके जो लगाया था लोला उसको बदलकर पीछे वाला लोला उसके मुंह में लगा देती है। लड़का समझ रहा है कि अब इसमें जरूर दूध है, उसे खूब चूसता है, कुछ निकलता ही नहीं। फिर रोने लगता है फिर मजबूर मां उस बच्चे को अपने छाती से लगाती है। मां कुपोषित है छाती में दूध उतरा नहीं है, लड़का तो दूध पीता है फिर रोने लगता है। मां अपने आह के आंसुओं से बच्चे को सांत्वना देती है, और बच्चा सो जाता है। यही इनके इस बजट का हाल है श्रीमन्। काठ का लोला है इनका यह बजट चूसिये पर निकलेगा कुछ नहीं। यह कुपोषण दूर कर रहे हैं। यह कुपोषण उस बच्चे का, या उस महिला का कि अपना। यह जवाब आपको देना पड़ेगा। श्रीमन्, इस तरह राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत विभिन्न उपकरण खरीदने के लिए सरकार ने 335 करोड़ 21 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं, परन्तु वास्तविकता यह है कि उनमें से अभी तक एक भी खर्च नहीं हुआ है। पैसा तो आपने दे दिया, खर्च एक भी पैसा नहीं हुआ। मा0 वित्त मंत्री जी बजट बार-बार क्यों पास करवाते हैं, क्यों अनुपूरक लाते हैं ? जब आपके अधिकारियों की यह मंशा नहीं है कि मंत्री मण्डल ने, विधान सभा ने जो पैसा पास करके हमको जनता के हितों की रक्षा के लिए भेजा है, हमारी जिम्मेदारी है उसको खर्च करने की और जो नहीं खर्च करता है।

श्रीमन्, इसीलिए मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि एक तरफ जुल्म है, जुमले हैं, हिटलरी है, हिंसा है और अपराध है और दूसरी तरफ यानी हमारी तरफ मानवता है, उत्थान है, विकास है, नीति है, विधान है और समाजवाद है।

(सत्ता पक्ष से टोकाटाकी होने पर कि आप कहां हैं)

अरे, हम तो आप लोगों के साथ ही हैं और घबराइए नहीं हम उस पर भी आ रहे हैं। आपकी सहायता उसमें भी करूंगा। भाजपा सरकार ने इस बरस 2020-21 का जो बजट समर्पित किया है, उसमें है कि त्वरित न्याय, जनता की मूलभूत सुविधाओं, बिजली, पानी,

सड़क, युवा, शिक्षा, कौशल संवर्धन और रोजगार के लिए वर्ष 2020-21 का बजट समर्पित है। मा0 वित्त मंत्री जी, न्याय तो आपके यहां भगवान भरोसे है, न्याय तो आपका भाग्य भरोसे है। न्यायालय तो आप खुद हो गए हैं, खुद ही न्यायालय हो गए हैं। आज इस प्रदेश में, बहुमत में फर्जी एनकाउण्टर करके जान लेने का अपराध किया गया है। कोई एफ0आई0आर0 लिखाने जाता है तो लिखा नहीं जाता। लिख भी दिया जाता है तो तफ्तीश जल्दी नहीं होती। तफ्तीश होती भी है तो उसमें से अधिकांश लोगों को निकाल दिया जाता है। उसके बाद भी सब मामले अदालत तक पहुंचने नहीं पाते और यदि कुछ मामले अदालतों तक पहुंच भी जाते हैं तो वे कानूनी दांव-पेंच में उलझ कर रह जाते हैं। जैसे कि आपने देखा, निर्भया काण्ड पर पूरा देश एक हो गया था लेकिन कितने दिन हो गए, न्याय अभी तक नहीं मिला। 302 का मुल्जिम है, 30-35 वर्ष कोर्ट से न्याय नहीं मिलता, वह तो चल रहा है, यह कैसा कानून है ? इसीलिए आप कहते हैं कि ठोंक दो, फर्जी एनकाउण्टर करो और जो संविधान, लोकतंत्र, जनतंत्र बचाने के लिए अहिंसक तरीके से अपनी बात सरकार को सुनाने के लिए, कहने के लिए प्रदर्शन निकालता है तो गोली सीधे उसकी छाती में ठोंक दो। यह आपकी नीति है। पूरा देश और प्रदेश आपसे आतंकित हो गया है, भय के वातावरण में है। मैं कह चुका हूँ, कह भी रहा हूँ कि सब भयभीत हैं। जनता भयभीत, कर्मचारी भयभीत, अधिकारी भयभीत, पत्रकार भयभीत, साहित्यकार भयभीत, कवि भयभीत, इस देश और प्रदेश की धरती पर अब कोई ऐसा नहीं है जिसके पास आपको लेकर भय न हो कि अरे, पता नहीं कब हमको झूठा केस लगाकर मार दिया जाए, कब झूठा केस लगाकर हमको थाने में बन्द कर दिया जाए, हमारे साथ कब, कौन सी घटना घट जाए ? आज सब आतंकित हैं, सशंकित हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, इसीलिए मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि-

अब यू0पी0 में है त्राहि-त्राहि लाठी-गोली की सरकार से
अब यू0पी0 में है त्राहि-त्राहि लाठी-गोली की सरकार से
आम आदमी आतंकित है योगी की सरकार से

माननीय अधिष्ठाता महोदय, फिर मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर में एक रिट याचिका दाखिल की जो कि श्रीमती राजमती बनाम उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य के सम्बन्ध में हैं उसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-03-2019 के क्रम में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आदेश पारित हो गया लेकिन कागजों में हेराफेरी करके ऐसा किया गया। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-416आर0ए0, दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 को भेजा गया था परन्तु आज लगभग 5 माह बीत जाने पर भी उसमें कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है और प्रताड़ित भी उसी व्यक्ति को किया जाता है जिसको न्याय मिलना था, यह है भाजपा की त्वरित न्याय व्यवस्था। युवाओं के लिए

एक तरफ सरकार जहां पुलिस फारेन्सिक यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कालेजों की व्यवस्था कर उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कह रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी रोजगार व्यवस्था के लिए सरकार मुख्य मंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का ढिंढोरा पीट रही है कि हम प्रशिक्षण में 25 सौ रुपये महीना देंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये युवाओं की जिन्दगी को बर्बाद करने का एक तरीका है। ये युवाओं को बुलाएंगे कारखाने में भेज देंगे 25 सौ रुपये में वह नौजवान रात-दिन काम करेगा, लाभ होगा कारखाने वाले को, शर्म करेगा पढ़ा-लिखा नौजवान लड़का और थोड़े दिन के बाद उसको निकाल दिया जायेगा। इस तरह से वह न तो बेरोजगार रह गये और न उनके पास रोजगार है। सिवाय सड़क पर घूमने के उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी कितनी बुद्धि लगाएंगे जनसंख्या को कम करने के लिए। जनसंख्या कम करने के लिए उपाय यही है कि किसान आत्महत्या कर लें, बेरोजगार आत्महत्या कर लें, ये लोगों का फर्जी एनकाउण्टर कर दें। धरना-प्रदर्शन करने वालों को गोली चलाकर मार दें, क्या इसी सबमें आपको खुशी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब किसान खुश होता है उसमें खुशी होनी चाहिए। ये कहते हैं कि हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पाया है। विश्वास तो आप पर किसी को है ही नहीं। जनता पर विश्वास आपका नहीं है आप ढिंढोरा पीटते हैं लेकिन इस प्रदेश में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं पर आपका विश्वास नहीं है। मान्यवर, जिन लोगों ने हमको पढ़ाया-लिखाया है, सिखाया है उनको हम गुरू कहते हैं उस गुरू पर आपका विश्वास नहीं है। गुरू को जेल भेज रहे हैं, छात्र-छात्राओं को जेल भेज रहे हैं, किसानों को जेल भेज रहे हैं, नौजवानों को जेल भेज रहे हैं। संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए जो धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं उनको आप जेल भेज रहे हैं। विश्वास तो आपका किसी पर नहीं है और न प्रदेश की जनता में से किसी का भी विश्वास आप पर है। माननीय अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की भर्ती हुई नोटिफिकेशन में 'ओ' लेविल या समकक्ष अथवा कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा इन कम्प्यूटर था लेकिन साइंस की योग्यता करार देते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब वह लड़के क्या करें ? पहली परीक्षा पास कर ली, दूसरी परीक्षा पास कर ली, परन्तु जब नौकरी का वक्त आया टाइपिंग का, तब कहा कि तुम तो बड़े योग्य हो, योग्य लड़के इसमें नहीं रखे जा सकते, उनको बाहर कर दिया। जब फार्म भरा तो उसमें आपने क्यों नहीं कैंसिल कर दिया ? आपने उनको परीक्षा में क्यों बुलाया ? जब पहली परीक्षा दी तो क्यों पास किया ? दूसरी परीक्षा दी तो क्यों पास किया ? और जब नौकरी देने की बात आयी तो आप तो इंजीनियर हो, आप तो एम0बी0ए0 हो, आप एम0सी0ए0 हो, तुमको हम नौकरी नहीं देंगे, तो किसको देंगे ? पढ़े-लिखे नौजवान को नौकरी नहीं देंगे, अशिक्षित लोगों को रोजगार नही देंगे तो श्रीमन् आप किसके लिए हैं ? आप जानबूझकर नौजवानों की अनदेखी कर रहे हैं। एम0सी0ए0 कम्प्यूटर की मास्टर डिग्री होती है जो ओ लेवल से बड़ी होती है

परन्तु इसमें सैंकड़ों बेरोजगार उच्च शिक्षा के बावजूद नौकरी नहीं पा सके। यह रोजगार उच्च शिक्षित नौजवानों के साथ अन्याय है, सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, परन्तु वह जानबूझकर इसकी अनदेखी कर रही है ...

(इसी मध्य 01 बजकर 22 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, अर्द्धकुम्भ को इन्होंने कुम्भ कर दिया और देश-विदेश दुनिया में ढिंढोरा पीटा गया। बहुत इनाम दिये गये। देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने दुनिया में एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने मजदूरों का पैर धोया। लगभग 60-70 ऐसी कंस्ट्रक्शन कम्पनियां थीं जिन्होंने मजदूरों के माध्यम से कुम्भ में काम किया था, परन्तु उनको आज तक एक पैसे का भुगतान नहीं किया गया। उनके करोड़ों-अरबों रुपये बकाया हैं, जिससे मजदूरों का भुगतान हो सकता है। मजदूर खाने बिना मर रहा है, परन्तु सरकार कुम्भ की वाहवाही ले रही है। एक तरफ तो आप मजदूरों का पैर धो रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी अष्टमी के दिन कुंवारी कन्याओं के पैर धोते हैं और कुंवारी कन्याओं का अपमान करने में कोई कोर-कसर भी नहीं छोड़ते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, भाजपा सरकार जनता को मूलभूत सुविधाएं देने की बात करती है। वित्त मंत्री जी उड़ान भर रहे थे कि जिनके पर होंगे, वह उड़ान भरेंगे, ऐसी कुछ इनकी पहली चौपाई थी। सुनिए, लिखना बन्द कर दीजिए।

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने बड़ी उड़ान की बातें कहीं। मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि ''ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमण्ड नहीं करते क्योंकि वह भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है।'' उड़िये, लोगों को उड़ाइये और लोगों को मरवाइये, इसी नीति पर चलते रहिये। माननीय अध्यक्ष जी, बिजली की बात आज भी आयी थी किसान, गरीब, गांव की बात कहते-कहते ये थकते नहीं हैं। भाजपा सरकार में बिजली का रेट दिल्ली, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखण्ड, उड़ीसा, तेलंगाना आदि तमाम राज्यों से, यहां तक कि भाजपा शासित उत्तरांचल से भी अधिक उत्तर प्रदेश में है। अब इसके बाद भी अगर किसान को या घर वालों को बिल देने में थोड़ा विलम्ब हो जाता है तो 1.25 प्रतिशत का उन पर सरचार्ज लग जाता है और अगर तीन महीने से बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया हो, अगर पैसा नहीं है, प्रबन्ध नहीं हो पा रहा है, वह पैसा जुटाता है, गुड़, अरहर, मटर चावल, धान बेचकर और जब वह बिल जमा करने जाता है तो उससे 2.2 प्रतिशत सरचार्ज वसूल किया जाता है। फ्री कनेक्शन का इन्होंने बड़ा ढिंढोरा पीटा कि फ्री कनेक्शन हमने दिया। फ्री कनेक्शन दिया और बिजली का भार इतना बढ़ा दिया कि किसान, गांव वाला और छोटे उद्योग वाला त्राहि-त्राहि कर रहा है। इन्होंने उज्जवला योजना में गैस का फ्री कनेक्शन दिया। जिस पर यह मार छाती पीटते हैं, दोनों तरफ से। आपने फ्री कनेक्शन तो लेकिन इतना दाम बढ़ा दिया कि कोई भी गरीब मां-बहन आपके गैस चूल्हों को छू नहीं रही है, वह लकड़ी पर भोजन बना रही है। कहां से लाये वह इतना पैसा ? गरीब कहां से खरीदेगा इतना महंगा सिलेण्डर ? माननीय वित्त मंत्री जी

आपने इसकी कोई अलग से व्यवस्था नहीं की। व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्री अखिलेश यादव ने की थी। हर जाति, धर्म, गरीब की मां-बहनों को 500 रुपया पेन्शन देने का काम किया था। अगर वह पेन्शन जारी होती तो वह गैस भरा लेती, भोजन पका लेती, उसको आपने बन्द कर दिया। अब वह कैसे गैस जलायेगी ? मीटर बदलने का खेल हो रहा है, स्मार्ट मीटर उसका नाम है। वह स्मार्ट है भी, उस मीटर को लगाइये सौ, हजार, लाख टका गलत रीडिंग देता है। स्मार्ट है, इतना रीडिंग देता है, इतना रीडिंग देता है कि जब किसान, गांव वालों को बिल मिलता है तो वह बेहोश होकर गिर जाता है कि अरे बिजली हमने जलायी इतनी, बिल आ गया इतना। मान्यवर, जो पहले मीटर थे वह इस मीटर से बेहतर थे। एक दिन आपके ही यहां मैंने मंत्री जी से निवेदन किया था कि थोड़ी-बहुत गलती किसी से हो जाती है। सब धन कमाना चाहते हैं। लोग दौड़ रहे हैं, धन कमाने के लिए। एक पर एक आदमी गिर रहे हैं, कि कौन सबसे पहले पा जाये। किसान ट्यूबवेल चलाता है, पानी के लिए उसकी जे0ई से बात भी हो जाती है कि भाई हम एक छोटा सा चक्की भी चला लें क्या। जे0ई कहता है कि चलाओ, माल हमको दो। अब किसान चक्की चलाने लगा, उसके बाद एक्जीक्यूटिव साहब गये और उसका मशीन तार-वार सब नोचकर ले गये। दो महीना पहले ही वह चक्की लगाया और फाइन हो गया 10 लाख। 10 लाख तो उसके परदादा ने भी नहीं देखा और वह किसान तीन जनम ले तो भी 3 लाख नहीं दे पायेगा। ऐसे किसान का उत्पीड़न हो रहा है और समझौता भी हो रहा है, 10 लाख फाइन है तो दो लाख कम होगा, तीन लाख कम होगा, चार लाख कम होगा, पांच लाख कम होगा, आखिर कितना कम करा पाओगे। इस प्रकार किसान फिर आत्महत्या करने के लिये मजबूर है।

ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

आप लगातार झूठे आंकड़े देते हैं इतनी ताकत आपको कहां से आती है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप ऊर्जा मंत्री हैं आपसे हमको ऊर्जा मिलती है।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

स्मार्ट मीटर अभी गांव में लगा नहीं है, आप उसका यहां जिक्र कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर केवल अभी शहरी क्षेत्रों में लग रहा है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

शहरी क्षेत्र में गरीब नहीं हैं क्या।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मैं विस्तार से आपको पूरा जवाब दे दूंगा। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि सदन में आप वरिष्ठ लोग हैं कम से कम बिजली के बारे में आंकड़े तो सही प्रस्तुत करें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आंकड़े हमारे एकदम सही हैं। कहीं भी इसको चैलेन्ज कर सकता हूँ। आप बैठ जाइये।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवायें आपकी एकदम दम तोड़ रही हैं। कहीं अस्पताल में दवा नहीं है, माननीय अध्यक्ष जी केवल पैरासिटामाल है।

हाजी इरफान सोलंकी-

मैं तो अभी-अभी वहीं से आ रहा हूँ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल में दवा नहीं है। यहां तक कि गरीब बेसहारा लोग जिनको सांप-बिच्छू जहरीला काटता है, उसकी और कुत्ता काटने तक की सुई भी नहीं है।

(सत्ता पक्ष की ओर से है-है की आवाजें-व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, जब प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्य मंत्री थे तो उससे पहले 10 रुपये में अस्पताल का पर्चा बनता था उन्होंने सरकार में आते ही पर्चे का दाम एक रुपया कर दिया। दवाई फ्री कर दी और जितनी तरह की जॉच होती है उसको भी फ्री कर दिया। यहां तक कि हर मंडलों में जो गरीब बेसहारा आदमी की किडनी खराब हो जा रही है जिसके लिये उसे डायलिसिस कराना पड़ता है उसके लिये हर मंडलों में व्यवस्था की। यही नहीं, एक्सरे भी फ्री किया और अल्ट्रासाउन्ड भी फ्री कर दिया। खून, बलगम, पेशाब, पैखाना की जांच को फ्री कर दिया। 35 रुपया बेड का भर्ती होने के लिये लगता था, उसको भी फ्री कर दिया। यही नहीं, गांव में यदि कोई गरीब बीमार है और उसके पास हेड क्वार्टर जाने के लिये साधन नहीं है तो 108 नं0 एम्बुलेंस चलाकर गरीब आदमी को हास्पिटल जाने के लिये व्यवस्था कर दी गयी। हमारी गरीब मां-बेटियों को अगर बच्चा पैदा होना है तो 102 की व्यवस्था की गयी, वह उनको घर से ले आयेगी, हास्पिटल में बच्चा पैदा होगा, मां स्वस्थ रहेगी, बच्चा स्वस्थ रहेगा और फिर उसको घर पहुंचा दिया जायेगा, यह काम अखिलेश यादव जी ने किया। क्या है आपकी व्यवस्था ? न डाक्टर, न दवाई, न उपकरण क्या व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी की सरकार में केन्द्रीय औषधि भण्डार द्वारा मूल औषधियों की उपलब्धता सूची लगभग 504 की थी लेकिन वर्तमान सरकार ने उसको घटाकर 364 कर दिया है। वह भी दिया नहीं है किसी को। हमारी सरकार के समय बैन्डेज, कॉटन, पेपर केप, तारपीन तेल, हाइड्रोजन, पैराक्साइट, प्लास्टर आफ पेरिस, जियोसोना आदि विभिन्न आइटम क्रय किये जाते थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई की यह व्यवस्था बन्द कर दी गयी है। भाजपा सरकार बजट तो स्वीकृत करती है लेकिन विभागों में देकर खर्च नहीं कर पाती। अभी यही बगल में सिविल अस्पताल है, बार-बार वहाँ के अधीक्षक ने पत्र लिखा, सी0एम0ओ0

ने लिखा। करोड़ों रुपया दवा कम्पनियों का बाकी है लेकिन आज तक सरकार एक भी पैसा इन दवा कम्पनियों को पेमेंट नहीं कर पाई। प्रदेश में 899 जन औषधि केन्द्र हैं। इस योजना में 800 जेनरिक दवायें हैं तथा 154 सर्जिकल आइटम सम्मिलित हैं। परन्तु इन केन्द्रों में 20 प्रतिशत दवायें भी उपलब्ध नहीं रहतीं। कुछ भी नहीं रहता केवल कागज पर सब कुछ है। जो बड़ा हल्ला था कि हम हास्पिटल में दुकान खोल दे रहे हैं, वहाँ आपको सब दवा मिल जायेगी, लेकिन यह सब बन्द पड़े हैं।

शिक्षा व्यवस्था तो पूरी तरह चौपट है। हजारों बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। स्कूल चलो अभियान के संबंध में वर्तमान माननीय मुख्य मंत्री जी सोचते हैं कि उन्होंने शुरू किया है लेकिन स्कूल चलो अभियान बहुत पहले से चल रहा है। हजारों गरीब परिवारों के बच्चे और बच्चियां स्कूल में दाखिला लेने से वंचित रह गये और मास्टर को सब दोष देते हैं और पढ़ाने के सिवाय उससे सब काम लिया जाता है, हर दूसरे काम में मास्टर को लगा दिया जाता है। इसलिये शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गयी है।

समाजवादी पार्टी ने 29 जून, 1991 के बाद 31 दिसम्बर, 2001 तक जितने दैनिक वेतन के संविदा कर्मचारी थे सबका विनियमितीकरण कर दिया, कुछ बाकी रह गये थे जो अब रिटायरमेंट के नजदीक हैं उनको भी आप विनियमित नहीं कर रहे हैं। आखिर आप करते क्या हैं, सवाल तो यह है। जलकल विभाग में इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। उत्तर प्रदेश जल निगम के कर्मचारियों को दैनिक वेतन की सेवाओं को जोड़कर पेंशन दी जा रही है, लेकिन जलकल विभाग के कर्मचारी इससे भी वंचित हैं। श्रीमन्, इस बजट में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, वृद्ध, व्यवसायी, कर्मचारी, अधिकारी किसी का भी उत्थान और कल्याण करने वाली किसी भी योजना का जिक्र नहीं है। भाजपा सरकार के ढपोरशंखी कार्यों का उल्लेख करके केवल जनता को भ्रमित किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस के उत्तरकाण्ड में कलियुग की व्याख्या करते हुए लिखा है, जो भाजपा सरकार की विचारधारा, नीतियों और उसके रामराज्य पर उचित प्रतीत होता है। ''झूठइ लेना, झूठइ देना। माननीय अध्यक्ष जी,

''झूठइ लेना, झूठइ देना, झूठइ भोजन, झूठ चबेना।
बोलहिं मधुर बचन जिमि मोरा। खाइ महा अहि हृदय कठोरा''।।

रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि इनको झूठ ही लेना है, झूठ ही बोलना है, झूठ ही खाना है, झूठ ही डींग हांकना है। 'ये हमने करोड़ों रुपया दान दे दिया, दिया एक पैसा नहीं।' खाया है, चने की रोटी और बोले मालपुवा खा कर आ रहे हैं, केवल झूठ।

''झूठइ लेना, झूठइ देना, झूठइ भोजन झूठ चबेना।
बोलहिं मधुर बचन जिमि मोरा, खाइ महा अहि हृदय कठोरा''।।

वचन से तो यह कोयल, मोर की बोली बोलते हैं। मोर ऐसा है कि जिसके पंख भी सुन्दर, उसका शरीर भी सुन्दर, उसकी बोली भी सुन्दर, माननीय अध्यक्ष जी, और उसका हृदय इतना कठोर कि वह जहरीले सांप को भी मार करके निगल जाता है। (विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

श्रीमती कृष्णा पासवान-

यह कहानी तो 2012 और 2013 की है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप तो हमारी बहन हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसी के साथ एक बात और कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, यह लोग एक्सप्रेस-वे की बहुत धुन्ध पीटते हैं। एक्सप्रेस-वे का मैं ले आया हूँ, माननीय अखिलेश यादव की सरकार में जितनी जमीन की रजिस्ट्री हुई है, वह सब रजिस्ट्री मैं लेकर आया हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, लखनऊ से ले करके गाजीपुर के बीच में लगभग 85 प्रतिशत जमीनें खरीद ली गई थीं। संसदीय कार्य मंत्री जी, यह खेत की रजिस्ट्री हैं- लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर की, यह सब रजिस्ट्री हैं। हमने जमीन खरीद लिया था, शिलान्यास हो गया था, टेण्डर हो गया था, काम शुरू होने वाला था। हमारी सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। हम एक्सप्रेस-वे बना रहे हैं, हम एक्सप्रेस-वे बना रहे हैं और डिवाइडर की जो चौड़ाई होती है, जिसमें पेड़, फूल, पत्ते लगते हैं, आने-जाने वाले यात्रियों को सुन्दर दिखाई देता है, उसको कम कर दिया, मोटाई कम कर दी, सर्विस रोड खत्म कर दी जो किसानों को फसलों के उचित मूल्य दिलवाने के लिए मण्डियों का प्राविधान हुआ था, आपने मण्डियों को खत्म कर दिया। होटल, पेट्रोल पम्प, दुकान, चाय, खाना का जो प्रबन्ध किया था, वह भी खत्म हो गया। बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे से बलिया को जोड़ रहे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत-बहुत धन्यवाद।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी से कि उसके लिए आपने कितने पैसे का प्रावधान किया है। चन्द्र शेखर विश्वविद्यालय जिसे दुनिया के माने जाने समाजवादी नेता, समाजवादी चिन्तक के नाम पर अखिलेश यादव जी ने विश्वविद्यालय बनाया उनके नाम पर आपने कितना पैसा दिया। स्पोर्ट्स कॉलेज, बलिया चन्द्रशेखर जी के नाम पर है उसके लिए आपने कितना पैसा दिया। पैसा तो आप देते नहीं हैं, जमीन खरीदा हमने, रजिस्ट्रियां सब हमने दिखा दी और जिला भी पढ़ दिया लेकिन है इनका, तो ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, एक जगह मछुआरा मछली मार रहे थे, उनके जाल में फंस गया एक घड़ियाल, उसको उन्होंने मारकर फेंक दिया। गांव के एक मनबढ़ आदमी बड़बोले थे, वह गये घूमने तो देखा कि यह तो मरा पड़ा है और मुछआरे गांव में बता चुके थे कि हम लोगों ने घड़ियाल के बच्चे को मारा है, यह बात उनको पता नहीं थी। वह उसको रस्सी से बांधे, लाठी में लटकाये गांव में आये और बोले देखो मैंने घड़ियाल को मार दिया, तो लोगों ने कहा कि अरे! इसे तो

मछुआरों ने कल मारा था। मान्यवर, ये घड़ियाल को नकली तौर से मारने वाले लोग हैं, जनता से कोई लेना-देना नहीं है। विवेकानन्द जी का नाम ये लोग बहुत जोर-शोर से लेते हैं, इस बार भी दिया है, अरे! हमने विवेकानन्द जी का जन्मदिन मनाया, सात दिन तक कार्यक्रम चला, बढ़िया रहा, चले, नौजवानों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया, वह भी ठीक किया लेकिन आपको उन बेचारों को भी तो देखना चाहिए। जब धर्म संसद, शिकागो में विवेकानन्द जी गये थे तो उन्होंने क्या कहा, ''भारत को धर्म नहीं रोटी चाहिए''। 1893 की विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानन्द का चौथा भाषण छोटा था, इतना छोटा था कि उसे संक्षिप्त टिप्पणी भी कहा जा सकता है। लेकिन 20 सितम्बर, 1893 को अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में वह एक ऐसी बात कह गये जिसकी अहमियत आज भी बहुत बड़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि पूरब की दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, उनके पास धर्म की कमी नहीं है लेकिन भारत की लाखों पीड़ित जनता अपने सूखे हुए गले से जिस चीज के लिए बार-बार गुहार लगा रही है वह है रोटी। वह हमसे रोटी मांगते हैं लेकिन हम उन्हें पत्थर पकड़ा देते हैं, भूख से मरती जनता को धर्म का उपदेश देना उसका अपमान है, भूखे व्यक्ति को धर्म की शिक्षा देना उसका अपमान है। ये है, जो उन्होंने भाषण दिया विश्व संसद में, पहले रोटी, धर्म नहीं, गरीब आदमी को रोटी, उसके बच्चे को सस्ती शिक्षा, उसके मां-बाप को बीमारी से मरते समय सस्ती दवा चाहिए और आप बांट रहे हैं धर्म। आप धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग लोहिया को बहुत कोट करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अभी बहुत कागज हैं क्या ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, ये डा0 लोहिया को बहुत कोट करते हैं, विवरण तो मैंने बता दिया, इधर गांधी, विवेकानन्द, लोहिया जी का भारतीय जनता पार्टी बड़ा नाम ले रही है, यह बढ़िया बात है। हमारे जैसा आदमी गौरवान्वित महसूस करता है कि हमारे नेता का आप सम्मान कर रहे हैं, हम आपके नेता का सम्मान करें, लेकिन जो लोग कहते हैं, उस पर चलने का भी तो प्रयास करें। जो पंडित दीनदयाल, डा0 लोहिया, डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जय प्रकाश नारायण, गांधी जी ने जो कहा है उस पर हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इस पर विचार करना होगा, केवल नाम लेने से थोड़े ही होगा। डा0 लोहिया ने क्या कहा था ? कहा था कि हिन्दुस्तान बहुत बड़ा है, पुराना देश है। मनुष्य की इच्छा के अलावा कोई शक्ति इसमें एकता नहीं ला सकती, कट्टरपंथी हिन्दुत्व अपने स्वभाव के कारण ही ऐसी इच्छा पैदा नहीं कर सकता, लेकिन उदार हिन्दुत्व कर सकता है। यह सब पहले कई बार हो चुका है। हिन्दू धर्म संकुचित दृष्टि से राजनीतिक धर्म सिद्धान्तों और संगठन का धर्म नहीं है, लेकिन राजनीतिक

देश के इतिहास में एकता लाने की बड़ी कोशिश को इससे प्रेरणा मिली है और यह उनका प्रमुख माध्यम रहा है। हिन्दू धर्म में उदारता और कट्टरवादिता के महान युद्ध को देश की एकता और बिखराव के शक्तियों का संघर्ष भी कहा जा सकता है। इधर हिन्दुत्व पूरी तरह समस्या का हल नहीं कर सका है, ये कहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, आप तो जानते हैं कि डा0 लोहिया कितने बड़े समाजवादी थे। आचार्य नरेन्द्र देव, लोकनायक जय प्रकाश नारायण, डा0 राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन और मीनू मसानिया, अशोक मेहता, एस0एम0 जोशी और एच0एम0 पटेल, चन्द्रशेखर जी, राज नरायन, जनेश्वर मिश्रा, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। समाजवाद जैसे शब्द का प्रयोग और उसकी व्याख्या इस देश में अगर यदि किसी ने किया है, तो भगत सिंह जी ने किया। मा0 मुख्य मंत्री जी, समाजवाद को गाली दे गये, मुख्य मंत्री जी समाजवाद को समझ नहीं पाये। भाजपा सरकार बाबा साहेब डा0 भीम राव अम्बेडकर जी के बनाये हुए संविधान को ही नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के संविधान की भी धज्जियां उड़ा रही है। यह सरकार समाजवाद और राष्ट्र और राष्ट्रीयता के अन्दर विभेद पैदा कर रही है। मैं राजनीति का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जिस बात को मैं कहता था वो बात महान समाज सुधारक मोहन भागवत जी ने भी कह दिया है कि राष्ट्रवाद से हिटलरशाही की बू आती है। हिटलर भी राष्ट्रवाद का नाम लेकर ही सत्ता में आया था और जब यहूदियों को देश से बाहर करने लगा, तो वहाँ का सबसे बड़ा फिजिक्स का वैज्ञानिक, जिसने पहला परमाणु बम बनाया था, वह इटली छोड़कर अमेरिका भाग गया।

श्री अध्यक्ष-

आपका डेढ़ घण्टे का भाषण हो गया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी, अगर मैं संविधान के उद्देशिका की बात करूं तो अभी देश और दुनिया के जो पीठासीन अधिकारीगण आये थे उसमें आपने इसको प्रमुखता दिया था। उद्देशिका क्या है- 'हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़-संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई0, (मिती मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत् 2006 विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं'।

माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा अध्यक्षों, विधान सभा के माननीय सदस्यों, माननीय मुख्य मंत्रियों या मंत्रिगण हों, सभी लोग संविधान की शपथ लेते हैं और मुख्यतः इसी की शपथ लेते हैं। फिर मुख्य मंत्री जी ने कैसे कह दिया कि समाजवाद उपयोगी नहीं है, यह कैसे कह

दिया ? जो हमारे संविधान में है, जिसकी हमने शपथ ली है, उसको हम नकारेंगे ? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी को मालूम नहीं, पढ़ते हैं नहीं, अगर पढ़ करके आते तो उन्हें मालूम पड़ता कि गांधी जी, आचार्य नरेन्द्र देव, डॉ0 राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जय प्रकाश नारायण सहित सारे समाजवादियों ने रामराज्य की परिकल्पना पर ही समाजवाद का गठन किया था। अध्यक्ष जी, आपको याद होगा इस देश में किसी जनसंघी ने नहीं, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, किसी दूसरी पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं डॉ0 राम मनोहर लोहिया ने इस देश में सबसे पहले रामायण मेला चित्रकूट और उसके बाद अयोध्या में लगाने का कार्य किया। (प्रतिपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।) आप रामराज्य की बात करते हो ? रामराज्य समाजवाद से आयेगा। केवल रामराज्य लाना चाहेंगे, यह आपके बूते की बात नहीं है। जब भी रामराज्य की परिकल्पना की बात करेंगे समाजवाद ही रामराज्य है। राम खुद समाजवादी थे। जो गंगा यात्रा निकाल रहे हैं, मां गंगा खुद समाजवादी हैं, किसी भी जाति, धर्म के लोग स्नान करें, उसका पानी पियें तो वह समाजवादी हैं। नदियां समाजवादी हैं, सब देवी, देवता समाजवादी हैं तो फिर आप गर्व से रामराज्य की परिकल्पना क्यों कर रहे हो ? संविधान तो संविधान, मा0 अध्यक्ष जी माननीय मुख्य मंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का संविधान भी नहीं पढ़ा। **संविधान एवं नियम भारतीय जनता पार्टी**- धारा-01 पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी होगा, आगे पार्टी शब्द से यही बोध होगा। धारा-02 उद्देश्य, पार्टी एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है जो सुदृढ़, समृद्ध, स्वावलम्बी राष्ट्र हो जिसका दृष्टिकोण आधुनिक प्रगतिशील एवं प्रबुद्ध हो और जो अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति और मूल्यों से सदैव प्रेरणा ग्रहण करता हो तथा एक ऐसी महान विश्वशक्ति के रूप में उभरने में समर्थ हो जो विश्वशांति तथा न्यायमुक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिये विश्व के राष्ट्र में अपनी प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन कर सके। पार्टी का लक्ष्य एक ऐसे लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना है जिसमें जाति, सम्प्रदाय अथवा लिंग का भेद-भाव किये बिना सभी नागरिकों को राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, न्याय, समान अवसर तथा धार्मिक विश्वास एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। यह भारतीय जनता पार्टी का संविधान है श्रीमन्। पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान तथा समाजवाद पंथनिरपेक्षता तथा लोकतंत्र के सिद्धान्तों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगी तथा भारत के प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को कायम रखेगी। यह आपका संविधान है और दुर्भाग्य है कि इतने बड़े प्रदेश का नेता सदन मुख्य मंत्री अपने पार्टी का संविधान भी न पढ़ सके हों उसकी बातों की जानकारी तक न रख सके हों और समाजवाद को गाली देते हों इससे दुर्भाग्य इस प्रदेश की जनता के लिये कुछ नहीं होगा। (शेम-शेम की आवाजें) कई बार मैं कह चुका हूँ यह है 'मुंह में राम बगल में छूरी।' राम राम, जय श्रीराम (सत्ता पक्ष से आवाजें जय श्रीराम) यह कहीं है ही नहीं। न तुलसीकृत रामायण में है, न बाल्मीकि रामायण में है। बीज-मंत्र क्या है ? राम-राम, राम-राम, सीताराम, सीताराम, मान्यवर, जय श्रीराम तो कोई बीजमंत्र है ही नहीं। न कोई साधु संत उसको जपता है।

श्री अध्यक्ष-

जय राम तो है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जय सियाराम और सीताराम। क्या होता है श्रीमन् अगर हम किसी ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं तो बोलते हैं जय हो। अगर हम किसी साधु संत को प्रणाम करते हैं तो बोलते हैं कि जय हो और भारतीय जनता पार्टी के लोग राम को भी कहते हैं कि जय हो। यानि राम से बड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। राम के लिये कहते हैं कि जय हो। हम कहते हैं कि राम राम, सीता राम, सीता राम। यह कहते हैं जय। जय हो रहा है। राम का जय आप करेंगे ? जो सबका जय करते हैं। आप करेंगे राम का जय जो सबका जय करते हैं। (मेजों की थपथपाहट) आज, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिये राम वोट के साधन हैं। हम लोगों के लिये राम आराध्य देव हैं। (मेजो की थपथपाहट) राम को बदनाम करने के लिये कोई षडयंत्र इन लोगों ने छोड़ा नहीं है। श्रीमन्, इनकी कथनी और करनी पर मैं कह देता हूं। फिर आपके माध्यम से मैं कोटेशन देना चाहता हूँ 1893 में, जिसको मैं एक बार पहले कह भी चुका हूं। 1893 में शिकागो में एक धर्म संसद के दौरान स्वामी विवेकानन्द जी के भाषण के कुछ अंश हैं। 'मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से आया हूं जिसने इस धरती को सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताये हुए लोगों को शरण दी है'।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजराइलियों की पवित्र स्मृतियां संजोकर रखी हैं, जिनके धर्म स्थलों को रोमन हार्मरों ने तोड़-तोड़कर खण्डहर बना दिया था और तब उन्होंने दक्षिणी भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ, जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल-पोष रहा है। साम्प्रदायिकता, कट्टरता, इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हठ ने लम्बे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यतायें तबाह हुईं और कितने देश मिटा दिये गये। यदि यह खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज्यादा बेहतर होता जितना कि अभी है, लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता, दुखों का विनाश करने वाला होगा चाहे वह तलवार से हो या फिर कलम से हो। यह विवेकानन्द का भाषण है और आप समाजवाद को कह रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, शायद आपने टोका है।

श्री अध्यक्ष-

हमने टोका नहीं है। यह याद दिलाया था कि डेढ़ हो गया है अब पौने दो हो गया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, याद दिलाने पर तो बल और बढ़ जाता है। मैं अभी संक्षिप्त में और बताना चाहता हूँ। यह लोग बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं। यह बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष-

आप यह सारे कागज मा0 वित्त मंत्री जी को भिजवा दीजिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी हर भाषण में दो बातें कहते हैं बिना उसके कोई भाषण पूरा ही नहीं होता है। वह हर भाषण में कहते हैं कि पिछली सरकारों से हमको बदहाल आर्थिक व्यवस्था मिली और कानून व्यवस्था बदहाल मिली। कानून व्यवस्था की बात तो मैंने बता दी। पिछले दिनों लेखा परीक्षा सीएजी 2017-18 की रिपोर्ट सदन में रखी है। उसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने बजट का 93 हजार 76 करोड़ रुपया खर्च नहीं किया। यह सीएजी की रिपोर्ट है। यह सदन में पेश हो चुका है। सदन में 4 लाख 28000 करोड़ का बजट पास किया था और सरकार 3 लाख 34000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। 93000 करोड़ रुपये खर्च ही नहीं हुए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? उसी सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 11 हजार 388 करोड़ का जो अनुपूरक लिया, वह एक पैसा खर्च नहीं हुआ। यह राम गोविन्द चौधरी ने नहीं कहा, यह सीएजी की रिपोर्ट ने कहा है। हमें क्यों चिन्ता है ? यह आरोप लगाते हुए कहते हैं कि मैं बदहाल हूँ उत्तर प्रदेश में रहते हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूर्व मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी की भूरि-भूरि प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को कितने सुदृढ़ रास्ते पर रखा। 2013-14 में सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद 14 प्रतिशत था, 2014-15 में 10 प्रतिशत था, 2015-16 में 18 प्रतिशत था, 2016-17 में 11 प्रतिशत रहा। जीडीपी हमारा 14 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 11 प्रतिशत रहा है और जबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है 2017-18 में 7.88 प्रतिशत हो गया है। अब आप बताइये कि अर्थव्यवस्था का हाल भारतीय जनता पार्टी ने बिगाड़ा है या पिछली सरकारों ने बिगाड़ा है ? भारतीय जनता पार्टी ने कि पिछली सरकारों ने। हमने जी0डी0पी0 को बढ़ाया है हर साल बढ़ाया है इन्होंने उसे गिराकर चौपट कर दिया। श्रीमन् यह सरकार जनता पर बोझ है, यह सरकार गरीबों पर बोझ है, यह सरकार किसानों पर बोझ है। यह सरकार किसी के पक्ष में काम करने वाली नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि सरकार ने बजट खर्च ही नहीं किया तो वह पैसा गया कहां। एक लम्बा कागज था लेकिन देर हो जाएगा मैं बताता कि कितना-कितना खर्च हुआ, अध्यक्ष जी आपकी आज्ञा हो तो बता दें।

वित्त, संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

आपने शुरू में बता दिया था।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

वह तो थोड़ा ट्रेलर था। पूरा सिनेमा नहीं था सिनेमा का पहला सीन था।

श्री अध्यक्ष-

आप बता चुके हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी, जो भी इन्होंने धन एलाट किया सभी विभाग 50 से ही नीचे खर्च किए कोई-कोई 50 या 48 तक गया नहीं तो 12, 19, 7, 2, 3, 4 प्रतिशत तक ही धन खर्च कर पाए। फिर आपके बजट लाने से क्या फायदा, मैंने आपके माध्यम से सदन को, सरकार को बता दिया कि यह जो बड़ा बजट दिखा रहे हैं वह पिछले से भी छोटा है यह जो हर विभाग का बजट बता रहे हैं जनता के विरोध में है। एक बात बहुत जरूरी है वह आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि साहित्यकारों प्रकाशकों की साहित्यिक किताबें क्रय करके जिला स्तर पर मौजूद सरकारी पुस्तकालयों को भेजा जाता था माध्यम शिक्षा विभाग में उच्च शिक्षा विभाग में हर पुस्तकालय में इतने राइटर, लोगों ने साहित्यिक लोगों ने किताब लिखी। हमारे अध्यक्ष जी ने ही कितनी अच्छी-अच्छी किताबें लिखीं यह सब किताबें पहले सरकार खरीदती थी और शिक्षण संस्थाओं की लाइब्रेरी में, सरकारी लाइब्रेरी में, प्राइवेट लाइब्रेरी में यह किताबें देने का काम होता है, दसियों बरस से यह बन्द हो गया है, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी कि अगर साहित्यकारों का सम्मान करना चाहते हैं, लेखकों का सम्मान करना चाहते हैं, तो पुनः उनकी किताबों को शिक्षा विभाग के, गैर शिक्षा विभाग के सरकारी पुस्तकालयों में भिजवाने की कृपा करें। अध्यक्ष जी, जो सरकार किसान विरोधी हो, गरीब विरोधी हो, नौजवान विरोधी हो, नारी विरोधी हो आज ही हम लोगों ने उठाया, उत्तर प्रदेश में तानाशाह सरकार आ गई है। अलीगढ़ में धरना देने पर गोली मार दिया, अगर हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हों और पुलिस न रोके तो क्यों ऐसी स्थिति आए।

श्री अध्यक्ष-

अलीगढ़ प्रकरण पर तो आप बोलेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हां बोलेंगे। एक बात कह दिए। सरकार महिला, नौजवान छात्र विरोधी है, छात्राओं की विरोधी है, किसान विरोधी मजदूर विरोधी यह किसी के हित में नहीं है, पूरे प्रदेश की जनता, अधिकारी, कर्मचारी साहित्यकार, पत्रकार, डाक्टर, इंजीनियर, आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 इस सरकार से ऊब गए हैं कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश सरकार, इस बार अखिलेश सरकार, इस बार अखिलेश सरकार।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

[02:16] नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता कांग्रेस तथा नेता सुहेलदेव समाज पार्टी द्वारा बजट भाषण अगले दिन किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल का बहुत धन्यवाद। चूँकि माननीय वर्मा जी, माननीय आराधना जी और ओम प्रकाश जी तीनों लोगों ने कहा है कि हम आज नहीं बोलेंगे इसलिए हम एक दलीय नेता को बुलाकर फिर एक घंटे में लौटेंगे। माननीय नील रतन पटेल जी।

श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू'-

धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। वित्त वर्ष 2020-2021 के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने इस बजट का जो आकार इस सदन में प्रस्तुत किया है उसका आकार 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपये है। यह बजट जो प्रस्तुत किया गया है यह उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित तौर पर इस उत्तर प्रदेश की जनता ने जो सपना देखा है, इस उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए एक उत्तम प्रदेश के लिए उसमें यह बजट चार चांद लगाने का काम करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, 2019 में दुनिया के सबसे बड़े मेले का आयोजन हमारी सरकार ने इलाहाबाद के प्रयागराज में करने का काम किया है। पहले इस उत्तर प्रदेश के अन्दर देश का कोई भी व्यापारी यहां व्यापार करने के लिए आना नहीं चाहता था क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा यहां पर जो आराजकता का माहौल बनाकर रखा गया था, यहां पर व्यापारियों को जिस तरीके से खुलेआम गोलियां मारी जाती थीं, जिस तरीके से व्यापारियों से उनके बच्चों को अगवा करके उनसे फिरौती-वसूली का काम किया जाता था, जिससे व्यापारी भयभीत थे। उत्तर प्रदेश के अन्दर वह कारोबार नहीं करना चाहते थे, उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरे प्रदेशों में वह अपना कारोबार स्थापित करने का काम करते थे। लेकिन यह हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की देन है कि फरवरी, 2019 में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का सफल आयोजन करके और देश के जो प्रमुख उद्योगपति हैं उनको इस राजधानी लखनऊ में बुला करके इस उत्तर प्रदेश में रोजगारों की सम्भावनाओं को पंख लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसानों की आय दुगनी करने के लिए पूर्व में इस उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार थी जो अपने आपको धरती पुत्र के रूप में इस उत्तर प्रदेश में प्रचारित-प्रसारित करने का काम करती थी। लेकिन वह दौर हम लोगों ने भी देखा है और उस दौर में हम लोग भी सड़कों पर संघर्ष किया करते थे। किसानों के लिए बिजली, पानी, खाद एवं उनके पैदावार के उचित मूल्य के लिए हम लोगों ने किसानों के साथ बराबर संघर्ष करने का काम किया है, हम लोगों ने देखा है कि किसानों के साथ कैसा व्यवहार होता था। किसानों को सही समय पर बिजली नहीं मिलती थी। किसानों के खेतों में सही समय पर पानी नहीं पहुंचता

था। किसानों को खाद्य बीज मुहैया नहीं होता था। खाद का ऐसा आलम था, यूरिया खाद वह दूसरे स्टेटों में चला जाता था लेकिन यह हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और किसानों की हितैशी होने की वजह से यूरिया को नीम कोटेड करके यूरिया की कालाबाजारी को किसी ने रोकने का काम किया है, तो हमारी सरकार ने रोकने का काम किया है। किसानों के लिए हमारी सरकार ने मिलियन फार्मर स्कूल कार्यक्रम आयोजित कराकर किसानों के जीवन में खुशियां लाने के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारी सरकारों के द्वारा किया गया और बनारस की धरती पर अन्तर्राष्ट्रीय धान संस्थान फिलिपिन्स की पहली शाखा वाराणसी में स्थापित करके धान किसानों के साथ हमारी सरकार ने बहुत बड़ा न्याय करने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहूँगा भारत की अर्थ व्यवस्था वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन यू0एस0 डालर इकोनामी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य उत्तर प्रदेश उसमें एक ट्रिलियन यू0एस0 डालर 2024 तक इस महत्वाकांक्षी योजना में चार चांद लगाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। नागरिक उड्डयन के लिए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति इसके लिए हमारी सरकार ने पहली बार उत्तर प्रदेश के अन्दर ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों को इसके साथ जोड़ने का काम किया गया। डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कारीडोर परियोजना के लिए इस प्रदेश के अन्दर भूमि जो लेने की योजना हमारी सरकार ने बनाई है, झांसी, चित्रकूट, जालौन, अलीगढ़, आगरा तथा कानपुर जनपदों को चिन्हित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है, पहले क्या होता था ? पहले ढेर सारे वृक्षों की कटाई इस प्रदेश के अन्दर होती थी उसके जगह पर वृक्षों को लगाने का काम नहीं किया जाता था। उसके नाम पर इस प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को खुलेआम उसका दुर्पयोग करने का काम पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा किया गया लेकिन हमारी सरकार ने वृक्षारोपण महाकुम्भ का आयोजन करके 22 करोड़ 59 लाख पौधों का रोपण करके 9 अगस्त, 2019 को ग्रीनरी बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड बनाने का काम किसी ने किया तो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। राजस्व की बात मैं करना चाहूँगा, पिछली सरकारों ने भू-माफियाओं को खुलेआम संरक्षण दिया गया था जिसकी वजह से गरीबों की जमीनों पर भू-माफियाओं ने अवैध तरीके से कब्जा करने का काम किया लेकिन यह हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की देन है कि 2 लाख 39 हजार 775 शिकायतें भू-माफिया पोर्टल पर की गयीं, जिसमें 2 लाख के ऊपर शिकायतें निस्तारित करने का काम हमारी सरकार ने किया। किसानों के परिवारों को मजबूत करने के लिए मुख्य मंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना आरम्भ करने का काम हमारी सरकार ने किया है और इसके लिए 500 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में दी गयी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कानून-व्यवस्था पर कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अन्दर आज कानून का राज है। उत्तर प्रदेश में जो माफिया गोलबन्द होकर यहां घटनाओं को अन्जाम देने का काम करते थे, आज उन माफियाओं ने उत्तर प्रदेश को छोड़कर या तो उन प्रदेशों में जाने का काम किये हैं जहां एन0डी0ए0 की सरकारें नहीं हैं अथवा आज उनको जेल

की सलाखों के पीछे रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, जिसको कल तक पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा संरक्षण देने का काम किया जाता था, आज हमारी सरकार ने ऐसे किसी भी अपराधी को चाहे वह कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी या अपना दल के किसी भी मंत्री-विधायक के साथ अगर उनका रिश्ता भी रहा होगा तो उनको हमारे मंत्री-विधायकों और हमारी सरकार ने नकारने का काम किया है और यह दिखाने का काम किया कि इस उत्तर प्रदेश के अन्दर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उस सरकार में कानून का राज है। मैं ऊर्जा के क्षेत्र में कहना चाहूँगा कि पहले कब बिजली आती थी और कब चली जाती थी पता नहीं चलता था। कड़ाके की ठण्ड में हमारा किसान धरती का सीना चीरकर सर्दी, गर्मी, बरसात, पहाड़, पर्वत से टकरा करके अपने खून को पसीने में बदल करके जो फसल पैदा करता है, जो साग-सब्जी पैदा करता है, जो इस देश का भरण-पोषण करने का काम करता है, वह इस धरती का अन्नदाता कहा जाता है लेकिन उसको अपने खेत की सिंचाई के लिए कड़ाके की ठण्ड में खेत के किनारे पुआल बिछाकर रात को सोना पड़ता था और वह बिजली का इन्तजार करता था कि बिजली अब आयेगी, बिजली अब आयेगी, बिजली अब आयेगी लेकिन बिजली नहीं आती थी और उस कड़ाके की ठण्ड में वह किसान, वह अन्नदाता ठण्ड लग जाने से दम तोड़ देता था लेकिन यह हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति की देन है कि आज हमारे उन्हीं अन्नदाताओं को, उन किसानों को दिन में भी बिजली मिल रही है और यही वजह है कि चाहे हमारे धान किसान हों, चाहे हमारे गेहूँ का किसान हो, चाहे गन्ना का किसान हो, चाहे बागवानी करने वाले किसान हो, ढेर सारी पैदावार इस उत्तर प्रदेश के अन्दर किसानों को मिली है और यही वजह है कि आज किसानों के होठों पर मुस्कान है, आज इस उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहा है। हमारे तमाम जो किसान थे अपने खेतों में ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन के लिए पूर्ववर्ती सरकारों में बिजली आफिस का लगातार चक्कर लगाने का काम करते थे लेकिन उनको कनेक्शन नहीं मिलता था लेकिन जिस दिन वर्ष 2017 में हमारी सरकार आई तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी के एक साइन से पूरे उत्तर प्रदेश का कोई भी किसान जो अपने ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन लेना चाहता था उसको कनेक्शन तुरन्त देने का काम किया है। कहा गया है कि किसी भी प्रदेश की जो सड़कें होती हैं वह उस प्रदेश की भाग्य रेखा होती हैं पहले इस उत्तर प्रदेश के अन्दर सड़कों का जो हाल था वह उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है और इस सदन में बैठे हुये हमारे सभी माननीय सदस्य भी जानते हैं। लखनऊ से सुल्तानपुर रोड के माध्यम से अगर वाराणसी जाना पड़ता था तो सड़क की जो स्थिति थी वह हम लोगों से छिपी हुई नहीं थी। हम लोगों को दूसरे रास्ते से इलाहाबाद, प्रतापगढ़ से होकर लखनऊ की तरफ आना पड़ता था। लेकिन आज चारों तरफ जिस तरीके से चौड़ी-चौड़ी सड़कों को हमारी सरकार ने बनाने का काम किया है उसमें टू-लेन की सड़कें, फोर-लेन की सड़कें आज इन सड़कों ने उत्तर प्रदेश की भाग्य रेखा को बदलने का काम कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश की भाग्य रेखा

बदल चुकी है। निश्चित तौर पर मा0 योगी जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश में निरन्तर कानून का राज होगा। इस उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। मान्यवर, आपने इस बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया मैं इस बजट पर अपनी पार्टी, अपना दल की तरफ से अपने मा0 सदस्यों की तरफ से बल देते हुए समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ धन्यवाद, जय-हिंद, जय-भारत।

[02:33] पीठ द्वारा आय-व्ययक की साधारण चर्चा पर समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष-

शेष नेता बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और ओम प्रकाश जी कल बोलेंगे इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के नाम पुकारते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, नियम-56 ले लें।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी आ जाएं फिर ले लेते हैं। आज सब लोग पांच-पांच मिनट बोल लें ताकि सब लोग बोल लें। कुछ आज बोल लें, कुछ कल बोल लें। आप लोग पांच मिनट में बोलने का प्रयास करिए। श्री अविनाश त्रिवेदी जी हैं, बजट पर।

***श्री अविनाश त्रिवेदी**-

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बात हो रही थी स्वास्थ्य की। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक जन आरोग्य मेले का कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में संचालित कर रखा है और जिसके माध्यम से प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सारे ही डाक्टर्स उपस्थित होते हैं और हम सभी जन-प्रतिनिधि जाते हैं और हर इतवार को पूरे उत्तर प्रदेश में एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इन कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। आज इस बजट भाषण पर हमको बोलने का मौका मिला है। हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने, मा0 वित्त मंत्री जी ने जो बजट रखा है, हम उसका समर्थन करते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में राम मनोहर लोहिया संस्थान को 477 करोड़ रुपया देने का काम हमारी सरकार ने किया है तथा लखनऊ पी0जी0आई0 को लम्बा धन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। कैंसर संस्थान लखनऊ को 187 करोड़ रुपया देने का काम हमारी सरकार ने किया है और तो और बिना किसी भेदभाव के सैफई में पी0जी0आई0 को भी 309 करोड़ रुपया देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर ज्यादा लम्बी बात न करें क्योंकि हमको पांच मिनट का समय दिया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 13 लाख से अधिक आवासों का निर्माण हमारी सरकार के द्वारा पिछले समय में कराया गया है। जिसमें 7 हजार 23 गरीब मुसहर परिवारों को आवास दिये गये और 6 हजार 240 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, इस बार के 2020 और 2021 का हमारा जो बजट पेश हुआ है, उसमें। मैं इस बात को दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, बिना किसी सम्प्रदायवाद भेदभाव के प्रत्येक परिवार को आवास देने का काम किया है। इसको हमारे सभी मा0 सदस्य जानते हैं। किसी भी जाति या धर्म को ले करके किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव हमारी सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। हम अपने विधान सभा क्षेत्र के एक महोना नगर पंचायत को ले करके चलते हैं जहां 1600 आवास हमारी सरकार के द्वारा उन गरीबों को आवंटित किये गये हैं, जिनमें 702 मकान अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दिये गये हैं, यह मेरी सरकार की उपलब्धि है, क्योंकि मेरी सरकार ने उनको वोट बैंक नहीं माना है, जिन्होंने वोट बैंक माना था उन लोगों ने कितने मकान दिये थे, जब उनकी सरकारें थी ? इस बात का हिसाब ले करके वह बैठ जाएं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी शौचालय दिये गये। पूरा देश, पूरा प्रदेश ओ0डी0एफ0 घोषित हुआ। 2011 के सेन्सेक्स के आधार पर हमारी सरकार ने हर गरीब परिवार को इज्जतघर आवंटित करने का काम किया। कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ। आज हमारी सरकार पर तरह-तरह के आरोप लगाये जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री की बात की जाती है। हमारे मुख्य मंत्री की बात की जाती है। मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि पिछली सरकारें अपना हिसाब लेकर आ जायें और हम अपनी दिल्ली की सरकार वर्ष 2014 से लगाकर और उत्तर प्रदेश की सरकार 2017 से लगाकर उनके कामकाज का ब्यौरा लेकर बैठते हैं और तय कर लीजिए कि अल्पसंख्यकों के लिए किसने सबसे ज्यादा काम किया है। मा0 अध्यक्ष जी, हमारे विधान सभा क्षेत्र में कुछ समस्यायें हैं। हमारे यहां बक्शी का तालाब से कुमरावां-बाबागंज मार्ग है इसकी स्थिति बहुत गड़बड़ है। पतली रोड है। पतली रोड होने की वजह से वहाँ पर आये दिन दुर्घटनायें घटती रहती हैं। हमारे यहां अमर शहीद राजा दिग्विजय सिंह जी का स्मारक है जो 1857 की क्रांति में उन्होंने अपने पूरे परिवार को शहीद कर दिया था। उस स्मारक के सुन्दरीकरण के लिए मैं अपनी सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस पर धन आवंटन करके इसका सुन्दरीकरण करा दिया जाये। हमारे यहां इटौजा में मनुपुर नौरंगपुर एक पुल है जो कि बीसों साल की पुरानी मांग है किसी भी सरकार ने इसको नहीं किया। हम आपके माध्यम से अपनी सरकार से मांग करते हैं कि इस पुल का निर्माण करा दिया जाये। बाकी मां चन्द्रिका देवी मंदिर का जो रास्ता गया है उसके लिए मैं अपने मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 उप मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उस मार्ग के चौड़ीकरण का धन भी आवंटित कर दिया और चौड़ीकरण का कार्य भी शुरू हो गया है। जो मार्च तक पूर्ण कर लिया जायेगा। उसके अलावा चूंकि वह नदी के किनारे स्थित है

इसलिए उसके बंधे की जरूरत है। बंधे न होने की वजह से वहाँ आये दिन कोई न कोई दुर्घटना घट जाती है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

श्री अविनाश त्रिवेदी-

बस एक मिनट मा0 अध्यक्ष जी। खरगापुर जो नई कालोनी बनी है उसमें शहीद पथ के एक तरफ और शहीद पथ के दूसरी तरफ गोमती नगर विस्तार है। गोमती नगर विस्तार ज्यादा विकसित है और खरगापुर ज्यादा विकसित नहीं है। वहाँ पर जल निकासी की बड़ी समस्या है। दूसरा हमारे यहां कुम्भावां, छठे मील का जो फायर स्टेशन है उससे करीब 35-40 कि0मी0 की दूरी पर है और बड़ा एरिया है। वहाँ पर हम एक फायर स्टेशन की योजना चाहते हैं। जिससे हमारे यहां गर्मी के दिनों में जो आये दिन घटनायें हो जाती हैं, किसानों की फसलें जल जाती हैं, उनके लिए एक व्यवस्था हो जाये। इस तरह से मैंने अपनी बात आपके माध्यम से सरकार के सामने रखी हैं। अब मैं अपने मा0 बिजली मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि जिन गांवों में पांच घण्टे बिजली नहीं जाती थी आज उन गांवों में 22 घण्टे बिजली जाती है। किसानों का शोषण होता था। आज हमारे मा0 बिजली मंत्री जी के माध्यम से उनका शोषण रुक गया है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री अविनाश त्रिवेदी-

धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिन्द, जय भारत।

श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं नया सदस्य हूँ। मान्यवर, इसी सदन में हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी ने पं0 दीन दयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने के लिए एक सोच दिया। गांव गरीब किसान झोपड़ियों का इंसान बेरोजगार नौजवान, दलित शोषित पीड़ित महिलाओं का उत्थान। यह सोच दिया था। आज हमारे मा0 वित्त मंत्री जी ने इसी सोच के आधार पर बजट प्रस्तुत किया है। मेरा विश्वास है कि समाज के अन्तिम सीढ़ी पर जो व्यक्ति बैठे हुये हैं उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने में यह बजट कारगर होगा और जब यह बजट कारगर होगा और तब समाज की अन्तिम सीढ़ी पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है। मान्यवर, उसकी खरीदने की ताकत बढ़ेगी। इससे उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की स्थिति और व्यापार की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन एवं सुधार

भी होगा। इस बजट में आगरा में मेट्रो की स्थापना के लिए 286 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, निश्चित रूप से आगरा के आवागमन में काफी सुधार की स्थिति बनेगी। मैं मा0 योगी जी सरकार एवं सभी मा0 मंत्रीगणों को बधाई देना चाहता हूँ कि अकबर अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली ले गये थे और आज हमारी सरकार ने आगरा को गंगाजल देकर आगरा की एक बहुत बड़ी समस्या का हल किया है। सभी क्षेत्रों को गंगाजल आपूर्ति के लिए डी0पी0आर0 बन रही है। इसी प्रकार से अमृत योजना के अन्तर्गत सीवर लाइन बिछाने का काम चल रहा है, उसकी डी0पी0आर0 बन रही है। उस डी0पी0आर0 को स्वीकृत करके निश्चित रूप से पूरे आगरा में, हर गली-मुहल्ले में गंगाजल उपलब्ध होगा और जो बोरिंग के पानी से टंकियां भरती हैं उसमें भी जमीन के पानी की सुरक्षा बढ़ेगी। इस बजट में निश्चित रूप से आगरा को बहुत बड़ा लाभ दिया गया है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इण्डस्ट्रीज को फैलाने का काम किया गया है, गांव-गांव में छोटी-छोटी इण्डस्ट्रीज लग रही हैं। हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि कोई सुधार नहीं हो रहा है। इनके समय में सुधार की कोई भी सम्भावना इसलिए नहीं थी क्योंकि गांवों में बिजली ही नहीं थी। लेकिन अब तो गांव-गांव में बिजली पहुंच रही है। जनपद आगरा में पहले बिजली 6, 7 एवं 8 घण्टे ही आती थी लेकिन आज जनपद आगरा में 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति हो रही है। अगर आगरा के लोगों को एक टेक्सटाइल इण्डस्ट्रीज मिल जायेगी तो निश्चित रूप से आगरा का उद्योग चमक उठेगा। आगरा में काम टेक्सटाइल इण्डस्ट्रीज के माध्यम से रेडीमेड कपड़े बनने लगेंगे। उसके साथ में चेन, बटन, धागा और कपड़ा बनाने के लिए लूम जो सूरत एवं भील वाड़ा जैसी जगहों पर लगे हुए हैं और आगरा में बिजली की पूरी आपूर्ति हो चुकी है और यदि वह टेक्सटाइल इण्डस्ट्रीज आगरा में लगेगी तो जो सपा, बसपा एवं कांग्रेस के लोगों ने आगरा को पॉल्यूशन लेस इण्डस्ट्रीज देने का वायदा किया था और यह लोग उस वायदे को पूरा नहीं कर पाये हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार आने वाले समय में एक टेक्सटाइल इण्डस्ट्रीज आगरा को देगी। आगरा में ताजमहल के कारण सारी इण्डस्ट्रीज चौपट हो गई हैं। निश्चित रूप से गंगाजल के लिए 200 करोड़ रुपया एवं सीव रलाइन के लिए 288 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है, उसको स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं एक सुझाव भी देना चाहूँगा कि कुछ स्थानीय स्तर पर सरकारी विभाग जबरदस्ती का टिकट लगाते हैं। जैसे उड्डयन विभाग ने आगरा के पालीवाल पार्क में टिकट लगाया और टिकट लगाने के बाद छः महीने में मात्र 01 लाख 22 हजार रुपये प्राप्त हुए और वहाँ पर सपा सरकार के कार्यकाल से टिकट लगाने की बात चल रही थी, टिकट लगा दिया और उस पर 25 लाख 58 हजार रुपया खर्च हुआ। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि सपा, बसपा कार्यकाल में जो योजनाएं चल रही थीं उसमें आगरा के ताजमहल के ऐतिहासिक स्थल एत्मादउदौला पर जो विकास प्राधिकरण ने शुल्क लगाया हुआ है वहाँ मात्र 50-60 हजार रुपये महीना आता है और वहाँ पर विभाग के 2-2 लाख रुपये खर्च होते हैं। मेरा निवेदन है कि उसको रोका जाना चाहिए। जहां टिकट से प्राप्ति कम होती है और उसको बनाने पर खर्चा ज्यादा होता है, उन खर्चों को भी रोकना

चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि जो आय प्रमाण-पत्र बनवाये जाते हैं उनको बनवाने में भी दिक्कतें आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि सभी जगहों पर आ रही होंगी। सवर्ण वर्ग के लोगों को विशेष सुविधा दी गई है एवं विशेष आरक्षण सवर्ण वर्ग के लोगों को दिया गया है उनको आय प्रमाण-पत्र बनवाना पड़ता है। जो वार्षिक कमाई 08 लाख रुपये करता है, वह रिटर्न भी दाखिल करता है। जब वह रिटर्न दाखिल कर रहा है और जो इनकम टैक्स में रिटर्न दाखिल किया गया है उसी को मानना चाहिए, उसको तहसील से प्रमाण-पत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात मैं आपातकाल बन्दियों के मामले में कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने 22 करोड़ पौधे लगाकर 'गिनीजबुक' में नाम दर्ज कर वर्ल्ड रिकार्ड बनाया है। इसी प्रकार से समाजवादी के लोगों ने नतमस्तक होने का, राजनीति में स्वाभिमान को खोने का अगर रिकॉर्ड बनाया है तो वह समाजवादी पार्टी ने बनाया है। मान्यवर, आपातकाल में कर्पूरी ठाकुर, मुलायम सिंह यादव जी जैसे नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया था और बहुजन समाज पार्टी ने आपातकाल में लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान को छीन लिया था, उस सम्मान को छीनने वाली सपा के सामने, कांग्रेस के सामने नतमस्तक होती है। मैं अपनी सरकार से भी आग्रह करना चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिए।

श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल-

एक मिनट में समाप्त करता हूँ कि आपातकाल बन्दी लोकतंत्र में स्वतंत्र भारत के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन था, उन आपातकाल बंदियों का जो सम्मान चल रहा है वह सम्मान तो जारी रहे, साथ में उनके लिए वोल्वो बस में सुविधा और उनके लिए एक सुविधा और कर दी जाये चूंकि जहां तक आरक्षण का सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों से अनेक सीटें खाली रह जाती है, मैं चाहता हूँ कि पूरा सदन इस बात का समर्थन करे (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) क्योंकि उस लड़ाई में आपातकाल बंदियों ने जोरदार लड़ाई लड़ी थी, वह आरक्षण जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से पूरा न हो, उस आरक्षण के कोटे को लोकतंत्र रक्षा सेनाानियों के आश्रितों से पूरा किया जाये। मैं चाहता हूँ कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो लोग जेल गये थे उनके समर्थन में अगर आप लोगों का समर्थन होगा तो निश्चित रूप से समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा, सही काम करने वालों को एक अच्छा संदेश मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आप बैठिए।

श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल-

पेंशन बढ़ाने की बात तो सदैव रहती है लेकिन एक सम्मान जरूर मिलना चाहिए। मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

बहुत-बहुत धन्यवाद।

उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-06-2016 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-06-2016 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीन अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या-4 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुये वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या-4 को संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज का वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18 को उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा-8(3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-7 में कुछ नहीं है।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का चतुर्थ प्रतिवेदन खण्ड-1†

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैं सभापति, लोक लेखा समिति, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का चतुर्थ प्रतिवेदन (खण्ड-1), जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) के उल्लिखित खाद्य एवं रसद विभाग, गृह/कारागार विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग तथा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का तृतीय प्रतिवेदन (खण्ड-3) †

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैं सभापति, लोक लेखा समिति, उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का तृतीय प्रतिवेदन (खण्ड-3), जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में उल्लिखित कर एवं निबंधन (मनोरंजन कर) विभाग तथा ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

[02:49 बजे] उत्तर प्रदेश विधान सभा की वित्तीय वर्ष 2020-2021 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'', ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और ''मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थाई समितियों'' के निर्वाचन सम्बन्धी सूचना

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वित्तीय वर्ष 2020-2021 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'', ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और ''मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों'' के निर्वाचन का निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :-

---

† छापा नहीं गया।

1-नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तिथि तथा समय	शुक्रवार, 28 फरवरी, 2020 को अपराह्न 04:00 बजे तक
2-नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	सोमवार, 02 मार्च, 2020 को अपराह्न 03:00 बजे (प्रमुख सचिव, विधान सभा के कार्यालय-कक्ष में)
3-नामों की वापसी की तिथि तथा समय	बुधवार, 04 मार्च, 2020 को समय अपराह्न 04:00 बजे तक
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान	शुक्रवार, 06 मार्च, 2020
(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति तथा पंचायती राज समिति के लिए	
(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के लिए	

विधान भवन, लखनऊ स्थित समिति कक्ष संख्या 44-ख में पूर्वाह्न 10:30 बजे से 04:00 बजे तक होगा।

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा सम्पन्न किया जायेगा।

उक्त निर्वाचनों सम्बन्धी नाम-निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

विधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने हेतु श्री अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि सदन इस बात की सिफारिश करे कि इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

आपको प्रस्ताव करना है, अगर आप पसन्द करते हों कि इसका अध्यक्ष को अधिकार दे दिया जाए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2020-2021 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'', ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और ''मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों'' में सदस्यता के लिये सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, श्री अध्यक्ष को सभी उक्त समितियों में 2020-2021 के लिए अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिये भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2020-2021 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'', ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और ''मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों'' में सदस्यता के लिये सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, श्री अध्यक्ष को सभी उक्त समितियों में वर्ष 2020-2021 के लिए अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिये भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[02:53] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब कार्य-स्थगन लेते हैं।

पहली सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री अजय कुमार लल्लू, श्री नरेश सैनी, श्री मसूद अख्तर और श्री सोहिल अख्तर अंसारी की है। अजय जी की हमारे पास पर्ची आयी थी, क्या वह पहले बोलना चाहेंगे ?

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमें पहले मौका देने के लिए कहा था।

श्री अध्यक्ष-

आप डेढ़ घण्टा बोल कर थक गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि पहले वह बोल लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

नहीं-नहीं, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप बोल लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आज आपके आसन पर आते ही जिस बात को हमने उठाया था और आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करके हम लोग अपने स्थान पर बैठ गए थे। कल की घटना है, शान्तिपूर्वक अलीगढ़ में महिलाएं धरने पर बैठी थ, सी0ए0ए0, एन0आर0सी0 और एन0पी0आर0 के खिलाफ महिलाओं ने बारिश से बचने के लिए त्रिपाल और प्लास्टिक का सहारा लेकर उसको छाने लगीं और पुलिस उसको गिराने लगी, महिलाएं लगाने लगीं, पुलिस गिराने लगी, उसी में तू-तू, मैं-मैं हुआ और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई महिलाएं घनघोर रूप से घायल हो गईं, उन्होंने इस बात को स्वीकार भी कर लिया है। इसी में गोली चल गई, एक आदमी मर गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि यही महिला सशक्तिकरण है। इस आजाद हिंदुस्तान में हमको जो अधिकार मिला है संविधान में कि हम सरकार से अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। अगर हमारी बात सरकार नहीं सुनती है, तो हम प्रदर्शन के माध्यम से भाषण सुनवाएंगे। नहीं सुनती है तो धरना के माध्यम से सुनवाएंगे, नहीं सुनती है तो हम सत्याग्रह के माध्यम से सुनवाएंगे, नहीं सुनती है तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से अपनी बात सुनाएंगे, लेकिन इतना सरकार क्यों डरी हुई है जब महिलाएं धरने पर बैठी हैं। उस दिन मुख्य मंत्री जी कह रहे थे बिना नाम लिए कि एक बड़े नेता कि लड़की ने.....

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

व्यवधान न डालिए, आपको भाषण की अनुमति नहीं मिली है। मैं कह रहा हूँ कि यह पेपर आप हमें भिजवा दीजिए। आपको इसमें भाषण देने को कहा नहीं गया, जब कहा जाएगा जरूरत पड़ने पर कहा जाएगा, इसके लिए अनुमति दी जाएगी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, चार दिन की चर्चा है, अपनी बात रख सकते हैं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री के कहने और उनके निर्देशानुसार यह सदन जो है अखबार का संज्ञान नहीं लेता। यही कई बार कह चुके हैं। यहां अखबार लहराया जा रहा है। मा0 अध्यक्ष जी क्या सही है, क्या गलत है, यह तो जांच होगी तब न पता चलेगा। कोई अखबार कुछ लिखता है, कोई अखबार कुछ बोलता है, कोई चैनल कुछ बोलता है। हमने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि यह देश गांधी का देश है। यह सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, धरना-प्रदर्शन आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से दुनिया के सबसे सशक्त अंग्रेजी राज्य को हटाने का काम किया है। अगर किसी काला कानून के खिलाफ में कोई धरना-प्रदर्शन हो रहा है, तो उसको हम कुचल देंगे इतना हम जनता से डरे हुए हैं। कह रहे थे उस दिन मा0 मुख्य मंत्री जी, भाषण में भी कई दिन कहे हैं कि पुरुष मर्द लोग जो हैं, घर में रजाई ओढ़कर सो रहे हैं। पत्नियों को आगे कर दिए हैं। मा0 अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान की महिलाएं झांसी की रानी भी हैं, बेगम हजरत ने इसी लखनऊ में 1857 में बेगम हजरत महल पार्क में अग्रेजों का छक्का छुड़ा दिया था और महिलाओं ने कहा है कि हम जिन कारणों से आन्दोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, ऐ हमारे बहादुर पति तुम अभी बैठो, अभी इस तानाशाही सरकार से लड़ने के लिए हम लोग काफी हैं, जब हम थक जाएंगी, तब तुम मैदान में आना। श्रीमन्, आप देखिए कि महिलाओं पर लाठी चल रही है, गोली चल रही है। ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ कि महिलाओं को उनके हक की लड़ाई के लिए, अपना हक मांगने के लिए इतना अपमानित किया जाए।

(सत्ता पक्ष की ओर से कुछ सदस्यों द्वारा बीच में टोकाटाकी करने पर)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, ये वही लोग बीच-बीच में बोलते हैं, जो वर्ष 2017 में हमारे दल से, बसपा और कांग्रेस से भागकर उधर गए हैं और कभी इधर आएंगे, इसीलिए ऐसे लोग ज्यादा बोलते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, यह एक तात्कालिक घटना है, संवेदनशील है, निश्चित है, महिलाओं के साथ अत्याचार है, लाठी चार्ज है, गोली चार्ज है, आंसू गैस है। बरसात में उनको भीगने देने के लिए उनके आसन छीन लिए जाते हैं, भोजन छीन लिया जाता है, कम्बल छीन लिया जाता है, अलाव पर पानी डाल करके उसको बुझा दिया जाता है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के साथ अन्याय है। मा0 अध्यक्ष जी, यह महत्वपूर्ण घटना है

इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सदन की शेष कार्यवाही रोक करके इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

मा0 अध्यक्ष जी, रघुकुल रीति सदा चलि आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लगातार इस सदन में यह सरकार अपनी पीठ ठोंकती रही कि राम राज्य आ गया है, राम राज्य आ गया है, राम राज्य आ गया है।

श्री अध्यक्ष-

विषय पर आइए, विषय पर। विषय पर आओ, विषय पर।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

अध्यक्ष जी, क्या यही राम राज्य है ? उत्तर प्रदेश में जबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तबसे जंगल राज है। यह केवल मेरा कहना नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी भी है। अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ और कई अन्य शहरों में सी0ए0ए0 और एन0आर0सी0 को ले करके लगातार प्रदर्शन हो रहे थे और उन शान्तिपूर्ण प्रदर्शनों पर जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई हुई थी।

श्री अध्यक्ष-

आपका नोटिस तो अलीगढ़ पर है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं उसी पर आ रही हूँ। अभी कुछ समय पहले जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई हुई थी, अभी उसकी आग ठण्डी भी नहीं हुई थी कि कल 23 फरवरी को अलीगढ़ में कुछ महिलाएं शान्तिपूर्वक आन्दोलन कर रही थीं जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं थीं, बच्चे थे और वृद्ध थे। लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई हुई, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, यहां तक कि फायरिंग भी हुई और उन लोगों को वहाँ से खदेड़ करके हटा दिया गया। जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान प्रशासन के उच्च अधिकारियों की ओर से आए, जिसकी वजह से यह घटना हुई, अगर इसमें किसी की जिम्मेदारी है, तो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। जवाबदेही अगर किसी की बनती है, तो प्रदेश सरकार की बनती है। क्या इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जाँच नहीं होनी चाहिए कि कौन वे अराजक तत्व थे जिन्होंने इस पूरे शान्तिपूर्वक आन्दोलन में हिंसा पैदा कर दी। अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि यह अति लोक महत्व का प्रश्न है, सरकार को इसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक करके इस पर चर्चा कराई जाए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(सदस्य श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा बीच में खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

देखिए कोई चर्चा नहीं हो रही है और आपके दल की मा0 नेता बोल चुकी हैं। मा0 नेता विरोधी दल बोल चुके हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, कई बार उधर से यह बात आती है कि यह बात गलत है, गलत है, गलत है। अब गलत है या सही है, यह तय कैसे होगा ? पुलिस से तो होगा नहीं क्योंकि पुलिस तो इनकी है, सी0बी0आई0 इनकी है। इसलिए मैं शुरू से इस बात की मांग करता आ रहा हूँ कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, घटना की सही जानकारी हो जाए।

इसलिए हाइकोर्ट या सुप्रीमकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से इन सारी घटनाओं की जाँच कराई जाये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, हमें दो मिनट बोल लेने दें। मा0 अध्यक्ष जी, कभी-कभी आपकी कृपा हम पर भी हो जाए, सिर्फ एक मिनट में बोल लेने दें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं एक दल से दो लोग कैसे बोलेंगे इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, एक मिनट बस हमारी बात आ जाये।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात तो आ गई है आपके दल की नेता बोल चुकी हैं और नेता प्रतिपक्ष बोल चुके हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, आज अलीगढ़ की एक घटना को लेकर जो यह कार्य-स्थगन का प्रस्ताव आया है, उसके सम्बन्ध में हमने नेता प्रतिपक्ष माननीय चौधरी साहब को सुना और मा0 कांग्रेस की नेता श्रीमती मोना जी को सुना, मान्यवर, यह लड़ाई दो ग्रुपों के नेतृत्व को हथियाने की है। एक तरफ वे महिलायें जो पिछले 26 दिन से धरने पर बैठीं थीं और दूसरी तरफ भीम आर्मी ने एन0आर0सी0 और सी0ए0ए0 के सम्बन्ध में बन्द का ऐलान किया था। उन्होंने अपने लोग बुलाये और दूसरे वालों ने भी अपने लोग बुलवाये। अब यह उन लोगों के आपस में झगड़े की लड़ाई है और इसका प्रशासन से सीधे-सीधे कुछ लेना-देना भी नहीं था लेकिन प्रशासन का काम तो दोनों को रोकना था ताकि किसी भी तरफ से कोई अप्रिय घटना न हो,

लेकिन मान्यवर, कल शाम को जब एक पुलिस की गाड़ी हताहत की गई, बस को नुकसान पहुंचाया गया, दमकल को नुकसान पहुंचाया गया और एक मोटर साइकिल फूंक दी गई और जितनी भी अराजकता की स्थिति थी जब ये हो गई तब पुलिस को मान्यवर, मजबूरी में बल प्रयोग करना पड़ता है और इसमें कहीं पर कोई ऐसी घटना नहीं है कि जिसको यहां पर उठाने की बात थी। नेतृत्व की बात थी, भीम आर्मी कहती है कि हम नेतृत्व करेंगे और महिलायें कह रही थीं कि हम नेतृत्व करेंगे। तिरपाल आदि की कोई बात ही नहीं थी, तिरपाल तो शनिवार से ही दे दिया गया। अब आप देखिये शनिवार से तिरपाल लगा हुआ है, फोटो दिखवा देंगे हम आपको और आपने कह दिया कि तिरपाल के बारे में, अरे भई नेता विरोधी दल जी, आप बहुत जिम्मेदार पद पर हैं, इतने सीनियर हैं कम से कम सदन में सच्चाई का बखान होना चाहिये। शनिवार को उनको तिरपाल मिल गयी थी उन्होंने शुक्रवार की रात को मांगा और शनिवार को उनको तिरपाल मिल गया और आपने कहा कि तिरपाल नहीं दिया उसमें छीना-झपटी मची।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, तिरपाल उनकी दिलाई गई, छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है इतने की ही जाँच करा लीजिये। मैं इस बात को छोड़ देता हूँ, आप इतना ही जाँच करा लीजिये। ये जो घटना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बता रहे हैं वह झगड़ा दूसरा है। ये जो महिलायें बैठी थीं, बारिश हो रही थी, उससे बचने के लिए प्लास्टिक का तिरपाल डाल रही थीं और पुलिस उसे नहीं लगने दे रही थी उसी पर दोनों का विवाद हुआ लाठीचार्ज हो गया, आंसू गैस चली, गोली चल गई और आप कुछ और कह रहे हैं, आप इसकी जाँच क्यों नहीं करा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यदि सत्तापक्ष में थोड़ी भी हिम्मत है तो वर्तमान हाइकोर्ट या सुप्रीमकोर्ट के जज से क्यों नहीं इसकी जाँच करा रहे हैं ?

श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना'-

जाँच करा लें इसकी माननीय अध्यक्ष जी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

ये जाँच नहीं कराएंगे और इनकी गलतबयानी से और महिलाओं के प्रति इनकी अपमान दृष्टि की वजह से मैं और मेरा दल सदन से वॉकआउट करता है। इनके असंतोषजनक उत्तर से हम संतोष नहीं कर पा रहे हैं।

(तत्पश्चात् नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार उन लोगों को बेनकाब करेगी जो इन आंदोलनों के पीछे पीठ थपथपा रहे हैं। मान्यवर, उन लोगों को बेनकाब करने की जरूरत है, जो वहाँ पीछे

पीठ थपथपाते हैं और यहां आकर ड्रामा करते हैं। उन लोगों को रोकना चाहिए, इस प्रदेश के, इस देश के आखिरकार किस नागरिक का नुकसान हो रहा है, जिसके पीछे आप धरना दिये पड़े हैं। पूरे प्रदेश में विपक्ष का गैरजिम्मेदाराना रवैया इसके लिए जिम्मेदार है, पूरी तरीके से। अगर ये हवा न दें तो मान्यवर, किसी प्रकार का कोई झगड़ा कोई नहीं चाहता है और वहाँ तो नेतृत्व की लड़ाई है कि भीम आर्मी नेतृत्व ले या महिलाओं को नेतृत्व मिले। केवल नेतृत्व की लड़ाई वहाँ है और किसी प्रकार की लड़ाई नहीं है। मान्यवर, जब बस फूंकी जाएगी, गाड़ी फूंकी जाएगी, एक इन्सपेक्टर की गाड़ी पर हमला हो गया। उस गाड़ी की जब तोड़-फोड़ की जाएगी तो क्या पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहेगी ? तो कानून तो अपना काम करेगा। हम शांति व्यवस्था को मेनटेन करने के लिए जो भी कदम आवश्यक होगा, वह जरूर उठाएंगे और इस बात की पुलिस को छूट भी है कि कानून व्यवस्था को मेनटेन करना हमारी पहली प्राथमिकता है और हम उसको मेनटेन करने के लिए जो भी आवश्यक होगा, वह किया जायेगा लेकिन किसी को नाजायज सताया नहीं जायेगा, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो निर्दोष हो उसको परेशान नहीं किया जायेगा, यह मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ। मान्यवर, यह नियम-56 में नहीं आता है, इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' तथा श्री संजीव राजा के अपने-अपने स्थान से अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

क्या यह आपके क्षेत्र की घटना है ?

श्री संजीव राजा-

जी मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

आप दो मिनट में बताइये क्या कहना चाहते हैं।

श्री संजीव राजा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया, वह नेतृत्व की लड़ाई थी। एक तरफ महिलाएं धरना दिये बैठी थीं। धरने की अनुमति प्रशासन द्वारा दी गयी है। वहाँ बारिश के बावजूद भी तम्बू तना हुआ है। कल भीम आर्मी ने बाजार बन्द का आह्वान किया।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा अपने-अपने स्थान से अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप बाधा डाल रहे हैं।

श्री संजीव राजा-

अध्यक्ष जी, उस आह्वान में एक पक्ष को लेकर झगड़ा हुआ। कुछ महिलाएं जगह-जगह बाजारों में निकलीं। मेरे पास स्पष्ट प्रमाण हैं कि उन महिलाओं के हाथ में पत्थर थे, उन महिलाओं के हाथों में डण्डे थे। वह महिलाएं शांतिपूर्वक नहीं थीं। जिनको बच्चा बताया जा रहा है, वह बच्चे नहीं नौजवान और जवान पुरुष थे। वह पुलिस पर हमला कर रहे थे। पुलिस ने अपने बचाव में, अपनी रक्षा में और अलीगढ़ शहर की जनता की सुरक्षा की दृष्टि से उनको हटाने का प्रयास किया। उन्होंने बलपूर्वक थोड़ा सा प्रयास किया। इसमें कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई मौत नहीं हुई। यह झूठी बयानबाजी नेता विरोधी दल द्वारा दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका विषय आ गया।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अराधना जी, आप बोलिए।

श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि यह जिस तरह का वक्तव्य माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का हम लोगों के सामने आ गया और जो माननीय सदस्य ने अभी बताया।

श्री अध्यक्ष-

वह तो वहाँ के विधायक हैं।

श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना'-

अध्यक्ष जी, तो दोनों में कितना विरोधाभाष है।

श्री अध्यक्ष-

कोई विरोधाभाष नहीं है।

श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना'-

अध्यक्ष जी, हम सिर्फ इतना चाहते हैं और हमारा अनुरोध आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना है कि अगर वहाँ अराजकता हुई तो वह अराजक तत्व कौन थे ? इनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी ? क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है ?

श्री अध्यक्ष-

इस पर उत्तर आ गया है।

श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना'-

अध्यक्ष जी, इस पर उत्तर नहीं आया है। मैं चाहती हूँ कि इस पर चर्चा करा दी जाये। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूरे उत्तर प्रदेश में भय व्याप्त है। क्या वजह है कि केवल उत्तर प्रदेश में और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहीं पर अराजकता हो रही है। हम सरकार के इस रवैये से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

श्री अध्यक्ष-

कार्य-स्थगन की इस सूचना को हम अग्राह्य करते हैं। अगली सूचना माननीय लाल जी वर्मा की है।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, जिस घटना का जिक्र हमने नियम-56 के अन्तर्गत किया है ऐसी ही एक घटना अभी पिछले सत्र में कानपुर देहात की थी जिसको आपने बड़ी गम्भीरता से सुना था। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज दलित समाज के ऊपर क्या कारण है कि सामन्ती और सबल लोगों द्वारा आए दिन इस तरह की घटनाएं प्रदेश में घटित हो रही हैं। इसका कारण यह है कि यह दलित जो है, वह एक बड़ी भूमि का मालिक नहीं है, न ही बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक है और न ही कारखाने का मालिक है। यह केवल मेहनत और ईमानदारी का मालिक है और यही इसकी सम्पत्ति है। कहीं भी यह बसा होगा किसी भी जमींदार की जमीन पर, ग्राम समाज की जमीन पर परन्तु इनके पास स्वयं की कहीं बसने की जमीन नहीं थी, यह किसी की मर्जी पर बसता था। आज यह अतरौलिया की और जिस गांव की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वह वाजिदपुर गांव है और यह 18 तारीख की घटना है। झगड़ा दो-तीन बजे दिन में हो जाता है। घटना की गम्भीरता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि 7-8 बजे रात को लाठी, डण्डा, बन्दूकों से, असलहों से लैस हो करके सामन्ती प्रवृत्ति के लोग अनुसूचित जाति बस्ती पर हमला करते हैं। रात को हमले का मतलब कि इसमें कहीं बहुत लम्बी साजिश थी। हमला हो जाने के बाद उनकी मड़ई ढहाना, उनके टीन-शेड को तोड़ना, लाठियों से महिलाओं को मारना, बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ देना, वहाँ पर एक सेक्टर अध्यक्ष है, मोहित राम, उसको गोली से मार दिया गया, आज भी वह हास्पिटलाइज है। संसदीय कार्य मंत्री जी इस घटना को अगर देखा जाय आप सीधा कहेंगे कि जमीनी विवाद है। मैंने कहा कि गरीबों के पास क्या है ? आज वह अच्छा कपड़ा पहन रहा है, इसलिए उसे कहीं-न-कहीं इस तरह की जुल्म-ज्यादती का शिकार होना पड़ रहा है। स्वाभिमान से सड़क पर चलने की आदत जब बन गयी तब वह आज कहीं-न-कहीं जलन का पात्र बन गया और कहीं कोई झगड़ा नहीं। आप सीधा खड़ा होंगे तो जमीनी विवाद है लोगों में। आपस में जमीन का झगड़ा है। जमीन का विवाद है तो गोलियां चलेंगी ? न्यायालय बना है, पंच बने हैं, आप जैसे विद्वान लोग उस गांव में रहते होते, ऐसा भी रास्ता अख्तियार

किया जा सकता है। हो सकता है कि न्यायालय में मुकदमें भी चल रहे हों, बर्दास्त किये होते। एकाएक गोली चला देना, मड़ैय्या जला देना, फूंक देना और जिस महिला सशक्तीकरण की, तमाम तरह की यहां चर्चायें होती हैं, उन गरीब महिलाओं को लाठियों और डण्डों से पीटा गया। इस पर आम आदमी यही कहेगा की जमीनी विवाद है तो पहले से चला आ रहा है। उनके ऊपर लाठियां, गोलियां और बम चलाये जायेंगे। आज मान्यवर, इस घटना का मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि अभी हमारा सेक्टर अध्यक्ष हास्टिलाइज है। जिन-जिन क्षेत्रों में कोई घटना घट जाती है तो वहाँ निश्चित तौर पर एक जन-प्रतिनिधि, एक पदाधिकारी, एक एम0एल0ए0, एक एम0पी0 जाता है कि जरा देखा जाय कि क्या बात है। विजय कुमार जो हमारे जिले का प्रभारी है वह देखने गया था। क्षेत्र में कोई घटना घटती है तो वहाँ पदाधिकारी या जन-प्रतिनिधि जाता है कि वहाँ क्या घटना घट गयी। 18 की घटना, 19 को एफ0आई0आर0 दर्ज हो रही है, 20 तारीख को आफ्टर हाफ एक एफ0आई0आर0 दर्ज किया गया और वही धारायें लगायी गयीं जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों को गोलियां मारीं गयीं, बम मारे गये, लाठी मारी गयी, डण्डा मारा गया। उन सामन्तियों का भी एफ0आई0आर0 लिया गया, सेम-टू-सेम वही धारा लगायी गयी, दलितों के ऊपर। दलितों का 18 तारीख को एफ0आई0आर0 हुआ। 307 में एफ0आई0आर0 दर्ज हुई। कोई मुझे भी बता दे, किसी को एक भी खरोंच नहीं आयी है लेकिन इस पुलिस ने सीधे उनके ऊपर वही मुकदमा एफ0आई0आर0 किया जो दलितों के ऊपर मुकदमा एफ0आई0आर0 किया था और विजय कुमार जो हमारा जिले का प्रभारी है। यह स्वाभाविक है कि हमारे एम0एल0ए0, एम0पी0 जहां घटना होती है संवेदना के लिए वहाँ चले जाते हैं। वह भी बसपा का एक पदाधिकारी था, उसने सोचा कि हम भी जरा देखें कि हमारे यहां क्या घटना घट गयी है। उसको भी मुल्जिम बना दिया गया है और मेन मुल्जिम को 20 तारीख को पूरे-के-पूरे पुलिस ने आफ्टर थॉट इन गरीबों को कम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव बनाने के लिए फर्जी एफ0आई0आर0 दर्ज करके दबाव बनाया जा रहा है। इसलिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत लीपा-पोती करने की जरूरत नहीं है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। आपने गारण्टी दी कानपुर देहात की घटना पर कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने दी जायेगी। अभी एक घटना के बाद दूसरी घटना घट गयी। जिस दलित की बात आप करते हैं। ऐसे आपके महापुरुष हैं, चाहे हमारे जो भी महापुरुष हैं, इनके उत्थान के लिए, इनके सम्मान के लिए, इनकी इज्जत के लिए बाबा साहब जैसे लोगों ने इनकी इज्जत और सम्मान के लिए संविधान में भी व्यवस्था की है। अध्यक्ष जी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज जिस तरह की पुनरावृत्ति हो रही है दलितों पर, कमजोरों पर और एक जमीन के विवादों को ले करके 8 बजे रात को जिस तरह का हमला किया गया है। मैं इसे इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि 8 बजे रात को हमला किया गया है इसलिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ऐसी घटनाओं को बहुत लीपा-पोती करने की जरूरत नहीं है। आप विद्वान हो, कुछ मानवता के आधार पर भी लीजिये, इंसानियत के आधार पर लीजिये। यह संयोग कहता है कि बेटे को

गोली मारी गयी है, लाठियां बरसायी गयी हैं। आप भी जाइये देखिये कि तोड़ा गया है, यह क्यों किया ? यह जमीनी विवाद है, 10, 20, 25 विवाद नहीं है। मैंने तो शुरू में कह दिया था कि उन लोगों के पास कोई जमीन नहीं है वह किसी की मर्जी पर बसे थे या तो कहीं जमींदार की मर्जी पर या कहीं प्रधान की मर्जी पर। आज उनकी मर्जी है कि 50 साल बाद फिर उत्तेजित हो जायें कि हमारी जमीनों पर तुम बसे हो, ग्राम समाज की जमीन पर बसे हो, 132 की लैन्ड पर बसे हो, आखिर कहां वह जायेगा। उसके पास तो स्वयं की खेती करने के लिये एक बिस्वा जमीन भी नहीं है। अब रहने में भी दिक्कत है, अगर अनुचित है तो वहाँ मानवता के आधार पर कानून में उनकी व्यवस्था है कि ऐसे गरीब ग्राम समाज की जमीन पर या 132 की लैन्ड पर बसे हैं तो उनको एज ए आबादी होल्डर सेटिल कर दिया जाय। इसके लिये कानूनी प्रक्रियायें होनी चाहिये। लेकिन आज जिस तरह की घटना घटी है, वह दुःखद है।

श्री अध्यक्ष-

अब तो आपका पूरा विषय आ गया।

(डा0 संग्राम यादव तथा श्री आजाद अरिमर्दन द्वारा बोलने का प्रयास करने पर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब सुखदेव जी बोल लिये हैं, अब सरकार का उत्तर आ जाने दें।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, एक बार अगर दिल बड़ा होगा और संसदीय कार्य मंत्री जी का है तो गारण्टी के साथ कहता हूं कि आप भी दहल जायेंगे जब 70 साल, 60 साल और 30 साल की मां-बहनें अपनी पीठ दिखायेंगी तो आप स्वयं कहेंगे कि सामन्तों ने कितना अत्याचार किया है इसलिये मैं मांग करता हूँ कि तत्काल इन सामन्तियों को गिरफ्तार किया जाय और कड़े से कड़े मुकदमे उन पर कायम किये जायें। जिनकी क्षति हुयी है उनके छत, छप्पर, उनकी मड़इयां सब जलाई-फूंकी गयी हैं, उसके लिये उनको क्षतिपूर्ति दी जाय। साथ ही साथ जिस जमीन का विवाद है तो जिस जमीन पर वह बसे हैं उस जमीन का उन दलितों को आबादी होल्डर बना दिया जाय, यह हमारी आपसे मांग है। मैं इस विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ताकि सबके विचार इस विषय पर आ जायें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब राजभर जी उत्तर आने दीजिये, आप बैठें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

(डा0 संग्राम यादव तथा श्री आजाद अरिमर्दन द्वारा बोलने का प्रयास करने पर-व्यवधान)

डा0 संग्राम यादव-

जो विषय माननीय सुखदेव राजभर जी ने रखा है और जो अपने विचार प्रस्तुत किये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है अब हो गयी बात, आपने समर्थन कर दिया। अब कितने लोग उस पर बोलेंगे। यह कोई चर्चा थोड़ी न हो रही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जिन लोगों ने नियम-56 में सूचना दी थी उनकी बात तो आ गयी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राजभर जी, इस विधान सभा के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं। मान्यवर, यह कोई समूह का झगड़ा नहीं है, कोई ग्रुप का झगड़ा ही नहीं है। एक सवर्ण व्यक्ति अपनी जमीन पर अपना मकान बना रहा था यहां पर उल्टा है और कुछ दलित समाज के लोगों ने उसको मकान बनाने से रोका। हम अभी जब आपके पास पर्ची भेजकर भागकर गये थे तो हम टेलीफोन से पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ से बात करने गये थे। मैंने सोचा कि जो रिपोर्ट मेरे पास आई है मैं उसे अध्यक्ष जी आपके पास भेज दूंगा। इस झगड़े की जड़ इस रिपोर्ट में नहीं थी तो मैंने सोचा कि झगड़े की जड़ उनसे पूछ लूं तो उन्होंने टेलीफोन पर बताया कि एक सवर्ण व्यक्ति जो अपना मकान बना रहा था तो दलितों ने उसे मकान बनाने से रोका।

(श्री सुखदेव राजभर जी द्वारा टोकने पर व्यवधान)

आप पता तो कर लें। देखिये, यहां पर समूह की बात करना और दलितों पर अत्याचार की बात कहना यह बहुत आसान है यह सदन का रोज का नारा बन गया है। आखिरकार यह भी अपने आप में बहुत बड़ी ज्यादती है मान्यवर, कि रोज-रोज एक ही बात कही जाये। किसी समूह ने दबाया नहीं। झगड़े की जड़ क्या है। झगड़े की जड़ यही है कि एक सवर्ण व्यक्ति अपना मकान बना रहा था उसे रोका किसने। रोका दलितों ने और जमीन उनकी नहीं है। उन्होंने टेलीफोन पर बताया कि तहसील का स्टाफ वहाँ जाकर जमीन नापकर आया है। कब्जा अलग दे आया है उसके बाद भी वह चाहते हैं, उनके पड़ोस का मामला है कि दलितों के बीच में उनका मकान न बने। यहां तो उल्टा है। आखिरकार कोई बात इतनी बार कहो कि वह सच दिखाई पड़ने लगे। यह समूह की बात जो आप कह रहे हो, हम दलितों का पूरा सम्मान करते हैं और हृदय से सम्मान करते हैं, आज से नहीं, हमेशा से करते आए हैं। अध्यक्ष जी, हम भी जनता के बीच से चुन कर आते हैं।

(श्री सुखदेव राजभर के कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हम भी आपका सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं और हमने आपकी एक-एक बात पूरी सुनी और हमने सोचा कि उनसे पूरी जानकारी ले लें, क्योंकि इसमें झगड़े की जड़ नहीं आई। इसलिए मैं टेलीफोन से बात करने गया था, अध्यक्ष जी को पर्ची भेज कर कि मैं 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। मैंने टेलीफोन से बात की और उन्होंने कहा कि यह एक मकान बना रहे थे और दलितों ने रोका और उसके बाद बात के ऊपर बात बढ़ी कि भई तुम क्यों

रोक रहे हो ? उन्होंने कहा कि यह मकान यहां नहीं बनेगा, मान्यवर, यह वजह है। अब आखिरकार अगर कोई सवर्ण गरीब व्यक्ति किसी बस्ती में कोई मकान बनाना चाहता है, तो क्या उसको भी मकान बनाने नहीं दिया जायेगा। मान्यवर, झगड़े की जड़ यह है और किसी प्रकार का कोई ऐसा वह भी नहीं हुआ। यह सही है कि फायर हुआ, 12 बोर की बन्दूक से फायर हुआ, बहुत दूर से छर्रा चला, बहुत ही सुपरफीशियल इंजरी है और कोई ऐसा जानलेवा नहीं है। मान्यवर, लेकिन जो मुकदमा हुआ है, उसमें एस0सी0/एस0टी0 एक्ट भी लगा है, सी0ओ0 को जाँच भी दे दी गई है और दो-दो लोग, दोनों तरफ से गिरफ्तार भी हुए हैं। इसमें हम आपके माध्यम से आश्वस्त करते हैं, माननीय राजभर जी को और सभी सदस्यों को भी जिन्होंने सूचना दी कि किसी प्रकार की कोई हकतल्फ़ी किसी समूह के खिलाफ नहीं होगी। न्याय अपना काम करेगा और यह कभी मत सोचिये, इस बात को दिमाग से भी निकाल दीजिए कि इस सरकार में समूह के साथ कोई अत्याचार होगा। यह दिमाग से निकाल देना चाहिए और कृपा करके हम आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं कि यह बात रोज-रोज कि दलित समूह के साथ ऐसा हो रहा है, समूह का कोई मतलब नहीं है, व्यक्तिगत रूप से अगर कोई बात होगी, तो उसे मेरिट के ऊपर देखा जायेगा। चूँकि यह एस0सी0/एस0टी0 का मामला है, इसलिए इसमें सी0ओ0 से जाँच हो रही है। मान्यवर, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जाँच की जो रिपोर्ट होगी, मैं सदन के पटल पर रख दूंगा और उस वक्त चाहें तो विचार कर लें और यह जो डिटेल रिपोर्ट आयेगी, वह हम आपको आज ही दिखवा देंगे। मान्यवर, पूरी तरीके से न्याय होगा, यह हम आपके माध्यम से आश्वस्त करते हैं।

(श्री लाल जी वर्मा के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, यह तो बहुत बड़ा आश्वासन सरकार की तरफ से हो गया कि हम सदन में रखेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बताया कि सवर्ण समाज के व्यक्ति मकान बना रहे थे। मान्यवर, माननीय सदस्य का कहना है कि वह अनुसूचित जाति की आबादी है। दूसरे अगर कोई मकान बनाता है, तो क्या वह रात में 8:00 बजे बनायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

जाँच कराकर वह उस विषय को यहां लाना चाहते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, 8:00 बजे रात में मकान बनाने का तात्पर्य हुआ कि वह जानबूझकर कब्जा करने की नीयत से गये। उनका कोई पट्टा नहीं है, वह आबादी की जमीन है। अगर पट्टा

नहीं है और मकान दलितों के बीच में बना रहे हैं, तो वह निश्चित रूप से वह कब्जा करने के नीयत से गये। अगर गये भी, तो क्या गोली चलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

गोली चलाने वाले मामले में तो सरकार की तरफ से आ गया कि मुकदमा है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, अगर 8:00 बजे रात में गोली चला रहे हैं, उसके बाद बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मूर्ति की बात यहां कहां आयी ? मूर्ति की बात नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, तो निश्चित रूप से इससे बड़ी जुल्म-ज्यादती क्या हो सकती है ? चूँकि माननीय मंत्री जी पुलिस की कहानी का ही भरोसा करते हैं और पुलिस कैसी कहानी बनाती है, उसे आपसे ज्यादा कोई जानता नहीं है। पुलिस कितनी अच्छी कहानी बनाती है।

श्री अध्यक्ष-

तो करना क्या है ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, निश्चित रूप से इसकी जाँच होनी चाहिए और इसमें जो दलितों के खिलाफ, जिन्होंने आक्रमण नहीं किया, कहीं भी चोट नहीं है। उन्हीं धाराओं में उन लोगों के खिलाफ भी एफ0आई0आर0 दर्ज हो गया, उसको खत्म होना चाहिए। अगर किसी को चोट नहीं है, बिना इंजरी के 307 लगा दिया गया, अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ भी, तो केवल मुकदमें में समझौता करने की नीयत से, जिससे दबाव डालकर समझौता कर लिया जाये। इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर उनके कहीं चोट नहीं है और कहीं छुआ भी नहीं है, उसके बाद भी 307 लगा है तो यह ज्यादती है। वह धारा खत्म होनी चाहिए। इस पर मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी आश्वासन दे दें।

श्री अध्यक्ष-

यह कह तो रहे हैं कि हम जाँच करायेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, कहां कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने कहा है कि हम जाँच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे और उस समय विस्तृत चर्चा भी हो जायेगी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि वह अपनी जमीन पर मकान बना रहा थे। यह शंका मैं पहले भी इसी सदन में जता चुका हूँ और यही सबसे बड़ा खतरा है पिछड़े, दलित, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए कि सैकड़ों वर्ष पहले ठाकुर साहब ने बसा दिया, पंडित जी ने बसा दिया, जमींदार ने बसा दिया, राजा ने बसा दिया। जमीन है उनके नाम और बसे हैं हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के लोग, और जब यह नया नियम आया है तो सभी लोग हड़बड़ा करके अपनी जमीन कब्जा करना चाहते हैं, नाम से तो उनकी है और दिये हैं हरिजन को, दिये हैं पिछड़े को इसलिए यह उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी एक चीज है। इसलिए माननीय राजभर जी और माननीय नेता, बसपा जो कह रहे हैं उसे भी सुनें केवल पुलिस की ही बात पर क्यों विश्वास कर रहे हैं इसलिए कुछ अपने लोगों की भी बात पर विश्वास कीजिए। ये आपके लोग हैं, विधान सभा के सदस्य हैं, हम इसमें असत्य नहीं बोलते हैं तो इनकी भी बात पर विश्वास कीजिए। आज आप पुलिस की बात पर बहुत तवज्जो दे रहे हैं कल हम आयेंगे तो हम भी करेंगे। इसीलिए जनप्रतिनिधि बदनाम है और अधिकारी मालामाल है। आप जन प्रतिनिधियों की बात पर विश्वास कीजिये। कई बार इस सदन में हो चुका है कि अगर माननीय मंत्री जी नहीं संतुष्ट हो पा रहे हैं और अगर सदस्य कहता है कि क्या माननीय मंत्री जी मेरी बात को सही मानकर इसकी जाँच करायेंगे तो मंत्री के सामने कोई चारा नहीं रह जाता था, वह सदस्य की बात को सही मानता था। तो अगर माननीय सदस्य की बात को संसदीय कार्य मंत्री जी सही मानते हैं तो पुलिस को छोड़ करके आप अन्य स्रोत से भी पता लगाइये। जमीन मिली थी दलित जाति के लोगों को और नाम उनके थी, इसमें कहीं कोई दो-राय नहीं है लेकिन अब जब कब्जा करने की जो बात है, एन0आर0सी0, एन0पी0आर0 और सी0ए0ए0 जो आप ले आये हैं यह उसी का नतीजा है और यह प्रदेश भर में, देश भर में बढ़ेगा इस प्रकार से इस देश को आप क्रान्ति के रास्ते पर, वर्ग संघर्ष के रास्ते पर ले जा रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, हम पहले ही कह चुके हैं कि पूरी तरह से इसे हम अलग से दिखवा लेंगे, मैंने थानेदार और सी0ओ0 से बात नहीं की, पुलिस अधीक्षक से बात की है। मान्यवर, कहीं न कहीं किसी न किसी संस्था पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा और हम आपके माध्यम से यह आश्वस्त कर चुके हैं कि इसमें पूरी तरीके से न्याय होगा तथा जो जाँच रिपोर्ट आयेगी उससे हम सदन को अवगत भी करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना अग्राह्य की गई।

(विपक्ष के माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

पहले आप मुझे अनुमति दीजिए अपनी बात कहने की।

नियम-56 में एक सूचना माननीय श्री पारस नाथ यादव जी की मृतक गजेन्द्र कुमार शर्मा, जय हिन्द कॉलेज चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर के पुत्र को मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्ति में विलम्ब किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। मैं इस सूचना पर सरकार को निर्देशित करता हूँ कि वह इस पर कार्रवाई करे।

अगली सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री वीरेन्द्र यादव एवं श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर के ग्राम गहमर में दिनांक 15-02-2020 को रिटायर फौजी की हुई हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। मैं इस सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूँ, इस पर कार्रवाई की जाय।

ऐसी ही एक सूचना है माननीय श्री सुखदेव राजभर जी की, यह सूचना प्रदेश में विद्युत स्मार्ट मीटर लगाने वाली कम्पनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा लगाये गये स्मार्ट मीटर में भार जम्पिंग के मामले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, मैं इस सूचना को उनके पास भिजवा दूंगा, वह इस पर कार्रवाई करायेंगे।

अब हम अगली मद सं0-42 लेते हैं।

[03:35] उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री (श्री अनिल राजभर)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

आप विधेयक के पक्ष में कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री अनिल राजभर-

मान्यवर, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि रामभद्राचार्य जी निश्चित तौर पर देश के बहुत बड़े विद्वान हैं और उन्होंने 26 जुलाई, 2001 को चित्रकूट के अन्दर जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के नाम पर इस संस्था की स्थापना 35 एकड़ से ज्यादा भूमि पर की। जैसाकि पूरा प्रदेश जानता है कि पैदा होने के दो माह पश्चात ही उनकी दृष्टि चली गयी थी, लेकिन उसके बावजूद भी विकलांगजनों की सेवा में, दिव्यांगों की सेवा में उन्होंने इतना बड़ा संकल्प, एक उदाहरण पूरे देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम किया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय पहले से चल रहा है, लेकिन वहाँ भी दिव्यांग और सकलांग दोनों लोगों का दाखिला होता है और दोनों ही वहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह उत्तर प्रदेश के अन्दर पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है, जहां पर सिर्फ विकलांग ही

शिक्षा ग्रहण करते है। हम इसमें विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग करने जा रहे हैं। जगद्गुरू रामभद्राचार्य जी ने पहली ऐसी संस्था की स्थापना की है। आज उसमें एक-दो बातों का संशोधन लेकर हम लोग यहां आये हैं। वर्ष 2014 के बाद जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य नरेन्द्र भाई मोदी ने विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द प्रचलन में लाने का काम किया। उन्होंने यह महसूस किया कि हमें दिव्यांग के मनोबल को बढ़ाना है, उनको समाज का हिस्सा बनाना है, समाज के विकास में वह भी कहीं भागीदार बन सकें, ऐसी भावनाओं के साथ उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द पूज्य प्रधानमंत्री जी ने लाया हैं। आज जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की जगह जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय विधेयक लाये है। मान्यवर, अभी तक एक भी पैसे की मदद जगद्गुरू रामभद्राचार्य जी ने किसी से भी नहीं लिया है। आप यह समझें कि पॉच वर्ष की उम्र में जिनको पूरा रामायण कंठस्थ हो जाता है और जो संकल्प लेते हों कि दिव्यांगों की सेवा में हम जो धर्म का प्रचार-प्रसार करते हैं, उससे जो हमें अर्जन होगा, हम उस पैसे से अपनी यूनिवर्सिटी को चलाएंगे और बहुत मन के साथ दिव्यांगता के क्षेत्र में वह सेवा कर रहे हैं। मैं अनुरोध करता हूँ कि पूरा सदन इस पर सहमत हो और सर्वसम्मति से इस बात को हम लोग आगे बढ़ाएं।

श्री अध्यक्ष-

बहुत अच्छा। मा0 उज्जवल रमण सिंह जी आप कुछ कहेंगे।

***श्री उज्जवल रमण सिंह-**

मा0 अध्यक्ष महोदय, पहले संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें, तत्पश्चात इस पर बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मा0 अध्यक्ष जी, इस विश्वविद्यलाय की परिकल्पना वर्ष 2001 में की गयी। यह विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय के रूप में उत्तर प्रदेश विधान सभा से पास हुआ। मा0 मन्त्री जी जिस शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, वह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। स्टेट यूनिवर्सिटी में तो सरकारी पैसा दिया जा सकता है। लेकिन एक प्राईवेट यूनिवर्सिटी में अगर सरकारी पैसे को लगाया जायेगा तो जो 27 यूनिवर्सिटियां चल रही हैं कल वह भी आप पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दबाव बनायेंगी और आप विधेयक ले करके आयेंगे कि उनके यहां भी क्यों न सरकारी पैसा लगाया जाये। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा, पता नहीं माननीय मंत्री जी की जानकारी में है कि नहीं, उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने एक 'निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 को पास किया है। इसमें जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं सबको उसमें रखा गया है लेकिन आपने जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय को उसमें क्यों नहीं रखा ? मैं तो पूछना चाहूँगा कि आप रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय को अलग क्यों मानकर चल रहे हैं ? आप उसमें सरकारी पैसा क्यों लगा रहे हैं ? अगर कल आपसे बाकी विश्वविद्यालय मांगने लगेंगे कि इसका फायदा हमको भी दिया जाये तो आपके पास क्या जवाब रहेगा ? मेरी समझ से अगर आप इस पर विचार कर लें और इसे प्रवर समिति में ले जाकर चर्चा कर लें तो ठीक होगा। आप विकलांग की जगह 'दिव्यांग' कर रहे हैं उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर सरकारी पैसा ले जाना है और आपने अपने साथ-साथ केन्द्र सरकार को भी जोड़ दिया है। आप अपना पैसा तो लगवाना चाहते हैं केन्द्र सरकार का भी लगाना चाहते हैं। सारी यूनिवर्सिटीज के लिए जब हमने यहां से एक कानून पास किया है तो दो अलग-अलग कानून, दो अलग-अलग विश्वविद्यालय के लिए नहीं हो सकता है। यह विधेयक विधिपूर्ण नहीं है इसलिए माननीय मंत्री जी इस पर पुनर्विचार कर लीजिए। मैं इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की मांग करता हूँ।

***श्री संजय गर्ग-**

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 उज्ज्वल रमण सिंह जी ने रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव दिया है उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वास्तव में उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई तो उसकी प्रस्तावना में ही यह बात इंगित की गयी थी कि राज्य सरकार के लिए अपने सीमित वित्तीय संसाधनों से ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना करना सम्भव नहीं था। अतः यह विनिश्चय किया गया कि राज्य में निजी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। विश्वविद्यालय की स्थापना हुई उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों को किस तरह से नियमित किया जा सके उस बात के लिए इसी सदन ने पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का गठन कर अधिनियमित किया है। मैं समझता हूँ कि एक निजी विश्वविद्यालय को उसकी कसौटी पर कसकर अगर हम उसके अनुरूप चलाने की बात करते तो ज्यादा बेहतर होता। जहां तक बात प्रातः स्मरणीय जगद्गुरु रामभद्राचार्य की है, हम सब उनका

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से उनके सम्मान में किसी भी तरह का प्रश्न-चिह्न नहीं लगाना चाहते परन्तु उस सबके बावजूद कानून की बात इस सदन में हो और उसके अनुरूप ये तमाम कार्यवाही हो। अगर आज हमने यह नजीर के रूप में बना दिया कि किसी निजी विश्वविद्यालय को केन्द्र या प्रदेश ही नहीं बल्कि प्राइवेट संस्था भी अगर अनुदान या दान देना चाहती है तो वह अपने तौर पर दे सकती है, तो कल कोई दूसरा विश्वविद्यालय भी इस बात के लिए कोशिश कर सकता है, कल कोई दूसरा भी आपसे मांग कर सकता है तो तब क्या हम दोहरा मापदण्ड करने की बात करेंगे ? इन तमाम चीजों पर गम्भीर चिन्तन किये बिना अध्यादेश इतनी जल्दबाजी में लाया गया है। इस सबके साथ-साथ इसकी जो प्रशासकीय व्यवस्था है वह सूचना प्रोद्यौगिकी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग चला रहा था। पाठ्यक्रम की बात है, विज्ञान की बात है, कोर्सेस की और शिक्षा की बात है तो मैं समझता हूँ कि इसकी जगह दिव्यांग संस्थान को चलाने के लिए जो बात कही गयी कि अब इसे दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग चलायेगा। आमतौर पर दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग दिव्यांग लोगों की दिव्यांगता को समाप्त करने के लिए कैलीपर्स एवं दूसरे उपकरण देने तक ही अपने-आपको सीमित रखता है। वहाँ शैक्षिक पाठ्यक्रम की उस गम्भीरता का अध्ययन करने वाले उस तरह से अनुभवी लोगों का अभाव होता है परन्तु उस सबके बावजूद अगर यह निर्णय लेना भी था तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई इमरजेंसी थी कि इसे तत्काल प्रभाव से अध्यादेश लाकर किया जाये इसलिए मेरा मत है कि इस अधिनियम को पहले प्रवर समिति को सौंप दिया जाये जो गम्भीरता के साथ चिन्तन कर सभी पहलुओं पर निर्णय लेने का काम करे तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री अनिल राजभर-

मान्यवर, जब यह विधेयक लाया गया तो आज सुबह ही मुझे लगा कि यह सर्व-सम्मति का विषय है। पद्म विभूषण से अलंकृत जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी को और कई-कई प्रदेश और देश की सरकारों ने उनको पुरस्कृत किया है। समाज की सेवा की है। और पिछली सरकार ने भी उनको यश भारती दिया है। मान्यवर और नजीर बनने की जहां तक बात है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि यह दिव्यांग लोगों की यूनीवर्सिटी है इसमें और यूनीवर्सिटीज में बड़ा फर्क है। मान्यवर, जहां तक हमारे विभाग को उससे जोड़ने की बात आप कह रहे हैं तो शकुन्तला यूनीवर्सिटी उसमें पहले से जुड़ी हुई है। हम जो उसको संचालित कर ही रहे हैं और आज देखिये 19 वर्ष से जिनको आंख से दिखाई नहीं देता। मैं तो उनसे मिला। गर्व होता है कि ऐसे महापुरूष भी आज की तारीख में इतना बड़ा जज़्बा आज भी उनके मन में है दिव्यांगों की सेवा के लिये (मेजों की थपथपाहट) और इस तरह से सेवा करना चाहते हैं। वहाँ से आज तक 5 हजार छात्र निकल चुके हैं माननीय अध्यक्ष जी और सब के सब कहीं कोई सरकारी नौकरी में है कोई आत्मनिर्भर होकर अपने पैर में खड़ा होकर, कोई व्यापार कर

के अपने परिवार का भी पेट भर रहा है। यही तो उद्देश्य है मान्यवर। हम इसलिये निवेदन करना चाहते हैं। मैं विपक्ष से भी बहुत अनुरोधपूर्वक कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक को सर्व सम्मति से आप पास करें। प्रवर समिति में भेजने जैसा कोई विषय नहीं है। हम लोगों को चार कदम आगे बढ़कर समाज के जो हमारे ऐसे दिव्यांग हैं उनके मनोबल को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) समाज को यह संदेश जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा दिव्यांगों के मनोबल को बढ़ाने के लिये हर कदम उठाने के लिये तैयार है, तत्पर है।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, एक महीने का ही तो टाइम मांग रहे हैं। केवल एक महीना। कि प्रवर समिति में चला जाय एक महीने के लिये और इसके सब पहलुओं पर विचार हो जाय और तब आये। एक महीने में कोई रुक तो जायेगा नहीं। आपको मान लेना चाहिए। एक महीने की ही तो बात है कि हर पहलुओं पर समिति विचार कर लेगी। कोई आपका विरोध तो कर नहीं रहा है। कोई और अच्छा सुझाव आ जाय। प्रवर समिति अच्छा सुझाव दे दे। तो माननीय अध्यक्ष जी एक महीना कोई बहुत टाइम नहीं है। मंत्री जी को एक महीने का टाइम दे देना चाहिए।

श्री अनिल राजभर-

एक महीना बहुत समय होता है और इससे यह मैसेज खराब जायेगा कि जब दिव्यांगों का विषय आया तो उत्तर प्रदेश की विधान सभा को महीने भर का समय चाहिए। उनके मनोबल पर क्या असर पड़ेगा, उनकी भावनाओं पर क्या असर पड़ेगा। (मेजों की थपथपाहट) इस बात को विचार करना चाहिए।

श्री संजय गर्ग-

केवल एक बात रखना चाहता हूँ माननीय परमश्रद्धेय जगद्गुरू रामभद्राचार्य जी के विषय में जो बात आपने कही निश्चित रूप से पूरा सदन उस बात के लिये सहमत है और उस बात की गम्भीरता और उनकी स्वीकार्यता, उनकी पवित्रता और आध्यामिकता पर कोई प्रश्नचिन्ह लगाने का कोई सवाल नहीं। पर हम यहां कानून बनाने के लिये बैठे हैं। कोई कानून बने और उसकी नजीर किसी दूसरे रूप में किसी दूसरे सदन में पेश की जाय इससे पहले एक बात का सवाल उठता था कि भई इस बात के लिये अगर प्रवर समिति में चर्चा हो जाय, मंथन हो जाय और इसके इफ एण्ड बट्स निकाल दिये जायं। कोई दूसरा इस बात का इस्तेमाल गैर जरूरी तौर पर न कर ले। इस बात के लिये इस बात को जरूरी समझा गया कि इसको प्रवर समिति को अगर सौंप दें तो ज्यादा बेहतर होगा। हम उनकी महानता के ऊपर कोई प्रश्नचिन्ह इस बात के साथ नहीं लगाना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने आपसे आग्रह किया है कि आप इसको वापस ले लीजिये। अगर आप न मान रहे हों तो हम वोट करायें।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-8 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम 2001 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2020 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-32 सन् 2001 में सामान्य संशोधन

2-उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम 2001, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में शब्द ''विकलांग'' शीर्षक वृहद् नाम, पार्श्व शीर्षक सहित जहां कहीं आया हो, के स्थान पर शब्द ''दिव्यांग'' रख दिया जायेगा।

धारा-4 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा-4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

''4-विश्वविद्यालय केन्द्र सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र या उक्त किसी सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निकाय या निगम में या किन्हीं गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं से या किसी व्यक्ति से सहायता-अनुदान, दान के रूप में अथवा किसी अन्य रूप में प्रदान की गई कोई वित्तीय सहायता स्वीकार कर सकता है:

परन्तु यह कि किसी गैर सरकारी इकाई या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई वित्तीय सहायता, विधिसम्मत् रूप से अर्जित की जायेगी।''

धारा-11 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा-11, में उपधारा (2) में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग''

धारा-18 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा-18 में उपधारा (1) में, खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :-

''(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग या उसका नामनिर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी में से निम्न न हो।''

धारा-19 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा-19 में उपधारा (1) में खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(च) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग या उसका नामनिर्देशिती जो संयुक्त सचिव से निम्न न हो।''

धारा-40 का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा-40 में, खण्ड (1) में, उपखण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

'' (क) धारा-4 के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता,

(क-1) सभी शुल्क, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाये।''

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-8 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[03:53] वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

(मा0 अध्यक्ष द्वारा सदस्य श्री मो0 फईम इरफान का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर।)

***डा0 नीरज बोरा-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे आय-व्यय बजट के ऊपर बोलने का अवसर दिया। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मा0 वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है, वन्दनीय है और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए अग्रसर है। यहां ऋग्वेद के मंत्र ''सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु''। इस मंत्र की भावना को आत्मसात करते हुए उत्तर प्रदेश के अन्दर चहुमुखी विकास के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे, बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे के माध्यम से जो सड़कों का जाल बिछाया जा है। इसके लिए मा0 मुख्य मंत्री जी को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। डिफेंस कॉरीडोर की कल्पना के साथ जहां उत्तर प्रदेश के अन्दर अभी डिफेंस एक्सपो हुआ और देश-विदेश के मेहमान आए लगभग 50,000 करोड़ के पूंजी निवेश की सम्भावनायें व्यक्त की गयी हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में विकास के द्वार खुले हुए हैं और नौजवानों को जो बाहर जाते थे, उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आज अमरीका के राष्ट्रपति जब अहमदाबाद में बोल रहे थे तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत के प्रधानमंत्री सारी दुनिया के दिलों पर राज करते हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की सोच कि देश को 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनायेंगे, उसमें उत्तर प्रदेश की भागीदारी जहां हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम एक ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी उत्तर प्रदेश से देने का काम करेंगे। यह सराहनीय कदम है और इस बजट में इसके ऊपर विचार किया गया है। लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गयी है। हम लखनऊ क्षेत्र से आते हैं और हमने विगत एक माह के अन्दर लखनऊ में परिवर्तन देखा है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने से आज कानून व्यवस्था में भी सुधार हुआ है। निश्चित रूप से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हुआ है। हम उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को बहुत-बहुत बधाई देते हैं। श्रम विभाग के सहयोग से अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना प्रत्येक मण्डल में एक आवासीय विद्यालय की स्थापना करने से निश्चित रूप से गरीब बच्चों को श्रमिक बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलेगा और शिक्षा की ओर बढ़ते हुए कदम स्थापित होंगे। मेडिकल कालेज के क्षेत्र में जहां सात नए मेडिकल कालेज प्रारम्भ हो गए और आठ नए मेडिकल कालेज अन्य जनपदों में प्रस्तावित हैं। प्रधानमंत्री जी की संकल्पना के हिसाब से यहां के प्रत्येक जनपद में मेडिकल कालेज स्थापित होना है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निश्चित रूप से इस पर आगे काम कर रही है। जब मेडिकल कालेज की स्थापना होगी डाक्टर्स पढ़ेंगे डाक्टर्स की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश के अन्दर विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सकों की आवश्यकता है और उसकी भरपाई तभी होगी जब उत्तर प्रदेश के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्दर बड़ी संख्या में डाक्टर्स पढ़कर निकलेंगे। मान्यवर, इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से निश्चित रूप से एक अच्छा माहौल बना है और इस माहौल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अन्दर एक बड़े निवेश की कल्पना की जाती है। निवेश प्रारम्भ भी हुआ है। हमें यह आशा और विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा पूंजी निवेश आएगा और बजट के माध्यम से हमारे रोजगार के अवसर होंगे और हमारी इकोनामी का इम्प्रूवमेंट होगा.....

(इसी मध्य 3 बजकर 57 मिनट पर श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पुनः पीठासीन हुए)

यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश ने टाप करने का काम किया है, प्रथम स्थान प्राप्त करने का काम किया है, वहाँ मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस परिकल्पना को हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा है, सबको आवास मिले, उसमें उत्तर प्रदेश बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। यहां पंजीकरण शुल्क 25 हजार से 5 हजार इस बजट में किया गया है। यहां पांच हजार रुपए देने से पंजीकरण हो जाएगा, इससे निर्धन वर्ग के लोग जो 25 हजार देने में असमर्थ थे उनको बजट के अन्दर पांच हजार करने से लाभ मिलेगा। मेट्रो रेल परियोजना यहां लखनऊ में चालू हो चुकी है और लखनऊ में इसका विस्तार प्रस्तावित है मैं चाहता हूँ कि लखनऊ के अन्तर्गत हमारे सबसे प्रतिष्ठित लखनऊ के संस्थान जहां डा0 ए0पी0जे0अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनीवर्सिटी है और आई0आई0एम0, लखनऊ है वहाँ भी सरकार यह प्रस्ताव कर रही है कि मेट्रो रेल से आई0आई0एम0, लखनऊ को जोड़ने का काम किया जाएगा, मेरा यह अनुरोध है और चाहता हूँ कि सरकार इसे स्वीकार करे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश जीतेगा टी0वी0 हारेगा, अधिष्ठाता महोदय मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हमारी लखनऊ उत्तर विधान सभा है यहां पर हमने इस विधान सभा क्षेत्र को टी0वी0 मुक्त घोषित करने का संकल्प लिया है और इस विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जगह-जगह मुहल्ला क्लीनिक स्थापित हुई हैं, उन क्लीनिक के माध्यम से टी0वी0 के मरीजों को पूरा इलाज मुहैया कराया जा रहा है और इस इलाज के माध्यम से हम लखनऊ की अपनी इस विधान सभा क्षेत्र को टी0वी0 मुक्त बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, लखनऊ का विश्वविद्यालय एक ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है 1921 में यह विश्वविद्यालय बना, आजादी के समय देश के अन्दर 13 विश्वविद्यालय थे, उन 13 विश्वविद्यालयों में 12 विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार इस लखनऊ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का, राष्ट्रीय स्मारक विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए इस सदन से प्रस्ताव लाए और इसे जल्दी ही केन्द्र सरकार को भेजने का काम करे, ऐसा मेरा अनुरोध है। हमारी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत फैजुल्लागंज एक ऐसा क्षेत्र है यहां पर गोमती के तटबन्ध आवश्यक हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ अपनी सरकार से कि गोमती का तटबन्ध निर्माण कराया जाना आवश्यक है। गोमती में जब पानी बढ़ता है तो वह डूब क्षेत्र हो जाता है, इससे संक्रमण का वहाँ पर चांस बढ़ जाता है। जिसके कारण वहाँ

पर महामारी का भय व्याप्त रहता है। सरकार से अनुरोध है कि तटबन्ध बन जाने से वहाँ पर बड़ी आबादी को उसका लाभ मिलेगा फैजुल्लागंज के क्षेत्र में पेयजल का संकट है वह शून्य क्षेत्र है पेयजल के क्षेत्र में यहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह परिकल्पना की है कि हम सबको पेयजल मुहैया करायेंगे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बड़ी आबादी के क्षेत्र में पेयजल के लिये एक बड़ा प्रस्ताव अपेक्षित है, वह उस काम को पूरा करने का काम करेगी। हमारे ठाकुरगंज इलाके के मल्लाही टोला प्रथम में जलभराव की समस्या रहती है। वहाँ बैरल नम्बर-2 पर एक पुलिया बनाए जाने की आवश्यकता है। पुलिया का निर्माण हो जाने से ठाकुरगंज के राधाग्राम क्षेत्र में जलभराव की समस्या से निजात मिल जायेगी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे क्षेत्र में पक्का पुल के आगे गऊघाट के पास दसियों साल से एक पीपे का पुल है, उससे लोग आवागमन करते हैं। जहां लखनऊ की आबादी बढ़ती जा रही है, ट्रांस गोमती और सिस गोमती में बड़ा दबाव है वहीं लखनऊ में गोमती तट के ऊपर जो पुल बने हुए हैं वह पर्याप्त नहीं हैं, इसलिये मैंने इस सरकार से यह अनुरोध किया है कि हमारे उस गऊघाट के पीपे के पुल पर एक पक्का पुल का निर्माण हो।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 बोरा जी, अब आप समाप्त कीजिये।

डा0 नीरज बोरा-

मान्यवर, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि फैजुल्लागंज क्षेत्र में जल निकासी के लिये नाला नहीं है। एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। जल निकासी के लिये अगर नाला निर्मित हो जायेगा तो निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या का समाधान होगा। लखनऊ में एक ऐतिहासिक मंदिर है जिसे अलीगंज का हनुमान जी का मंदिर कहते हैं और इस हनुमान जी के मंदिर से ही ज्येष्ठ के बड़े मंगल की शुरुआत होती है। आज बड़े मंगल पर पूरे लखनऊ में जगह-जगह पर कार्यक्रम होते हैं। पर्यटन विभाग से मेरा निवेदन है कि इस पुराने हनुमान मंदिर और लखनऊ के एक और प्रतिष्ठित मनकामेश्वर महादेव मंदिर, इन दोनों मंदिरों में सौन्दर्यीकरण का काम कराया जाए और जब सौन्दर्यीकरण का काम होगा तो निश्चित रूप से हमारे लखनऊ के लोग प्रसन्न होंगे।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त कीजिये।

डा0 नीरज बोरा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी बात को इन पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहता हूँ कि **'समर में घाव खाता है उसी का मान होता है। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है। छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है, छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी की, सृजन में चोट खाता है छेनी और**

हथौड़ी की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है।' बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अधिष्ठाता-

समाजवादी पार्टी के माननीय फईम इरफान जी।

श्री मो0 फईम इरफान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तुत बजट पर अपने विचार रखने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद अपने आपको इस बजट के बारे में सभी विपक्षी साथियों द्वारा रखे गये विचारों से सम्बद्ध करता हूँ। मेरे विचार में भले ही सरकार ने इस बजट को पूरे भारत में राज्य सरकारों के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बताया है, परन्तु हकीकत में यह बजट किसी बड़ी कम्पनी द्वारा अपने उत्पादों के लिये इस्तेमाल किये जाने, गर्म हवा से फुलाये गये किसी बड़े प्रचार गुब्बारे जैसा है, जिस पर कई लुभावने स्लोगन छपे हैं, परन्तु अन्दर सिवाय हवा के कुछ भी नहीं है। बजट से सभी प्रमुख आवामी मसलों का हल गायब है, आवारा जानवरों के मसले का हल गायब है, गन्ने की कीमत का वक्त पर भुगतान गायब है, किसानों की फसल की असमय बर्बादी का मुआवजा गायब है, खेती की पैदावार के वाजिब दामों की बात गायब है, पुलिस और प्रशासन के लोगों का आम जनमानस के प्रति रवैये का हल गायब है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रदूषण, पेयजल, भुखमरी या कुपोषण आदि जनहित की प्रमुख समस्याओं का समूल खात्मा करने के उद्देश्य से न तो कोई अल्पकालिक ऐसी योजना है जिसका उल्लेख किया जा सके, न ही कोई दीर्घकालिक ऐसी योजना आरम्भ करने की ओर कदम बढ़ाया है जिसका परिणाम भविष्य में अच्छा मिल सके। बजट पर मेरे इस बयान को सिद्ध करने के लिये पहला महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बजट में जो कुल राजस्व प्राप्ति 422 लाख करोड़ अनुमानित बतायी गयी है उसका आधे से अधिक 224 लाख करोड़ तो केवल वेतन, पेंशन एवं ब्याज पर ही खर्च हो जायेगा। दूसरा यह कि इस वक्त राज्य सरकार पर राजकोषीय कर्ज जो लगभग 516 लाख करोड़ है जो सरकार के पूरे बजट की रकम के बराबर यह घाटा वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति 16 हजार 973, वर्ष 2017-18 में 18 हजार 476, वर्ष 2018-19 में 19 हजार 239 और वर्ष 2019-20 में 21 हजार 102 और अब वर्ष 2020-21 में 22,442 हो जायेगा। इसके अलावा भी अगर इस बजट पर सरसरी नजर डाली जाये तो इस बजट में न तो सबका साथ है न सबका विकास है और न ही सबका विश्वास है। बीते दो सालों में उत्तर प्रदेश के अन्दर बेरोजगारी की दर में 58 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है जिसके कारण बहुत ही गम्भीर हालात हैं। इस स्थिति को सुधारने हेतु सरकार ने भले ही बहुत सारे हवाई पुल बनाते हुए लुभावनी सम्भावनायें व्यक्त की हों, परन्तु इस बजट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो बेरोजगारों को रोजगार देकर बेरोजगारी की बढ़ती दर पर अंकुश लगाने की गारण्टी

दे सके। इस बजट की तारीफ में सरकारी पक्ष के लोग भले ही इस बजट को नौजवानों और महिलाओं को खुश करने वाला बजट बताकर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हों लेकिन हकीकत में इस बजट से नौजवान, किसान, मजदूर महिलायें सब मायूस हैं जो कि पहले से ही मायूसी के अंधेरे में भटक रहे थे, उनकी मायूसी में इजाफा हुआ है। इस बजट से उनके दैनिक इस्तेमाल की घरेलू चीजों की महगांई में बढोत्तरी होगी जिससे उनके खर्चे में कमी होने के बजाय बढोत्तरी होगी। इस बजट से उन्हें राहत के बजाय जो बेचैनी होगी वह घरेलू झगड़ों और अशांति का कारण बनेगी। इस तरह कुल मिलाकर इस बजट को जहर की शीशी पर शहद की चिट लगाने जैसा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी विधान सभा क्षेत्र के कुछ खास मुद्दे भी रखना चाहता हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र बिलारी के अन्दर बहुत जमीन पड़ी हुई है इससे पहले मेरे वालिद हाजी मो0 इरफान साहब ने भी वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की या जिला मुरादाबाद में मेडिकल कॉलेज बन जाये, या विश्वविद्यालय बन जाये उसका भी इस बजट में कोई प्राविधान नहीं दिया गया है। डिग्री कॉलेज जिसकी बिलारी के अन्दर बहुत जरूरत है, एक राजकीय डिग्री कॉलेज की बहुत जरूरत है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से आपका संरक्षण चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि इस तरीके का कोई भी प्राविधान नहीं किया गया है, न ही कोई यूनानी मेडिकल कॉलेज का प्राविधान किया गया है। बिलारी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर होमगार्ड्स का एक बहुत शानदार ट्रेनिंग सेन्टर चला करता था उसका भी कोई प्राविधान इस बजट में नहीं दिया गया है। अधिष्ठाता महोदय, जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव साहब ने जनेश्वर मिश्र और लोहिया गांव बनाकर 40-40 लाख रुपये देने का काम किया था उस तरीके का कोई भी काम इस सरकार ने इस बजट में नहीं किया है। बिलारी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो खासतौर पर बिलारी नगर पालिका है और उससे लगा हुआ इलाका है। अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश का बहुत गहन और बहुत अहम मुद्दा है, जो हमारा बुनकर समाज है, जो बहुत परेशान रहता है उस बुनकर समाज की सब्सिडी को खत्म करने का काम इस सरकार ने कर दिया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसका भी कोई प्राविधान बजट में नहीं किया गया है। आखरी बात कहकर अपनी बात को मुकम्मल करूँगा, क्योंकि बहुत जरूरत है बुनकर समाज बहुत गरीब है, मजलूम है, परेशान है और वह जिल्लत की जिन्दगी जी रहा है। एक बार सरकार उसकी तरफ भी ध्यान दे और जो सब्सिडी खत्म करने का काम किया गया है उस सब्सिडी को खत्म न किया जाये। कुछ अल्फाजों के साथ अपनी बात को मुकम्मल करूँगा।

"जिन्दगी दी है तो जीने का हुनर भी देना
पांव बख्शे हैं तो तोफे के सफर भी देना
मैं तो गूँगा था तूने बक्शी है जुबां
मेरे मौला मेरी बातों में असर भी देना"

श्री सतीश चन्द्र शर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के समर्थन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री एवं माननीय वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत हुआ है इस हेतु मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बजट हमारी सरकार की संकल्प सूक्ति ''सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास'' के संकल्प पर पूरी तरह से खरा है। यह बजट प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देने का काम करेगा यह अन्तिम व्यक्ति की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। जिस प्रकार बजट के अन्दर मुख्य मंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना एवं युवा उद्यमिता विकास अभियान की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस प्रदेश के अन्दर तीन साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से ढाई लाख युवाओं को पारदर्शी व्यवस्था के तहत नौकरियां देने का हमारी सरकार ने काम किया है इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। मैं अपनी सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जो रुकी हुई भर्तियां हैं उनमें जो कठिनाइयां हैं उनको शीघ्रता से दूर करने का काम करें, ऐसा मैं अनुरोध करता हूँ। प्रदेश की बेटियों के लिए मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1200 करोड़ रुपये जारी करने का जो प्रस्ताव किया गया है इसके लिए भी मैं प्रदेश सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। बेटियों के सामूहिक विवाह के लिए 51 हजार रुपये अनुदान देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने लाने का काम किया है इसके लिए भी मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी जिनका संकल्प है हर गरीब के सर पर छत हो उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने 6240 करोड़ रुपये जारी करने जो काम किया है इसके लिए भी मैं प्रदेश सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। सड़कों के क्षेत्र में जो सड़कें विरासत में हमको गड्ढे से बनी सड़क मिल थी, सड़कों के निर्माण में तमाम प्रकार की अनियमिततायें और भ्रष्टाचार किसी से छिपा नहीं है लेकिन हमारी सरकार ने प्रदेश की सड़कों को माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश की सड़कों को एक नई दिशा देने का काम किया है, भ्रष्टाचार व अनियमितताओं को दूर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज मेरी विधान सभा क्षेत्र में दर्जनों सड़कों और पुलों के निर्माण हेतु मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। चिकित्सा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए आज हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है, पहले जहां जापानी इन्सेफलाइटिस के नाम पर हजारों मासूम बच्चों की जानें जाती थीं, आज हमारी सरकार ने इसको रोकने का काम किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। पण्डित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के अन्दर 1

लाख 21 हजार 324 मजरों का विद्युतीकरण करने का काम किया है और मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जिसे लोग पिछड़ा क्षेत्र के रूप में जानते थे 400 मजरों को हमारी सरकार ने संतृप्त करने का काम किया है और आजादी के बाद वहाँ बिजली पहुंचाने का काम किया है, इसके लिए मैं माननीय विद्युत मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किया है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को ड्रेस, जूते, मोजे, स्वेटर उपलब्ध कराने का काम किया है उसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने क्षेत्र की कुछ प्रमुख समस्याओं का आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में दरियाबाद रेलवे क्रासिंग पर मैं ओवरब्रिज की मांग करता हूँ। हमारे विकास खण्ड बनीकोड, दरियाबाद, कुरेडलई में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना की मांग करता हूँ चूंकि हमारा क्षेत्र सरयू नदी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका रहती है, ऐसे बाढ़ प्रभावित लोगों को आवासीय पट्टा दिया जाये और आवासीय पट्टे के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने का काम किया जाये और जो मछुआ समुदाय के लोग हैं, उनको जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने का काम किया जाये। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान अलियाबाद, दरियाबाद, सफदरगंज जो सड़क है वह बहुत सकरी है उस सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढीकरण की मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ। हमारा हैदरगढ-भिटरिया मार्ग है उसके चौड़ीकरण की आपके माध्यम से मांग करता हूँ। एक और विशेष मांग की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारा क्षेत्र लखनऊ-गोरखपुर मार्ग पर स्थित है राम सनेही घाट पर 100 बेड हास्पिटल की आपके माध्यम से मांग करता हूं और जो हमारा विकास खण्ड मुख्यालय बनीकोडर है वहाँ भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेई स्मृति सभागार की मैं वहाँ पर मांग करता हूं। इसी के साथ मैं बजट भाषण का समर्थन करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और प्रदेश सरकार की आगामी कार्य योजनाओं के लिए बहुत-बहुत शुभकामनायें देता हूँ। धन्यवाद, भारत माता की जय।

***श्रीमती साधना सिंह-**

आदरणीय अधिष्ठाता जी, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, आपको धन्यवाद, आदरणीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद, आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद और बजट पर बल देने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। इस सरकार का इतना अच्छा बजट आया है कि गांव, गरीब, किसान, महिला, व्यापारी सबके लिए यह बजट लाभकारी है, इस बजट से सारे लोग आनन्द और सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा बजट आया है कि जिसमें समस्त वर्ग के लोगों को यह लगा कि यह सरकार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम सबकी है। यह लगा कि यह सरकार हम सबकी है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, इस बजट में किसान पेंशन योजना हेतु 1459 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु 1251 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में बहुत सुन्दर बजट आया है और जिस दिन यह बजट आया उस दिन हम सबको क्षेत्र से तमाम बधाइयां आईं। सरकार ने इस बजट में सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया है इस नाते आप सबको बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनायें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ। हमारा जनपद चन्दौली और हमारा विधान सभा क्षेत्र धान का कटोरा कहा जाता है। पराली के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था जिसका पालन हमारे जिले सहित पूरे प्रदेश के सभी किसानों ने किया है। हम लोगो ने अपने-अपने क्षेत्र में उस आदेश का पालन कराया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान कराया गया। महोदय, धान की फसल से किसानों के सभी खर्चे चलते हैं चाहे वह बेटी की शादी हो, चाहे मां-बाप की दवा हो, चाहे बच्चों की शिक्षा हो, पूरे साल का भरण-पोषण उसी धान की फसल से होता है। मेरा एक सुझाव सरकार को है कि पराली से पेपर तैयार होते हैं इसलिये सरकार किसानों से पराली खरीदकर उसका उपयोग सुनिश्चित कराये। हमारे क्षेत्र पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय में रामनगर इण्डस्ट्री एरिया में बसन्त पेपर मिल कार्य करती थी, जो अब बन्द पड़ी हुई है। यह मिल पराली से पेपर बनाने का कार्य करती थी। यदि सरकार द्वारा इस मिल को खुलवाया जाये तो हमारे जनपद समेत अगल-बगल के जनपदों के किसानों की पराली की खरीद होगी, उससे किसानों की आय बनेगी और उनका जीवन सुखमय होगा। यह किसानों की आय बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है। वर्ष 1997 में चन्दौली जनपद बना है और यह किसान बाहुल्य जनपद है। यह कभी नक्सल प्रभावित जनपद था, लेकिन जबसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तबसे यहां नक्सलवाद खत्म हो गया है। हमारा जनपद बिहार से जुड़ा हुआ बार्डर का जनपद है, लेकिन अभी तक जिला मुख्यालय पर जिला न्यायालय नहीं बन सका है। सपा और बहुजन समाज पार्टी की प्रचण्ड बहुमत की सरकार रही है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया है। हमारी सरकार जब आई तो वहाँ पर कलेक्ट्रेट बनाया गया है हालांकि जिला न्यायालय अभी नहीं बना है। हम माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे जिले में 11 करोड़ रुपये की धनराशि भिजवाई है जिससे जल्द ही अब जिला न्यायालय बन सकेगा। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में कहीं भी रोडवेज बस स्टैण्ड नहीं है इसलिये वहाँ बस स्टैण्ड बनवाया जाये। चन्दौली सदर मुख्यालय वर्तमान में नगर पंचायत है हम उसको नगर पालिका बनाने की मांग करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी मण्डी चन्दासी मण्डी है और वहाँ के लोग करोड़ों रुपये का राजस्व देते हैं। हमारे यहां ओवर ब्रिज की मांग बहुत पुरानी है इसके लिए हमने माननीय उप मुख्य मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी को लिख कर भी दिया है। सरकार इतना अच्छा बजट लाई है, लेकिन किसी को अब विपक्ष यहां बैठा ही

नहीं है, लगभग सारे लोग चले गये हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष का जब बोलने का समय आता है तो लोग सुनने का जिगर नहीं रखते हैं। लोग सोचते हैं कि सच्चाई सामने आएगी और वह सच्चाई सुन नहीं सकते हैं। जो लोग गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरना चाहते हैं उन्हें हम यह बताना चाहते हैं कि गठबंधन को भी हम लोगों ने अपने क्षेत्र में हराकर आपको यह साबित कर दिया कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का विकास रूपी गंगा थी वह गंगा अब दिखाई दे रही है और जनता आपके ढकोसलेपन को समझ रही है कि आपने आज तक क्या किया है तथा अब क्या कर देंगे और आज आप जहां बैठे हैं वहाँ कम से कम 20 साल तक बैठे रहेंगे हम लोग जहां हैं वहाँ बैठे रहेंगे इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं जय-हिन्द, जय-भारत माता।

श्री अधिष्ठाता-

श्री रमेश चन्द्र दिवाकर जी।

श्री रमेश चन्द्र दिवाकर-

अध्यक्ष महोदय जी, धन्यवाद। आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया मैं आपका हृदय से कृतज्ञ हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने इस बजट में 5 करोड़ 12 हजार 860.72 करोड़ रुपये का जो भारी-भरकम बजट दिया है मैं इस बजट का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, इस महाबजट में सभी विभागों को भरपूर बजट दिया गया है। खासकर शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा व ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले इसके लिए कौशल विकास योजना के अन्तर्गत बहुत ही ज्यादा बजट दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट की प्रशंसा हर वर्ग ने की है। यहां तक कि मीडिया ने भी इस बजट को बहुत अच्छे से सराहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्वोत्तर जिलों के हमारे जो सम्मानित विधायक लोग हैं वहाँ बाढ़ ज्यादा आती है। वहाँ बाढ़ नियंत्रण व जल निकासी परियोजनाओं के लिए हमारी सरकार ने 966 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट दिया है। किसानों की दोगुनी आय कैसे हो ? हमारी सरकार ने जल के लिए अटल भूमि योजना के लिए 6 हजार करोड़ रुपये, सरयू नहर परियोजना के लिए 1 हजार 554 करोड़ रुपये, मध्य गंगा नहर हेतु 1 हजार 736 करोड़, अर्जुन सहायक परियोजना के लिए 252 करोड़ 65 लाख रुपये, राजघाट परियोजना के लिए 393 करोड़, वॉटर सेक्टर रिस्ट्रक्चर परियोजना के लिए 295 करोड़, कनहर नहर सिंचाई परियोजना के लिए 200 करोड़, नहरों की मरम्मत हेतु 300 करोड़ रुपये, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जल जीवन मिशन हेतु 3 हजार करोड़ निःशुल्क बोरिंग योजना, मध्यम नलकूप योजना, शहरी बोरिंग योजना, मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 216 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत 50 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है। किसानों की आय दोगुनी कैसे हो ? हमारी सरकार ने किसानों के लिए किसान मेला, किसान पाठशाला, मृदा परीक्षण व पानी, बिजली की व्यवस्था के साथ-साथ उन्नत बीजों की व्यवस्था की

है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के विकास के लिए यातायात का साधन बहुत जरूरी है। जिस देश में यातायात के साधन होते हैं उस देश का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। हमारे मुख्य मंत्री मा0 योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक्सप्रेस-वे का जाल बिछाया है उसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना, लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर, गोरखपुर एक्सप्रेस योजना 91 किलोमीटर, पूर्वांचल एक्सप्रेस योजना, बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस योजना 297 करोड़ तथा देश का सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेस योजना 637 किलोमीटर का निर्माण हो रहा है इसके लिए अपने मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।

किसानों की जो फसल होती है वह मण्डी तक कैसे पहुंचे इसके लिए हर जगह सड़क का चौड़ीकरण, डामरीकरण करके मुख्य सड़क से जोड़े जाने की योजनाओं के माध्यम से बहुत जल्द हमारे किसान फसल का अच्छा मूल्य ले सकेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र 204, औरैया सदर जो यमुना और सेंगर नदी के बीच का भाग है। ज्यादातर भाग अन उपजाऊ है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से कहना चाहता हूँ कि यहां का बजट बुन्देलखण्ड के जो जिले हैं उनके अनुसार दिया जाये। क्योंकि पानी की वहाँ बहुत समस्या है। बीहड़ है, वहाँ बहुत बेरोजगारी है। यहां तक कि वहाँ पर बेटियों की शादी तो हो जाती है लेकिन लोग बेटों की शादी के लिए नही आते हैं। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में कुछ उद्योग लगा दिये जायें जिससे वहाँ की बेरोजगारी दूर हो। औरैया नगर में बाबरपुर अजीतमल कस्बे में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे बस अड्डे से आये जिससे रात्रि की घटनाओं से बचाया जा सके। क्योंकि जो बाबरपुर अजीतमल है उससे जो बाईपास की सड़क निकली है वह वहाँ से दो कि0मी0 दूर पड़ती है। वहाँ से अन्दर कोई बस नहीं आती है। रात में बसें बाईपास पर हमारी माता-बहनों को छोड़ देती हैं। जिससे वहाँ पर अक्सर दुर्घटनायें घटती रहती हैं। यही हाल औरैया नगर का है जहां से मैं विधायक हूँ। वहाँ पर भी बसें बाईपास से निकल जाती हैं अन्दर नहीं आती हैं। मेरी मांग है कि शाम 06 बजे से सुबह 06 बजे तक बसों का आवागमन हमारे डिपो के अन्दर से हो। औरैया नगर में जो बस डिपो है वह विवादित है और वह बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। मैं उसका उच्चीकरण करवाने की मांग करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री रमेश चन्द्र दिवाकर-

मान्यवर, औरैया शहर में तालाबों पर अतिक्रमण हो गया है। तालाबों पर दबंग लोग कब्जा कर रहे हैं। सत्ती तालाब, नारायणपुर की मिहार बस्ती का तालाब, गोविन्द नगर की झील चड्ढा टाकीज के सामने दयालपुर में आदि पर दबंग लोगों ने फर्जी तरीके से बैनामा

कराकर कब्जा कर लिया है। आपसे निवेदन है कि इसका सौन्दर्यीकरण कराने की कृपा करें और मैं इस बजट का भरपूर समर्थन करता हूँ। जय हिन्द। जय भारत।

श्री असलम अली-

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपने को अपने दल के नेता श्री लालजी वर्मा जी से सम्बद्ध करते हुये विपक्षी दलों के नेताओं से सम्बद्ध करते हुये मैं इस बजट में जो मेरे विधान सभा क्षेत्र हापुड़ जिले में धौलाना विधान सभा आती है वहाँ के कुछ कामों के बारे में आपके माध्यम से मांग करता हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 का एक क्षेत्र हापुड़ है। एम0जी0 मंसूरी रोड पर। एक दिन वहाँ पर एक फैक्ट्री में आग लग गयी। वहाँ कोई फायर ब्रिगेड स्टेशन का इंतजाम नहीं है। वह बहुत बड़ा क्षेत्र है। आये दिन किसी न किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है। छोटी-मोटी घटनायें होती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि वहाँ पर फायर ब्रिगेड स्टेशन बनवाने की कृपा करें। दूसरी बात कि सिर्फ मेरे क्षेत्र में ही नहीं पूरे प्रदेश में गांव के पास की जो आबादी बढ़ी है जो आबादी खेतों में बढ़ी है वहाँ पर पुरानी 11 हजार की विद्युत लाइन खिंची हुई थी। उन लाइनों के नीचे कुछ लोगों ने मकान बना लिये हैं और आए दिन उन लाइनों के कारण घटनाएं होती रहती हैं। मैं उन विद्युत लाइन को हटवाने की मांग करता हूँ, जैसे मेरे देहरा गांव व अन्य कई गांवों में है। मैंने एस0डी0ओ0 धौलया एवं एक्स0ई0एन0 बिलरउवा को भी लिखकर दिया है। ग्राम मसूरी जनपद गाजियाबाद में एन0एच0-9 निकट नहर का पुल से ग्राम नाहल तक सम्पर्क मार्ग बेहद जर्जर है, पैदल निकलना भी दूभर हो रहा है। मैं उसे बनवाने एवं मरम्मत कराने की मांग करता हूँ। एन0एच0-9 जिन्दल नगर से ग्राम मोहीऊद्दीनपुर ढबारसी तक का सम्पर्क मार्ग बेहद जर्जर है। वहाँ पर पैदल निकलना मुश्किल हो रहा है, मोटरसाइकिल एवं कार से निकल ही नहीं पायेंगे। ग्राम नाहल जिला गाजियाबाद से डासना जेल को होते हुए एन0एच0-9 डासना तक का रास्ता बेहद खराब है। चूंकि वहाँ पर बड़े-बड़े रोड बने हुए हैं और देहात से मिट्टी उठाई गयी थी। आस-पास के जितने भी रोड हैं वह सब जर्जर पड़े हुए हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि इन रास्तों को बनवाने की कृपा करें। ग्राम मसूरी जिला गाजियाबाद में ग्राम समाज की लगभग 40 बीघा जमीन पडी है। मैं अपने मा0 मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि कुछ लोग उस जमीन को कब्जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन डी0एम0 गाजियाबाद साहब ने जांच की और जांच के बाद उस जमीन को (तकरीबन वह जमीन 200 करोड़ रुपये की थी) ग्राम समाज के नाम कराने का काम किया है। इसलिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। चूंकि वहाँ के क्षेत्र के आस-पास लगभग 10 लाख की आबादी है लेकिन वहाँ पर कोई भी अस्पताल नहीं है। हमारे मा0 प्रधानमंत्री जी एवं हमारी सरकार का सीधा-सीधा कहना है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि वहाँ पर लड़कियों के लिए एक डिग्री कॉलेज बनवा दिया जाए।

जिन बच्चियों का बाहर पढ़ने जाना मुश्किल होता है उनको फायदा हो जायेगा। इसलिए अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से अस्पताल एवं डिग्री कॉलेज बनवाने की मांग करता हूँ। जिला गाजियाबाद की नगर पंचायत डासना में ई0ओ0 द्वारा मलिन बस्तियों में विकास कार्य नहीं कराये जा रहे हैं। वर्तमान में मलिन बस्तियों में भारी गन्दगी उत्पन्न हो गयी है। इसलिए मैं नगर पंचायत डासना में साफ-सफाई व विकास कार्य कराने की मांग करता हूँ। ग्राम मसूरी जिला गाजियाबाद के मेन रोड से धौलाना मार्ग जो फैक्ट्री एरिया से होकर गुलावटी को जाता है वह बेहद जर्जर है। लोक निर्माण विभाग हापुड़ को अनेको बार अवगत कराया है लेकिन अभी तक मार्ग का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है। मैं इसकी भी मांग करता हूँ। ग्राम पिपलैडा जनपद हापुड़ से भूड़गढी मार्ग की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि पैदल भी नही जा सकते हैं। इसके लिए भी अपील करता हूँ। ग्राम निडौरी जनपद गाजियाबाद से ग्राम परतापुर हापुड़ का सम्पर्क मार्ग बेहद जर्जर है। जिसके सुदृढ़ीकरण के लिए मैं गुजारिश करता हूँ। मेरी विधान सभा में नगरपालिका परिषद् पिलखुवा हापुड़ में पालिका अध्यक्ष व ई0ओ0 द्वारा मलिन बस्तियों में विकास कार्य नहीं किये जा रहे हैं और मलिन बस्तियों में कच्ची सड़क होने के कारण गन्दे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से बीमारी फैलना शुरू हो गयी है। इसमें मलिन बस्तियों में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य तत्काल शुरू कराने का अनुरोध करता हूँ। मैंने सारी योजनाओं में भी और डी0एम0 साहब को भी दे दिया है। यह रास्ता पांच गांवों को प्रभावित करता है। लेकिन यह रास्ता आज तक नहीं बना है। मा0 अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि रिलाइन्स रोड से ग्राम भोवापुरा होते हुए ग्राम मदापुर मुस्तफाबाद जिला हापुड़ का सम्पर्क मार्ग बेहद जर्जर है। इसका सम्पूर्ण निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाईये।

श्री असलम अली-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, ग्राम सरावा जिला हापुड़ में शमशान घाट व कब्रिस्तान को जाने वाले रास्ते पर नाले का पुल बनना है। इस पुल की अति आवश्यकता है। इसकी मैं मांग करता हूँ। ग्राम लालपुर सौलाना से ग्राम धौलाना तक का सम्पर्क मार्ग बेहद जर्जर है। इसका पूर्ण निर्माण अति आवश्यक है। अतः मैं इसकी मांग करता हूँ। ग्राम नरेना जिला हापुड़ नहर से ग्राम दहीरपुर वाले रास्ते तक की सड़क बेहद खराब है। इसका पूर्ण निर्माण अति आवश्यक है मैं इसका निर्माण कराने की मांग करता हूँ। ग्राम देहरा जिला हापुड़, गाजियाबाद से ग्राम बझेडा खुर्द को जाने वाला सम्पर्क मार्ग वर्तमान में पैदल भी चलने लायक नहीं है इसलिए इसका पूर्ण निर्माण अति आवश्यक है।

मान्यवर, ग्राम मोहीऊद्दीनपुर ढबारसी से ग्राम नाहला तक का संपर्क मार्ग बेहद खराब है, जिसका पूर्ण निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराने की मांग करता हूँ। ग्राम जोगीपुरा से ग्राम सरावा जिला हापुड़ तक का सम्पर्क मार्ग कच्चा है, इसका नव-निर्माण कराने की मांग करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाइए, मैं दूसरे मा0 सदस्य का नाम पुकारता हूँ।

श्री असलम अली-

मान्यवर, ग्राम पिपलैडा जनपद हापुड़ में विद्युत आपूर्ति 33/11 बिजलीघर मसूरी से ग्राम शेखपुर खिचरा होकर आती है जिसकी दूरी लगभग 8 कि0मी0 है और बिजलीघर से ग्राम पिपलैडा की दूरी मात्र 01 कि0मी0 है। ग्राम पिपलैडा की विद्युत आपूर्ति सीधे मसूरी बिजलीघर से कराने की मांग करता हूँ। ग्राम कन्दौला जनपद हापुड़ गेट से ग्राम कन्दौला तक सम्पर्क मार्ग बेहद जर्जर है, इसका निर्माण कराने की अति आवश्यकता है। ग्राम सबली जिला हापुड़ से ग्राम रामपुर तक का संपर्क मार्ग बेहद जर्जर है, इसका पूर्ण निर्माण अति आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त कर दीजिए, टाइम हो गया है, बैठ जाइए। श्री चेतराम जी आप बोलिए।

श्री चेतराम-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे मा0 वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2020-21 के बजट पर बोलने का अवसर दिया। माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट बहुत ही जनता के हित में है, विकासोन्मुखी है, हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्य मंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। जो बजट पेश हुआ है वह समाज के नौजवानों, किसानों, मजदूरों एवं सभी वर्गों के लिए हितकारी यह बजट है। मेरी लोकप्रिय सरकार द्वारा मेरे क्षेत्र में जनहित के कई परोपकारी कार्य किए गये। मान्यवर, मेरे यहां एक राजकीय किसान डिग्री कॉलेज की आवश्यकता थी जो मेरे ब्लाक खुटार रामपुर में निर्माणाधीन है, मेरे यहां पुवायां में एक आई0टी0आई0 स्वीकृत था जो वर्ष 2008 से अपूर्ण पड़ा था जिससे हमारे यहां के छात्र जनपद शाहजहांपुर मुख्यालय पर पढ़ने के लिए जाते थे, आज हमारी सरकार के द्वारा उसके भवन का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। ग्राम सभा बण्डा को तत्कालीन नगर विकास मंत्री जी द्वारा टाउन एरिया बना दिया गया है इसके लिए हम अपनी सरकार को कोटिशः बधाई देते हैं। महोदय, हमारे यहां खुटार में सी0एच0सी0 की महती आवश्यकता थी, महिला चिकित्सालय तहसील मुख्यालय पर नहीं था, दोनों के कार्य निर्माणाधीन है, इसके लिए भी हम अपनी सरकार को कोटिशः बधाई देते हैं। महोदय, मेरे क्षेत्र की कुछ मूलभूत समस्याएं हैं चूंकि मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूँ,

पुवायां विधान सभा क्षेत्र, वहाँ पर हमारा किसान बाहुल्य क्षेत्र है और किसानों की मुख्य फसल गेहूँ, धान और गन्ना है, हमारे यहां जब फसल तैयार होती है तो किसानों को सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है, क्योंकि बिचौलियों के माध्यम से हमारे यहां के किसानों का शोषण किया जाता है। हमारे यहां एक बण्डा ब्लाक में बजाज ग्रुप की मकसूदापुर चीनी मिल संचालित है जिसमें लाखों रुपया हमारे यहां के किसानों का बकाया है, रुपया बकाया होने से हमारे यहां का किसान अपनी पुत्रियों का विवाह करने में असमर्थ रहता है, उनके दैनिक खर्चे नहीं पूरे हो पाते है इसलिए सरकार से मेरी मांग है कि उनका बकाया मूल्य तत्काल दिलाया जाए। हमारे पुवायां के ग्राम करनपुर में एक किसान सहकारी चीनी मिल संचालित है, चूंकि किसानों के गन्ने का रकबा बड़ा हुआ है, लेकिन चीनी मिल की पेराई क्षमता कम है, यदि उसकी पेराई क्षमता बढ़ा दी जाये तो हमारे यहां के किसानों को काफी सहूलियत मिलेगी। बण्डा और पुवायां में हमारे यहां नौजवानों के खेलने के लिए कोई स्टेडियम नहीं है। जमीन पर्याप्त पड़ी हुई है, मैं आपके माध्यम से यह भी मांग करता हूँ कि बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम बनाया जाए, जिससे बच्चों को काफी लाभ होगा। हमारे पुवायां से बीसलपुर तक बाया नाहेल, एक रोड गया है जो कि बरेली को जोड़ता है, जो काफी सकरा है। आवागमन हेतु वाहनों की अधिकता के कारण उस रोड की चौड़ाई बढ़ायी जाए, जिससे वहाँ से आने-जाने वाले लोगों को सुविधा मिल सकेगी। श्रीमन् जी, सदन में यह मुद्दा उठ चुका है, चूँकि आवारा पशुओं द्वारा किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मेरे यहां भी जो बड़े किसान हैं उन्होंने तो पोल गाड़कर और तार लगाकर अपनी फसल को संरक्षित कर दिया है, लेकिन जो छोटे किसान हैं, जिनके 02 बीघे, 04 बीघे जमीन है, वह बारी-बारी से अपनी फसल की रखवाली करते हैं। इस समय चूँकि गेहूँ में बीज पड़ रहा है, इसमें मेरा सुझाव है कि ब्लाक स्तर पर गौशालाएं बनायी जायें। किसानों द्वारा ब्लेड वाले जो तार लगाये जा रहे हैं, उनसे तमाम हमारी गायें और अन्य पशु कट करके घायल हो रहे हैं और घायल अवस्था में वह मरते हैं, इससे बड़ा दुःख होता है। इसलिए जो ब्लेड के तार हैं, उनको लगाने के लिए किसानों पर रोक लगायी जाए, जिससे हमारे जो जानवर हैं, वह घायल होने से बच सकें। श्रीमान् जी, हमारे यहां से गोमती नदी निकलती है जो पीलीभीत से आती है, बहुत पवित्र नदी है, गैसी नदी पर एक पुलिया बनना बहुत आवश्यक है जो काफी पुरानी हो गयी है, किसी समय भी कोई हादसा हो सकता है। गैसी नदी और गोमती नदी के आस-पास जो भूमि है, उस पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है। यदि उस कब्जे को हटवा कर नदी की सफाई करा दी जाए तो पीलीभीत, लखीमपुर और कई अन्य जनपदों का नाम होगा, उसमें जो शारदा नदी का जल छोड़ा जायेगा, उससे काफी किसानों को लाभ होगा। गांवों में जब कन्याओं की बारातें आती हैं, चूँकि अब बारातों को स्कूलों में नहीं ठहरने की रोक हैं। यदि बारिश हो गयी तो गांव के लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है और शादी के कार्यक्रम में बहुत विघ्न पड़ जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि ग्रामीण स्तर पर बारात घरों का निर्माण किया

जाए, जिससे गांव के लोगों की पुत्रियों की शादी में सहूलियत हो सके। अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री रमेश चन्द्र मिश्रा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने हमें वित्त वर्ष 2020-2021 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह जो 2020-2021 का बजट मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, एक ऐसे वित्त मंत्री हम लोगों को मिले, जो 09-09 बार इस सदन के सदस्य रहे और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट 2020-2021 का प्रस्तुत हुआ है। ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी, श्री सुरेश खन्ना जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बजट में हर गरीब, गुरबा, किसान, दलित, मजलूम, शोषित, वंचित, यहां तक कि उन्होंने नौजवानों तक का ध्यान दिया है और मैं इस बजट का बहुत-बहुत समर्थन करता हूँ। यह बजट संतुलित विकास का व्यापक चिन्तन है। इसके पहले भी बजट पेश होते रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग भी बजट पेश करते रहे हैं, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि उन लोगों ने जो बजट पेश किया, उस बजट में उन्होंने यह देखा कि हमारी जेब का बजट यह कैसे बन पायेगा, हमारी जेब में कैसे धन आ पायेगा, उन्होंने उसका बजट पेश किया। लेकिन मैं योगी सरकार को धन्यवाद देता हूँ, मैं मा0 वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा बजट पेश किया, जो हमारे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का बजट है और मैं यह भी बताना चाहता हूँ, अभी विपक्ष के कई साथियों ने कहा कि विकास कहां हुआ ? उत्तर प्रदेश में विकास कहां हुआ, हमारी पुरानी योजनाओं को ही बताने का काम करते हैं, ऐसा इन्होंने कई बार आरोप लगाया। मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैं जौनपुर से बदलापुर का विधायक हूँ और बदलापुर एक ऐसी विधान सभा है जो सई और गोमती के मध्य में है। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि जिला मुख्यालय से चालीस किलोमीटर दूर पर हमारी विधान सभा क्षेत्र स्थित है। मैं आमंत्रित करता हूँ आइये मैं अपने इस तीन साल के कार्यकाल का विकास आपको दिखाता हूँ। आज मा0 मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे यहां आई0टी0आई0, फायर स्टेशन, बस स्टेशन और दो-दो पुल का निर्माण चल रहा है। इतना ही नहीं मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के ही बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इस तीन वर्ष के कार्यकाल में 3 करोड़ 91 लाख रुपये मैंने गरीबों के इलाज के लिए पैसा दिलवाया है, क्योंकि गरीब बेचारे इलाज के लिए दर-दर भटकते थे, उनको हमने पैसा दिलवाने का काम किया, इतना ही नहीं 6 हजार 221 आवास बनाने का काम किया है। आंगनबाड़ी केंद्र हमारे यहां 28 बने हैं और कायाकल्प योजना है। जिस विद्यालय में आपने बच्चों को होमगार्ड बना के रखा था, आज आईये वही विद्यालय मैं आपको दिखाता हूँ रंगा-पुता बेहतरीन उसमें बच्चों को समझने के लिए अच्छी-अच्छी पेण्टिगें, अच्छे-अच्छे कलरफुल ड्रेस, जूता-मोजा पहनकर के बच्चे आते हैं। कायाकल्प योजना के तहत लगभग 70 विद्यालयों का कायाकल्प हमारे विधान सभा में

हो गया है। इतना ही नहीं स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा 95 हजार शौचालय हमारी विधान सभा में बना है। आईये आपको विकास दिखाते हैं। आप कहते हैं कि विकास कहां है, मैं पूरे प्रदेश की नहीं, अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कह रहा हूँ, इतना ही नहीं ऋण मांफी योजना के तहत हमारे यहां 49 करोड़ किसानों का कर्जा माफ हुआ है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि किसान सम्मान निधि के द्वारा 95 हजार किसानों का 27 करोड़ रुपये किसान सम्मान निधि से मिली है। आईये मैं आपको दिखाता हूँ जो, आप कहते हैं कि विकास कहां हुआ है, क्योंकि आपने विकास का ऐसा बजट बनाया कि अपने जेब में क्या जा रहा है और उसकी चिंता आपको है, लेकिन हमने प्रदेश का सबसे बड़ा बजट पेश किया, लेकिन उसमें हर गरीब को, हर व्यक्ति को हमने देखा, इतना ही नहीं मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, लगभग 375 ऐसे मजरे हैं जहां विद्युत नहीं थी। हम लोग जाते थे तो वहाँ के लोग कहते थे हमारे यहां कोई शादी करने नहीं आता, इसलिए कि हम लोग डेबरी के दौर में हैं, पांच रुपये दे करके बगल के गांव में हम जाकर मोबाईल चार्ज करते थे, उनकी बूढ़ी माताओं के आंख में आंसू आ रहा था कि कोई शादी करने नहीं आ रहा है हमारे यहां यह स्थिति थी। धन्यवाद मोदी जी को, धन्यवाद योगी जी को जिन्होंने उस गांव को विद्युतीकरण करने का काम किया है। सबसे बड़ी बात यह कि हमारा जो प्रदेश है इसमें नम्बर वन हो गया है जैसे स्वच्छता में, आवास में, शौचालय में, आयुष्यमान भारत में, इसलिए कि हमारे यहां की आबादी बहुत ज्यादा है। अरे क्या यह आबादी जब आप सरकार चला रहे थे, जब आप वर्ष 2017 के पहले सरकार में थे, क्या उत्तर प्रदेश की आबादी इतनी नहीं थी ? आपने केंद्रांश के बजट में अपने उत्तर प्रदेश का पैसा लगाया ही नहीं था। जो रेशियो आपका होता है, उस रेशियो को आपने उसमें जोड़ा ही नहीं, जिसके चलते आप फिस्डडी थे, बहुत पीछे थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उसमें अपना पैसा जब लगाया तब प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत अभियान हर अभियान में हमारे प्रदेश को नम्बर एक मिला है। इतना ही नहीं मैं बताना चाहता हूँ हमारा जौनपुर जनपद भी स्वच्छता में और आवास में और विद्युतीकरण में हमारे जौनपुर जनपद का बेस कैम्पस जिलों का जो चिन्हांकन हुआ है, उसमें हमारा जौनपुर जनपद भी है। मैं आपके माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूँ सरयू नदी हमारे यहां जनपद जौनपुर में है, जो मुगरा बादशाहपुर और हमारी विधान सभा को जोड़ने का काम करता है और तीन जिलें इससे जुड़े हुए हैं, लगभग इससे सैकड़ों गांव जुड़े हुए हैं। मैं आपसे मांग करता हूँ कि हमारी बात यह पहुंचाई जाए और वहाँ एक पुल का निर्माण कराया जाए और हमारी विधान सभा में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला विधायक हूँ, शहर का विधायक नहीं हूँ, एक गांव का विकास मैंने बताया है, इसके लिए मैंने सबको आमंत्रित किया है। एक पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे यहां हो जाए, दूसरा हमारे यहां श्री कृष्णानगर रेलवे स्टेशन हैं जहां एक फ्लाईओवर बनना बहुत आवश्यक है, आए दिन वहाँ जाम लगता है और मैं चाहूँगा कि वहाँ पर एक जरूर बन जाए। और हमारे यहां दूध की अच्छी पैदावार होती है। मैं निवेदन

करूंगा कि हमारे यहां जानवर भी बहुत हैं, बहुत किसान जानवर पाले हुए हैं। अगर एक पराग का प्लाण्ट लग जाए तो मैं कहूँगा कि हमारे यहां का विकास बहुत उत्तम हो जाएगा। यह लोग कहते हैं पशु के बारे में, मैं आप सब से कहना चाहता हूँ, सभी सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि यह जो निराश्रित पशु हैं, आज आप गांव में घूमिए, आप जब गांव में घूमेंगे तो हर घर में दुधारू पशु मिलेंगे। यह लोग उन्हीं पशुओं को रखते हैं, जिनसे स्वार्थ रहता है। बाकी को भगा देते हैं, यह अच्छी बात नहीं है।

आज हमारे वहाँ कम से कम 40 गौशालाएं बनाई गई हैं और मैं मानता हूँ कि हम ये गौशालाएं हर गांव में बना देंगे। इसमें सरकार का आदेश भी है लेकिन यह इसका कोई स्थायी उपाय नहीं है। जब तक हम लोग स्वयं नहीं चेतेंगे क्योंकि ये लोग मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और न जाने कहां-कहां से ये कांग्रेसी लोग अपने प्रदेशों से छुट्टा जानवर हमारे यहां भेज दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो अपने प्रदेशों से हमारे प्रदेश में छुट्टा जानवर भेजने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको जेल भेजा जाए।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाइए, यह बात लोग पहले भी कह चुके हैं।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

आपका धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत, भारत माता की जय।

***श्री राजेश गौतम-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वर्ष 2020-21 के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। मैं सबसे पहले अपने यशस्वी मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, अपने वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। वर्ष 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी तो एक आशा और विश्वास के साथ प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार को चुना था। आज हमारी सरकार को तीन साल होने को आए हैं और मैं आज बड़े गर्व के साथ यह कह सकता हूँ कि अब उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर दौड़ लगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है। जो सपना पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी ने पंक्ति में खड़े अन्तिम व्यक्ति के लिए देखा था, वह आज पूरा हो रहा है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र कादीपुर, सुल्तानपुर जिले में मुख्यालय से 80 कि0मी0 दूर है। पहले विपक्ष में बैठे हुए लोग सिर्फ जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट की राजनीति ही किया करते थे। मान्यवर, मैं एक सुरक्षित सीट का विधायक हूँ और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर के सपनों को अगर कोई साकार कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की सरकार कर रही है। आज सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत सबसे ज्यादा आवास अगर किसी को मिल रहा है तो हमारे दलित समाज के भाइयों को मिल रहा है। अगर कहीं इज्जत घर सबसे ज्यादा किसी को मिल रहे हैं तो हमारे दलित समाज के लोगों को मिल रहे हैं। मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ सबसे ज्यादा हमारे दलित भाइयों को मिल रहा है। लेकिन ये लोग अब तक केवल विकास के काम करने का ढोंग ही करते रहे। आज हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पारम्परिक कारीगरों जैसे बढ़ई, दर्जी, टोपी बुनकर, सोनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई इत्यादि लोगों के लिए स्वरोजगार योजनाएँ चलाई हैं। पारम्परिक हस्त शिल्प योजनाओं के उत्साहवर्धन हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का शुभारम्भ किया गया है और उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड का गठन भी किया गया है। मान्यवर, हमारी सरकार के लिए मैं दो लाइनें कहूँगा।

महरूम-ए-हक़ीक़त क्या जानें साहिल के तमाशाई

हम डूब के समझे हैं दरियाओं की गहराई।

मान्यवर, अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र कादीपुर की बात करूंगा। अगर आज मैं विकास की बात कर पा रहा हूँ तो मैं इसके लिए अपने मा0 मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आज 08 नये मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हो रहा है और जो 13 नये मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति प्रदान की गई है उसमें हमारा सुल्तानपुर जिला भी है। मैं अपने मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके द्वारा हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक आई0टी0आई0 कॉलेज की स्वीकृति भी दी गई है। आज हमारी सरकार लोगों के दरवाजे तक पहुंच रही है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश को एक सुव्यवस्थित और विकसित प्रदेश बनाने के लिए निरन्तर कार्य कर रही है। मान्यवर, पिछली सरकारों में सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 जो ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पताल हुआ करते थे, वहाँ दवाइयाँ नहीं मिला करती थीं, वहाँ पर हमारे गरीब भाई दवाइयों के लिए दूरदराज तक भटकते फिरते थे लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आज उनके माध्यम से अगर हम किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र पर जाते हैं तो हमें दवाइयाँ मिल जाती हैं, लोगों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता। अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र का जिक्र करूँगा और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मा0 उप मुख्य मंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को कि उन्होंने 22 करोड़ रुपये की लागत से हमारे क्षेत्र में एक पुल दिया है। अभी हमारे बदलापुर विधान सभा क्षेत्र, जौनपुर के मा0 विधायक जी बोल रहे थे, जो हमारे विधान सभा क्षेत्र के निकट के हैं और इस पुल से आज दोनों विधान सभा क्षेत्रों को जोड़ने का काम हुआ है। मा0 अधिष्ठाता जी, हमारे विधान सभा क्षेत्र में भगवान बजरंग बली का एक धार्मिक स्थल है जिन्होंने काल नेमि का वध किया था। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि उस धार्मिक स्थल विजेथुआ महावीरन, जहां हर मंगलवार और शनिवार को लाखों भक्तों की भीड़ होती है, का विकास किया जाए।

मान्यवर, अब ज्यादा कुछ न बोलकर और बजट का समर्थन करते हुए इन चन्द लाइनों से मैं अपनी बात खत्म करूँगा।

परिन्दों को मंज़िल मिलेगी यक़ीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं,
वही लोग रहते हैं ख़ामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री अमिताभ बाजपेई-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट भाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं नेता विरोधी दल से अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ कि जब मैं सत्तापक्ष के लोगों को बोलते हुए सुनता हूँ या जब बजट के भाषणों को सुनता हूँ मुझे लगता है कि सब तरफ सुनहरा ही सुनहरा है, हर तरफ हरा ही हरा है, हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली है लेकिन जब जमीन पर जाता हूँ तो वैसा दिखाई नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि कमी कहीं न कहीं है या तो हमारी नजरों में है या कोई चश्मा है जो सरकार ने अपने सदस्यों को दे रखा है उस चश्मे से देखने पर हर तरफ खुशहाली दिखाई पड़ती है और बगैर उस चश्मे से देखने पर हमें हर तरफ दुख और बदहाली दिखाई पड़ती है। यह बजट तो बड़ा है और हर बार बड़ा हो जाता है। हर साल ये बजट बढ़ता है उसको नेता विरोधी दल ने बता दिया कि जितना हर साल बढ़ता था 10 से 11 प्रतिशत उतना नहीं बढ़ा है। बजट उतना बढ़ा नहीं जितना इस साल उसे हो जाना चाहिए था। हर बार पिछले बजट से बड़ा बजट होता है इसमें कोई वाहवाही की बात नहीं है। बजट तो है लेकिन बजट में विजन का और विल पॉवर का अभाव साफ दिखाई पड़ता है। इस बजट में युवाओं की बात तो की गई लेकिन रोजगार की चिंता नहीं की गई। इनवेस्टर समिट के बड़े-बड़े आयोजन किये गये हैं। इनवेस्टर समिट के नाम पर बड़े-बड़े भाषण किये गये कितने विज्ञापन किया गया लेकिन इनवेस्टर समिट के नाम पर कितना इनवेस्टमेंट आ गया है, कितने उद्योग लग गये हैं, कितने रोजगार आ चुके हैं, इसके बारे में कोई योजना या कोई आंकड़ा साफ-सुथरे ढंग से बताया नहीं जा रहा है। आज सोलर इनर्जी की बात करते हैं लेकिन सोलर इनर्जी के क्षेत्र में किसी उद्योग को कोई मद्द नहीं की जा रही है। बिजली का सबसे बड़ा कन्ज्यूमर यदि कोई है तो वह इंडस्ट्री है, यदि इंडस्ट्री अपना उत्पादन भी खुद करने लग जाये तो निश्चित रूप से किसानों को अधिक बिजली मिल सकती है पर इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रबन्ध सरकार के द्वारा नहीं किया गया है आप इज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। कठिन-कठिन शब्दों का प्रयोग तो बहुत करते हैं। इज ऑफ डूइंग बिजनेस ऐसा है कि आज छोटा व्यापारी आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है और जो बहुत बड़ा है वह देश छोड़कर भाग जाता है। जो बहुत बड़े व्यापारी हैं वह देश छोड़कर चले जा रहे हैं और जो छोटे हैं वह आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। अभी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनारस में एक व्यापारी ने अपने बच्चों और पत्नी सहित आत्महत्या कर ली। इस दिल दहला देने वाली घटना पर भी सरकार नहीं चेती। ''**यह बात अलग है कि दिखाई न दे पर खुदखुशी करने वाले का भी कोई न कोई कातिल जरूर होता है**।'' इसलिए माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम सरकार को यह ध्यान दिलाना चाहते हैं कि इज ऑफ बिइंग डूइंग बिजनेस की बात जरूर करते हैं पर इस पर ध्यान भी दें ताकि रोजगार के अधिक से अधिक साधन विकसित किये जा सकें। रोजगार के अवसरों को समाप्त करने के लिए सरकार ने छिपे कदमों से एक कुचक्र और रचा है कि जहां भी जरूरत होती है वहाँ रिटायर्ड हुये कर्मचारियों से संविदा पर काम ले लिया जाता है लेकिन नये रोजगार भर्ती नहीं की जाती है। बहुत सारी भर्तियॉ ऐसी होती हैं, जिसमें नौजवान फार्म भरता है, फीस देता है और भर्ती कैन्सिल हो जाती है लेकिन फीस वापस नहीं की जाती है। यदि कहीं ऐसा होता है भर्ती नहीं होती है तो नवजवान जो बेरोजगार है उसके साथ धोखाधड़ी न की जाये यदि कोई भर्ती कैन्सिल होती है तो उसकी फीस भी वापस कर देनी चाहिये, नहीं तो दोबारा उसी को मौका मिल जाना चाहिये। हम जिस शहर से आते हैं वह बिजनेस का शहर है, औद्योगिक शहर है, व्यापारिक शहर है। ओ0डी0ओ0पी0 की बात होती है हमारे कानपुर में आपने ओ0डी0ओ0पी0 के नाम पर लेदर को ले रखा है। आपने चर्म उद्योग को ओ0डी0ओ0पी0 में ले रखा है लेकिन देखिये दो तरह की बात है चर्म उद्योग में ओ0डी0ओ0पी0 है लेकिन टेनरी दो साल से बन्द पड़ी है। लगभग 250 टेनरी डेढ़ साल से बन्द पड़ी है सरकार कतई संवेदनशील और गम्भीर नहीं है कि टेनरी कैसे चालू होगी। एस0टी0पी0 चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। टेनेरी वाले अपना अंशदान करते हैं लेकिन कानपुर में 2 लाख नवजवान बेरोजगार घूम रहा है वह टेनरी का मजदूर जो पहले से रोजगार में था लेकिन सरकार कतई उसके लिए गम्भीर नहीं है। कानपुर के अन्दर रेडीमेड गारमेन्ट और चप्पल का व्यापार गली-गली फैला हुआ है। आज घर-घर में महिलायें इन कामों को कर रही हैं ये कुटीर उद्योग की तरह फैल गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ओ0डी0ओ0पी0 में अगर लेदर को नहीं चला पा रहे हैं तो हमारे कानपुर के गारमेन्ट और चप्पल उद्योग को लेने का काम करें। जी0एस0टी0 की जटिलताओं को कम करिये। आज व्यापारी जी0एस0टी0 से परेशान है वह अपनी बिक्री देखें, अपनी खरीद देखे अपने कर्मचारी देखे कि वह जी0एस0टी0 की फाइलिंग करता रह जाता है। जी0एस0टी0 के इनपुट क्रेडिट की जो व्यवस्था है वह बहुत खराब है। इनपुट क्रेडिट वापस लेने की कोई व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं की गई है। एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जब जी0एस0टी0 लागू हो गया। एक देश, एक कर की व्यवस्था लागू हो गई तो उसके बाद मण्डी शुल्क लगाने की कोई जरूरत नहीं बची थी। मण्डी शुल्क कृषि सम्बन्धी उत्पादों पर लगाया जाता है यह किसान की हितैषी सरकार अगर है तो कृषि उत्पादों पर से मण्डी शुल्क को समाप्त कर दिया जाये। स्वास्थ्य की बात होती है आज जमीनी हकीकत यह है कि अस्पतालों में कुत्ते के काटने पर लगने वाला इंजेक्शन नहीं है।

हमारे यहां 6 हजार वायल रोज लगते हैं लेकिन अस्पतालों में इंजेक्शन नहीं हैं, लोग दूर-दूर से आते हैं जिन्हें दौड़ा दिया जाता है। मान्यवर, कोई भी व्यवस्था नहीं है। अस्पतालों में दवाएँ नहीं हैं, जांचों की मशीनें, एक्स-रे मशीन, सी0टी0 स्कैन, एम0आर0आई0 मशीनें खराब पड़ी हैं उनके मेन्टीनेंस का पैसा नहीं है। आज हमारे कानपुर में सबसे पुराना और प्रतिष्ठित गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज है। हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं कि सरकार उस मेडिकल कालेज को इंस्टीट्यूट बनाने जा रही है। हमारी आशंका है कि इंस्टीट्यूट बन जाने के बाद मेडिकल कालेज में जो गरीब आदमी एक रुपये के पर्चे पर उपचार पा रहा है, उसका इलाज मंहगा हो जायेगा। यदि ऐसा हो जायेगा तो हम सब लोग मिलकर ऐसी व्यवस्था की जो गरीबों का नुकसान करने वाली होगी उसका विरोध करते हैं। मान्यवर, छोटी-छोटी बातें हैं, ई0एस0आई0 से श्रमिकों को बीमा की प्रतिपूर्ति मिलती है, जो इलाज उनके परिवारों का होता है उसकी सरकार प्रतिपूर्ति देती है। यह पहले केन्द्र सरकार दिया करती थी, अब केन्द्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार पहले प्रतिपूर्ति दे दे उसके बाद केन्द्र सरकार से उसका पैसा ले ले लेकिन राज्य सरकार ने बजट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया है। लगभग 3 हजार श्रमिकों के 15 करोड़ के बीमा प्रतिपूर्ति के दावे लम्बित पड़े हैं और सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। इसलिए मैं आपका अपने शहर की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए चूंकि हमारा शहर स्मार्ट सिटी भी है लेकिन दिक्कत यह है कि स्मार्ट सिटी की जो अवधारणा बनती है और जो काम बनते हैं वह जमीन पर दिखायी नहीं पड़ते हैं। आज दूरबीन लगाकर भी देखने का प्रयास मैं कर रहा हूँ तो मुझे स्मार्ट सिटी कहीं दिखायी नहीं पड़ती है कि एक भी काम स्मार्ट हो गया हो। जो स्मार्ट सिटी की योजनाएं बनती हैं, वह भी अधिकारियों के भरोसे बनती हैं। जनप्रतिनिधियों की राय लेने में अधिकारियों की कतई रूचि नहीं है, वह अपने हिसाब से योजनाएं बनाते हैं। एक अधिकारी आज होता है तो कुछ योजना बनाता है, कल को उसका ट्रांसफर हो जाता है तो जो नया अधिकारी आता है वह योजना को बदल देता है और अपनी नयी योजना अपनाता है। कोई भी योजना इसीलिए क्रियान्वित नहीं हो पा रही है। महानगरों में अभी तक पेयजल नहीं पहुंचा है। सबसे बड़ा शहर कानपुर उसके सेण्ट्रल क्षेत्र आर्यनगर का मैं विधायक हूँ और मेरे क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। आप 'हर घर नल' की बात करते हैं, आप गांव-गांव टंकी बनाने की बात करते हैं, अभी तो आप महानगरों में टंकियां नहीं चालू कर पाएं हैं तो आप दूर के सपने क्यों दिखा रहे हैं ? पहले शहरों के अन्दर पेयजल की व्यवस्था सुचारू बनायें।

श्री अधिष्ठाता-

बाजपेई जी, अब आप समाप्त करें।

श्री अमिताभ बाजपेई-

मान्यवर, एक बात और कहना चाहूँगा चूंकि जाम की समस्या बहुत बड़ी है और जाम से व्यापारी प्रभावित होता है, छात्र को भी आने-जाने में दिक्कत होती है, महिलाओं को भी

दिक्कत होती है, मरीज भी जाम में फॅस जाते है जिससे उसकी जान तक चली जाती है, इसलिए जाम को दूर करने के लिए कोई दूरगामी परियोजनाएं बनानी पड़ेंगी। मैं मांग करता हूँ कि मेरे शहर में जहां मुख्य मार्ग है वहाँ एलिवेटेड रोड बनायी जायें और बाजारों के अन्दर मल्टीलेवल पार्किंग बना करके जाम की समस्या से छुटकारा दिलाया जाये। मान्यवर, आपने हमको बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं नेता विरोधी दल की बातों पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

कुँवर माधवेन्द्र प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन प्रस्ताव पर बल देने के लिए बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं हृदय की असीम गहराइयों से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। महोदय, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना आगामी वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से यह उत्तर प्रदेश के विकास को बहुत आगे बढ़ाने वाला बजट है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश तेजी से प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर रहा है, गांव, गरीब, किसान, मजदूर आगे बढ़ रहे हैं। दलित, शोषित, वांछित जिनके प्रति अभी तक अन्याय होता रहा और केवल खोखले वादे उनके हितों के लिए किए जाते रहे। पहली बार उनके हितों को साधने की सरकार आयी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसका लक्ष्य अन्त्योदय का लक्ष्य है और इस सरकार में पूरी तरह से अन्त्योदय को साधने का काम किया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार तेजी से प्रदेश विकास की गति में आगे बढ़ रहा है, इस बजट में प्रस्तुत तमाम योजनाएं उसके लिए साक्षी हैं। जिस प्रकार से युवाओं के कल्याण के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है, निश्चित रूप से ऐसी योजनाएं जैसे 'मुख्य मंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना', जिसके माध्यम से हमारे जो प्रशिक्षित नौजवान हैं उनकी एक आय का साधन बनेगा और वह प्रशिक्षित होकर देश और विश्व में जाकर भारत का नाम रोशन करेंगे, नौकरी करेंगे। उसी के साथ-साथ 'युवा उद्यमिता विकास अभियान' शुरू किया गया है जिसके अन्तर्गत जो प्रशिक्षित नौजवान हैं उनको स्वरोजगार के माध्यम से अपना रोजगार देकर उद्योग लगाने का अवसर दिया जायेगा। प्रत्येक जिले में 'युवा हब' स्थापित किया गया है। इस हब के माध्यम से सभी नौजवानों को भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उनका विकास किया जाना है, इसके लिए मैं पुनः माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। महोदय, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार और हमारे माननीय मंत्रिगण काम कर रहे हैं, विकास की गति में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। जैसाकि आपने देखा होगा कि गन्ने का पूरा मूल्य भुगतान किया गया है। बहुत सारी चीनीं मिलें पिछली सरकारों में बन्द की गयी थीं, उसकी जगह पर नयी चीनीं मिलें आज स्थापित की जा रही हैं और हमारे क्षेत्र में भी दो चीनी मिलों का हिस्सा आता है। वहाँ वर्तमान में भुगतान होता चला आ रहा है, इसके लिए मैं आदरणीय गन्ना मंत्री और सरकार को धन्यवाद देता हूँ। हमारे क्षेत्र में बरबन रजवाहा है, जिसमें 40 साल से जिसमें आज तक पानी

नहीं पहुंचा था। मैं आपके माध्यम से आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिसमें आज पहली बार हमारे जीवन में पानी आया है। मेरा पूरा जीवन निकल गया। आज किसान खुशहाल है और आज ही मेरे पास सूचना आयी। इतना पानी आया कि नहर फट गयी। 40 साल से उस नहर में पानी नहीं आता था, इसके लिए मैं सरकार और आदरणीय मुख्य मंत्री जी और आदरणीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्रों का बहुत बड़ा अभाव था। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी के प्रयास से हमारे यहां दो नये केन्द्र खोले गये हैं। एक प्रस्तावित है, जो शासन में लम्बित है पहला श्रीमऊ में दूसरा मंसूरपुर में शुरू की गयी है, उसके अलावा जो भी हमारे यहां पी0एच0सी0 हैं, उसके लिए देहाती क्षेत्र में जाना पड़ता है लेकिन वहाँ पर डाक्टर्स नहीं थे। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को कि उनके नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य की व्यवस्था बहाल हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की नियुक्ति की जा रही है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज की व्यवस्था ठीक हो गयी है। जिस प्रकार माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस-वे का जाल बिछाया है और जिस प्रकार पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को बलिया लिंक और गोरखपुर लिंक से जोड़ा गया है, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे शुरू किया गया है, इसी के साथ-साथ जो नया गंगा एक्सप्रेस-वे, प्रयागराज से मेरठ तक के लिए प्रस्तावित है। इसके लिए मैं सरकार को विशेष धन्यवाद दूंगा कि जो 637 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेस-वे बनना है, उसमें से लगभग 100 किलोमीटर हमारी विधान सभा से होकर निकलेगा इसके लिए मैं पुनः सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे कार्यों से जिससे कि सरकार की उपलब्धियां आगे बढ़ रही हैं। प्रदेश का विकास हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक बात कही थी कि ''मेरी अमेरिका इसलिए अमीर नहीं है कि यहां ज्यादा अमीर लोग रहते हैं वरन् अमेरिका इसलिए अमीर है कि वहाँ अच्छी सड़के हैं।'' आज वह अच्छी सड़कें हमारे उत्तर प्रदेश में बन रही हैं, हमारे भारत में बन रही हैं, इसलिए भारत का दुतगामी विकास हो रहा है। कभी हमारे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह सपना देखा था, हमारी सरकार आज उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य मेले लगाये जा रहे हैं, पशुओं के आरोग्य के मेले लगाये जा रहे हैं, किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम किया जा रहा है, इसके लिए मैं सरकार को पुनः बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। किसानों से जुड़ी हुई तमाम योजनायें सरकार ने शुरू की हैं। मेरे क्षेत्र में कुछ अन्य समस्यायें हैं, हमारा सवायजपुर विधान सभा क्षेत्र जो कि हरदोई जनपद से फर्रूखाबाद जनपद से जुड़ा हुआ है। यहां पर 5 नदियां हैं और 5 नदियों का संगम हमारी विधान सभा में होता है। गंगा है, राम गंगा है, गर्रा (गुरूण गंगा) है, नीलम है और गमीरी है, इन नदियों का संगम होने के कारण अधिकांश क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र रहता है। गरीबी भी बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से गांव हर साल कट जाते हैं। आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी यहां बैठे हैं। बाढ़ नियंत्रण का भी इनके पास काम है। बहुत सारे जो हमारे कटने वाले गांव हैं, जैसे बाबरपुर, कहांरकोला, मानिमऊ, गोरिया, सांई है, ऐसे

गांव की बाढ़ से कटान होने के लिए सरकार द्वारा यदि कोई नियंत्रण की योजना बनायी जायेगी तो हमारे गरीब ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। हमारे यहां हरिपालपुर बड़ा गांव और अर्जुनपुर के बीच में रामगंगा नदी पर एक पैन्टुन पुल बना। 40-42 साल उस पुल को बने हुए हो गये और हर वर्ष उस पर कोई-न-कोई दुर्घटना हो जाती है। उस पर पक्का पुल बनाये जाने की बराबर मांग होती रही है। महोदय आपके माध्यम से मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि राम गंगा नदी पर बड़ागांव और अर्जुनपुर के बीच में एक पक्का पुल बना दिया जाय जिससे कि हमारे क्षेत्र से हरिपालपुर और फर्रूखाबाद की दूरी बहुत कम होगी। फर्रूखाबाद जनपद के विधायक लोग भी उसकी मांग को उठाते हैं और हमारे हरदोई के भी कई विधायक और सांसद उस मांग को उठाते हैं। इसके साथ ही हमारे क्षेत्र में जैसाकि माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं नहर की बहुत बड़ी समस्या थी। बरबन रजवाहा नहर हमारे यहां आती है जिसमें शारदा नहर शाहजहांपुर खण्ड से पानी आता है। वह नहर शाहजहांपुर जनपद में बहुत कम चौड़ी रह गयी है। वह यदि शाहजहांपुर जनपद में थोड़ी चौड़ी और करा दी जाय तो पूरा पानी हमारी विधान सभा तक आने लगेगा। सरकार कोई योजना बनाकर इसकी व्यवस्था करा दे। इसके साथ-साथ 2-3 और अनुरोध हैं, एक हमारे यहां पर शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है, हमारे यहां एक डिग्री कालेज खुलवा दिया जाय। दूसरा हमारे यहां हरपालपुर ग्राम पंचायत है, जिसकी बीसों साल से मांग होती है, ग्राम सभा को नगर पंचायत बनाने की मांग है। प्रस्ताव शासन में लम्बित है, यदि उसको नगर पंचायत बनवा दिया जाय। एक पाली नगर पंचायत है जो 1889 की नगर पंचायत बनी हुई है और आस-पास के गांव उससे जुड़े हुए है। नगर न होने के कारण वहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है। स्थिति नारकीय है, वहाँ आस-पास के गांव शहर से जोड़ने का प्रस्ताव शासन में लम्बित है। यदि पाली नगर पंचायत का विस्तार कर दिया जायेगा तो उससे हमारे क्षेत्र को निश्चित रूप से लाभ होगा। महोदय, हमारे यहां सड़कों की समस्या है यदि उन्हें ओ0डी0आर0 और एम0डी0आर0 कर दिया जायेगा तो हमारे क्षेत्र को बहुत लाभ मिलेगा। आपने धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देते हुये अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री गौरी शंकर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट पर बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं वित्त मंत्री माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी को बधाई देना चाहता हूँ कि 2020-21 के बजट में पूरे प्रदेश के गरीब, मजदूर, किसान, बेसहारा, व्यापारियों, महिलाओं एवं बच्चों के हितों का ध्यान रखा गया है ऐसे वित्त मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस साल 2020-21 का ऐसा बजट पेश किया गया है जो समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित कर सके। इसमें हर गरीब व्यक्ति के बच्चों की शिक्षा से लेकर उनके शादी तक का ख्याल रखा

गया है। यह बजट उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई गति एवं एक अच्छा भविष्य तय करेगा। माननीय अधिष्ठाता जी, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया गया है इस व्यवस्था से पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्व त्वरित कार्यवाही की जा सकेगी। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा हेतु दिसम्बर, 2019 से सुरक्षा कवच योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना के तहत कामकाजी महिलाओं तथा महिला यात्रियों द्वारा रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक 112 नम्बर डायल कर पुलिस सुरक्षा की मांग किये जाने पर पुलिस द्वारा उनके गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुँचाने की व्यवस्था की गयी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसी प्रकार निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत बच्चों के भरण पोषण हेतु 500 रुपया प्रतिमाह सीधे लाभार्थियों के खाते में राशि प्रेषित की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत 1432 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। महोदय, प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम के लिये राष्ट्रीय पोषण अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं के लिये चार हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिये महत्वपूर्ण योजनायें लायी गयी है मुख्य मंत्री प्रोत्साहन योजना को प्रारम्भ कर इस बजट में बारह सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक जिले में युवा हब की स्थापना हेतु प्रत्येक जिले को 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश में नये मेडिकल कालेज खोलने की भी व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये की धनराशि निशुल्क चिकित्सा सुविधा राजकीय चिकित्सालयों एवं सूचीबद्व निजी चिकित्सालयों के माध्यम से देने हेतु इस बजट में शामिल किया गया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इस बजट में कमजोर, बेसहारा सभी जातियों एवं सभी धर्मो के लोगों को आवास दिलाने का काम किया जा रहा है, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। माननीय मुख्य मंत्री जी तथा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा मेरी विधान सभा में कुछ काम किये गये हैं जो 2017 के पहले कुछ नहीं हुआ था। मेरे उरई विधान सभा में पुरुष जिला अस्पताल में 2017 के बाद आम जनमानस को जो सुविधायें दी गयी है उसके अन्तर्गत सी0टी0 स्कैन मशीनों की स्थापना की गयी है, डायलिसिस मशीनों की स्थापना की गयी है, ट्रामा सेंटर की स्थापना की गयी है, डिजिटल एक्सरे कैमरे की स्थापना की गयी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र उरई में अभी 13 दिसम्बर, 2019 को बेमौसम ओलावृष्टि हुयी थी वहाँ के 26 गांवों में वहाँ के 2694 किसानों को बीमा मुआवजा देने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी ने मात्र दो माह के अन्दर 4 करोड़ 97 लाख रुपये का आकंलन करके उनको दिलाने का काम 22 फरवरी, 2020 को किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा में कुछ काम बाकी है। मेरे उरई नगर पालिका परिषद् में ढाई लाख की आबादी है लेकिन जनपद जालौन में कोई भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है मान्यवर, मैं

आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र उरई में जो जमीन उपलब्ध है, उस पर केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की जाय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जनपद जालौन में कहीं भी राजकीय इंजीनियरिंग कालेज नहीं है। वहाँ राजकीय पालीटेक्निक के पास जमीन उपलब्ध है, उस पर राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की जाय। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्ष 2017 के पहले जिन लुटेरों की सरकार थी। जिन लुटेरों ने कई बालू घाट चलाये थे, उन घाटों के कारण वहाँ की सड़कें खराब हो गई थीं। जिसके कारण वहाँ के जनमानस को चलने में बहुत परेशानी होती थी। वहाँ के 10-12 गांव आज भी शहर से कटे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि उरई से कुइय्या टीकर रोड आर0सी0सी0 बनवाई जाये। मुहम्मदाबाद से बधौली गुढा सिमरिया रोड आर0सी0सी0 बनवाई जाये। मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय को, माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उनके अथक प्रयास से 17 वर्षों से जो सड़कें खराब पड़ी थीं, जर्जर पड़ी थीं, 90 प्रतिशत सड़कें पूरी हो चुकी हैं, अब थोड़ा सा काम बाकी रह गया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त कर दीजिए।

श्री गौरी शंकर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सिर्फ आधा मिनट और चाहता हूँ। मेरी विधान सभा उरई में रेलवे लाइन निकली हुई हैं। उरई से झांसी जानी वाली रेलवे लाइन की जो सड़क है, वहाँ पर ओवर ब्रिज बनाने की व्यवस्था की जाये, क्योंकि वहाँ बहुत जाम लगता है। इसी तरह कोच एट रेलवे लाइन पर एक ओवर ब्रिज बनवाया जाये। मैं जल शक्ति मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बुन्देलखण्ड को चूँकि वहाँ पर पानी की बहुत समस्या थी, वह हर घर को जल देने का कार्य करने का काम कर रहे हैं और 09 हजार करोड़ की योजना से बुन्देलखण्ड का विकास करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, अपने मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वह गरीब, बेसहारा मजदूरों को लाभ देने का काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ न्याय कर रहे हैं, धन्यवाद।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री रोशन लाल वर्मा का नाम पुकारा गया लेकिन वह अनुपस्थित थे)

श्री अधिष्ठाता-

श्री प्रभात वर्मा जी बोल लें।

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी सरकार पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी के आदर्शों को पालन करते हुए 2020-21 के बजट

में राम-राज्य की परिकल्पना को साकार करने और प्रदेश का सर्वांगीण विकास ही मेरी सरकार की प्राथमिकता है। जिसमें गांव, गरीब, किसानों के हित की बात की गयी है। ''सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ,'' मेरी सरकार काम कर रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार की नीतियों एवं योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश को देश की कई चीजों में प्रथम स्थान मिला है। मा0 मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से, यहां पर माननीय गन्ना मंत्री जी बैठे हैं, गन्ना किसानों का पूरा भुगतान हुआ है। मेरे क्षेत्र में दो चीनी मिलें हैं, दोनों चीनी मिलों का शत-प्रतिशत भुगतान गन्ना किसानों का हुआ है। प्रधानमंत्री आवास, जिसमें उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत रसोई गैस कनेक्शन में प्रथम स्थान मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनवाये गये, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना में भी प्रथम स्थान है। प्रधानमंत्री जी द्वारा हर घर को बिजली देने का काम किया गया है। जिससे सभी मजरों तक बिजली पहुंची है और मेरी विधान सभा में भी सभी मजरों में बिजली लगी है। मान्यवर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एवं आम आदमी बीमा योजना में प्रथम स्थान, दुग्ध, चीनी, गन्ना एवं आम के उत्पादन में भी प्रथम स्थान मिला है। हमें अटल पेंशन योजना में भी देश में प्रथम स्थान मिला है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी व सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि इतने कम समय में देश में प्रदेश ने कई चीजों में प्रथम स्थान हासिल किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कानून व्यवस्था की बात हमारे विपक्ष के साथी करते हैं। कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश में अपराध मुक्त, भय मुक्त व अन्याय मुक्त वातावरण तथा कानून का राज स्थापित किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कोई भी सकारात्मक परिवर्तन बिना दृढ़ इच्छा के सम्भव नहीं है। यह काम योगी जी ने करके उत्तर प्रदेश में तीन साल में दिखाने का काम किया है। अधिष्ठाता महोदय, कृषि के मामले में हमारी सरकार ने पांच वर्षों में होने वाली आय को दोगुना करने का निर्णय लिया है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। सोलर पम्प लगाये जा रहे हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना भेदभाव के सभी किसानों को उसका लाभ मिल रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा एक लाख तक का किसानों का कर्जा माफ करने की बात हो। डी0बी0टी0 के माध्यम से अनुदान को भुगतान करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी सरकार द्वारा जल जीवन मिशन आरम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत 2024 तक सभी गांवों में पाइप पेयजल योजना द्वारा हर घर को जल उपलब्ध कराने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी सरकार ने आवास योजना में शत-प्रतिशत गरीबों को आवास दिया है। वनटांगिया गांव में, मुसहर परिवारों, कोल एवं थारू जनजाति के 38 ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया है। मेरे जनपद में चार गांव जिसमें से मेरे विधान सभा क्षेत्र के दो गांव हैं जहां शत-प्रतिशत लोगों को आवास मिले, जिसमें

बिजली भी लगी, सड़क भी बनी और रहने के लिए मुख्य मंत्री आवास मिले। आज राशन कार्ड उनको मिल गया है, हम लोगों की तरह सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं। अधिष्ठाता महोदय, स्वास्थ्य के मामले में भी हमारी सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं, सभी सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 में कैम्प लगा करके दवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। गोण्डा जनपद जो बहुत पिछड़ा जनपद था, वहाँ माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है जहां पहले विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती थी, नकल के नाम पर लुटाई होती थी आज शिक्षा के क्षेत्र में 15 हजार प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। मेरे गौरा विधान सभा क्षेत्र में 38 विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से चल रहे हैं। हमारी सरकार ने इतने कम समय में एक राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हथियागढ़, आई0टी0आई0 कॉलेज मेरे क्षेत्र में देने का काम किया है इसके लिए मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारा पिछड़ा क्षेत्र होने के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में आज धीरे-धीरे नम्बर-1 पर होता जा रहा है। जहां परीक्षाएं हो रही हैं, वहाँ नकलविहीन परीक्षाएं हो रही है। पहले क्या होता था उसे आज सभी जानते हैं, हमारे विपक्ष के साथी भी जानते हैं लेकिन आज किसी भी परिवार में उसके मां-बाप को पैसे लेकर नकल कराने के लिए नहीं दौड़ना पड़ता है पहले जबरदस्ती उनसे पैसा वसूलने का काम किया जाता था, इसके लिए मैं अपने शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सड़कों के मामले में मैं अपने माननीय उप मुख्य मंत्री जी एवं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। हमारा गोण्डा जनपद बहुत पिछड़ा क्षेत्र था लखनऊ जाने के लिए रास्ता नहीं था, इसी सरकार में पूरी सड़क बनकर तैयार हो गई है। अभी दर्जीकुआं से लेकर मनकापुर होते हुए जो बभनान तक सड़क जाती है उसको भी एन0एच0 में लिया गया है और स्वामी नारायन छपिया मंदिर मार्ग को टू-लेन से जोड़ा गया है जिसको कटरा, अयोध्या से डुमरियागंज तक माननीय मुख्य मंत्री जी ने देने का काम किया है इसके लिए हम अपनी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद् देते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे क्षेत्र में आज बहुत काम हो रहे हैं मैं अपनी सरकार से, अपने माननीय मुख्य मंत्री जी से अपने क्षेत्र के लिए कुछ विशेष मांग करना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है, कूक नगर ग्रान्ट में सरकारी जमीन उपलब्ध है वहाँ राजकीय महाविद्यालय का निर्माण करा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

मान्यवर, एक पुल है, जो कुआनो नदी से बस्ती जनपद को जोड़ता है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र गौरा से गोण्डा 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर

है लेकिन कुआनो नदी पर पुल बन जाने से बस्ती की दूरी 35 किलोमीटर हो जायेगी। कुआनो नदी पर वाड घाट कूक नगर ग्रान्ट में है, वहाँ मैं पुल बनाने की मांग करता हूँ। मनथापुर से गौरा चौकी बभनान तक की अवशेष 23 किलोमीटर की सड़क के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण किये जाने की मांग करता हूँ क्योंकि यह मुख्य मार्ग है। इसके साथ ही मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री विनय शंकर तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे 2020-2021 के बजट अनुदानों पर अपनी बात कहने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं सर्वप्रथम नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविन्द चौधरी से अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वित्तीय वर्ष 2020-2021 के बजट अनुमान जब आये तो इसमें ढेर सारी बातें, वाल्मीकि रामायण, श्री राम चरित मानस आदि से ली गईं और बड़ी-बड़ी बातें की गईं। हमारे सत्ता पक्ष के भाई भी जो हमारे मित्र हैं वह जब बोल रहे थे तो सभी बातें अच्छी-अच्छी कर रहे थे लेकिन उसके बाद उन सभी की एक लम्बी मांग थी। कोई ऐसा साथी नहीं रहा जिसने अच्छी बातें करने के साथ ही अपनी लम्बी मांग न की हो। सर्वप्रथम जो ईज ऑफ डुइंग बिजनेस की बात कही गई है, हम गोरखपुर शहर से आते हैं। वहाँ के एक उद्योगपति ने कुछ दिन पहले यह कहा कि 'ईज ऑफ डूइंग' बिजनेस की बात गलत है, ये मेरा अपना कथन नहीं है, बल्कि अखबार में प्रकाशित है। उनकी अपनी कोई परियोजना थी, जो एक हजार करोड़ रुपये की थी और वह आज तक पास नहीं हो पायी है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि 'ईज ऑफ डूइंग' बिजनेस की बात सही नहीं है। साथ ही साथ आपने जो 50 हजार करोड़ रुपये की निवेश की बात की है, एम0ओ0यू0 की बात की है, वह निवेश धरातल पर दिखायी नहीं दे रहा है। 50 हजार करोड़ रुपया जब निवेश होगा, तो वह निश्चित रूप से दिखेगा और उससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। किन-किन से एम0ओ0यू0 हुआ है और उनकी क्या स्थिति/प्रगति है ? इस संबंध में सरकार ने कोई बात नहीं कही है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को जोड़ने के लिए 91 कि0मी0 लम्बाई की लिंक एक्सप्रेस-वे की बात कही गयी है, लेकिन इसमें कितना धन लगेगा, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से बलिया को जोड़ने के लिए बलिया एक्सप्रेस-वे की बात की गयी है, लेकिन इसमें भी कहीं धन का उल्लेख नहीं किया गया है। इसी तरह से युवाओं को प्रशिक्षित करने की बात की गयी है और खास तौर से हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते रहते हैं कि यह युवा देश है, युवाओं का देश है, तो उसमें जो धन दिया गया है वह 'ऊंट के मुंह में जीरा' के बराबर है। इतने धन से युवाओं का कल्याण होने वाला नहीं है। सरकार द्वारा बार-बार यह बात कही जा रही है कि बजट बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो जगह मिलनी चाहिए, वह जगह नहीं मिल रही है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, अगर हम चिकित्सा की बात करते हैं तो चिकित्सा मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। हमारे यहां इंसेफेलाइटिस बहुत भयंकर बीमारी है और उसकी रोकथाम आज तक नहीं हो पायी है। बार-बार यह कहा जा रहा है कि इतने लोगों को हमने ट्रेंड कर दिया, लेकिन जब धरातल पर आप जाएंगे तो इंसेफेलाइटिस बीमारी से आज भी हजारों की जान जा रही है। जो गोरखपुर/बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज है, उसमें वह विभाग नहीं है, डॉक्टर नहीं हैं, दवाइयां नहीं हैं, उसकी वजह से गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस बीमारी आज भी महामारी का रूप लिये हुए है। गोरखपुर क्षेत्र में जो बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज है, उसमें जो सुपर स्पेशियलिटी है, उसमें इंसेफेलाइटिस बीमारी के डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज वहाँ पर है, उसकी सुविधाएं हैं, लेकिन उस सुविधा का लाभ वहाँ की जनता को नहीं मिल रहा है। जनता को अगर सुविधा का लाभ देना है, तो सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सकों की नियुक्ति करनी होगी। जो डॉक्टर हैं, वह प्राइवेट संस्थानों में चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको उचित वेतन नहीं मिल रहा है। आज संविदा के डॉक्टरों को ज्यादा वेतन मिल रहा है और नियमित डॉक्टरों को कम वेतन मिल रहा है, इसलिए वहाँ पर स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है। मेरे ख्याल से डॉक्टरों का सबसे ज्यादा पलायन इसीलिए हो रहा है और इस पुस्तिका में इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया गया है।

मा0 अधिष्ठाता जी, जहां तक रोड का सवाल है, रोड सबसे महत्वपूर्ण विषय है। रोड के लिए इसमें ढेर सारी बातें कही गईं हैं। जो स्टेट सेक्टर के पास सड़क हैं, उसमें लोक निर्माण विभाग का लगभग दो लाख इक्तीस हजार कि0मी0 लम्बाई का नेटवर्क है, जिसके लिए कुल तीन हजार पांच सौ चौबीस करोड़ रुपये दिये गये हैं। यह बजट बहुत ही छोटा बजट है, इतने बड़े रोड को मरम्मत करने के लिए यह बजट बहुत पर्याप्त बजट नहीं कहा जा सकता है। इसी तरह से तमाम गांव और मजरे ऐसे हैं, जो मुख्य सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं और उनको किसी टोले से जोड़ दिया गया है और कह दिया गया कि गांव डामर रोड से जुड़ चुका है, इस तरह की तमाम समस्या है, जिन पर सरकार का ध्यान नहीं गया है।

श्री अधिष्ठाता-

विनय जी, अब समाप्त करिये।

श्री विनय शंकर तिवारी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ। आप के माध्यम से जल शक्ति मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जो अधूरी पड़ी योजनाओं की बात की गयी थी, उसमें बताना चाहता हूँ कि बाण सागर परियोजना बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। सरकार ने यह बताया कि यह परियोजना पूरी हो गयी, लेकिन इस सरकार में कितने प्रतिशत पूर्ण हुआ, इसके पहले के सरकार में कितने प्रतिशत पूर्ण हुआ था, उसकी भी बात इसमें नहीं की गयी है। मैं जिस विधान सभा से आता हूँ, वहाँ पर घाघरा नदी है। वहाँ पर खड़ेसरी से लेकर डुमरी तक एक बांध बना हुआ है, जिसको आर0ई0एस0 विभाग ने बनाया था और आज

तक जल शक्ति मंत्रालय उस बांध का अधिग्रहण नहीं कर पाया है, जिसके कारण उसका अनुरक्षण नहीं हो पा रहा है। अनुरक्षण न होने के कारण आज वहाँ पर बाढ़ के समय जान-माल का खतरा सदैव बना रहता है और प्रत्येक वर्ष कुछ गांव उसमें कट भी जाते हैं और बाढ़ में विलीन हो जाते हैं, उस पर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त कर दीजिये।

श्री विनय शंकर तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस तरह से जो बजट में यह कहा गया है कि बहुत बड़ा बजट है परन्तु निश्चित रूप से इस प्रदेश का सपना साकार नहीं होगा। मैं पुनः इस बजट का विरोध करते हुए माननीय राम गोविन्द चौधरी जी की बातों पर बल देता हूँ।

श्रीमती संगीता बलवन्त-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे 2020-21 के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको कोटिशः धन्यवाद। किसान, युवा, महिला एवं दिव्यांगजनों के हित को देखते हुए 2020-21 के बजट को उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयार किया है। इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए मैं वित्त मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना जी एवं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। आधी आबादी अर्थात महिलाओं के सर्वांगीण विकास को देखते हुए सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है और इसको ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है। हर गरीब के सिर पर छत हो, इसकी चिंता करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 13 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया गया है। योजना के अन्तर्गत 7023 करीब मुसहर परिवारों को आवास दिये गये हैं। आगामी वर्ष में 05 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए 6240 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मैं सरकार को इसके लिए बधाई देते हुए अपनी दो स्व-रचित पंक्तियां कहना चाहूँगी कि सरकार किस तरह से कटिबद्ध है कि हर गरीब के सिर पर छत हो। अपनी पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूँगी कि-

विरोधियों की फितरत है, झोपड़ियां जलाने की,
मेरी सरकार की हसरत है, आशियाने बनाने की।
जो विरोध करते हैं योगी और मोदी जी के नीतियों की,
आज जरूरत है उन्हें आईना दिखाने की।।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायी।) यह सरकार सड़क निर्माण का अभूतपूर्व कार्य कर रही है। इस सदन के माध्यम से मैं अपने जनपद गाजीपुर विकास खण्ड-सदर के रौजा क्षेत्र के अन्तर्गत सरस्वती विहार कॉलोनी, रौजा में डॉ0 राममूर्ति सिंह के घर से

डॉ0 भरत सिंह जी के घर से होते हुए डॉ0 अशोक सिंह के घर से डॉ0 राम मूर्ति सिंह के घर के पीछे तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण की मांग करती हूँ.....

(इसी मध्य 05 बजकर 33 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मैं ग्राम सभा बाघी पोस्ट बेलसड़ी में जनता के हित में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की मांग करती हूँ और अपने क्षेत्र ग्राम सकरा छेदीबिन्दपुरा में श्री महेन्द्र बिन्द के घर से श्री धूरी बिन्द के घर तक आर0सी0सी0 एवं सड़क के दोनों तरफ ढक्कनदार नाली निर्माण की मांग करती हूँ। मैं अपने भाइयों-बहिनों के बातों की पुनरावृत्ति न करते हुए इतना कहना चाहूँगी कि 2017 में भा0ज0पा0 की उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी है उसकी कार्यशैली एवं जन-कल्याणकारी नीतियों के कारण उसे पूरे देश में सराहा जा रहा है। भा0ज0पा0 सरकार को जब पूरे देश में सराहा जा रहा है तो विपक्ष इस सराहना को हज़म नहीं कर पा रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार की नीतियां घर-घर तक पहुंचे और लोगों तक जा रही है जिसे विपक्ष किसी भी तरह से देख नहीं पा रहा है। मैं तो इतना कहना चाहूँगी कि जहां कहीं विपक्ष जय श्री राम का उद्घोष सुनता है तो उसे घबराहट होने लगती है, विपक्ष घबरा जाता है और इन परिस्थितियों को दो स्वरचित पंक्तियों के माध्यम से कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। पंक्तियां हैं:-

जनता ने चुना है, काम करेंगे हम, जनता ने चुना है काम करेंगे हम
कुछ करके इस जहां में नाम करेंगे हम,
जय श्रीराम से विपक्ष घबराता क्यों है, जय श्रीराम से विपक्ष घबराता क्यों है
इसका तो हर पल जाप करेंगे हम, इसका तो हर पल जाप करेंगे हम।
(मेजों की थपथपाहट) धन्यवाद जय हिन्द जय भारत।

श्री अध्यक्ष-

श्री छत्रपाल सिंह जी, कम समय में कह दीजिये।

श्री छत्रपाल सिंह गंगवार-

अध्यक्ष जी, फिर रहने दीजिये। कम शब्दों के लिये छोड़िये। मुझे पहली बार कहने का अवसर मिला है तो कम शब्दों में मेरी बात नहीं हो पायेगी।

श्री अध्यक्ष-

कम शब्दों में कहिये।

श्री छत्रपाल सिंह गंगवार-

चलिये मान्यवर कोशिश करता हूँ। मैं माननीय अध्यक्ष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे वर्ष 2020-2021 के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने सभी

वर्गों को दृष्टिगत रखते हुए अपने बजट में व्यवस्था की है। मैं सारे बिन्दुओं के लिये तो नहीं स्पष्ट करता परन्तु कुछ एक बातें विशेष रूप से कहना चाहता हूं। महिला कल्याण से सम्बन्धित माननीय मुख्य मंत्री जी की कन्या सुमंगला योजना है 1200 करोड़ रुपया, ऐसे ही निराश्रित महिला पेंशन योजना में 1432 करोड़ रुपया अर्थात् 500 रुपया प्रतिमाह पेंशन देने के हिसाब से व्यवस्था की है। इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार है। मुख्य मंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और उसके लिये 1500 रुपये केन्द्र और 1000 रुपये प्रदेश प्रतिमाह उनको व्यवस्था करके देगा। यह मानदेय तो नहीं है, पर उनको एक सहयोग है एप्रेन्टिस का। ऐसे ही युवा उद्यमिता विकास अभियान के तहत 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था इसमें की हैं। इससे लगता है कि बहुत सारे और विकास के कार्य तो चल ही रहे हैं प्रदेश में परन्तु वास्तव में बेरोजगारी एक बड़ा विषय है और उस बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुए युवाओं को, नौजवानों को, जो उच्च शिक्षा लिये हुए हैं, उनको कुछ रोजगार से जोड़ दिया जाय और उसके लिये सरकार का यह प्रयत्न है, इसके लिये सरकार को धन्यवाद। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं प्रदेश सरकार द्वारा किया गया सामूहिक विवाह योजना और इसके माध्यम से हजारों कन्याओं को मैंने अपने जिले में ही देखा है, अपने विधान सभा में देखा है। पिछले वित्तीय वर्ष में 51,000 रुपये के सहयोग से लगभग 1000 से अधिक कन्याओं के हाथ पीले हुए। ऐसे कार्यक्रमों में मैं स्वंय भी रहा और बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही युवा उद्यमिता विकास में अभी मेरे मित्र बोल रहे थे कि यह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। 50 करोड़ रुपया प्रत्येक जिले को दिया है कि जरा वहाँ पर व्यवस्थाएं सुधार दी जायं। शुरूआत हो जाय तो मैं इसके लिये सरकार को धन्यवाद दूंगा। कुछ बातें मैं और बताना चाहता था। यह पहली बार हुआ है कि जब 25-25, 30-30, 40-40 साल से जिन नहरों में कभी पानी नहीं पहुंचा टेल तक। उन नहरों की सफाई का काम हुआ है और पानी टेल तक पहुंचा है (मेजों की थपथपाहट) मैं इसके लिये माननीय जल संसाधन मंत्री जी का आभारी हूँ। मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में हुआ है और यह माननीय सदस्य कहते हैं कि हुआ क्या है। मैं चाहता हूँ कि यह चलें मेरे साथ। मैं दिखाता हूँ विकास का नक्शा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिखाता हूँ मेरे क्षेत्र में दो नदियों पर दो बड़े-बड़े पुल और दो छोटे पुल ऐसे चार पुल इस समय पर निर्माणाधीन हैं। जिन सड़कों पर सपा, बसपा सरकार में निकलना मुश्किल था आज वहाँ पर अच्छी और चौड़ी सड़कें बन गयी हैं। अभी मैं परसों कायाकल्प कार्यक्रम में रहा। मेरी विधान सभा क्षेत्र में स्कूलों का कायाकल्प हुआ है पंचायतों के माध्यम से उनमें बिल्डिंग का सुधार, मरम्मत, फर्नीचर, आने-जाने के रास्ते, उनमें आकर्षण बच्चों का वहाँ आना-जाना मैं भी परसों उस कार्यक्रम में रहा। वह कायाकल्प कार्यक्रम जिलाधिकारी ने किया जहां पर हजारों की संख्या में विद्यालयों में पुनरुद्धार का कार्य हुआ है, मेरी विधान सभा क्षेत्र में ऐसे स्कूल भी हैं। मेरी विधान सभा क्षेत्र नैनीताल की सीमा से लगती है। नैनीताल में बड़े-बड़े पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आज अपने स्कूलों को छोड़कर उन

प्राइमरी स्कूलों में दाखिला लेने लगे हैं, वहाँ पर पढ़ रहे हैं। जिन भाइयों को आश्चर्य होता हो तो वह हमारे साथ में चलें मैं उन्हें दिखाऊंगा। मैं पिछली सरकार के भी कुछ कारनामे सुनाना चाहता था, जो सुनना चाहते थे, वह माननीय लोग बैठे नहीं हैं। मैंने यहीं पर बैठे-बैठे तैयारी कर ली थी। राम के भक्तों पर गोलियां किसने चलायीं ?

श्री अध्यक्ष-

आप बजट पर बोलिये।

श्री छत्रपाल सिंह गंगवार-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं बजट पर ही बोल रहा हूँ। किसानों के गेहूँ की क्षतिपूर्ति भारत सरकार ने 2014 में दी और उस क्षतिपूर्ति के आवंटन में कैसी लूट-मार हुई ? चकरोड की गाटा संख्या डालकर हजारों हजार रुपया निकालकर इसी सपा सरकार ने दे दिया। मेरे पास उदाहरण है मुकदमे लिखे गये। मैंने उस बात को उठाया और हम पर मुकदमा अभी भी चल रहा है। इस बात के लिए कि यह बात क्यों उठायी ? राइस मिल खेत में खड़ा हुआ है, उसकी गाटा संख्या डालकर उस पर गेहूँ का हजारों-हजार रुपया निकाला गया, ऐसा धंधा हुआ था। पैसा भारत सरकार ने दिया था, मोदी सरकार ने दिया था, उसमें ऐसी लूट-मार की गयी। अभी हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने किसानों के लिए ऋण मोचन के अन्तर्गत पैसा दिया है। पैसा सबके खाते में पहुंच गया है। वरना इसी सपा सरकार में तो लेखपालों की पौबारह हो गयी थी। मैं और ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। 12000 रुपये में इसी सपा सरकार के नेता, पूर्व विधायक ने 12000 रुपये में शहर के अन्दर 12000 रुपये नहीं 20000 रुपये मीटर की जमीन बिक रही है, 60 बीघा जमीन, 10 एकड़ जमीन उसको 12000 रुपये में दे डाली, कब्जा करवा दिया, मकान बना हुआ है, बिल्डिंग बना दी, मार्केट बन गयी है। गन्ने के लिए लूट-मार होती थी, साल-साल भर गन्ने का पैसा नहीं मिला और एक किसान ने एक दिन हमारे तत्कालीन विधायक से कह दिया कि भाई साहब यह विकास तो बहुतेरा करा रहे हैं, यह गन्ने का पेमेन्ट कब दिलाओगे, बोले तुझे शाम तक मिल जायेगा। रात में पुलिस उसे उठा ले गयी। उसको 6 दिन बाद जमानत मिली। आज धरना-प्रदर्शन करते हैं। मेरे यहां पर इस समय गन्ने के भुगतान की पोजीशन यह है कि लगभग 20 दिसम्बर तक का गन्ने का पेमेन्ट मेरी बहेड़ी विधान सभा क्षेत्र के किसानों का खाते में पहुंच गया है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये।

श्री छत्रपाल सिंह गंगवार-

मा0 अध्यक्ष जी, थानों की नीलामी होती थी। बहेड़ी महोत्सव के नाम पर सपा की सरकार में करोड़ों रुपया इकट्ठा किया गया था। ब्लाकों के माध्यम से जो गांव में आवास बने या शौचालय बने उनसे सबसे उगाही होती थी, पंचायतों के चुनावों में धांधली, सहकारिता के

चुनाव में धांधली यह सब हुआ है। यहां पर समाजवाद की बातें कर रहे हैं। यह समाजवाद है या परिवारवाद है ?

श्री अध्यक्ष-

आप बजट पर बोलिये।

श्री छत्रपाल सिंह गंगवार-

मा0 अध्यक्ष जी, समाजवाद, परिवारवाद और उससे भी ऊपर एक और बात यादव वाद, सारी नौकरियों में 90 प्रतिशत जितनी भी नियुक्तियां हुईं, वही हुई हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप बजट पर बोलिये।

श्री छत्रपाल सिंह गंगवार-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र के संबंध में कहना चाहता हूँ। मा0 उप मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, मेरे क्षेत्र में एक पशु संवर्धन केन्द्र का निर्माण हो गया है, वह लगभग 100 एकड़ में बना हुआ है, पन्त नगर विश्वविद्यालय से हटकर बार्डर पर है, उसका उद्घाटन होना है मैं माननीय नेताओं से कहूँगा कि उसका उद्घाटन करें। एक बड़ा अस्पताल, महिला अस्पताल उद्घाटन की इंतजारी में है। जी0टी0आई0, आई0टी0आई0 यह उद्घाटन के लिए तैयार है। इनका उद्घाटन किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

केशव जी से मिल लेना वह समय दे देंगे।

श्री छत्रपाल सिंह गंगवार-

मेरे यहां पर मेगा फूड पार्क है लगभग ढाई सौ एकड़ जमीन है मेगा फूड पार्क का निर्माण किया जाए मैं उसके लिए सरकार से मांग करता था ऐसे ही मेरे बहेड़ी क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खण्डहर हो गया है उस खण्डहर को मैं चाहता हूँ कि पशु चिकित्सालय का पुनर्निर्माण हो मैं पशु संवर्धन केन्द्र के बारे में और ज्यादा बताना चाहता था।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका समय समाप्त हो गया। आपका समय बहुत ज्यादा हो गया।

श्री छत्रपाल सिंह गंगवार-

वहाँ केवल मादा तैयार होंगी बछिया तैयार होंगी। मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता था बहेड़ी तहसील में एक खमरिया गांव है वहाँ पर बहगुल नदी है उस पर डैम बने। टेहरा गांव में बरौठ नदी पर डैम बने चेक डैम के बारे में कहना चाहता हूँ कि छोटे-छोटे चेक डैम बने। बहेड़ी में नरायन नगला से उत्तराखण्ड की सीमा रूद्रपुर तक एक चौड़ी रोड जिस

पर कताई मिल बनी हुई उसका चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण हो ऐसे ही नवेली और बरौठ मार्ग है उसका चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण हो यह उत्तराखण्ड से जोड़ने वाली रोड है ऐसे ही बहेड़ी से बहादुरगंज मुड़िया मार्ग है इसका भी चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण हो बहेड़ी में फरीदपुर टाउन एरिया है उसकी बहेड़ी से 20-22 कि0मी0 की दूरी है उस मार्ग का भी चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण हो। ऐसे ही मानपुर राठ और गिरधरपुर के लिए एक 33 के0वी0 सब-स्टेशन लग जाए तो हमारी विद्युत आपूर्ति ठीक हो जाएगी हमारे क्षेत्र में कोई गांव शेष नहीं है जहां बिजली न पहुंची हो हर गांव में बिजली की व्यवस्था हो गयी है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री छत्रपाल सिंह गंगवार-

इसी तरह से सहकारी कताई मिल बन्द पड़ी है उसे चालू किया जाए। एक कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाए। एक मांग माननीय पी0डब्लू0डी0 मंत्री जी से है बहेड़ी की जो चीनी मिल है वहाँ पर एक पुल बनना है। इन शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद व्यक्त करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अनिल पाराशर-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा 2020-21 के प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री योगी जी के नेतृत्व में तीन वर्ष में प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है। लोक कल्याण की नीति पर चलते हुए मेरी सरकार ने पंडित दीन दयाल जी के सपने को साकार करते हुए अन्त्योदय और एकात्म मानव वाद के सपने को साकार किया है। मेरी सरकार में माननीय योगी जी के नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, ऊर्जा, सड़क, कृषि, महिला, नौजवान, किसान, व्यापारी के आदि सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। वर्तमान में 2020-21 के इस पांच लाख करोड़ से भी अधिक धनराशि के बजट में सभी क्षेत्रों में चाहे वह विकास का मामला हो या लोक कल्याणकारी क्षेत्र हो पूरा ध्यान सभी क्षेत्रों का रखा गया है मेरी विधान सभा क्षेत्र कोल अलीगढ़ से आता हूँ ए0एम0यू0 जैसा विश्वविख्यात विश्वविद्यालय भी है लेकिन कुछ देश विरोधी तत्व इस ए0एम0यू0 की शिक्षण की गुणवत्ता को लेकर ए0एम0यू0 की साख को लेकर लगातार इसकी गरिमा को गिराना चाहते हैं मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी योगी जी की सरकार को कि देश विरोधी तत्व और इसमें सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है विरोधी दल के भाई भी यहां पर हैं आप इसकी हकीकत पता करेंगे तो इन सब चीजों के पीछे कहीं न कहीं विरोधी दलों सपा, बसपा, कांग्रेस का हाथ व हमारे विरोधी दलों का हाथ इनको भड़काने के लिए लगातार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा होगा।

पिछले डेढ़ महीने से जिस तरह देश, प्रदेश एवं अलीगढ़ का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया तथा पिछले तीन-चार दिनों से भी लगातार अनायास और अनर्गल रूप से जिस तरह भय एवं आतंक का माहौल बनाने का प्रयास किया गया तो मैं माननीय योगी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अलीगढ़ के अधिकारियों ने समय रहते योगी जी के नेतृत्व में लगातार उस प्रयास को सफल नहीं होने दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विशेष रूप से अपनी सरकार का आभारी हूँ कि ए0एम0यू0 जैसे विश्वविख्यात इस शिक्षण संस्थान के लिये मैं विशेष रूप से अपने विपक्षी भाइयों का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि भाजपा सरकार का लगातार प्रयास रहा है कि ए0एम0यू0 में एस0सी0, एस0टी0 तथा ओ0बी0सी0 के लिये जो भी नीतिगत आरक्षण हो सकता है वह मिलना चाहिये। मैं अपने विपक्षी भाइयों से पूछना चाहूँगा कि यह एस0सी0, एस0टी0 और ओ0बी0सी0 वर्ग के लिये आरक्षण के हितैषी हैं अथवा विरोधी हैं, खुलकर इस सदन को बताएं और पूरे सदन की मांग के साथ-साथ विरोधी पक्ष का मत इसमें क्लियर होना चाहिये कि केन्द्र सरकार से हम लोग यह मांग करें कि ए0एम0यू0 में आरक्षण किस तरह से मिल सकता है और जितनी जल्दी हमारे एस0सी0, एस0टी0 तथा ओ0बी0सी0 वर्ग के लिये आरक्षण मिल जाए उतना ही इस देश के नौजवानों के लिये तथा प्रदेश के नौजवानों के लिये उपयोगी और सार्थक सिद्ध होगा। विशेष रूप से हमारे विरोधी दल सपा, बसपा, कांग्रेस के नेता मा0 राम गोविन्द चौधरी जी आदि यहां पर होते तो बहुत अच्छा लगता कि मा0 अध्यक्ष जी, आप भी उस पर उनका मत ले लें। पूरे सदन के माध्यम से इस आरक्षण के बारे में हम अपना मत स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम लोग ए0एम0यू0 जैसे विश्वविख्यात शिक्षण संस्थान में जो केन्द्र सरकार के धन से तथा जनता के धन से चलता है उसमें आरक्षण होना चाहिये अथवा नहीं होना चाहिये। माननीय अध्यक्ष जी, इसका प्रस्ताव भी इस विधान सभा क्षेत्र के माध्यम से पहुंचना चाहिये, ऐसी मेरी इस सदन से मांग है। यहां पर हमारे अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो इस बजट सत्र में अलीगढ़ को बहुत कुछ देने का प्रयास माननीय योगी जी द्वारा किया गया है। हमारी सबसे महती मांग राजकीय विश्वविद्यालय की थी, उस महती मांग पर युवाओं के भविष्य को देखते हुए आगरा विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा क्षेत्र था, उसमें पिछले 25-30 वर्ष से विश्वविद्यालय की मांग और आंदोलन को देखते हुए राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की हमारी मांग थी और वर्तमान बजट में इसके लिये प्रावधान किया गया है। इसके लिये अलीगढ़ की जनता की तरफ से तथा अपनी विधान सभा की तरफ से मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 अनिल जी, आपका समय हो गया। अब आप समाप्त करिये।

श्री अनिल पाराशर-

माननीय अध्यक्ष जी, बस दो मिनट, बहुत जरूरी विषय है। यहां पर हमारे लोक निर्माण मंत्री तथा डिप्टी सी0एम0 साहब भी बैठे हैं। इनके आशीर्वाद से अलीगढ़ को बहुत कुछ

मिला है। अलीगढ़ से खैर जट्टारी जाने वाला मार्ग हो या अलीगढ़ बाईपास मार्ग हो, उसकी भी घोषणा की गयी है। क्वारसी एटा चुंगी से लेकर आगरा रोड को मिलाने वाले बाईपास मार्ग की सहमति माननीय डिप्टी सी0एम0 साहब ने मौखिक रूप से हमको दी है, उसके लिये भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे क्षेत्र में धनीपुर ब्लाक का एक गडराना गांव पड़ता है वह एक बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ता है, उसमें आपके माध्यम से मैं वहां स्थित पी0एच0सी0 को सी0एच0सी0 बनाने की मांग करता हूँ। इसी तरह से माननीय योगी जी ने मडराक को नगर पंचायत घोषित किया है, इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूँ और वहाँ पर पी0एच0सी0 को सी0एच0सी0 ट्रामा सेन्टर बनाने की मांग करता हूँ। इसी तरह से मेरे क्षेत्र में दो राजकीय हाई स्कूल का प्रस्ताव भी विचाराधीन है उसको पूरा करने के लिये बालूखेड़ा तथा मडराक दोनों को राजकीय हाई स्कूल घोषित किया जाए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। 33/11 मडराक तथा 33/11 गडराना इन दोनों बिजली घरों की क्षमता वृद्धि की भी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ मेरे क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाईपास क्वारसी एटा चुंगी आगरा रोड बाईपास को फोरलेन करने के लिये मैं पुनः माननीय डिप्टी सी0एम0 साहब से मांग करता हूँ कि उसे जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए। हमारे क्षेत्र की शहरी विधान सभा जो है, जो महानगर का भाग है, उसमें अण्डरग्राउण्ड केबलिंग का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है, उसको भी माननीय ऊर्जा मंत्री जल्दी से जल्दी पूरा करें, ऐसा मैं निवेदन और मांग करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में मडराक, हसनपुर, मुकुटगढ़ी यह तीन रजबाह हैं जो 25-30 साल से बने हैं, लेकिन पानी आज तक नहीं आ पाया है। कुछ रजबाह ऐसे हैं जिनमें पानी वर्तमान योगी जी की सरकार में सिंचाई मंत्री के सहयोग से आ चुका है। इन शेष बचे हुए तीन रजबहों में टेल तक पानी आ जाए ऐसी मैं मांग करता हूँ। अन्त में मैं कहना चाहूँगा कि यह जो वर्ष 2020-2021 का बजट है यह सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है, सबको छूने वाला है और लोक कल्याणकारी बजट है। इसके लिये माननीय योगी जी तथा अपने वित्त मंत्री जी को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और पूरे सदन से एक बार पुनः मांग करना चाहूँगा कि हमारे देश में ए0एम0यू0 जैसा विश्वविख्यात शिक्षण संस्थान है उसमें एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 आरक्षण की जो हमारी बहुत लम्बे समय से मांग चल रही है उसको कैसे पूरा किया जाए इस पर इस सदन का पूरा सहयोग मिल जाये। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं वित्त मंत्री जी के 2020-21 के बजट भाषण एवं नेता प्रतिपक्ष की बातों से अपने आप को संबंद्ध करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी मैं कुछ सुझाव सरकार को देना चाहता हूँ। बेरोजगारी और शिक्षित युवाओं की संख्या पूरे प्रदेश में बहुत बढ़ गयी है, इसमें 100 करोड़ रुपये का कौशल विकास योजना के तहत जो बजट दिया गया है मेरे हिसाब से वह कम है। इस पर भी मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना

चाहता हूँ कि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे क्योंकि पूरे प्रदेश में बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी दोनों बहुत बड़ी त्रासदी है। पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की बहुत बड़ी फौज खड़ी है इसलिए सरकार को इस पर जरूर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था को लेकर इस बजट भाषण के अन्त की पंक्तियों में कहा गया है कि नीति है, नियम है, हुकूमत है लेकिन मेरे हिसाब से दहशत है, डर है, मायूसी है, उदासी है और भय है। जनता अपनी बात जायज ढंग से कहीं भी नहीं कह सकती है। मुझे लगता है कि कानून का केवल इतना ही काम बचा है। मैं जीरो टॉलरेन्स की बात कहकर आपका ध्यान आकृष्ट कराऊं तो जीरो टॉलरेन्स की बात भी इस बजट भाषण में कही गयी है लूट, डकैती, बलात्कार, छिनैती इत्यादि में कईं प्रतिशत की कमी दर्शायी गयी है। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई आत्म समर्पण कर गया, कोई जमानत निरस्त करके चला गया, कोई प्रदेश छोड़ के भाग गया। मैं आपके माध्यम से अनुरोधपूर्वक सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्राइम कौन कर रहा है ? कहां से रोज क्राइम हो रहे हैं ? मैं कमी निकालने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं तो आपका साथी हूँ। आप भी विधायक हैं, हम भी विधायक हैं और हम भी जीत कर आए हैं। हम भी जनता के द्वारा चुने गये हैं और आप भी जनता के द्वारा चुने गये हैं। सदन में हमारा दायित्व है कि हम कम से कम अपनी बातों को आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँचाने का काम करें। माननीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था अगर इतनी ही अच्छी है तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इतने लम्बे समय तक धारा-144 क्यों लगी रही ? पूरे प्रदेश में इतने लम्बे समय तक धारा-144 क्यों लगी रही ?

श्री अध्यक्ष-

कहां लगी है ?

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने बहुत से काम किए हैं। वह चाहे कानून व्यवस्था पर हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। हमारे तमाम साथी विधायक बड़ी तारीफ करते हैं कि हमारे क्षेत्र चलो मैं दिखाता हूँ कोई कहता है वहाँ चलों मैं दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर बहुत अच्छे काम हुए हैं तो फिर माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मांग क्यों रखते हो कि हुजूर मेरे क्षेत्र में एक पुल बन जाये, पुलिया बन जाये ? जब बहुत विकास हो गया है तब फिर मांग क्यों रखी जाती है ?

श्री अध्यक्ष-

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर थोड़ा सा आपका स्नेह मिल जाये तो बेहतर होगा।

श्री अध्यक्ष-

स्नेह है, लेकिन समय नहीं है।

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, क्या जरूरत थी 100 नम्बर को 112 नम्बर करने की ? क्या जरूरत थी 1090 को सुरक्षा कवच बनाने की ? जनपदों के नाम बदलने में गरीब के जितने पैसे का दुरुप्रयोग हुआ है उस पैसे से बहुत सारी योजनायें चालू की जा सकती थीं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कहा गया कि मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। बहुत अच्छी बात है सरकार बधाई के पात्र है। लेकिन हुजूर मुझे किताब के माध्यम से पता चला कि एम0एम0आर0 अवार्ड से भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को नवाजा भी है। मान्यवर, 102, 108 नम्बर योजनायें किसने चलायी ? गरीब की बहू, बेटी, मां कैसे अस्पताल पहुँची है, किसकी सरकार में पहुँची है ? 102 नम्बर कब से चल रहा था ?

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये।

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

मान्यवर, अपने क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा बोल लें।

श्री अध्यक्ष-

आप अपने क्षेत्र के बारे में कोई बात नहीं कह रहे हैं।

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आप हमारे अध्यक्ष हैं, हम ज्यादा कहां बोलते हैं अध्यक्ष जी, अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार इतनी ही गम्भीर होती तो मेरे बाराबंकी शहर में 100 बेड का महिला मैटरनिटी विंग बना और 2016 से 8 मंजिल बना खड़ा है। माननीय अध्यक्ष जी मैं उसी अस्पताल में पैदा हुआ था तब 73 बेड थे पुरानी बिल्डिंग में और मैंने कोशिश की माननीय अखिलेश यादव जी से कह कर 22 करोड़ रुपया स्वीकृत कराकर 7 मंजिल से ज्यादा बड़ा अस्पताल बना जिसमें लिफ्ट इत्यादि भी लगीं है लेकिन मेरे ज्यादा अनुरोध पर प्रमुख सचिव साहब हों या जनपद के अधिकारी हों मेरे ज्यादातर अनुरोध करने पर वही 73 बेड पुराने अस्पताल से उठाकर नये अस्पताल में डालने का काम इस सरकार ने किया है। 173 होना चाहिए, 22 करोड़ किसका रुपया था, जनता का रुपया था, केवल 73 बेड मान्यवर वही जब हम पैदा हुए थे, हम उसी अस्पताल में पैदा हुए थे, ऐसा क्यों ? 22 करोड़ रुपया का अस्पताल बना खड़ा 2016 में। मान्यवर, बाराबंकी विधान सभा क्षेत्र के देवां ब्लाक में बबुरी गांव में 2016 से पी0एच0सी0 अस्पताल पूरी तरह से बना हुआ है लेकिन आज तक संचालित नहीं हो

पाया। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह आइना दिखाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर इसी प्रकार से देखा जाये तो मण्डी परिषद् में हमारी सरकार ने जाने कितने जनेश्वर मिश्रा गांव और मण्डियों की स्थिति सुधारने का काम बड़े पैमाने पर करने का काम किया। बाराबंकी में मण्डी परिषद् का 11 करोड़ 99 लाख रुपये का हम लोगों ने मण्डी का काम कराया था। मान्यवर मैं 848 कि0मी0 गड्ढा मुक्त केवल इस सरकार ने मण्डी परिषद् के जरिये करने का काम किया। सभी 75 जनपद ओ0डी0एफ0 हो गये मान्यवर, इस बजट भाषण के माध्यम से हम सभी सदन में जानते हैं, हो गये हम भी मानते हैं क्योंकि आज सरकार है हम सुनने वाले बैठे हैं बिल्कुल मानते हैं लेकिन मान्यवर कितना उपयोग हुआ ? मान्यवर, यहां तो यही कहा जा रहा है। हर गांव में जो कूड़ेदान रखे गये हमारे सम्मानित साथी जो विधायकगण हैं अपने गांव में जाते होंगे क्षेत्र में जाते होंगे देखते होंगे कि कूड़ेदान कहां गये। मैंने तो पहले भी कहा था कि कूड़ेदान तो रख दिये खाली करने की व्यवस्था कौन करेगा ? पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, गरीब की कमाई का, गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग हो रहा है। मान्यवर, पूरे प्रदेश में 8 हवाई अड्डे क्रियाशील हैं। 11 हवाई अड्डे पर काम चल रहा है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के एयरपोर्ट के लिए, 2000 करोड़ जेवर के लिए 500 करोड़ अयोध्या के लिए 92 करोड़ 50 लाख रुपया प्रस्तावित है। मैं कहना चाहता हूँ कि हवाई अड्डे बनाने की जरूरत क्या है ? जब हम उनको किराये पर दूसरों को देने का काम कर रहे हैं, क्या जरूरत है हवाई अड्डे बनाने की ? प्राईवेट को देने का काम कर रहे हैं, बड़े व्यापारियों को देने का काम कर रहे हैं। गरीब के पैसे का दुरुपयोग करने की क्या जरूरत है ?

***श्री अभिजीत सिंह सांगा-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया और निश्चित रूप से हमारे पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपने-अपने वक्तव्य और विचार आपके बीच रखने का काम कर रहे हैं। इतिहास गवाह है और निश्चित रूप से आज जो यहां पर कार्यवाही चल रही है वह इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी, इतिहास हमको बताता है कि चाहे रामायण काल हो, चाहे महाभारत काल हो, चाहे मुगलों का काल हो और चाहे अंग्रेजों के खिलाफ जंगे आजादी की लड़ाई हो उस लड़ाई में महापुरूषों ने अपने विचार देने का काम किया है। महापुरुषों ने अनेकों अच्छे कार्य किये हैं लेकिन इतिहास लिखने का काम जन-मानस ने किया है। हमारे वेद हमको बताते हैं, हमारी ऋचायें हमको बताती हैं और निश्चित रूप से आज जब मैं सभी सदस्यों के वक्तव्यों को सुन रहा हूँ और विपक्षियों को देखता हूँ तो जब रामराज्य की बात होती है, जब 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की बात होती है, जब अन्त्योदय के विचार की बात होती है, तब हमको विपक्ष के सदस्यों की कुटिल मुस्कान देखने को मिलती है। मैं एक बार आपके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह वह रामराज्य है जिसका शुभारम्भ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में प्रारम्भ हो चुका है और लंका दहन हो चुकी है। मैं कहना चाहता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब वन को चले तो उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि एक दलित महिला सबरी के झूठे बेर खाकर उनका आशीर्वाद लेकर वह वन की ओर आगे चले तो वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बने।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बजट पर आ जाइये।

श्री अभिजीत सिंह सांगा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बजट पर आ रहा हूँ। मुझे दो मिनट अपनी बात रख लेने दीजिये। कृपया मुझे आपका संरक्षण चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

हमारा खूब संरक्षण सभी सदस्यों पर है लेकिन आप बजट पर बोलिये।

श्री अभिजीत सिंह सांगा-

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रास्ते पर चलते हुए और उनका अनुसरण करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दलित सफाई कर्मियों के पैर धोकर समाज को संदेश देने का काम किया है। यह 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' है, यह रामराज्य है, यह अन्त्योदय का विचार है। आज रामराज्य की बात पर विपक्ष के लोग कुटिल मुस्कान देते हैं। मैं आपके बीच रामराज्य की बात कहना चाहता हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब अहंकारी रावण का दमन करने चले थे तो उन्होंने नल को जोड़ा, नील को जोड़ा जामवन्त को जोड़ा, जटायू को जोड़ा और सबको जोड़कर उन्होंने अहंकारी रावण का दमन करने का काम किया और आज उसी रास्ते पर चलते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' का अनुसरण करते हुए शौचालय और इज्जत घर बनवाकर समाज के हर वर्ग को इज्जत देने का काम किया है। आज अगर आवास दिये गये हैं तो समाज के हर वर्ग को आवास दिये गये हैं, आज अगर किसान सम्मान निधि दी गई है तो सभी किसानों को दी गई है। हमारी सरकार द्वारा उन किसानों के चेहरे पर हंसी और मुस्कान लाने का काम किया गया है जिनका पूरा जीवन झूठे वायदे पर बीत गया। आज उनको किसान सम्मान निधि देकर उनके सम्मान को बढ़ाने का काम किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, समय का अभाव है और आपने मुझे रोक रखा है इसलिये मैं संक्षेप में आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जब अहंकारी रावण का वध किया था तो पहले नौ दिन मां दुर्गा का उपवास किया था उसके बाद अहंकारी रावण का वध किया था। उसी तरह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरह श्री नरेन्द्र मोदी जी ने

भी उज्जवला योजना लाकर उन महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है जिनका पूरा जीवन कण्डा पाथने और लकड़ी बीनने में बीत गया। वह मातायें-बहनें जो चूल्हे पर रोटी बनाते-बनाते तमाम बीमारियों से ग्रसित हो जाती थी उन महिलाओं के भाई की भूमिका को अदा करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आज कानून-व्यवस्था की बात हो रही है इसलिये मैं कानून व्यवस्था के लिए कहना चाहता हूँ कि आज 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' पर विपक्ष के लोग कुटिल मुस्कान छेड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा संकल्प है 'सबका साथ, सबका विकास' और आपका संकल्प है 'अपनों का साथ और अपनों का विकास।' हमको याद है समाजवादी पार्टी का वह दौर जब वर्ष 2014 की बेमौसम बरसात में गेहूँ की फसल बरबाद हुई थी और हमको वह दौर भी याद है जब सूखे में किसानों की फसल बर्बाद हुई थी। उसमें आपने मुआवजा बांटा था तो आपकी केवल नीति थी 'अंधा बांटे रेवड़ी, चीन्ह-चीन्ह कर दे' आपने रेवड़ी बांटी थी लेकिन वह कन्नौज में बांटी थी, सैफई में बांटी थी, मैनपुरी में बांटी थी, आपने अपनों को बांटी थी और हमारी सरकार में जब किसान सम्मान निधि दी जाती है तो समाज के हर जाति, वर्ग, धर्म के किसानों को दी जाती है। अगर मुआवजा दिया जाता है तो समाज में सबको दिया जाता है। आज अगर सरकार की कोई भी योजना आती है तो समाज के हर वर्ग के लिए आती है। मैं बिठूर से आता हूँ। वह सीता जी की धरती है, सीता जी ने बिठूर में बहुत सा समय बिताया है, वह लवकुश की धरती है। और उस धरती पर बिठूर महोत्सव, गंगा महोत्सव देकर के योगी जी ने उस धरती का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। उस महोत्सव को समाप्त और बन्द करने का काम आपकी सरकार ने किया था। आज उस पवित्र धरती पर नमामि गंगे के तहत अनेकों घाटों के निर्माण कराने की व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। अन्त में मैं इस बजट के समर्थन में अपने आप को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

[06:11] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

बहुत बढ़िया। अब हम नियम-51 की सूचनायें लेते हैं।

आज दिनांक 24-02-2020 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 57 सूचनायें प्राप्त हुईं। निम्नलिखित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं।

पहली श्री अजय कुमार लल्लू की जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज के कतिपय ए0पी0 तटबन्धों को बचाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री प्रेम सागर पटेल की जनपद महाराजगंज के सोगही बरवा वन्य जीव क्षेत्र से 5 कि0मी0 की परिधि में स्थित ईंट भट्टों को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री विनय शंकर तिवारी की जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत सरयू नदी पर बने बन्धे का अनुरक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जवाहर लाल नेहरू पालीटेक्निक सीतापुर सहित आठ पालीटेक्निक में शैक्षणिक सत्र शून्य किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री अमन मणि त्रिपाठी की जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां में वनों के किनारे खाईं का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है, तथा छठी सूचना श्री संजय गर्ग की जनपद सहारनपुर में घंटाघर के नजदीक स्थित राजीव तलवार आदि के प्लाट के पश्चिम में सुमित मलिक आदि दबंगों द्वारा अवैध रूप से खोली गई खिड़कियों आदि को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हलौली में कतिपय मार्गों का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

पहली सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की कानपुर नगर के पेयजल संकट को दूर करने व जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की अधूरी परियोजनायें पूरी कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत गौर वाल्टरगंज मार्ग पर राजस्व ग्राम कर्मी एवं बेलवरिया के जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के टाउन एरिया लालगंज में स्थापित ट्रामा सेन्टर में स्टाफ की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में है, तथा चौथी सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद सुल्तानपुर में अवैध खनन की जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं :-

पहली सूचना डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आंगनबाड़ी सहायिका, ए0एन0एम0 तथा आशाबहुओं का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत में कतिपय राजस्व ग्रामों में स्टाम्प चोरी प्रकरण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री सुनील कुमार शर्मा की जनपद गाजियाबाद के गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नानकन्फर्मिंग यूज इन एग्रीकल्चर लैण्ड पर हुए निर्माण का विनियमितीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री चेतराम की लखनऊ स्थित महाराजा बिजली पासी के किले को संरक्षित कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के शाहगंज स्थित बस स्टेशन की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना इंजी0 बृजेश कठेरिया की जनपद मैनपुरी की विधान सभा क्षेत्र किशनी में निरीक्षण भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना डॉ0 अरुण कुमार की जनपद बरेली में सरकारी इण्डस्ट्री स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ के राजाजीपुरम् में नया 33/11 के0वी0ए0 उपकेन्द्र स्थापित

कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के ब्लाक अकबरपुर में कतिपय पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना डॉ0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव की जनपद बाराबंकी में बिना निविदा के सरकारी धनराशि की लूट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री विरेन्द्र कुमार यादव की जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत सुभाष इण्टर कालेज में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा चौदहवीं सूचना श्री नरेश सैनी की जनपद सहारनपुर के ब्लाक मुजफ्फराबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं :-

क्रम	नाम
1	श्री उमाशंकर
2	श्री दलवीर सिंह
3	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी
4	श्री सहेन्द्र सिंह चौहान
5	श्री मुकेश चन्द्र वर्मा
6	श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी
7	श्री प्रेम नारायण पाण्डेय
8	श्री कारिन्दा सिंह
9	डा0 नीरज बोरा
10	श्री अबरार अहमद
11	श्री राजकुमार पाल
12	श्री नफीस अहमद
13	श्री अनिल कुमार दोहरे
14	श्रीमती जयदेवी
15	श्री दुर्गा प्रसाद यादव
16	श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी
17	श्री ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया
18	श्री मसूद अख्तर
19	श्री जटाशंकर त्रिपाठी
20	श्री पारस नाथ यादव
21	श्री सुभाष पासी
22	श्री आजाद अरिमर्दन
23	श्री अभिजीत सिंह सांगा
24	श्री प्रमोद उटवाल
25	श्रीमती राजबाला
26	श्री छत्रपाल सिंह
27	श्री संजय प्रताप जायसवाल
28	श्री अवस्थी बाला प्रसाद
29	श्रीमती अनीता
30	श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस'
31	श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'
32	डा0 हरगोविन्द भार्गव

जनपद गोरखपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा गैर जिम्मेदारीपूर्वक नाला बनाये जाने से लाखों नागरिकों के सम्मुख जलभराव होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

लोक निर्माण, उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, जनपद गोरखपुर में .....

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य लोक निर्माण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[गोरखपुर-महराजगंज-निचलौल मार्ग (राज्य मार्ग सं0-81) के चैनेज-1.600 से 21.000 तक 04 लेन सी0सी0 रोड के निर्माण (लम्बाई 19.40 कि0मी0) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-71/2020/202ई/23-11-2020-1/2(65)/19, दिनांक 11-02-2020 द्वारा लागत रु0 40854.25 लाख + जी0एस0टी0 (नियमानुसार) की प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत असुरन से झुंगिया तक (चैनेज-1.600 से 8.500) मार्ग के दोनों तरफ नाला निर्माण कार्य प्रगति में है। असुरन से खजांची चौराहे तक मार्ग की लम्बाई 3.25 कि0मी0 है। उक्त भाग में नाले का आउटकाल खजांची (चैनेज-4.850) पर पूर्व निर्मित नाले के बहाव के अनुसार प्रस्तावित है। मार्ग के दोनों तरफ से निर्माणाधीन नाले को जोड़ने वाली समस्त नालियों का बहाव समुचित ढंग से निर्माणाधीन नाले में हो सके, इसके लिये नाला निर्माण हेतु आवश्यक लेवलिंग का संज्ञान नाला के प्रारम्भ करने के पूर्व लिया गया है।

मार्ग के बाईं तरफ निर्माणाधीन नाले को एल्यूमिनियम फैक्ट्री की तरफ से आने वाला नाला जहां जोड़ता है, उक्त स्थान पर माननीय मंत्री जी द्वारा जांच की गई थी, उक्त स्थल पर नाले का बेड कच्चा था, परन्तु उक्त स्थल से एल्यूमिनियम फैक्ट्री की तरफ लगभग 300 मी0 दूरी पर नगर निगम के नाले का बेड लेबल निर्माणाधीन नाले के बेड लेवल से लगभग 33 सेमी0 ऊपर है, जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत (नगर निगम के) नाले से निर्माणाधीन नाले में पानी का बहाव पूर्व की भांति होगा तथा पानी निकासी में किसी प्रकार का अवरोध नहीं होगा।

जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 का निर्गत निर्देशों के अनुपालन में पुनः लेबलिंग कराई गई। मोहल्ले की समस्त नालियों व मुख्य नालों की तुलनात्मक लेबलिंग का अध्ययन कर नाला निर्माण कराया जा रहा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निर्माणाधीन मार्ग के अधिकांश भाग में आर0सी0सी0 नाला निर्माणाधीन है, कतिपय स्थानों यथा रोड क्रासिंग, यातायात हेतु संवेदनशील स्थानों पर अपरिहार्य परिस्थितियों में ह्यूम पाईप लगाई गई है। उक्त लगाई गई ह्यूम पाइपों में आई0आर0सी0 की गाईड लाइन में प्राविधानित मानकों के अनुसार मैनहोल/चैम्बर का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे उक्त भाग में समुचित सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

प्रश्नगत मार्ग के दोनों तरफ पूर्व में खुले नाले का निर्माण किया गया था, उक्त के स्थान पर आर0सी0सी0 कवर्ड नाले का निर्माण किया जा रहा है। नाला निर्माण के पश्चात् पूर्व की भांति मुख्य नाले को जोड़ने वाली कालोनियों की समस्त नालियों का जल प्रवाह मुख्य नाले में हो, इस हेतु आवश्यक समस्त संरचना निर्माण सुनिश्चत किया जा रहा है।]

जनपद महाराजगंज की सिसवा स्थित गड़ौरा चीनी मिल का परिचालन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सागर पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर गन्ना एवं चीनी मिलें मंत्री का वक्तव्य

गन्ना एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री सुरेश राणा)-

मान्यवर, जनपद महाराजगंज की सिसवा स्थित गड़ौरा चीनी मिल का परिचालन कराये जाने के सम्बंध में....

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य गन्ना एवं चीनी मिल मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[अवगत कराना है कि जिला महराजगंज में स्थित जे0एच0वी0 शुगर मिल्स लि0, गडौरा पेराई सत्र 2018-19 से बन्द चल रही है। चीनी मिल पर पेराई सत्र 2014-15 एवं 2017-18 का गन्ना मूल्य बकाया है, जिसकी वसूली हेतु गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा चुका है। बन्द चीनी मिल गडौरा क्षेत्र में उपलब्ध गन्ने की आपूर्ति हेतु इस क्षेत्र का गन्ना वर्तमान पेराई सत्र 2019-20 हेतु अन्य निकटवर्ती चीनी मिलों को सुरक्षण आदेश दिनांक 11-11-2019 जारी किया गया जिसमें अधिकांश क्षेत्र कप्तानगंज चीनी मिल को आवंटित किया गया था, किन्तु कप्तानगंज चीनी मिल द्वारा गन्ना खरीद में रुचि नहीं लेने के कारण चीनी मिल शर्करा संकुल कप्तानगंज के मिल प्रबन्धन के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3/7 व अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके अतिरिक्त कृषकों के हितों के दृष्टिगत गडौरा मिलगेट के गन्ने का समुचित उठान सुनिश्चत कराये जाने के लिये गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के स्तर पर दिनांक 05-02-2020 को पुनः सुनवाई की गई एवं गन्ने की सामयिक खपत कराये जाने व कृषकों के हितों के दृष्टिगत रखते हुए

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चीनी मिल गडौरा के मिलगेट एवं कतिपय क्रय केन्द्रों को इस कार्यालय के आदेश संख्या-4714/सी/क्रय/2019-20, दिनांक 10-02-2020 द्वारा निकटवर्ती चीनी मिलों यथा-कप्तानगंज, सिसवा बाजार, रुधौली, रामकोला, हाटा एवं पिपराइच को पुनः आवंटित किया गया। तद्क्रम में उक्त चीनी मिलों द्वारा गन्ना कृषकों से अब तक की गई गन्ना खरीद तथा जे0एच0वी0 शुगर मिल, गडौरा, महराजगंज पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की वसूली हेतु गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के स्तर से निर्गत वसूली प्रमाण-पत्र आदि के सम्बन्ध में की गई कार्यवाहियों को अद्यतन स्थिति निम्नवत् है :-

(1) बन्द चीनी मिल गडौरा क्षेत्र से पेराई सत्र 2019-20 में अन्य चीनी मिलों द्वारा दिनांक 17-02-2020 तक किये गये कुल गन्ना उठान की स्थिति-

क्र0-सं0	नाम चीनी मिल	दिनांक 17-02-2020 तक चीनी मिलों द्वारा की गई गन्ना खरीद (लाख कुन्तल में)
1	कप्तानगंज	3.42
2	सिसवा बाजार	1.035
3	रुधौली	0.755
4	रामकोला	0.14
5	हाटा	0
6	पिपराइच	1.10
	योग :	**6.450**

(2) गन्ना आयुक्त के आदेश दिनांक 10-02-2020 के उपरान्त सम्बन्धित चीनी मिलों द्वारा दिनांक 18-02-2020 तक निर्गत इण्डेन्ट एवं क्रय केन्द्र संचालन की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र0 सं0	नाम चीनी मिल	प्राप्त इण्डेन्ट (कुन्तल में)	अभ्युक्ति
1	पिपराइच	18000	गडौरा मिल गेट परिसर में स्थापित चार कांटों को सम्बन्धित मिलों को आवंटित कर उनकी स्टैपिंग, बांट माप विभाग द्वारा आज दिनांक 18-02-2020 को करा दी गई है। सम्बन्धित मिलों द्वारा दिनांक 17-02-2020 से इण्डेन्ट कृषकों में वितरित करा दिया गया है व मिलों के तौल लिपिक व ट्रांसपोर्टर कांटों पर आ चुके हैं। क्रय केन्द्रों पर तौल की सभी व्यवस्थायें सुचारु रूप कर दी गई है। चीनी मिल पिपराइच द्वारा वाह्य क्रय केन्द्र मिश्रवलिया-द्वितीय, बजही, बजहा-प्रथम वजहा-द्वितीय क्रय केन्द्र स्थापित कर स्टैपिंग करा दिया गया है तथा इन क्रय केन्द्रों का क्रमशः 5200, 5500, 5500 व 5000 कु0 का इण्डेन्ट निर्गत किया जा चुका है।
2	कप्तानगंज	2700	
3	रामकोला	900	
4	हाटा	500	
	योग :	31100	

(3) जे0एच0वी0 शुगर मिल, गडौरा पर बकाया गन्ना मूल्य एवं भुगतान आदि की स्थिति :-

विगत पेराई सत्र 2018-19 से बन्द चल रही चीनी मिल गडौरा पर क्रमशः पेराई सत्र 2014-15 की कुल देयता क्रमशः **रु0 6,163.29 लाख** के सापेक्ष **रु0 631.39 लाख** तथा 2017-18 की कुल देयता **रु0 8,533.19 लाख** के सापेक्ष **रु0 2088.72 लाख** की धनराशि वर्तमान में भुगतान हेतु अवशेष है। उक्त अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान करने हेतु चीनी मिल को गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के स्तर से नोटिसें निर्गत की गई तथा अवशेष गन्ना मूल्य व मिल समय से न चलाने के कारण चीनी मिल गडौरा के प्रबन्धन के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। पूर्व पेराई सत्र 2014-15 व 2017-18 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान की वसूली किये जाने के सम्बन्ध में गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के द्वारा सम्बन्धित चीनी मिल के विरुद्ध क्रमशः दिनांक 20-08-2015 व 12-12-2018 को वसूली प्रमाण-पत्र (आर0सी0) निर्गत किया गया है। चीनी मिल के विरुद्ध निर्गत वसूली प्रमाण-पत्र पर तहसील निचलौल द्वारा चीनी मिल गडौरा के चल अचल सम्पत्तियों को कुर्क कर नीलामी की कार्यवाही के दौरान ही उक्त कार्यवाही के विरुद्ध **ईरेडा** (Indian Renewable Energy Development Agency Ltd.) द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-12180/2019 बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य योजित की गई है, जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया-

''इन द मीनव्हाइल, देयर शैल बी स्टे आफ आपरेशन आफ द रिकवरी साइटे डेटेड 19-03-2019 एण्ड द आक्सन टू बी हेल्ड आन 10-05-2019''

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वसूली की कार्यवाही पर रोक लगाये जाने से तहसील निचलौल द्वारा नीलामी प्रक्रिया रोक दी गई तथा उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या में प्रति-शपथ-पत्र दाखिल किया जा चुका है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि जे0एच0वी0 शुगर मिल गडौरा द्वारा गन्ना आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-2560/2020 जे0एच0वी0 शुगर लि0 बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य योजित की गई है, जिसमें अग्रिम सुनवाई हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय में तिथि 28-02-2020 नियत है।

राज्य सरकार गन्ना किसानों के गन्ना का आवंटन एवं चीनी मिलों द्वारा गन्ने की पेराई कार्य सम्पादित कराने तथा गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु पूर्णतः सजग एवं कटिबद्ध है।]

श्री अध्यक्ष-

प्रेम सागर जी आपको मंत्री जी से कुछ कहना है तो कह लीजिए।

श्री प्रेम सागर पटेल-

मान्यवर, मैं मंत्री जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो मिल बन्द है उसका अधिग्रहण सरकार से करवा दें या तो वहाँ नई मिल की स्थापना का आश्वासन दे दें क्योंकि वह गन्ने का मूलतः क्षेत्र है और किसान आत्महत्या करने के लिए उतारू है। वह मिल दो साल से बन्द है और वर्ष 2014-15 से भुगतान बाकी है उसका भुगतान करवा दे और ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसका आश्वासन अगर मिल जाए तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

राणा जी को इसमें कुछ कहना है ?

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, योगी सरकार में सबसे पहले किसान एजेण्डे में है। इसलिए किसान के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए जो भी कार्रवाई करनी है वह कठोर से कठोर कार्रवाई हम करते हैं। और जब लगता है कि किसानों का भुगतान सुनिश्चित हो रहा है तो निश्चित रूप से जो सुविधायें देने की बात आती है वह सुविधायें हम लोग देते हैं। चूंकि यह विषय कोर्ट में है। ईरेडा द्वारा स्टे है। तो निश्चित रूप से जैसे ही स्टे समाप्त होगा आगे की कार्रवाई की जायेगी।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में गांगनौली शुगर मिल के प्रदूषित जल को हिंडन नदी में मिलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र कुमार निम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य

वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान मंत्री (श्री दारा सिंह चौहान)-

मान्यवर, जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में .....

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है। इसमें आपको कुछ कहना है।

(वक्तव्य पर्यावरण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या में अवगत कराया गया है कि जनपद सहारनपुर की तहसील देवबन्द स्थित ग्राम गंगनौली में मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0 के नाम से चीनी उद्योग वर्ष 2006 से स्थापित है। उद्योग में औद्योगिक प्रक्रिया से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह का शुद्धिकरण उद्योग परिसर में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संयंत्र के माध्यम से करके शुद्धिपत्र उत्प्रवाह को निस्तारित किया जाता है। दिनांक 15-02-2020 को उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के फाइनल आउटलेट से शुद्धिकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्रित कर विश्लेषित कराया गया। विश्लेषणोपरान्त शुद्धिकृत उत्प्रवाह निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया। घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 50 कि0ली0/ दिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट स्थापित है। दिनांक 15-02-2020 को सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट के फाइनल आउटलेट से शुद्धिकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्रित कर विश्लेषित कराया गया। विश्लेषणोपरान्त शुद्धिकृत उत्प्रवाह निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया । शुद्धिकृत उत्प्रवाह का निस्तारण बजाज ड्रेन के माध्यम से हिण्डन नदी में किया जाता है। प्रदूषित पेयजल के कारण लोगों को गम्भीर बीमारियों के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर से प्राप्त विवरण के अनुसार ब्लाक रामपुर मनिहारन के 03 गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, जिसमें कैंसर (02), हैपेटाईटिस (02), टी0बी0 (09), चर्मरोग (71) और बुखार (29) के रोगी पाये गये हैं। माह मार्च-अप्रैल, 2018 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संयुक्त दल के द्वारा जनपद सहारनपुर के विभिन्न स्थानों से हैण्डपम्प एवं बोरबेल का नमूना एकत्रित किया गया। 15 हैण्डपम्प एवं 01 बोरवैल का नमूना निर्धारित मानकों के अनुरूप न पाये जाने के कारण दिनांक 10-09-2018 को 15 हैण्डपम्प एवं 01 बोरवैल को उ0प्र0 जल निगम एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा सील कर दिया गया। उ0प्र0 जल निगम द्वारा ग्राम-शीतलाखेड़ा, भनेड़ा, खेमचन्द, इन्द्रावली, कल्याणपुर, रसूलपुर, खेरी, नैनसोब, दूधली, बुखारा, हरोडा मु0, कपास, सकतपुर, फिरोजपुर, नन्दी, जमापुर बेरी एवं घोघरेकी में 14 पाईप्ड पेयजल योजना का निर्माण कार्य माह जनवरी, 2020 से प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसके माध्यम से माह मार्च, 2020 तक शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।]

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

मान्यवर, मैं इसमें पूछना चाहता हूँ कि यह जो जांच हुयी है यह किस विभाग के माध्यम से हुयी है। क्योंकि अभी जल निगम ने एक सेम्पल लिया था उसमें जल बहुत ज्यादा प्रदूषित पाया गया। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वह किसी अन्य एजेंसी से इसकी जांच करा लें। क्योंकि मेरी विधान सभा क्षेत्र में जल बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है।

श्री दारा सिंह चौहान-

मान्यवर, इसमें जांच में 15 हैण्डपम्प और 01 बोरवैल का नमूना निर्धारित मानकों के अनुरूप न पाये जाने के कारण दिनांक 10-09-2018 को 15 हैण्डपम्प एवं 01 बोरवैल को उ0प्र0 जल निगम एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा सील कर दिया गया। उ0प्र0 जल निगम द्वारा ग्राम-शीतलाखेड़ा, भनेड़ा खेमचन्द्र, इन्द्रावली, कल्याणपुर, रसूलपुर खेरी, नैनसोब दूधली बुखारा, हरौडा मु0, कपास, सकतपुर, फिरोजपुर नन्दी, जमापुर बेरी एवं

घोघरेकी में 14 पाईप्ड पेयजल योजना का निर्माण कराकर कार्य माह जनवरी, 2020 से प्रारम्भ कर दिया गया है। जिसके माध्यम से माह मार्च 2020 तक शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। अगर इसके बाद कुछ होगा तो बताइयेगा।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत कतिपय सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 पर डाक्टर एवं स्टाफ की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री जय प्रताप सिंह)-

मान्यवर, जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत कतिपय सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 .....

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[रामपुर मथुरा, पी0एच0सी0 गोड़इचा, खुरवल, पैतेपुर, मीरानगर, मथुरा, बेहमा में स्वीकृत पदों के सापेक्ष डाक्टर व अन्य स्टाफ काफी कम है जिसके कारण मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। जनहित में डाक्टर व अन्य स्टाफ की रिक्तियों के सापेक्ष तैनाती की जाय।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।

2-इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर के पत्र दिनांक 19-02-2020 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के आधार पर अवगत कराना है कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत स्थित सी0एच0सी0 महमूदाबाद में चिकित्साधिकारियों के स्वीकृत 08 पदों के सापेक्ष 07 चिकित्साधिकारी तथा पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत 10 पदों के सापेक्ष 09 पैरामेडिकल स्टाफ, सी0एच0सी0 पहला में चिकित्साधिकारियों के स्वीकृत 08 पदों के सापेक्ष 07 चिकित्साधिकारी तथा पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत 12 पदों के सापेक्ष 06 पैरामेडिकल स्टाफ, सी0एच0सी0 रामपुर मथुरा में चिकित्साधिकारियों के स्वीकृत 08 पदों के सापेक्ष 08 चिकित्साधिकारी तथा पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत 12 पदों के सापेक्ष 07 पैरामेडिकल स्टाफ तैनात हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पी0एच0सी0 गोड़इचा, पी0एच0सी0 खुरवल, पी0एच0सी0 पैतेपुर, पी0एच0सी0 मीरानगर तथा पी0एच0सी0 बेहमा में चिकित्साधिकारियों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत पदों के सापेक्ष समस्त चिकित्साधिकारी एवं पैरामेडिकल स्टाफ तैनात है।

3-उल्लेखनीय है कि प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारियों के अत्यन्त कमी के दृष्टिगत रिक्त पदों पर चिकित्साधिकारियों की तैनाती उपयोगिता एवं उपलब्धता के आधार पर की जाती है।]

जनपद बस्ती के बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल अठदमा व फेनिल ग्रुप शुगर मिल द्वारा गन्ना किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय प्रताप जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर गन्ना एवं चीनी मिलें मंत्री का वक्तव्य

गन्ना एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री सुरेश राणा)-

मान्यवर, जनपद बस्ती के बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल अठदमा व फेनिल ग्रुप शुगर मिल द्वारा गन्ना किसानों का बकाया .....

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य गन्ना एवं चीनी मिलें मंत्री द्वारा दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिला बस्ती में स्थित बजाज हिन्दुस्तान की चीनी मिल गोविन्द नगर, वाल्टरगंज तथा चीनी मिल, अठदमा, रुधौली पर देय गन्ना मूल्य के सापेक्ष भुगतान एवं अवशेष धनराशि तथा गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की मिलवार स्थिति निम्नवत् है :-

(1) चीनी मिल गोविन्द नगर, वाल्टरगंज, बस्ती-

गोविन्दनगर शुगर मिल (ए यूनिट आफ फेनिल शुगर्स प्रा0लि0) वाल्टरगंज, जिला बस्ती पर **पेराई सत्र 2016-17 व 2017-18** का गन्ना मूल्य भुगतान लम्बित है। पेराई सत्र 2016-17 के बकाया गन्ना मूल्य से उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत चीनी मिल के विरुद्ध दिनांक 29-12-2017 में एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई एवं पत्र संख्या-383/सी0 दिनांक 07-02-2018 द्वारा गन्ना मूल्य व समिति अंशदान के भुगतान हेतु गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के स्तर से वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया था। चीनी मिल के विरुद्ध निर्गत वसूली प्रमाण-पत्र

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के क्रम में जिला प्रशासन द्वारा नीलामी हेतु आर0सी0 प्रपत्र-39 जारी कर दिनांक 04-04-2018 को नीलामी की तिथि नियत की गई थी, किन्तु नीलामी हेतु नियत तिथियों क्रमशः दिनांक 04-04-2018, 25-04-2018 पर किसी बोलीदाता के उपस्थित नहीं होने के कारण नीलामी की कार्यवाही नहीं हो सकी। इस सम्बन्ध में पुनः दिनांक 09-05-2018 को आर0सी0 प्रपत्र-39 जारी कर दिनांक 30-05-2018 को नीलामी तिथि नियत की गई तथा दिनांक 18-07-2018 को पेराई सत्र 2016-17 के बकाये की धनराशि की आर0सी0 प्रपत्र-38 चल सम्पत्ति की कुर्की जारी की गई, जिसके क्रम में दिनांक 27-07-2018 को चल सम्पत्ति फैक्ट्री में पाये गये यंत्र/संयंत्र मशीनें कुर्क करके सिक्योरिटी गार्ड के अभिरक्षा में लिया गया। नीलामी हेतु पुनः नियत की गई तिथि 21-11-2018 पर किसी बोलीदाता के उपस्थित नहीं होने के कारण नीलामी की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी।

अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि सम्बन्धित चीनी मिल पर **पेराई सत्र 2017-18** के बकाया गन्ना मूल्य की वसूली हेतु आयुक्त उ0प्र0 के स्तर से वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 14-12-2018 को निर्गत किया गया है। गन्ना आयुक्त द्वारा जारी किये गये उक्त वसूली प्रमाण-पत्र के अनुक्रम में पेराई सत्र 2016-17 के बकाया गन्ना मूल्य की वसूली हेतु पूर्व में **जारी की गई आर0सी0 में उल्लिखित बकाया गन्ना मूल्य को सम्मिलित करते हुए उक्त दोनों पेराई सत्रों के बकाया गन्ना मूल्य की** वसूली के सम्बन्ध में तहसीलदार के स्तर से आर0सी0 प्रपत्र-38 चल सम्पत्ति कुर्की दिनांक 20-04-2019 को जारी किया गया एवं दिनांक 21-04-2019 को गोदाम में रखे 2625 कुन्तल ब्राउन शुगर को कुर्क कर अभिरक्षा में लिया गया। इस सम्बन्ध में नीलामी हेतु क्रमशः दिनांक 22-06-2019, 22-07-2019, 21-08-2019, 30-09-2019, 04-11-2019, 06-12-2019, 07-01-2020 एवं 08-02-2020 को निर्धारित की गई तिथियों पर नीलामी प्रक्रिया में किसी बोलीदाता के उपस्थित नहीं होने के कारण नीलामी की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी। वर्तमान में **नीलामी हेतु अगली तिथि 09-03-2020 नियत है।** चीनी मिल वाल्टरगंज पर उपर्युक्त दोनों पेराई सत्रों के सापेक्ष अवशेष गन्ना मूल्य की स्थिति निम्नवत् है :-

नाम चीनी मिल	पेराई सत्र	अवशेष गन्ना मूल्य (लाख0 रु0 में)
गोविन्दनगर वाल्टरगंज	2016-17	2,229.60
	2017-18	1,965.47

(2) चीली मिल अठदमा, रुदौली, बस्ती-

बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0 अठदमा, रुधौली पर पूर्व पेराई सत्रों 2016-17 एवं 2017-18 का गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष नहीं है तथा दिनांक 18-02-2020 तक की

स्थिति के अनुसार चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र 2018-19 के अन्तर्गत देय गन्ना मूल्य के सापेक्ष भुगतान तथा वर्तमान में अवशेष गन्ना मूल्य की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	नाम चीनी मिल	पेराई सत्र 2018-19		
		गन्ना मूल्य (लाख0 रु0 में)		
		देय	भुगतान	अवशेष
1	चीनी मिल अठदमा, रुधौली	19,871.18	17,599.63	2,271.55

पेराई सत्र 2018-19 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के सम्बन्ध में दिनांक 04-02-2019, 29-04-2019 एवं 14-06-2019 को नोटिसें निर्गत की गई हैं। दिनांक 12-12-2019, 16-01-2020 एवं 02-02-2020 की आहूत बैठकों में जिलाधिकारी बस्ती द्वारा उपस्थित चीनी मिल प्रतिनिधि को समय-सीमा निर्धारित कर अवशेष गन्ना मूल्य का सम्पूर्ण भुगतान तत्काल किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

वर्तमान में पेराई सत्र 2019-20 अभी चल रहा है तथा इस पेराई सत्र के अन्तर्गत चीनी मिल रुधौली द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान प्रारम्भ नहीं किया गया है जिसके दृष्टिगत गन्ना मूल्य का भुगतान करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित चीनी मिल को दिनांक 04-02-2020 नोटिस निर्गत की गई है।

राज्य सरकार गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान कराये जाने हेतु सजग एवं कटिबद्ध है।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के 38 ग्रामों को बाढ़ से बचाने के सम्बन्ध में श्री नरेश सैनी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के 38 ग्रामों को बाढ़ से बचाने .....

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(जल शक्ति मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[बरसात के मौसम में पहाड़ी नदियों में बाढ़ की समस्या के दृष्टिगत एक परियोजना ''जनपद शाहजहांपुर में 38 ग्रामों की सुरक्षा हेतु टोरेन्टस पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों की पुनरीक्षित

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परियोजना'' लागत रु0 962.59 लाख की तैयार कर दिनांक 02-12-2019 को उ0प्र0 राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की 52वीं स्थाई संचालन समिति की बैठक में प्रस्तुत की गई थी। समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि परियोजना को आगामी वर्षाकाल के बाद सार्थकता, आवश्यकता/ प्रासंगिकता तथा लोकहित में होने का आंकलन करने के उपरान्त आवश्यकतानुसार मुख्य अभियन्ता समिति में प्रस्तुत की जायेगी और परियोजना के सक्षम स्तर से स्वीकृत होने एवं धन की उपलब्धता के पश्चात् कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र बेहट के अन्तर्गत प्रश्नगत 38 ग्रामों में बाढ़ से लोगों की जान-माल की सुरक्षा हेतु वर्षाकाल में संवेदनशील स्थलों पर अनुरक्षण मद के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार कार्य कराये गये हैं। इस वर्ष वर्षाकाल में प्रश्नगत 38 ग्रामों में से ग्राम शाहपुर, हुसैन मलकपुर में अनुरक्षण मद के अन्तर्गत 18 नग बोल्डर कटर्स का निर्माण किया गया, जिसके फलस्वरूप कोई जनधन की हानि नहीं हुई।]

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उज्जवल रमण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर औद्योगिक विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच .....

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(औद्योगिक विकास मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिया गया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी एवं निष्पक्ष है। भूखण्डों के आवंटन हेतु जो भी आवेदन प्राप्त किये जाते हैं वह निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं। निवेश मित्र पोर्टल शासन स्तर पर उद्योग बन्धु द्वारा संचालित होता है। एवं निवेश मित्र पोर्टल पर जितने भी आवेदन प्राप्त होते हैं उन आवेदनों का पूर्ण रूप से परीक्षण किया जाता है और आवेदकों के सामने ही लाटरी के माध्यम से आवंटन किया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होती है और किसी भी प्रकार से पक्षपात की कोई सम्भावना नहीं होती

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। आवंटन प्रक्रिया के पश्चात् आवंटन-पत्र भी निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आवंटियों को प्राप्त कराये जाते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन तथा पारदर्शी है तथा आवंटन हेतु इस पोर्टल पर देश के किसी भी भाग से कोई भी आवेदन कर सकता है तथा औद्योगिक भूखण्डों की उपलब्धता की सम्पूर्ण सूचनाओं को रियल टाइम देख सकता है। पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया में किसी भी दबाव या पक्षपात की कोई सम्भावना नहीं होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उक्त प्रक्रिया से आवंटित किये गये औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन के सन्दर्भ में कोई भी अद्यतन शिकायत प्राधिकरण में प्राप्त नहीं हैं।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में वर्ष 2002-2003 में हुई नियुक्तियों की जांच के सम्बन्ध में श्री बृजेश कुमार, तत्कालीन अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा जांच की गई तथा जांच आख्या शासन को दिनांक 25-03-2004 को उपलब्ध कराई गई। शासन के पत्र संख्या-1706/77-4-19-28एन/04, दिनांक 29-07-2019 द्वारा यह निर्देश दिये गये कि तत्कालीन प्रवृत्त व विद्यमान नियमों की अनदेखी कर किये गये अनियमितता के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने हेतु उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम/पदनाम आरोप-पत्र साक्ष्य सहित तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाए।

प्रकरण में प्रभावित कार्मिकों द्वारा शासन के उक्त आदेश दिनांक 29-07-2019 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में 04 रिट याचिकाएं योजित की गई, जिसमें 03 रिट याचिकाओं में स्थगनादेश प्राप्त हुए हैं, जो निम्नवत् हैं :-

क्र0-सं0	रिट याचिका संख्या	नाम पक्षकार	स्थगनादेश का दिनांक
1	15276/2019	वीरेन्द्र सिंह व 11 अन्य बनाम उ0प्र0 शासन व अन्य	26-09-2019 एवं 03-12-2019
2	16254/2019	अजब सिंह भाटी व 1 अन्य बनाम उ0प्र0 शासन व अन्य	19-10-2019
3	17006/2019	गीता नागर व 02 अन्य बनाम उ0प्र0 शासन व अन्य	24-10-2019 एवं 20-11-2019
4	17149/2019	संदीप भारती व 04 अन्य बनाम उ0प्र0 शासन व अन्य	स्थगनादेश पारित नहीं है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है।]

जनपद महाराजगंज के तहसील नौतनवां में भू-माफियाओं द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री अमन मणि त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जनपद महराजगंज के तहसील नौतनवां में भूमाफियाओं द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार .....

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, महराजगंज द्वारा प्रकरण की जांच तहसीलदार नौतनवां, जनपद महराजगंज से कराकर अवगत कराया गया है कि मा0 विधायक जी द्वारा अपनी सूचना में किसी भी भू-माफिया के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक से जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि ग्राम कजरी, धौतिहवा एवं सिंहपुर कला वर्तमान में चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है। ग्राम कजरी में गाटा संख्या-140/6.179 हे0 भूमि खतौनी वर्ष 1419-1424 के खातेदार हरेन्द्र कुमार सिंह, रविन्द्र किशोर पुत्रगण श्री गोरख सिंह ग्राम चेहरी, तप्पा-बटेसरा, तहसील बगहा, जिला चम्पारण, बिहार, हा0मु0 ग्रामवासी के नाम दर्ज है, जो मु0न032/125/22-01-1995/10-03-1989, नि0प्र0 अपर जिलाधिकारी द्वारा मूल खातेदार चन्द्रसेन पुत्र श्री जीत बहादुर के नाम खारिज होकर सीलिंग 4(क) श्रेणी में दर्ज हुआ। तदोपरान्त मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-232/89, चन्द्रसेन बनाम उ0प्र0 सरकार में अन्तिम रूप से रिट याचिका को निरस्त करने के उपरान्त उप जिलाधिकारी, नौतनवां, महराजगंज ने कृषि आवंटन स्वीकृति दिनांक 04-05-2013 द्वारा कुल 91 व्यक्तियों को कृषि आवंटन स्वीकृत किया गया है। वर्तमान समय में मा0 अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के यहां उ0प्र0 अधिकतम जोत सीमा आरोपड़ अधिनियम, 1960, 10(2) उ0प्र0 सरकार बनाम चन्द्रसेन सिंह योजित है, जो मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में मा0 न्यायालय के आदेश के उपरान्त ही कोई कार्यवाही किया जाना उचित होगा। ग्राम धोतिहवा व सिंहपुर कला में सीलिंग से बचने हेतु बैनामा आदि का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अमन मणि त्रिपाठी-

मान्यवर, एक सवाल पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

इसमें केवल वक्तव्य है। आप बात कर लीजिएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह परम्परा गलत है। अलग से बता दीजिएगा। केवल वक्तव्य में सप्लीमेंट्री अलाउ नहीं है। यह मालूम होना चाहिए। प्लीज।

जनपद लखनऊ के यदुनाथ सान्याल वार्ड में अवैध डेरियों को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती जय देवी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, उक्त के संबंध में नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि जोन-1 में यदुनाथ सान्याल वार्ड सुन्दरबाग....

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिया गया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[श्री बाबूलाल पाल पुत्र स्व0 चन्दर पाल, निवासी सुन्दरबाग पार्क, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग निकट लालकुआ, श्री मोहन पुत्र श्री सुन्दर यादव निवासी म0नं0-68/175, चट्टान पार्क, लसोढ़े वाली गली, छितवापुर पजावां लखनऊ एवं श्री रमेश यादव पुत्र स्व0 पुत्तन लाल यादव निवासी म0नं0-86/119, रिसालदार पार्क निकट प्राथमिक शिक्षक संघ, लालकुआं द्वारा अवैध रूप से दूध डेरी संचालित की जा रही है। इन पशुपालकों के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-550 के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित पशुपालकों को दूध डेरी हटाये जाने के सम्बन्ध में नोटिस भी दी जा चुकी है। समय-समय पर क्षेत्रीय पुलिस एवं पी0ए0सी0 के सहयोग से विशेष अभियान चलाकर थाना कैसरबाग एवं थाना हुसैनगंज के अन्तर्गत सुन्दरबाग से दूध डेयरियों को हटाया जा चुका है परन्तु उक्त पशुपालकों की प्रवृत्ति पर कोई प्रभाव न पड़ने के कारण थाना हुसैनगंज के अन्तर्गत श्री मोहन पुत्र श्री सुन्दर यादव

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निवासी 68/175, चट्टान पार्क, लसोढ़े वाली गली, छितवापुर पंजावां, लखनऊ तथा थाना कैसरबाग में श्री बाबूलाल पाल पुत्र स्व0 चन्दर पाल, निवासी सुन्दरबाग पार्क, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, निकट लालकुआं एवं श्री रमेश यादव पुत्र स्व0 पुत्तन लाल यादव, निवासी म0नं0-86/119, रिसालदार पार्क, निकट प्राथमिक शिक्षक संघ लालकुआं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु तहरीर प्रेषित की गई। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि सुन्दरबाग में संजय नाम का कोई व्यक्ति नहीं है।]

जनपद रायबरेली के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् द्वारा डाली जा रही सीवर लाइन में अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि रायबरेली नगर पालिका में रायबरेली सीवरेज योजना (फेज-1, पार्ट-1) स्वीकृत लागत.....

वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान मंत्री (श्री दारा सिंह चौहान)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिया गया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[रु0 49.8338 करोड़ तथा रायबरेली सीवरेज योजना (द्वितीय चरण) स्वीकृत लागत रु0 62.0527 करोड़ के कार्य ई-निविदा से चयनित फर्म मेसर्स धारपूरे इंजीनियरिंग एण्ड कान्सट्रक्शन, प्रा0लि0, पुणे द्वारा अनुबन्ध संख्या-06/एस0ई0-111/18-19,दिनांक 17-04-2018 से कराये जा रहे हैं, जिसकी कार्य प्रारम्भ की तिथि 23-04-2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 22-04-2020 है, जिसमें मुख्यतः 18 एम0एल0डी0 क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट, 18 एम0एल0डी0 का मेन पम्पिंग स्टेशन 29.00 कि0मी0 सीवर लाइन तथा कुल 7407 हाउस कनेक्शन है। समस्त निर्माणाधीन कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की जांच एम0एन0आई0टी0, प्रयागराज, दिल्ली टेस्ट हाउस, लखनऊ अरुन स्वायल लैब, लखनऊ तथा प्रयुक्त होने वाले समस्त पाइपों की जांच एस0जी0एस0 से कराकर उपयोग में लाया जा रहा है। प्रयुक्त होने वाली समस्त कंकरीट व ईंटों की जांच पी0डब्लू0डी0 एवं सीवरेज योजना की साइट में स्थापित लैब में की जा रही है। योजना में प्रस्तावित समस्त कार्यों की डिजाइन ड्राइंग की जांच आई0आई0टी0, मुम्बई से भी कराई जा रही है तथा जल निगम में तैनात अधिशासी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर की उपस्थिति में समस्त कार्य उचित गुणवत्ता से कराये जा रहे हैं। सीवर लाइन बिछाने में निकलने वाली मिट्टी को जगह न होने के कारण दूसरे स्थान पर रखा जा रहा है। लाइन बिछाने के बाद पुनः भराई की जाती है। ठेकेदार द्वारा सेल आउट करने पर अनुबन्ध में ठेकेदार के बिल से कटौती का प्राविधान है। किसी प्रकार की अनियमितता अभी तक नहीं पाई गई है। माह दिसम्बर, 2019 में टी0ए0सी0 द्वारा भी कार्यों की गुणवत्ता की जांच की जा चुकी है। जिसमें कार्यों की गुणवत्ता उचित पाई गई है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बजकर 21 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 24 फरवरी, 2020

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

देखिये नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या-8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 12-13 पर

संख्या-2072/सेक-2-पांच-19-4(79)/2008

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0 शासन।

चिकित्सा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 17 जून, 2019

विषय :-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समूह ''ग'' लिपिकीय श्रेणी कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-4डी(1)/89/2018/2293, दिनांक 04-04-2018 द्वारा लिपिकीय संवर्ग (समूह ''ग'') के कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित प्रस्ताव का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2-इस सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-3/2018/1/3/96-का-4-2018, दिनांक 29-03-2018 द्वारा प्रदेश में कार्यरत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2018-19 से 2021-22 निर्गत है, जिसे कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-2/2019/1/3/96-का-4-2019, दिनांक 28-05-2019 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2019-20 में दिनांक 30-06-2019 तक बढ़ाया गया है।

3-इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग-4 के उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक 29-03-2018 एवं 28-05-2019 में वर्णित उपबन्धों (यथा-दिव्यांगता, यथासम्भव पति-पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती व गम्भीर बीमारी इत्यादि) को यथावत् लागू रखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समूह ''ग'' लिपिकीय संवर्ग के कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण में निम्न प्राविधान का समावेश किया जाता है :-

''पटल पर कार्य करते हुए 3 वर्ष एक कार्यालय में 05 वर्ष, एक जगह में 07 वर्ष तथा मण्डल में 10 वर्ष कार्यरत होने की स्थिति में मण्डल के बाहर जनपदों में स्थानान्तरित कर दिया जाय एवं पूर्व तैनाती के जनपद में वापसी 15 वर्ष पश्चात् किया जा सकेगा।''

4-स्थानान्तरण के सम्बन्ध में किसी विरोधाभास की स्थिति में उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक29-03-2018 एवं दिनांक 28-05-2019 में उल्लिखित प्राविधान प्रभावी होंगे। समस्त स्थानान्तरण दिनांक 30-06-2019 तक ही किये जा सकेंगे।

भवदीय,

पंकज कुमार,

सचिव।

संख्या-2072(1)/सेक-2-पांच-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ,

2-निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ,

3-प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0,

4-समस्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0,

नत्थी (ख)

देखिये नत्थी (ग) के अतारांकित प्रश्न संख्या-8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 23-41 पर

जनपद प्रयागराज में आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत आबद्ध चिकित्सालयों की सूची

S.No.	Hospital Name
1	VIRENDRA HOSPITAL
2	GOVT. T.B. HOSPITAL TELIARGANJ ALLAHABAD
3	SN CHILDREN HOSPITAL ALLAHABAD
4	AHSA HOSPITAL
5	ANKUR HOSPITAL
6	DWIVEDI HOSPITAL
7	SHYAM CHARITABLE HOSPITAL
8	HOSPITAL AKSHAYAVAT AND TRAUMA CENTER
9	JAN SEWA CHIKITSALAYA
10	MAA SHARADA HOSPITAL
11	NARAYAN SWAROOP HOSPITAL
12	PRACHI HOSPITAL Pvt. Ltd.
13	SHAH MEMORIAL CHARITABLE HOSPITAL
14	ANAND HOSPITAL
15	SHRI SIDDHI VINAYAK HOSPITAL
16	VINEETA HOSPITAL PVT. LTD.
17	JEEVAN REKHA MEDICARE
18	KAILASH HOSPITAL
19	ADYA HOSPITAL
20	NEW OJAS HOSPITAL
21	SARDAR PATEL HOSPITAL
22	ADARSH CLINIC AND SURGICAL CENTER HANUMANGANJ ALLAHABAD
23	SAMPA HOSPITAL
24	B L MENORIAL HOSPITAL
25	TEJ BAHADUR SAPRU HOSPITAL ALLAHABAD
26	CHC KAURIHAR ALLAHABAD
27	CHC JAHSRA ALLAHABAD
28	DISTRICT WOMEN HOSPITAL ALLAHABAD

S.No.	Hospital Name
29	CHC CHAKA
30	MOTILAL NEHRU DIVISIONAL HOSPITAL ALLAHABAD
31	CHC KOTWA AT BANI ALLAHABAD
32	CHC SORAON ALLAHABAD
33	CHC HANDIA ALLAHABAD
34	CHC PHULPUR
35	CHC KARCHANA ALLAHABAD
36	SWAROOP RANI NEHRU HOSPITAL ALLAHABAD
37	AMAR JYOTI NURSING HOME
38	GAYATRI HOSPITAL
39	DRS HOSPITAL
40	MGM HOSPITAL AND RESEARCH CENTER
41	MOHAK MEDICAL AND RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED
42	KARMA HEALTH CENTER
43	SARDAR PATEL HOSPITAL
44	SAROJ NURSING HOME
45	DIKSHA HOSPITAL
46	GLOBAL HOSPITAL AND EYE RESEARCH CENTER
47	SAPANA HOSPITAL
48	KRISHNA HOSPITAL AND TRAUMA CENTRE
49	ASHUTOSH HOSPITAL AND TRAUMA CENTRE Pvt. Ltd.
50	SUNIL SHIVDARSHAN MANOJ CARE HOSPITAL Pvt. Ltd.
51	SHRI SITARAM MEORIAL HOSPITAL
52	JEEVANDEEP CHARITABLE HOSPITAL
53	JEEVANDEEP CHIKITSALAY
54	AKASH HOSPITAL
55	YASH HOSPITAL
56	SHIVAM AKSHAYVAT HOSPITAL MULTYSPECIALTY HOSPITAL TRAUMA CENTRE
57	DWARKA HOSPITAL
58	RAMA HOSPITAL

S.No.	Hospital Name
59	TILAK HOSPITAL AND MATERNITY HOME
60	FIROZ MEMORIAL CHARTIABLE HOSPITAL
61	KESWANI HOSPITAL
62	JEEVAN DEEP HOSPITAL
63	SHAKUNTALA HOSPITAL
64	SHAKUNTAL MULTISPECIALITY HOSPITAL
65	GAURAV HOSPITAL KORAON ALLAHABAD
66	GAMA CHIKITSA SANSATHAN
67	GURU KRIPA HOSPITAL
68	BHUMI HOSPITAL
69	PRATIBHA MEDICARE
70	MAA GAYATRI MEDICAL CENTRE
71	CHHOTELAL HOSPITAL
72	NAV JEEVAN HOSPITAL
73	JAIN HOSPITAL
74	PRAYAG NURSING HOME
75	NAV JYOTI HOSPITAL
76	DAYAL NURSING HOME
77	DUA EYE HOSPITAL NETRARTH
78	JEEVAN SHAKTI CHARITABLE HOSPITAL
79	KANHA MEDICAL CENTRE
80	JAHANGIR MEMORIAL CHARTIABLE CENTRE
81	RAJ HOSPITAL
82	SHIVALIK HOSPITAL
83	SHIKHA HOSPITAL
84	NANDINI ORTHONOVA HOSPITAL AND TRAUMA CENTRE
85	ADARSH HOSPITAL
86	SHYAMA HOSPITAL
87	SANJIWANI SEWALYA NURSING AND MATERNITY HOME
88	NEELU HOSPITAL
89	NEW LIFE LINE
90	DWIVEDI MEDICAL & RESEARCH CENTRE Pvt. LTD.

S.No.	Hospital Name
91	JEEVAN RAKSHA HOSPITAL
92	YES CLINICAND MATERNITY CENTRE
93	DEVRAJ SINGH HOSPITAL
94	SWETA NURSING HOME
95	MANOHAR DAS EYE HOSPITAL
96	ANUPAM HOSPITAL PVT. LT. & DENTAL CLINIC
97	SATYAM HOSPITAL KARCHHANA ALLAHABAD
98	KAMLA HOSPITAL
99	KAS MEDICAL HOSPITAL
100	VARDAN HOSPITAL
101	SAVITRI NURSING HOME
102	ASHIRWAD HOSPITAL
103	PATEL HOSPITAL
104	J.P. MEMORIAL HOSPITAL
105	SHRIYA NURSING HOME
106	ROBIL CHARITABLE MANAV SEWA SANSATHAN
107	VIJAYA HOSPITAL AND TRAUMA CENTRE
108	SAKSHI CHARTIABLE HOSPITAL
109	SURYA HOSPITAL
110	POONAM HOSPITAL
111	AWADH CHIKITSALAYA & ORTHOPEDIC CENTRE
112	NEW JAN JEEVAN HOSPITAL
113	J.P.PATEL MEMORIAL HOSPITAL
114	POOJA CLINIC HOSPITAL
115	KAMALA NEHRU MEMORIAL HOSPITAL
116	JEEVAN REKHA NURSING HOME
117	ISHA HOSPITAL
118	AROGYAM HOSPITAL
119	DRUTI HOSPITAL
120	PRAYAG MEDICARE HOSPITAL & LAPAROSCOPIC CENTRE
121	JEEVAN JYOTI HOSPITAL
122	SANGAM HOSPITAL AND SURGICAL CENTRE

S.No.	Hospital Name
123	ARVIND SURGICAL AND RESEARCH P Ltd
124	ZOHRA HOSPITAL
125	NAV JEEVAN NURSING HOME
126	AZRA POLY CLINIC
127	JANHIT HOSPITAL
128	VATASALYA HOSPITAL GOHANIA
129	SANGAM HOSPITAL
130	HARIDHAM HOSPITAL
131	BHOLA HOSPITAL
132	PANCHSHEEEL NURSING DIAGNOSTIC CENTRE
133	NEW PATEL HOSPITAL
134	JEEVAN DISHA HOSPITAL
135	MEDIMAX HEALTHCARE AND RESEARCH CENTRE
136	SARASWATI HOSPITAL
137	RAMESHTH HOSPITAL
138	PRIYA HOSPITAL AND TRAUMA CENTRE PVT. Ltd
139	SATGURU HOSPITAL
140	PRABHA MEDICAL CENTRE
141	VAISHNAVI HOSPITAL
142	AMAR MEMORIAL HOSPITAL
143	AMAR DEEP NURSING HOME
144	PRAKASH HOSPITAL
145	NEW PRAYAG HOSPITAL
146	PRIYANSHU MEDICARE CENTRE
147	PARVATI HOSPITAL PVT.LTD
148	GHAUSIYA HOSPITAL
149	MAA SHARDA HOSPITAL
150	JEEM MEMORIAL HOSPITAL
151	OJHA HOSPITAL
152	SOMWARI DEVI MEMORIAL HOSPITAL AND TRAUMA CENTER
153	VIJAY MEMORIAL HOSPITAL
154	EYE LIFE CENTER

S.No.	Hospital Name
155	THE LEPROSY MISSION HOSPITAL NAINI
156	MANGALAM HOSPITAL
157	BRIJRANI MEMORIAL HOSPITAL
158	LOKPRIYA HOSPITAL
159	SACHAN HOSPITAL
160	LALLAN HOSPITAL
161	UNITED MEDICITY
162	SIDDHA SANJEEVANI CHARITABLE HOSPITAL
163	SANSKRITI HOSPITAL
164	CHC BAHARIYA PRAYAGRAJ
165	CHC MEJA
166	CHC MAUAIMA
167	CHC HOLAGARH
168	CHC MANDA
169	CHC KORAON
170	COMMUNITY HEALTH CENTRE SHANKARGARH
171	CHC KAUNDHIYARA
172	SHRI KRISHNA NURSHING HOME
173	CHC RAMNAGAR
174	CHC DHANUPUR
175	SARJO HOSPITAL AND MATERNITY CENTER
176	CHC SAIDABAD
177	PHC PRATAPPUR
178	CHC HARAKHPUR

नत्थी (ग)

देखिये नत्थी (ग) के अतारांकित प्रश्न संख्या-40 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41-92 पर

जनपद फिरोजाबाद में आर0बी0एस0के0 योजना के अन्तर्गत तहसील/ब्लाकवार सन्दर्भित एवं उपचारित बच्चों का विवरण

क्र0-सं0	ब्लाक का नाम	सन्दर्भित बच्चों की संख्या (18 वर्ष तक)	उपचारित बच्चों की संख्या (18 वर्ष तक)
1	अरांव	783	659
2	शिकोहाबाद	1381	1021
3	एका	429	426
4	जसराना	1094	1087
5	हाथवन्त	1277	961
6	नारखी	1114	1035
7	मदनपुर	1726	1626
8	टूण्डला	905	718
9	फिरोजाबाद	825	796
	कुल योग :	**9534**	**8330**

पी0एस0यू0पी0-एल0 172 विधान सभा (268)-16-11-2021-76 प्रतियां (कम्प्यूटर)।